वार्षिक रिपोर्ट

2013-14

राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-**110002**
http://www.ncw.nic.in

विषय–सूची

		पृष्ठ सं.
	संदेश	(i-ii)
	प्राक्कथन	(iii-v)
अध्याय-1	प्रस्तावना	1-29
अध्याय-2	मीडिया और पहुँच कार्यक्रम	31-47
अध्याय-3	शिकायत एवं जाँच (सी एण्ड आई) प्रकोष्ठ	49-70
अध्याय-4	अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) प्रकोष्ठ	71-77
अध्याय-5	विधायी प्रकोष्ठ	79-84
अध्याय-6	अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ	85-88
अध्याय-7	पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ	89-93
अध्याय-8	सूचना का अधिकार	95-97
अध्याय-9	सिफारिशें	99-138
अध्याय-10	वार्षिक लेखे 2013–14	139-186
	अनुलग्नक	187-263

मेनका संजय गांधी
Maneka Sanjay Gandhi

मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110001
MINISTER
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

संदेश

मैं यह जानकर प्रसन्न हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 में उल्लिखित पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा किए गए कार्यकलापों को समाविष्ट करते हुए वर्ष 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है और मैं इसे संसद में प्रस्तुत करती हूँ।

राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसे महिलाओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करने एवं उन्हें बढ़ावा देने और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधीन 31 जनवरी, 1992 को गठित किया गया था।

वर्ष 2013–14 के दौरान, आयोग ने अपनी अधिदेशित भूमिका एवं कार्यकलापों को जारी रखा जिनमें महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना तथा उनमें संशोधनों के सुझाव देना, महिला अधिकारों की वंचना की शिकायतों तथा महिलाओं के साथ अत्याचारों, उनके उत्पीड़न, अधिकारों के हनन एवं शोषण के मामलों की जांच करना प्रमुख हैं। आयोग ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों को बहाल करने और उनका सम्मान बनाए रखने के लिए शिकायतों के विशिष्ट मामलों में स्व–प्रेरणा से कार्रवाई भी की।

अपने अधिदेश के अनुसरण में, आयोग द्वारा किए गए अन्य कार्यकलापों में अनुसंधान अध्ययनों को प्रायोजित, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/परामर्शों का आयोजन करना शामिल हैं, ताकि जमीनी स्तर की वास्तविकताओं का मूल्यांकन करने के साथ–साथ सभी पक्षकारों के साथ मुद्दों पर चर्चा की जा सके। संपूर्ण भारत में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं/महिला कर्मियों तक पहुँचने के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक लोक अदालतों और जन–सुनवाइयों का भी आयोजन किया गया। इनके अलावा, आयोग ने महिलाओं से संबंधित कानूनों के उचित क्रियान्वयन के लिए न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों के क्षमता विकास के उपाय भी किए।

''हिंसा मुक्त घर : महिलाओं का अधिकार'' नामक परियोजना को शिकायतों के वैकल्पिक समाधान हेतु परिवार परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस के साथ आगे बढ़ाया गया है।

आयोग ने महिला होस्टलों, सुधार गृहों अथवा महिला कल्याण के विकास से संबंधित अन्य सुविधाओं के अभिनिर्धारित क्षेत्रों में निराश्रित महिलाओं के आवास की गुणवत्ता में सुधार करके उनकी जीवन दशा में सुधार हेतु अपनी क्षमता का उपयोग करके सहयोग करने और कार्य करने के हुडको के अपने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्वों के अंतर्गत उनके साथ समझौता ज्ञापन पर दिनांक 07 मई, 2014 को हस्ताक्षर किए।

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 25 असाधारण महिलाओं को उनके अपने क्षेत्र में उनकी उपलब्धि तथा महिला हितों में उनकी भागीदारी के लिए सम्मानित किया।

मुझे यह जानकर संतोष हुआ है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए अपनी ओर से भी कई उपाय किए हैं। अध्यक्ष और सदस्यों ने जेलों और अन्य संस्थाओं का दौरा किया और उनके बारे में बहुमूल्य सिफारिशें कीं।

मैं आशा करती हूँ कि इस रिपोर्ट में समाविष्ट की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन से संपूर्ण देश में महिलाओं के लिए बेहतर, सुरक्षित तथा संरक्षित जीवन सुनिश्चित करने की मौजूदा प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और उसमें तेजी आएगी। देश में महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अथक रूप से कार्य कर रहा है।

मुझे विश्वास है कि आयोग वर्तमान अध्यक्ष, सुश्री ललिता कुमारमंगलम और उनके साथी सदस्यों तथा आयोग के अधिकारियों के अधीन अपने अधिदेश की पूर्ति के कार्य को प्राप्त करने में नई ऊँचाइयों पर पहुँचेगा।

Maneka Sanjay Gandhi

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

प्राक्कथन

मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 की परिकल्पना के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिए अनवरत कार्य किया और महिलोन्मुख मुद्दों को उठाकर, महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधनों के सुझाव देकर और महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों के मामलों का स्वतः संज्ञान लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उत्साह एवं समर्पण के साथ विगत वर्ष के कार्यों को आगे बढ़ाया। तदनुसार, उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को सिफारिशें की गईं।

अपने अधिदेश के अनुसरण में, आयोग ने वर्ष 2013–14 के दौरान तीन कानूनों अर्थात् राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990, भारत में बाल विवाह कानूनों का क्रियान्वयन तथा गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (पीसी एण्ड पीएनडीटी) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत उचित प्राधिकारी हेतु आचार संहिता के प्रारूप की समीक्षा की और अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दिया। आयोग ने महिलाओं से संबंधित कानूनों का उचित कार्यान्वयन करने के लिए अनेक पुलिस तथा न्यायिक अकादमियों के सहयोग से जेंडर संवेदी कार्यक्रमों का आयोजन भी किया।

वर्ष के दौरान, आयोग ने महिलाओं को विभिन्न कानूनों के अंतर्गत प्रदत्त उनके बुनियादी कानूनी अधिकारों तथा उपचारों के बारे में व्यावहारिक जानकारी देने के लिए अनेक कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों को प्रायोजित किया और उसमें भागीदारी की। इसके अलावा, आयोग ने महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य महिला आयोग और राज्य/जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से पारिवारिक महिला लोक अदालतें प्रायोजित/आयोजित कीं।

अपने अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। आयोग के सदस्यों और अधिकारियों ने आयोग/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/जन–सुनवाइयों में हिस्सा लेने और महिलाओं के विरुद्ध हुए अत्याचार के विभिन्न मामलों का अन्वेषण करने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। इसके अलावा, अध्यक्ष और सदस्यों ने जेलों, सुधार गृहों जैसी अभिरक्षा संस्थाओं का दौरा किया। अध्यक्ष और सदस्यों ने महिलाओं के सामने आ

रही समस्याओं के बारे में सीधे जानकारी प्राप्त करने और उनके बारे में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने तथा संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष मामलों को उठाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों के सहयोग से महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर आयोग द्वारा आयोजित जागरूकता शिविरों में भागीदारी की। आयोग ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समितियां भी गठित कीं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने और उनके विकास एवं सशक्तिकरण हेतु उपाय करने के लिए 09 जनवरी, 2014 को आयोग में पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का गठन किया है। यह प्रकोष्ठ पूर्वोत्तर राज्य विशिष्ट अधिनियमों एवं संहिताओं/पद्धतियों की कानूनी समीक्षा से संबंधित मामलों को भी देखता है।

फिलहाल, आयोग किराए के परिसर में कार्य कर रहा है। महिलाओं के दुःखों को कम करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए, आयोग को अपने स्थायी एवं पर्याप्त कार्यालयी स्थान की आवश्यकता है। इस दिशा में किए गए सतत प्रयास भारत के माननीय महामहीम राष्ट्रपति द्वारा 11 जून, 2013 को ''निर्भया भवन'' (राष्ट्रीय महिला आयोग के भवन) के शिलान्यास में परिणत हुए। भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

आयोग के कार्यकरण को प्रभावी रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का समय–समय पर आयोजन करके राज्य आयोगों के साथ विचार–विमर्श करता रहा है। महिला सशक्तिकरण पर माननीय संसदीय स्थायी समिति ने भी सिफारिश की है कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच नियमित विचार–विमर्श की व्यवस्था विकसित की जाए।

''हिंसा मुक्त घर : महिलाओं का अधिकार'' नामक परियोजना को शिकायतों के वैकल्पिक समाधान हेतु परिवार परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस के साथ आगे बढ़ाया गया है।

हुडको और राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला होस्टलों, सुधार गृहों अथवा कोई सुविधा, जो महिला कल्याण के विकास से संबंधित अन्य सुविधाओं के अभिनिर्धारित क्षेत्रों में निराश्रित महिलाओं के आवास की गुणवत्ता में सुधार करके उनकी जीवन दशा में सुधार हेतु अपनी क्षमता का उपयोग करके सहयोग करने और कार्य करने के लिए समझौता ज्ञापन पर दिनांक 07 मई, 2014 को हस्ताक्षर किए हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 20 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। पच्चीस असाधारण महिलाओं को उनके अपने क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य

महिला आयोगों के सहयोग से ''सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करना'' और ''हमारा पुरुष प्रधान समाज – सोच में बदलाव'' विषयों पर आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता में सर्वोत्तम प्रविष्टियों के लिए कॉलेजों के तीन छात्राओं को भी पुरस्कार दिए।

आयोग नियमित रूप से वात्सल्य मेले में भागीदारी करता है। नवम्बर, 2013 में भी, आयोग ने इस आयोजन में भागीदारी की और महिलाओं से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा महिला अधिकारों के बारे में सूचना का प्रसार किया।

मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों तथा राज्य महिला आयोग, अपने साथी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी सामूहिक मेहनत ने ही मौजूदा वर्ष में हमारे लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्रप्ति को संभव बनाया। मैं आशा करती हूँ कि आयोग आने वाले वर्षों में अपने कार्यकलापों और प्रयासों को और अधिक तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रयास करता रहेगा।

(ललिता कुमारमंगलम)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग

अध्याय – 1

प्रस्तावना

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसरण में, महिला अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग को प्राप्त व्यापक अधिदेश में महिला विकास के लगभग सभी मुद्दे आते हैं। आयोग संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदत्त कानूनी सुरक्षोपायों की विवेचना एवं जांच करता है और उनके कारगर क्रियान्वयन हेतु उपायों की सरकार को सिफारिश करता है। आयोग महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान एवं अन्य कानूनों के मौजूदा उपबंधों की समीक्षा भी करता है; ऐसे कानूनों में किसी कमी, अपर्याप्तता अथवा त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करता है; महिला अधिकारों के हनन आदि से संबंधित शिकायतों की जांच करता है तथा ऐसे मामलों में स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेता है और मामलों को सक्षम प्रधिकारियों के सामने उठाता है; महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन/अनुसंधान करता है; महिलाओं के सामजिक–आर्थिक विकास हेतु आयोजना प्रक्रिया में भागीदारी करता है एवं सलाह देता है, इस संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करता है; जेलों, सुधार गृहों आदि का, जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है, निरीक्षण करता है और जहां कहीं आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करता है।

अपने अधिदेश के अनुसार, आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थति सुधारने के लिए अनेक उपाय शुरू किए और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य किया। आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों एवं अधिकारियों ने आयोग अथवा इसके सहयोग से अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/जन सुनवाइयों में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के अनेक मामलों की जांच करने के लिए कदम उठाए गए। इसके अलावा, जेलों, सुधार गृहों आदि जैसी अभिरक्षा संस्थाओं के दौरे भी किए गए। सदस्यों/अधिकारियों ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर गैर–सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता शिविरों में भी भाग लिया। उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने तथा संबंधित प्राधिकारियों के साथ मुद्दों को उठाने के लिए देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए भी दौरे किए गए। आयोग ने ''भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा'' और ''महिलाओं के साथ अमानुषिक एवं कलंकित करने वाले अत्याचार का निवारण एवं उससे संरक्षण विधेयक, 2014'' जैसे विभिन्न प्रासंगिक विषयों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समितियां भी गठित कीं।

आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई और उसने शीघ्र न्याय दिलाने के लिए अनेक मामलों में स्वतः संज्ञान भी लिया। आयोग ने जेंडर जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों आदि को प्रायोजित किया और संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/परामर्शों का आयोजन किया। संदेशों का प्रचार करने के लिए प्रिन्ट मीडिया एवं टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी प्रचार किया गया ताकि मादा–भ्रूण हत्या, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बाल विवाह, दहजे रोधी और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर जागरूकता का विकास किया जा सके।

संरचना

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्याक्ष एवं पांच सदस्य तथा एक सदस्य सचिव होगा। वर्ष 2013–14 में आयोग की संरचना इस प्रकार है :–

1. श्रीमती ममता शर्मा, 02.08.2011 से अध्यक्ष
2. डा. चारू वलीखन्ना, 02.08.2011 से सदस्य
3. सुश्री हेमलता खेरिया, 15.03.2012 से सदस्य
4. श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर, 19.03.2012 से सदस्य
5. श्रीमती शमीना शफीक, 11.04.2012 से सदस्य
6. श्रीमती ललदिंग्ल्यानी साइलो, 19.09.2013 से सदस्य
7. श्रीमती के. रत्ना प्रभा, अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 14.03.2013 से 25.12.2013 तक सदस्य सचिव (अतिरिक्त प्रभार)
8. डा. नन्दिता चटर्जी, 26.12.2013 से सदस्य सचिव

आयोग के कार्य मुख्यतः निम्नलिखित छह प्रकोष्ठों में बांटे गए हैं :–

(i) शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ

(ii) अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ

(iii) विधिक प्रकोष्ठ

(iv) अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ

(v) पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ

(vi) जन संपर्क प्रकोष्ठ

इन प्रकोष्ठों में से प्रत्येक प्रकोष्ठ के विस्तृत क्रियाकलाप आगामी अध्यायों में दिए गए हैं। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

आयोग की बैठकों में लिए गए निर्णयों का सार

वर्ष 2013–14 के दौरान, आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों और आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित निर्णय लेने के लिए सात बैठकें आयेजित कीं। इन सात बैठकों में से 15 अक्तूबर, 2013 को आयोजित बैठक अधिकार विधेयक के मामले में निर्णय लेने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक थी। अन्य छह बैठकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

01 मई, 2013 को आयोजित आयोग की बैठक :–

(i) आयोग ने परिणाम ढांचा प्रलेख, 2013–14 के लक्ष्यों एवं क्रियाकलापों तथा वर्ष 2013–14 की वार्षिक कार्य योजना के समरूपी आंकड़ों पर विचार किया और उनका अनुमोदन किया।

(ii) आयोग ने माननीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री के चैम्बर में 07 मई, 2013 को हुडको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का उल्लेख किया।

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग को दृश्यता प्रदान करने और आयोग के बारे में जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोगों के सहयोगों से देश भर में होर्डिंग्स के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रचार के प्रस्ताव पर चर्चा की और उसका अनुमोदन किया।

(iv) आयोग ने राज्य महिला आयोगों को प्रचार एवं क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने तथा आगे वितरित करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने के विकल्प पर विचार किया। आयोग ने मुद्रित सामग्री की गुणवत्ता का मानकीकरण सुनिश्चित करने के बाद राज्य आयोगों को इस कार्य हेतु राशि प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया।

14 सितम्बर, 2013 को आयोजित आयोग की बैठक :–

(i) आयोग ने निर्णय लिया कि 01.01.2012 से 31.08.2013 तक के जेल दौरों की रिपोर्टों को पुस्तिका के रूप में संकलित किया जाए और उसे राज्य सरकारों/राज्य महिला आयोगों को भेजा जाए।

(ii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सामग्री के मुद्रण के बारे में निम्नलिखित कार्रवाई बिंदुओं पर निर्णय लिया :–

क) प्रकाशन की विषय–वस्तु की पुनरीक्षा करने के लिए संपादक मंडल का गठन करना।

ख) अलग–अलग सदस्यों द्वारा कोई प्रकाशन नहीं।

ग) मुद्रण से पहले अध्यक्ष/आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मुद्रित सामग्री का प्रारूप प्रशासन को भेजा जाना चाहिए।

(iii) आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में संशोधन पर विशेषज्ञ समिति की प्रारूप सिफारशों पर विचार किया।

(iv) आयोग ने किशोरियों से संबंधित मामलों में संज्ञान लेने पर विचार किया।

(v) आयोग ने व्यक्तिगत याचिका मामलों पर विचार न करने का निर्णय लिया। तथापि, यदि मुद्दा महिलाओं के आम हितों का है, राष्ट्रीय महिला आयोग स्वयं अभियोजन करेगा। भविष्य में, आयोग द्वारा दायर की जाने वाली सभी रिट याचिकाओं की विधिक प्रकोष्ठ/प्रशासन द्वारा पहले जांच की जाएगी और उसके बाद आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(vi) आयोग ने जांच के लिए एक मानक प्रोफार्मा तैयार करने का निर्णय लिया है और इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

(vii) आयोग ने निर्णय लिया कि प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाए यदि वे नियत अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होते हैं और वे आयोग द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान आयोग द्वारा मांगे गए विषयों से संबंधित भी नहीं हैं।

(viii) आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि ऐसे संगठनों को, जिनमें अच्छा, विश्वसनीय अनुसंधान कार्य करने की क्षमता नहीं है, अनुसंधान हेतु राशि देने के बजाय आयोग प्रत्येक वर्ष कुछ विषय अभिनिर्धारित करे और उसके बाद सक्षम संस्थानों से अनुसंधान कराए ताकि एकत्रित किए गए आंकड़ों/सूचना का नीतिगत प्रयासों/मामलों के बारे में निर्णय करते समय उपयोग किया जा सके।

(ix) आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों पर ध्यान देने के लिए आयोग में पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ के गठन का अनुमोदन किया।

03 जनवरी, 2014 को आयोजित आयोग की बैठक :–

(i) आयोग ने प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट का, जिसमें आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान किए गए क्रियाकलाप शामिल हैं, अनुमोदन किया।

(ii) आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुख्य लेखानियंत्रक कार्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय महिला आयोग की अंतरिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों से सहमत है :–

क) टिप्पणियों को स्वीकार करना और आयोग में किए जाने वाले व्यय के संबंध में वित्तीय औचित्य सुनिश्चित करने के लिए जीएफआर एवं डीएफपीआर के प्रावधानों का अनुपालन करना।

ख) राष्ट्रीय महिला आयोग के कर्मचारियों के भर्ती/सेवा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना।

ग) आयोग के वर्तमान/पूर्व कर्मचारियों और सदस्यों के नाम पर लंबित पड़े बकाया अग्रिम भुगतान के शीघ्र समायोजन के लिए त्वरित कार्रवाई करना। प्रशासन को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई।

(iii) आयोग ने इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट दोनों मीडिया के लिए 2013–14 की अंतिम तिमाही हेतु मीडिया योजना और 2014–15 के लिए वार्षिक मीडिया योजना तैयार करने का निर्णय लिया। महत्वपूर्ण तारीखों को, जिन पर कार्यक्रम एवं विज्ञापन अपेक्षित हैं, पर्याप्त समय रहते अंतिम रूप दिया जाए, अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाए।

(iv) आयोग ने निर्णय लिया कि सदस्यों के बीच कार्य का राज्य–वार आबंटन जारी रहेगा। यह प्रणाली अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में प्राप्त प्रस्तावों/शिकायतों पर भी लागू की जाएगी। तथापि, यदि कोई शिकायतकर्ता किसी विशेष सदस्य द्वारा सुनवाई किए जाने की इच्छा करता है, वे ऐसा उस सदस्य के परामर्श से कर सकते हैं जिसके कार्य क्षेत्र से शिकायत संबंधित है।

04 फरवरी, 2014 को आयोजित आयोग की बैठक :–

(i) आयोग ने एनबीसीसी को जसोला में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई बिल्डिंग में आंतरिक सज्जा/फर्नीचर/सीसीटावी/बिजली के कार्य आदि आबंटित करने का अनुमोदन किया और मैसर्स एनबीसीसी के साथ एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की।

(ii) आयोग ने निर्णय लिया कि कोई गैर–सरकारी संगठन आयोग से राशि प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा यदि वह ऐसे क्षेत्र में कार्य करने का प्रस्ताव करता है जो उसके संघ के ज्ञापन द्वारा अधिदेशित नहीं है।

06 मार्च, 2014 को आयोजित आयोग की बैठक :–

(i) आयोग ने 03.03.2014 को आयोजित संवीक्षा समिति की सिफारशों पर विचार किया और निदेश दिया कि जब भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का लागू होना बंद हो जाएगा, अनुसंशित प्रस्तावों की सूची को आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया जाए और उसके बाद संस्वीकृति जारी की जाए।

27 मार्च, 2014 को आयोजित आयोग की बैठक :–

(i) आयोग ने ''महिलाओं के साथ जनता के बीच अमानुषिक एवं कलंकित करके अत्याचारों की रोकथाम विधेयक, 2014'' प्रस्तावित प्रारूप विधेयक की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जिसमें सदस्य (चा.व.ख.), सदस्य (हे.खे.), सदस्य (श.श.), न्यायाधीश श्री वी.एस. दवे और कानून मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। विधि अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग इस समिति के संयोजक होंगे।

(ii) आयोग ने ''हिंसा मुक्त घर : महिलाओं का अधिकार'' परियोजना का एक वर्ष अर्थात 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्चए 2015 तक के लिए विस्तार का अनुमोदन कर दिया।

(iii) आयोग ने सरकारी स्कीमों विशेषकर सबला और उज्ज्वला स्कीमों के माध्यम से अवैध व्यापार को रोकने के लिए लड़कियों की क्षमता निर्माण और सशक्तीकरण पर कार्यशाला/परामर्श की सिफारिश का अनुमोदन कर दिया।

(iv) आयोग ने शिकायतों के नए श्रेणीकरण का अनुमोदन किया।

विदेश के तथा अन्य प्रतिनिधि मंडलों का आयोग का दौरा

इस अवधि के दौरान, आयोग की कार्यप्रणाली एवं महिलाओं के हितों के सुरक्षापायों में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देश के एवं विदेश के प्रतिनिधि मंडलों ने आयोग का दौरा किया। वर्ष 2013–14 के दौरान, निम्नलिखित प्रतिनिधि मंडलों ने आयोग का दौरा किया :–

विदेश के प्रतिनिधि मंडल

(i) श्री लूलू सिंगवाना, माननीय महिला, बाल एवं विकलांग मंत्री, दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र, की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों को समझने के लिए 17 मई, 2013 को दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग और दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के प्रतिनिधि मंडल ने कार्य करने की अपनी–अपनी प्रक्रियाओं तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुभवों के बारे में जानकारी का आदान–प्रदान किया।

(ii) काउन्टरपार्ट इंटरनेशनल ऑफ काबुल, अफगानिस्तान के एक 20 सदस्यी प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों को समझने के लिए 28 जून, 2013 को दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग और काबुल दोनों के प्रतिनिधि मंडलों ने कार्य करने की अपनी–अपनी प्रक्रियाओं तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुभवों के बारे में जानकारी का आदान–प्रदान किया।

(iii) अफगानिस्तान के संसद सदस्यों के चौदह सदस्यी प्रतिनिध मंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों को समझने के लिए आयोग का 27 जनवरी, 2014 को दौरा किया। अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग एवं अन्य अधिकारियों के साथ–साथ अफगानिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने महिलाओं के हितों के सुरक्षापायों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने अनुभवों का आदान–प्रदान किया।

(iv) न्यायाधीश सुश्री सुकुराय राउको, जापान के उच्चतम न्यायालय की माननीय न्यायाधीश की अगुवाई में सात सदस्यी प्रतिनिध मंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों को समझने के लिए आयोग का 11 फरवरी, 2014 को दौरा किया। अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग एवं अन्य अधिकारियों के साथ–साथ जापान के प्रतिनिधि मंडल ने कार्य करने की अपनी–अपनी प्रक्रियाओं और महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनी विभिन्न मुद्दों पर अपने अनुभवों का आदान–प्रदान किया।

(v) राष्ट्रमंडल संसदीय एसोसिएशन, यूनाइटेड किंगडम के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिध मंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों को समझने के लिए आयोग का 17 फरवरी, 2014 को दौरा किया।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल

(i) एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्मेंट, पुणे, महाराष्ट्र के एक प्रतिनिध मंडल ने, जिसमें अध्यापक एवं छात्र शामिल थे, राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों को समझने के लिए आयोग का 17 फरवरी, 2014 को दौरा किया।

आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों के विदेशों के दौरे

(i) श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने ''वीमेन डिलीवर'' विषय पर विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए 27–30 मई, 2013 तक कुआलालम्पुर, मलेसिया का दौरा किया।

(ii) श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7वें वार्षिक आर्टस्केप महिला उत्सव में भाग लेने के लिए 07–10 अगस्तए 2013 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया।

अभिरक्षा संस्थाओं के दौरे

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 (1) (ट) के अनुसारए राष्ट्रीय महिला आयोग का एक कार्य जेलों, सुधार गृहों, महिला संस्थाओं अथवा अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को कैदी के रूप में रखा अथवा अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना अथवा करवाना और उपचारात्मक कार्रवाई हेतु, यदि ऐसा आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाना है। अभिरक्षा में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन तथा विश्लेषण करने के उद्देश्य से, आयोग की भूतपूर्व अध्यक्षा एवं सदस्यों ने महिला कैदियों की मौजूदा स्थितियों का निरीक्षण करने के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित अभिरक्षा संस्थाओं का दौरा किया। उसके बाद संबंधित प्राधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए सिफारिशें भेजी गईं।

I. आयोग के एक सदस्य ने मॉडल केंद्रीय कारागार, कांडा, हिमाचल प्रदेश का दौरा किया तथा जेल अधीक्षक, जेल के अन्य अधिकारियों एवं महिला कैदियों से मुलाकात की। राज्य प्राधिकारियों से निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :–

(i) जेल के दौरे – पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा अक्सर लंबी होती है और इसलिए दौरों को हतोत्साहित करती है। इसलिए, महिला कैदियों हेतु दौरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, समय एवं दिनों को अधिक लचीला बानाया जाए। टेलीफोन पर अधिक कॉल करने को बढ़ावा दिया जाए।

(ii) शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य – स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं, विशेषकर स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वारा पाक्षिक दौरों में वृद्धि करना। यहां तक कि सत्र न्यायाधीश, शिमला (हिमाचल प्रदेश) ने 22.10.2012 को किए निरीक्षण की रिपोर्ट के पैरा 2 में कहा है कि ''जेल के निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पाया गया कि पूर्व में जारी किए निदेशों के वाबजूद जेल परिसर में कोई भी चिकित्सा अधिकारी प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है। पिछले दौरे में यह भी पाया गया कि विचारणाधीन महिलाओं अथवा दोषसिद्ध कैदियों के उपचार के लिए कोई भी महिला चिकित्सा अधिकारी प्रतिनियुक्त नहीं है।'' सदस्य को जेल प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीडीयू अस्पताल, शिमला (हिमाचल प्रदेश) को बार–बार पत्र लिखा है।

(iii) मानसिक स्वास्थ्य पर अनुसंधान प्रायोजित करने की जरूरत – जेल में महिला कैदियों की जरूरतें – सदस्य (राष्ट्रीय महिला आयोग) ने दोहराया कि महिला कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का प्रसार कम अन्वेषित क्षेत्र है, लेकिन समस्याओं की संख्या, ऐसी महिलाओं के उच्च अनुपात सहित जो बंदी बनाए जाने से पहले मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थीं, असाधारण रूप से अधिक प्रतीत होती है।

(iv) कैदियों के सामने आ रही कठिनाइयां – व्यक्तिगत बातचीत के दौरान सदस्य ने पाया कि दोषी पाई गई महिलाओं को नियमों में बदलाव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक कैदी लगभग 17 साल का कारावास काट चुकी है और उसे अपने गृह नगर, जहां उसके नाम कुछ जमीन है, बार–बार जाना पड़ता है। चूंकि, संशोधित नियमों के अंतर्गत जमानत राशि को बढ़ा कर 1.00 लाख रुपये कर दिया गया है और उसके लिए जमानत देने वाला कोई नहीं है, उसे अपने गृह नगर जाने में कठिनाई का सामना कर पड़ रहा था। जिला कलैक्टर, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) से मामले की जांच करने तथा कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

(v) सजा माफी – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सजा माफी के दिशानिर्देशों की समीक्षा करे।

(vi) शिक्षा और कार्य कार्यक्रम – पुनर्वास, शिक्षा अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं परामर्श के मामले में, महिला कैदी पुरुष कैदियों की तुलना में उपेक्षित थीं जो इस तथ्य से पता चलता है कि महिला कैदियों के प्रशिक्षण हेतु अलग से तकनीशीयन का पद संस्वीकृत नहीं है। सदस्य ने बार–बार सिफारिश की कि इससे निपटने के लिए, उचित एवं उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं प्रारंभिक शिक्षा की स्कीमों के रूप में अधिक निधियन और महिलाओं हेतु विशिष्ट रूप से अभिकल्पित अथवा अनुकूलित कार्यक्रमों को शुरू किए जाने की जरूरत है।

(vii) परिवार और मित्रों के साथ संपर्क बनाए रखने के एक तरीके के रूप में पत्र लेखन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(viii) राज्य सरकार को अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए डेयरी फार्म के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए ताकि न केवल केदियों को अच्छा आहार मिल सके अपितु उन्हें आयोत्पादक गतिविधियों में उपयोगी रूप से संलग्न भी किया जा सके।

(ix) कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न – कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित उन्हें अग्रेषित की गई शिकायतों पर विशाखा दिशानिर्देशों के अनुसार कानून के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई करना। इसके अलावा, जेल सहित प्रत्येक संगठन को कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है। जेंडर समानता में यौन उत्पीड़न से संरक्षण और सम्मान के साथ कार्य करने का अधिकार शामिल है, जिसे सर्वत्र मानवाधिकार माना गया है। दिशानिर्देश निरूपित किए गए क्योंकि देश में मौजूदा सिविल एवं दांडिक कानून महिलाओं को कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से विशेष संरक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं करते हैं।

(x) अपीलों की सुनवाई जल्दी करना – माननीय उच्च न्यायालय से ऐसी महिलाओं की, जो दोषी सिद्ध की जा चुकी हैं और 5 वर्ष से अधिक का कारावास काट चुकी हैं, विशेषकर उन महिलाओं की जो स्वयं घरेलू हिंसा की पीड़ित हैं, लंबित अपीलों की सुनवाई जल्दी करने के लिए अनुरोध करना।

(xi) महिलाओं की सहायता के लिए जेंडर – प्रतिसंवेदी सजा सुधारों को लागू किए जाने की जरूरत है क्योंकि महिलाओं को कैद करने से समस्या हल नहीं होती है जो दांडिक न्याय प्रणाली में उनके उलझने का आधार है। उनका कारावास उनके बच्चों के लिए अत्यधिक विक्षोभ एवं पीड़ा पैदा करता है।

(xii) महिलाओं को कैद करने का प्रभाव पुरुषों को कैद करने के प्रभाव से अलग होता है। महिला कैदियों की बच्चों की प्रमुख देखरेखकर्ता होने की संभावना अधिक होती है और उनकी अनुपस्थिति परवारों पर अत्यधिक तनावा डाल सकती है जिसका एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है :

सुश्री 'सी', जिसका पति लकवाग्रस्त है, इस तथ्य सहित कि उनकी दाईं आंख की नजर 'शून्य' है, अनेक बीमारियों से पीड़ित है। जेंडर भेदभाव और आपराधिक व्यवहार के बीच संबंध जटिल होता है और विशेषकर भारत जैसे विषम संस्कृतियों वाले देश में, वातारणीय एवं सांस्कृतकि कारकों सहित अनेक कारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। यह पाया गया कि शहरी/नगरीय क्षेत्रों में, महिलाओं पर उठाईगीरी, चोरी और निराशा में पति, प्रेमी अथवा बच्चे पर प्रहार करने आदि के छोटे–मोटे अपराध करने के आरोप लगाए गए।

(xiii) इसके विपरीतए पर्वतीय क्षेत्र में छोटे–मोटे अपराध असामान्य हैं और अधिकांश अपराध मानवहत्या सहित भूमि से संबंधित होते हैं जिनमें पूरे परिवार संलिप्त होते हैं। इसे कांडा जेल में दोष सिद्ध महिलाओं की उपस्थिति से उद्धृत किया जाता है। इस प्रकारए इस बात को देखते हुए कि महिलाओं द्वारा किए गए अधिकांश अपराध आर्थिक प्रकृति के हैं अथवा उनके प्रति की गई हिंसा के प्रत्युत्तर में किए गए हैं, आपराधिक व्यवहार को स्पष्ट करने में जेंडर क्या भूमिका निभाता है, यदि कोई हो, का अध्ययन किए जाने की अपरिहार्य आवश्यकता है।

(xiv) इसके अलावा, उन समस्याओं को समझने एवं हल करने की आवश्यता है जिनका समाज के उपेक्षित वर्ग की महिलाएं अर्थात् पिरैमिड के अधोभाग पर महिलाएं – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ऐसी व्यवस्थाओं में सामना करती हैं जो उनकी विशिष्ट जरूरतों को समझती नहीं हैं एवं स्थान नहीं देती हैं।

II. आयोग की एक सदस्य ने 25.06.2013 को राजस्थान की बांसबाडा जेल का दौरा किया और जेल के उप अधीक्षक एवं उनकी टीम के साथ बैठक की। सदस्य ने विशेषकर महिला कैदियों से बातचीत की और महिला कैदियों की समग्र स्थिति पर जानकारी प्राप्त की।

निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :

(i) जेल नियमावली के अंतर्गत यथा प्रदत्त परामर्श हेतु परामर्शदाता/मनोचिकित्सक और सफाईकर्मी, रसोइया एवं कारखाना निरीक्षक जैसे अन्य कर्मियों की जरूरत है।

(ii) डाक्टर के दौरों की साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर व्यवस्था की जाए और चिकित्सा कक्ष के रूप में कुछ स्थान आबंटित किया जाए जो चिकित्सा जांच एवं उपचार हेतु अपेक्षित उपकरणों से सज्जित हो।

(iii) महिला वार्ड हेतु डाक्टर और स्त्रीरोग विशेषज्ञ/विशेषज्ञ के नियमित/बारंबार दौरों की व्यवस्था करना।

(iv) स्वास्थ्य देखरेख स्कीमों को प्रभावपूर्ण ढंग से चलाया जाए और समय–समय पर टीकाकरण आदि जैसे निवारक उपाय किए जाएं।

(v) जब महिला कैदियों को अस्पताल ले जाना अपेक्षित हो, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा/गार्ड उपलब्ध कराए जाएं।

(vi) यह पाया गया कि महिला कैदियों में कानून की कम जानकारी है, इसलिए वे उन सुविधाओं से वंचित रहती हैं जो उन्हें उनके मुकद्दमों को लड़ने के लिए कानून के अंतर्गत उपलब्ध हैं। यह सिफारिश की जाती है कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कानूनी परामर्श पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए।

(vii) यह सिफारिश की गई कि महिला कैदियों को समाज में सामान्य जीवन में पुनः आने के लिए उनके पुनर्वास एवं सुधारात्मक उपाय के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए।

(viii) महिला कैदियों को आंबटित शौच घर/शौचालयों की नियमित रूप से सफाई एवं धुलाई की जाए।

(ix) महिला कैदियों को उनके अभिभावकों/रिश्तेदारों/अधिवक्ताओं आदि से बातचीत करने के लिए टेलीफोन/पीसीओ सुविधा दी जाए।

(x) अशिक्षितों को लिए नियमित आधार पर जेल में शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

(xi) अर्ध – साक्षर/साक्षर महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाए एवं उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। उन्हें स्कूल किटें भी उपलब्ध कराई जाएं।

(xii) कैदियों की प्रशिक्षक रूप में सहायता लेकर, यदि उपलब्ध हो, कैदियों के लिए ध्यान, योग जैसी सुविधाओं की व्यवस्था नियमित आधार पर की जाए।

(xiii) जेल की आवधिक रूप से मरम्मत/अनुरक्षण/रखरखाव किया जाए।

(xiv) कैदियों के मामलों से जुड़े जेल कर्मियों के लिए व्यावसायिक/पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि वे नियमों के अनुसार अपना कार्य निष्पादन कर सकें।

III. आयोग की एक सदस्य ने 12.08.2013 को केंद्रीय कारागार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश का दौरा किया और अन्य के साथ – साथ जेल अधीक्षक, जेल वार्डन, जेल के अधिकारियों एवं महिला कैदियों के साथ बैठक की। राज्य सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(i) कैदियों की अतिसंकुलता में कमी लाना :– इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिल्डिंग लगभग 150 वर्ष पुरानी है, कैदियों की अतिसंकुलिता से बचाव/उसमें कमी लाने के उद्देश्य से कैदियों हेतु पर्याप्त स्थान सृजित करना।

(ii) चिकित्सा :– महिला वार्ड के लिए प्रतिबद्धित डाक्टर की और स्त्री रोग विशेषज्ञ/विशेषज्ञ के नियमित/बारंबार दौरों की व्यवस्था करना।

(iii) बच्चों से संबंधित :– महिला कैदियों के बच्चों हेतु बाल देखरेख एवं आयु – अनुकूल उपकरणों, शिक्षा एवं गतिविधियों के लिए बालक – अनुकूल स्थान उपलब्ध कराना। इसके अलावा सामुदायिक कार्यक्रम में स्थानीय स्कूल के बच्चों को शामिल किया जाए जहां वे जेल का दौरा करें और जेल के भीतर बच्चों से बातचीत करें।

(iv) सुरक्षा :– ग्वालियर जेल में सुरक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए, गंभीर रूप से क्षुब्ध महिलाओं के लिए विशेष अवसंरचना का निर्माण किया जाए ताकि कैदियों और बच्चों के हमलों की संभावना को कम से कम किया जा सके।

(v) गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं :– प्रणालीगत बाधाओं से ऊपर आकर और जेंडर प्रतिसंवेदी दृष्टिकोण के साथ, जिसमें महिलाओं की जिंदगी के संदर्भों एवं प्रसंगों; महिलाओं की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता पर ध्यान दिया जाता है, परिकल्पित कार्यक्रमों द्वारा महिला कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दांडिक न्याय प्रणाली में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

(vi) भावनात्मक कल्याण :– भावनात्मक अभिभूति/हिंसक प्रवृत्तियों का सामना करने वाली महिला कैदियों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से कर्मचारियों के साथ ऐसी महिला वार्डल उपलब्ध कराना जो समर्थनकारी हो, संवेदनशील हो, देखरेख करने वाली हो तथा शक्ति का आक्रामक उपयोग करने से बचती हो।

(vii) क्रियाकलाप :– ऐसे क्रियाकलापों की संख्या में वृद्धि करना जो कैदियों को अपने समय का उत्पादनकारी तरीके से उपयोग करने और स्वयं को संलग्न रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत पूर्तियों पर उद्देशित हों।

(viii) कर्मचारी : जेल के, विशेषकर जेल के महिला खण्ड के अधिक कारगर कार्यकरण के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना।

(ix) विचारणाधीन महिलाओं को सुनवाई की तारीख पर न्यायालय में हाजिर होने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से जब कभी मांग की जाए, पुलिस गार्ड उपलब्ध कराना।

(x) महिला जेल कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक तथा पुलिस बल के समान पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने सहित यह महसूस कराने के लिए कि वे अपने संगठन में प्रगति कर सकते हैं, पर्याप्त अवसर प्रदान करना जो अतिशय कार्य घंटों के कुछ प्रतिकूल प्रभावों को समाप्त करेंगे।

(xi) महिला कर्मचारियों को कार्य के घंटों में अधिक लोचनीयता देने सहित दिन अथवा रात की पाली निर्धारित करने का विकल्प देना ताकि वे अलग–अलग समय सूचियों में बार–बार घूमते न रहें।

(xii) अनुसंधान : चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य की जेलों में मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतमंद महिला कैदियों की संख्या पर अनुसंधान कराना।

अनुपालन रिपोर्ट

मध्य प्रदेश सरकार (जेल प्रभाग) द्वारा आयोग की सिफारिशों पर अनुपालन रिपोर्ट निम्नलिखित सूचना के साथ भेजी गई :

(i) इस समय जेल में कैदियों की अतिसंकुलता नहीं है।

(ii) महिला वार्ड के लिए डाक्टर और स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वारा नियमित/बारंबार दौरों की उचित व्यवस्था है।

(iii) कैदियों के साथ रह रहे बच्चों के लिए शिक्षा के प्रबंध किए गए हैं।

(iv) जेल में सुरक्षा का, विशेषकर गंभीर रूप से क्षुब्ध कैदियों को रखते समय सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता है।

(v) गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं नियमित आधार पर दी जाती हैं।

(vi) महिला कैदियों के प्रति समर्थक, संवेदनापूर्ण एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित किया जाता है।

(vii) कैदियों के मनोरंजन के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, धार्मिक पुस्तकों एवं टेलीविज़न की व्यवस्था की जाती है।

(viii) बी.पी.आर.एण्ड डी. स्कीम के अंतर्गत जेल के अधिक कारगर कार्यकरण के लिए ग्वालियर जेल में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है।

(ix) महिला कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए जेल में योग एवं ध्यान कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है।

IV. आयोग की एक सदस्य ने 25.08.2013 को केंद्रीय कारागार, नागपुर का दौरा किया और जेल अधीक्षक एवं जेल के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(i) ऐसे मामलों का, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 (क) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (1) एवं (2) के दायरे में आते हैं, लोक अभियोजकों तथा संबंधित प्राधिकरियों के साथ मासिक बैठकें करके पुलिस महानिरीक्षक (कारागार) द्वारा नियमित मानीटरन किया जाना चाहिए।

(ii) जेल में स्थायी चिकित्सा अधिकारी होने के साथ–साथ विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जेल का नियमित दौरा किया जाना चाहिए।

(iii) महिलाओं को उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार के लिए व्यवस्था करने हेतु उन्हे कैद किए जाने के बाद शीघ्रतिशीघ्र, यदि संभव हो, लेकिन कारावास के दो माह से पहले, पैरोल सुविधा की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iv) दोषी महिला को, एक अधिकार के रूप में, न्यायालय के निर्णय सहित सभी दस्तावेज, जो उसके दोष सिद्ध होने का आधार बनाते हैं, स्वतः प्राप्त होने चाहिए।

(v) विचारणाधीन महिलाओं को उनके बच्चों, मित्रों एवं रिश्तेदारों सें मिलने में सक्षम बनाने के लिए उनकी पसंद की जेल में स्थानांतरित करने की अनुमति होनी चाहिए।

(vi) दोषी पाई गई महिलाओं को उनकी आयु और अपराध की गंभीरता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। अलग–अलग श्रेणियों हेतु पुनर्वास नीतियों के अनुसार उनके अलग आवास एवं क्रियाकलापों की अलग समय सूची होनी चहिए।

(vii) सभी जेलों में एक नियमित प्रक्रिया के रूप में जीवन कला पाठ्यक्रमों, योग एवं ध्यान शिविरों तथा कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए।

(viii) अपराधियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए और अपराधियों को सुधार, परामर्श एवं समझदारी के जरूरतमंद व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए।

(ix) इस संबंध में पुलिस अधिकारियों में संचेतना विकसित करना एक नियमित अभ्यास होना चाहिए।

(x) प्रशासन द्वारा अपराध के पीछे के मकसद को समझने एवं उसका विश्लेषण करने, सुधारात्मक उपचार का तरीका निर्धारित करने और अतिसंवेदनशीलता एवं सहानुभूति के साथ जेलों का प्रबंधन करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

V. आयोग की एक सदस्य ने 01 सितम्बर, 2013 को जिला कारागार, पुरी का निरीक्षण किया और जेल अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने महिला कैदियों के साथ बातचीत भी की। निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(i) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता :– स्वास्थ्य देखरेख स्कीमों को प्रभावपूर्ण तरीके से चलाया जाए और समय–समय पर महिला कैदियों के बच्चों के लिए टीकाकरण, पोलियो की खुराक जैसे निवारक

उपाय किए जाएं। महिला कैदियों को आंबटित शौच घर/शौचालयों की नियमित रूप से सफाई एवं धुलाई की जाए। नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं।

(ii) मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम :– महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिएए महिलाओं के मनोवैज्ञानिक उपचार एवं समस्याओं के साथ सामंजस्य के लिए कैदियों के परामर्श हेतु परामर्शदाताओं/मनोचिकित्सकों के अनिवार्य नियमित दौरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iii) शिक्षा :– ऐसे कैदियों के लिए, जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैंए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए जाएं। अर्ध साक्षर/साक्षर महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें स्कूल किटें भी उपलब्ध कराई जाएं।

(iv) कानूनी सहायता :– यह पाया गया यह पाया गया कि महिला कैदियों में कानून की कम जानकारी है, इसलिए वे अपने उन अधिकारों को प्राप्त करने से वंचित रहती हैं जो उन्हें उनके मुकद्दमों को लड़ने के लिए कानून के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इसलिएए यह सिफारिश की जाती है कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कानूनी परामर्श पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए।

(v) जेल कर्मियों हेतु कार्यक्रम :– कैदियों के मामलों से जुड़े जेल कर्मियों के लिए व्यावसायिक/पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि वे जेल नियमों के अनुसार अपना कार्य निष्पादित कर सकें।

(vi) भोजन :– कैदियों को पोषण से भरपूर भोजन दिया जाना चाहिए।

(vii) परिवार के दौरे :– जेल के नियमों के अनुसार परिवार के दोरों की अनुमति दी जानी चाहिए।

(viii) बाल देखरेख :– यह पाया गया कि जेल में कोई आंगवनाड़ी केंद्र अथवा बालोनुकूल स्थान नहीं था। इसलिए बाल देखरेख के लिए एक अनुकूल स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कैदियों के बच्चों को जेल के अंदर शिक्षा दी जाए एवं उनके लिए अन्य क्रियाकलाप आयोजित किए जाएं।

(ix) व्यावसायिक प्रशिक्षण :– कैदियों को जेल से छूटने के बाद आत्म–निर्भर बनाने के लिए अल्पकालीन व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं।

(x) महिला कैदियों को जेल नियमावली के अनुसार उनके अभिभावकों/रिश्तेदारों/अधिवक्ताओं आदि से बातचीत करने के लिए टेलीफोन सुविधा दी जाए।

VI. आयोग की एक सदस्य ने 25 सितम्बर, 2013 को केंद्रीय कारागार, रीवा, मध्य प्रदेश का दौरा किया। जेल में उसकी कुल 1347 कैदियों की क्षमता की तुलना में केवल 40 महिला कैदी थीं और उन्हें महिला वार्ड के चार कमरों में रखा गया था। शौचालय सुविधाओं का रखरखाव बहुत अच्छा था। भोजनालय एवं रसोईघर का रखरखाव एवं सफाई औसत थी। कोई भी कैदी 65 वर्ष की आयु से अधिक की नहीं थी। 55 प्रतिशत से अधिक कैदी हत्या का अपराध करने के लिए जेल में थे। प्रशिक्षण एवं कौशल अधिगम सुविधाओं के साथ–साथ पुनर्वास सेवाएं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। जेल में कैदियों की अतिसंकुलता नहीं थी। निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :

(i) सप्ताह में दो दिन टेलीफोन की इन कमिंग कॉल सुविधा दी जाती है। नम्बर डायल करने से पहले नाम एवं संपर्क नम्बर का सत्यापन किया जाता है। मुद्दा यह था कि कॉल करने की सुविधा का निधियन जेल कर्मियों की जेब से किया जा रहा था।

(ii) कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य स्थिर नहीं था क्योंकि उन्हें एकाकीपन में रखा जाता था।

(iii) यह सिफारिश की गई कि राज्य सरकार जेल में हर समय उपस्थित रहने वाले डाक्टर/स्त्रीरोग विशेषज्ञ/विशेषज्ञ उपलब्ध कराए।

(iv) जेल में 10 बच्चों के होने के वाबजूद बच्चों के लिए वहां कोई स्थान नहीं था। बाल देखरेख हेतु बालोनुकूल स्थान उपलब्ध कराया जाए और आयु के अनुकूल उपकरणों, शिक्षा एवं गतिविधियों की व्यवस्था की जाए।

(v) एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें स्थानीय स्कूल के बच्चे जेल का दौरा करें और जेल के भीतर बच्चों से बातचीत करें।

(vi) पर्याप्त कर्मचारियों का अभाव था और महिलाओं को न्यायालय में सुनवाई की तारीख पर हाजिर होने के लिए भेजने हेतु पुलिस गार्डों की अनुपलब्धता थी। महिला कैदियों को पैरोल पर नहीं छोड़ा जा रहा था क्योंकि वे 1.00 लाख रुपये की जमानत/प्रतिभूति की व्यवस्था नहीं कर सकीं।

(vii) गर्भवती महिलाओं को उनकी विशिष्ट आहारीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें जेल के बाहर प्रसव कराने की अनुमति हो।

(viii) व्यक्तिगत पूर्तियों के लिए क्रियाकलापों की संख्या बढ़ाई जाए। महिलाओं को स्वतंत्रता दिवसए महिला दिवस जैसे अवसरों पर रिहा किया जाना चाहिए। बेहतर कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

VII. आयोग की एक सदस्य ने 01 अक्तूबर, 2013 को विदर्भ जिला कारागार श्रेणी 1 का दौरा किया। कारागार की संस्वीकृत संख्या 243 है। 243 पुरुष कैदी और 9 महिला कैदी थीं और इस प्रकार कुल 252 कैदी थे। कुल कर्मचारियों की संख्या 44 थी। मॉताओं के साथ कोई बच्चा नहीं रह रहा था। कैदी 20 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के थे। उन्हें अलग और मध्यम आकार की एक बैरेक में रख गाया था। व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु कोई सुविधा नहीं थी। कैदियों को दिन के दौरान गेहूं, चावल एवं बाजरा आदि जैसे अनाजों को साफ करने के लिए लगाया गया था। कोई भी महिला किसी गंभीर रोग से पीड़ित नहीं पाई गई। कुछ महिलाओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या अथवा धारा 307 के अंतर्गत हत्या का प्रयास और कुछ पर धोखाधड़ी, चोरी एवं शराब तस्करी के आरेप थे। विचारणाधीन महिलाओं ने जेल प्राधिकारियों द्वारा किसी बुरे वर्ताव, अमानवीय व्यवहार की शिकायत नहीं की। महिलाओं से मुफ्त विधिक सहायता मिलने, चिकित्सा जांच, जेल नियमावली के अनुसार अनुमोदित गुणवत्ता के साथ समय पर भोजन, सुरक्षित पानी एवं स्वच्छता के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछे गए। कैदियों ने बताया कि उन्हें यथा उपरिलिखित सब कुछ मिलता है।

इसके बाद, टीम ने जेल अधीक्षक के अनुरोध पर एक पुरुष खण्ड का भी निरीक्षण किया। पुरुष खण्ड के कैदियों ने कोई विशिष्ट शिकायत नहीं की। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 एवं 376 में कैदियों के अभिरक्षा मामलों में वृद्धि नोटिस की गई जो एक गंभीर चिंता का कारण है। कैदियों ने हिंदी में एक स्वागत गीत गाया।

टीम ने साझा रसोईघर का निरीक्षण भी किया। भोजन की तैयारियां जेल नियमावली के भोजन चार्ट के अनुसार थीं। जेल के कैदियों ने शाम का भोजन तैयार किया था जो यद्यपि अच्छी गुणवत्ता का था लेकिन सब्जी में तेल की मात्रा अधिक थी। उपरोक्त जेल दौरे के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई।

VIII. आयोग की एक सदस्य ने 01 अक्तूबर, 2013 को उज्ज्वला गौंडवाना के गैर सरकारी संगठन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार की स्कीम के अंतर्गत संचालित 'स्त्री आधार केंद्र' (महिला पुनर्वास केंद्र) का दौरा किया। यह देशपांडे लेआउट, मसद वर्धा स्थिति एक अल्पावास गृह था। बंगले के एक कमरे में, जिसे उक्त गैर सरकारी संगठन ने किराए पर लिया हुआ था, नौ महिला संवासी रह रही थीं। यह भी पाया गया कि 4 से 5 महिला संवासियों तथा अन्य संवासियों को न्यायालयों में उनके मामलों आदि में उपस्थिति होने की अनुमति थी।

यह अल्पावास गृह सरकार द्वारा अल्पावास गृहों के लिए विहित नियमों के तहत नहीं चलाया जा रहा था। यह गृह अस्वास्थ्यकर, निराशाजनक एवं घुटनभरा था। कर्मचारियों का कमरा भी गंदा था। संवासी भी न्यायालय में लंबित घरेलू हिंसा के उनके मामलों के कारण हताश, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से क्षुब्ध पाए गए। वे सिलाई की कक्षाओं अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अनिच्छुक पाए गए और उन्हें कर्मचारियों द्वारा प्रेरित किए जाने की जरूरत थी। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों ने इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया और उस गैर सरकारी संगठन की मान्यता रद्द करने के प्रयास क्यों नहीं किए गए जो कथित अल्पावास गृह को चला रहा था। निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

(i) संबंधित विभाग के निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों से ऐसे गैर सरकारी संगठन के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाए जो संवासियों को उन सेवाएं को प्रदान करने में असफल रहा जिनके लिए वह सरकार से वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहा है।

(i) गैर सरकारी संगठन, जो 'स्त्री आधार केंद्र' को चला रहा था, के खिलाफ विहित नियमों के अनुसार अल्पावास गृह का रखरखाव करने में असफल रहने के लिए कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। इस गैर सरकारी संगठन की मान्यता रद्द करने और कथित अल्पावास गृह को किसी योग्य गैर सरकारी संगठन को सौंपने की भी सिफारिश भी गई।

संबंधित मंत्रालयों एवं सचिवों को ऐसे अल्पावास गृहों के निष्पादन की जांच करने और रेटिंग बिन्दुओं से कम निष्पादन करने वाले गृहों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की गई :–

(i) भोजन में तेल की मात्रा बहुत अधिक पाई गई, इस लिए तेल की मात्रा कम करने की सिफारिश ''कैदियों हेतु भोजन समिति'' से की गई। तेल की खपत 2½ लीटर वनस्पति थी – वे उबली हुई दालें मिला सकते हैं।

(ii) नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं।

(iii) अशिक्षित संवासियों को प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

(iv) उन्हें पढ़ाई की समग्री उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है।

(v) सवांसियों को साप्ताहिक आधार पर मनोचिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

IX आयोग की एक सदस्य ने 06 अक्तूबर, 2013 को केंद्रीय कारागार, बीकानेर (राजस्थान) का दौरा किया। बीकानेर केंद्रीय कारागार भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कारागार है। बीकानेर केंद्रीय कारागार में कुल मिलाकर 1275 कैदी थे जिनमें से 24 कैदी महिलाएं और 1251 कैदी पुरुष थे। उक्त कारागार में विचारणाधीन कैदी रखे जाते हैं। कैदियों को धोखाधड़ी, चोरी, अपहरण, हत्या एवं दहेज हत्या आदि के अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया। निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :–

(i) कैदियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं लगाई जाएं।

(ii) कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की कक्षाएं भी लगाई जाएं।

(iii) महिला मनोचिकित्सक के आवधिक दौरों को अनिवार्य किया जाए क्योंकि कैदियों में अवसाद तथा उनके आपसी झगड़ों को नियंत्रित करने के लिए परामर्श आवश्यक है।

(iv) सैनिटरी नैपकिन नियमित रूप से उपलब्ध नहीं कराए गए। इन्हें प्रदान किया जाना चाहिए।

X. आयोग की एक सदस्य ने 18 अक्तूबर, 2013 को जिला कारागार, हरिद्वार का दौरा किया और जेल अधीक्षक एवं जेल के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें की गई :–

(i) स्वास्थ्य देखरेख स्कीमों को प्रभावपूर्ण ढंग से चलाया जाए और समय–समय पर टीकाकरण आदि जैसे निवारक उपाय किए जाएं।

(ii) यह पाया गया कि महिला कैदियों में कानून की कम जानकारी है। इसलिए वे उन अधिकारों से वंचित रहती हैं जो उन्हें उनके मुकद्दमों को लड़ने के लिए कानून के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कानूनी परामर्श पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए।

(iii) महिला कैदियों की रिहाई के बाद समाज में सामान्य जीवन जीने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए उनके पुनर्वास, उपचारात्मक उपायों के रूप में उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं।

(iv) कैदियों द्वारा तैयार किए गए/बनाए गए उत्पादों को जेल नियमावली के अनुसार आम लोगों को बिक्री हेतु रखा जाए।

(v) महिला कैदियों को आंबटित शौच घर/शौचालयों की नियमित रूप से सफाई एवं धुलाई की जाए।

(vi) नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं।

(vii) अशिक्षित कैदियों के लिए नियमित आधार पर शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अर्ध साक्षर/साक्षर महिला कैदियों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें स्कूल किटें भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(viii) प्रशिक्षित कैदियों की प्रशिक्षक के रूप में सहायता लेकर, यदि उपलब्ध हों, नियमित आधार पर ध्यान एवं योग जैसे क्रियाकलापों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

(ix) महिलाओं के मनोवैज्ञानिक उपचार एवं समस्याओं के साथ सामंजस्य के लिए कैदियों के परामर्श हेतु परामर्शदाताओं/मनोचिकित्सकों के अनिवार्य नियमित दौरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(x) महिला कैदियों को जेल नियमावली के अनुसार उनके अभिभावकों/रिश्तेदारों/अधिवक्ताओं आदि से बातचीत करने के लिए टेलीफोन सुविधा दी जाए।

(xi) महिला कैदियों को, जब उन्हें जेल के बाहर अस्पतालों में जाना हो, पर्याप्त सुरक्षा/गार्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(xii) कैदियों के मामलों से जुड़े जेल कर्मियों के लिए व्यावसायिक/पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि वे जेल नियमों के अनुसार अपना कार्य निष्पादित कर सकें।

XI. आयोग की एक सदस्य ने 26 दिसम्बर, 2013 को चन्दरपुर कारागार का दौरा किया। निम्नलिखित सिफारिशें की गई :–

(i) कैदियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की कक्षाएं लगाई जाएं।

(ii) महिला मनोचिकित्सक के आवधिक दौरों को अनिवार्य किया जाए क्योंकि कैदियों में अवसाद तथा उनके आपसी झगड़ों को नियंत्रित करने के लिए परामर्श आवश्यक है।

(iii) नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं।

(iv) इन सिफारिशों पर आयोग को सूचना देते हुए त्वरित उचित कार्रवाई की जाए।

XII. आयोग की एक सदस्य ने 05 जनवरी, 2014 को हिमाचल प्रदेश के कांडा कारागार का दौरा किया। उन्होंने पाया कि यह कारागार बहुत ही अच्छा आदर्श कारागार है, बैरकें साफ एवं स्वच्छ थीं। उन्होंनं यह भी पाया कि शीत ऋतु एवं क्षेत्र की ठण्डी जलवायु को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कैदी को अलग से चारपाई एवं बिस्तर, तकिया, कम्बल आदि उपलब्ध कराए गए।

इस कारागार के दौरे के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई।

XIII. आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों ने 12 जनवरी, 2014 को मणिपुर केंद्रीय कारागार का दौरा किया। अधिकांश कैदी विचारणाधीन कैदी थे। 37 महिला कैदी – एनएसए के अंतर्गत 4, 5 ड्रग पैडलर, 9 विचारणाधीन, 2 दोष सिद्ध, हथियार अधिनियम के अंतर्गत 16, थीं।

कारागार की अवसंरचना को आधुनिक बनाने की सिफारिश की गई। सिलाई प्रशिक्षण यूनिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिट एवं साक्षरता गतिविधियां अद्यतन एवं पर्याप्त पाई गईं। जीवन परिस्थितियां, भोजन, कुल सफाई, महिला कैदियों के परिसर में एवं उसके आस–पास का वातावरण, दैनिक आवश्यकता की चीजों की उपलब्ध्ता, चिकित्सा सुविधाएं, पानी एवं स्वच्छता संतोषजनक पाई गई। तथापि, जेल मानकों के अनुसार, विचारणाधीन कैदियों को बिस्तर नहीं दिए गए थे। यह सिफारिश की गई कि :–

(i) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ विचारणाधीन एवं दोष सिद्ध कैदियों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) कैदियों की रिहाई को सुगम बनाने के लिए कैदियों एवं उनके परिवारों को परामर्श देने के प्रयास किए जाने चाहिए और ऐसे कैदियों के परिवारों से, जो उनसे मिलने नहीं आते हैं, उनका संपर्क कराने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(iii) दवाइयों एवं स्वास्थ्य जरूरतों के लिए राशि उपलब्ध कराई जाए।

(iv) कैदियों के लिए कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।

(v) मणिपुर राज्य महिला आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग को कारागार का आवधिक दौरा करना चाहिए और कैदियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत करनी चाहिए।

XIV. आयोग की एक सदस्य ने 21 जनवरी, 2014 को जिला कारागार, उज्जैन, मध्य प्रदेश का दौरा किया और जेल अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने महिला कैदियों के साथ भी बातचीत की। निम्नलिखित सिफारिशें की गई :–

(i) महिलाओं के मनोवैज्ञानिक उपचार एवं समस्याओं के साथ सामंजस्य के लिए कैदियों के परामर्श हेतु परामर्शदाताओं/मनोचिकित्सकों के अनिवार्य नियमित दौरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ii) स्वास्थ्य देखरेख स्कीमों को प्रभावपूर्ण ढंग से चलाया जाए और समय–समय पर टीकाकरण आदि जैसे निवारक उपाय किए जाएं।

(iii) यह पाया गया कि महिला कैदियों में कानून की कम जानकारी है। इसलिए वे उन अधिकारों से वंचित रहती हैं जो उन्हें उनके मुकद्दमों को लड़ने के लिए कानून के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कानूनी परामर्श पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए।

(iv) महिला कैदियों को आंबटित शौच घर/शौचालयों की नियमित रूप से सफाई एवं धुलाई की जाए।

(v) अशिक्षित कैदियों के लिए नियमित आधार पर शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अर्ध साक्षर/साक्षर महिला कैदियों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें स्कूल किटें भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(vi) प्रशिक्षित कैदियों की प्रशिक्षक के रूप में सहायता लेकर, यदि उपलब्ध हों, नियमित आधार पर ध्यान एवं योग जैसे क्रियाकलापों की संख्या में वृद्धि की जाए।

(vii) कैदियों के मामलों से जुड़े जेल कर्मियों के लिए व्यावसायिक/पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि वे जेल नियमों के अनुसार अपना कार्य निष्पादित कर सकें।

XIV. आयोग की एक सदस्य ने 08 फरवरी, 2014 को जिला कारागार, छतरपुर, मध्य प्रदेश का दौरा किया और जेल अधीक्षक एवं जेल के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(i) कैदियों को जेल से छूटने के बाद आत्म–निर्भर बनाने के लिए अल्पकालीन व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं।

(ii) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

(iii) नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं।

(iv) कैदियों की समस्याओं को तत्काल हल करने के लिए जेल कर्मियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए बैठकों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।

(v) महिलाओं के मनोवैज्ञानिक उपचार एवं समस्याओं के साथ सामंजस्य के लिए कैदियों के परामर्श हेतु परामर्शदाताओं/मनोचिकित्सकों के अनिवार्य नियमित दौरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vi) यह पाया गया कि महिला कैदियों में कानून की कम जानकारी है। इसलिए वे उन अधिकारों से वंचित रहती हैं जो उन्हें उनके मुकद्दमों को लड़ने के लिए कानून के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कानूनी परामर्श पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए।

(vii) महिला कैदियों को आंबटित शौच घर/शौचालयों की नियमित रूप से सफाई एवं धुलाई की जाए।

(viii) महिला कैदियों को जेल नियमावली के अनुसार उनके अभिभावकों/रिश्तेदारों/अधिवक्ताओं आदि से बातचीत करने के लिए टेलीफोन सुविधा दी जाए।

(ix) प्रशिक्षित कैदियों की प्रशिक्षक के रूप में सहायता लेकर, यदि उपलब्ध हों, नियमित आधार पर ध्यान एवं योग जैसे क्रियाकलापों की संख्या में वृद्धि की जाए।

(x) स्वास्थ्य देखरेख स्कीमों को प्रभावपूर्ण ढंग से चलाया जाए और समय–समय पर टीकाकरण आदि जैसे निवारक उपाय किए जाएं।

(xi) अशिक्षित कैदियों के लिए नियमित आधार पर शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अर्ध साक्षर/साक्षर महिला कैदियों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें स्कूल किटें भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

XI. आयोग के सदस्यों ने 23 से 27 फरवरी, 2014 के दौरान भायकुला जिला कारागार की महिला जेल का दौरा किया। जेल अधीक्षक ने महिला कैदियों का ब्यौरा दिया। जेल में 20 दोष सिद्ध एवं 321 विचारणाधीन महिला कैदी, कुल मिलाकर 341 महिला कैदी थीं। अधिकांश कैदी 30 से 45 वर्ष के मध्य आयु वर्ग की, 9 कैदी 65 वर्ष से अधिक आयु की, 70 कैदी 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग की और 61 केदी 45 से 65 वर्ष के आयु वर्ग की थीं। उनके शैक्षणिक स्तर के मामले में, केवल 40 कैदियों का स्तर 12 वीं से अधिक, 126 निरक्षर, 104 पांचवी कक्षा तक पढ़ी थीं और 71 ने 12वीं तक पढ़ाई की थी। कारागार में केवल एक कैदी 10 वर्ष से थी ; 329 कैदी 0–2 वर्ष से थीं।

निम्नलिखित टिप्पणियां एवं सिफारिशें की गईं :

(i) आवास – जेल में महिलाओं के लिए 13 कमरे/हाल हैं। शौचालयों/शौच घरों की संख्या 68 थी जो लगभग 4 से 5 व्यक्ति प्रति शौचालय/शौच घर का अच्छा अनुपात है। शौचालयों की स्थिति पर्याप्त रूप से अच्छी, स्वच्छ एवं साफ – सुथरी थी।

(ii) भोजन एवं खाना पकाने की व्यवस्था – रसोईघर की स्थिति पर्याप्त रूप से अच्छी एवं साफ – सुथरी थी। सामग्री एवं भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक थी और रसोई का भण्डार कक्ष साफ – सुथरा था। अधिकांश कैदी सुविधाओं एवं भोजन से संतुष्ट थे। तथापि, विदेशी कैदी व्यथित थीं। ऐसे कतिपय नियम प्रतीत होते हैं जो पकाए गए/परोसे गए भोजन की प्रकृति में अधिक छूट प्रदान नहीं करते हैं। जेल प्राधिकारियों को भोजन के स्वरूप में कुछ लचीलापन शुरू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी चाहिए ताकि सभी संस्कृतियों के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति की जा सके। कैदियों के परिवारों को उनसे मिलने के लिए आने की अनुमति थी।

(iii) जीवन परिस्थतियां एवं सुविधाएं – जीवन परिस्थितियां, कुल सफाई, शौचालय सुविधाएं, नहाने का पानी, पीने का पानी एवं सफाई संतोषजनक थी। चिकित्सा अधिकारी सफाई एवं स्वच्छता के रखरखाव की जांच करने के लिए नियमित निरीक्षण करते हैं। जेल में महिला कैदियों के 37 बच्चों के लिए एक बालवाड़ी अथवा शिशुगृह है। शिशुगृह का संचालन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है और वे प्रारंभिक/प्ले स्कूल में छोटे बच्चों/बच्चों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देते हैं। मनोरंजन सुविधाएं भी उपलब्ध थीं।

(iv) कैदियों से मिलने वाले आगन्तुक – विचारणाधीन कैदियों को सप्ताह में एक आगन्तुक से और दोष सिद्ध कैदियों को महीने में एक आगन्तुक से मुलाकात करने की अनुमति होती है। गैर–परिवारिक सदस्य किसी कैदी से स्थानीय पुलिस प्रशासन की सिफारिश के बाद ही मिल सकते हैं। अधिवक्ता कानूनी चर्चा करने, कागजी कार्रवाई आदि के लिए कैदियों से मिल सकते हैं।

(v) चिकित्सा सुविधाएं – ओपीडी एवं औषधालय के रूप में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं। अस्पताल में दाखिला की जरूरत वाले कैदियों को नजदीकी सर जेजे अस्पताल, भायकुला रैफर किया जाता है। जेल में एक महिला चिकित्सा अधिकारी एवं एक फार्मासिस्ट तैनात हैं। गर्भवती एवं धात्री माताओं को विशेषज्ञों के दौरों एवं सर जेजे अस्पताल, भायकुला में रैफर करके भी विशेष देखरेख एवं उपचार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, एक गैर सरकारी संगठन [फ्रीडम फाउण्डेशन] से एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ भी दो सप्ताह में एक बार दौरा करते हैं। मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार परामर्शदाता चिकित्सक, मनःचिकित्सिक, त्वचा विशेषज्ञ एवं शिशुरोग विशेषज्ञ जेल का दौरा करते हैं।

(vi) अतिसंकुलता – कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक थी और इसलिए राज्य सरकार को जेल की क्षमता बढ़ानी चाहिए। जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, कैदियों की संख्या जेल की नियत क्षमता से 45 प्रतिशत अधिक [262 की तुलना में 341 कैदी] है। आदतन अपराधियों एवं अन्य को अलग – अलग नहीं रखा जाता है। जेल प्राधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि यह नियमानुसार किया जाए।

(vii) कौशल प्रशिक्षण – जेल में व्यावसायिक प्रशिक्षण की अच्छी सुविधाएं चलाई जा रही हैं। कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है, हस्तशिल्प कार्य सिखाया जाता है, आरेखण/चित्रकारी आदि सिखाई जाती है, ताकि कैदियों को उपयोगी रूप से संलग्न किया जा सके। कैदियों को एमएस वर्ल्ड, एक्सैल, पॉवर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन आदि जैसे कम्प्यूटर कौशल सिखाए जा रहे थे। कौशल विकास में सिलाई, सलाइयों से बुनाई का कार्य, सिलाई, पर्स बनाना, पुस्तक जिल्दसाजी, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, चित्रकारी आदि शामिल हैं।

(viii) कैदियों की शिकायतों का निवारण – जेल ने कैदियों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। कैदियों के बैठक क्षेत्र के पास तालाबंद एवं सीलबंद पेटिकाएं रखी गई हैं। महानगर दण्डाधिकारी साप्ताहिक आधार पर और जिला एवं सत्र न्यायाधीश मासिक आधार पर कैदियों की शिकायतों की जांच करते हैं और इसे आगन्तुक पुस्तिका में रिकार्ड करते हैं। जेल अधीक्षक सप्ताह में एक बार प्रत्येक बैरक का निरीक्षण करते हैं और कैदियों को अधीक्षक के साथ अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है

(ix) कानूनी सहायता – कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध थी। कैदियों को कानूनी सहायता एवं परामर्श से संबंधित मामलों के निपटान के लिए मुम्बई जिला एवं उपनगरीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में इस प्रयोजन के लिए गठित विधिक सहायता समिति के तहत एक विधिक पैनल था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 क के अंतर्गत निर्धारित अवधि से आगे कैद रखने के मामले 'शून्य' थे।

(x) न्यायालय ले जाने वाले कैदियों के लिए पुलिस मार्गरक्षी – भायकुला जेल अधीक्षक ने बताया कि जब विचारणाधीन कैदियों को सुवनाई के लिए न्यायालय ले जाया गया, पुलिस मार्गरक्षी प्राप्त करना एक बड़ी समस्या थी। जनवरी, 2013 से जनवरी, 2014 के दौरान सत्र न्यायालय के समक्ष 505 मामलों में से, 404 मामलों [अर्थात् 80%] में पुलिस दल उपलब्ध कराया गया; और महानगर

दंडाधिकारी के समक्ष 4064 मामलों में से केवल 1685 मामलों [अर्थात् 41.49%] में पुलिस दल उपलब्ध कराया गया। यह एक गंभीर मुद्दा था और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शत प्रतिशत मामलों में, विशेषकर जब जेल अधीक्षक समय रहते मांग भेजता है, पुलिस दल उपलब्ध कराया जाए।

(xi) बांग्लादेशी शरणार्थी – अनेक कैदी बांग्लादेश के थे जिन्हें विदेशियों से संबंधित कानून के अनुसार कैद किया गया था। कुछ महिला कैदी धात्री माताएं थीं। बांग्लादेशी एवं अन्य शरणार्थियों से संबंधित विचारण, जमानत एवं कानून से संबंधित मुद्दों का केंद्र सरकार द्वारा तत्काल समाधान किए जाने की जरूरत है क्योंकि यह जेलों में अतिसंकुलता जैसी समस्याओं का कारण होता है। भारत में शरणार्थी संग्राही विदेशी अधिनियम, 1946 में कवर किए जाते हैं जो गैर–राष्ट्रीय लोगों के ठहरने एवं निकासी को एक ही रूप में, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अवैध प्रवासी हैं या शरणार्थी, नियंत्रित करता है। कानून की इन कमियों को तत्काल सुधारने की जरूरत है क्योंकि भारतीय जेलों में, विशेषकर महिला जेलों में कैदियों की संख्या को प्रभावित करता है।

(xii) मरम्त की तत्काल आवश्यकता – जेल की बिल्डिंग को तत्काल महत्वपूर्ण मरम्मत/अनुरक्षण कार्य की आवश्यकता है विशेषकर क्योंकि बिल्डिंग के प्रवेश कक्ष एवं अन्य भागों में बड़े रिसाव की समस्या है। राज्य सरकार को नियमित अनुरक्षण एवं मरम्मत कराने के लिए जेल को पर्याप्त राशि उपलब्ध करानी चाहिए। बिल्डिंग, मल–निकास, पानी के पाइपों, बिजली के तारों एवं स्विचों की विस्तृत जांच एवं लेखापरीक्षा करने के बाद महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाना चाहिए।

(xiii) निष्कर्ष – भायकुला जेल महिला वार्ड का संचालन संतोषजनक पाया गया और 25 संस्वीकृत पदों की तुलना में 23 व्यक्तियों के साथ पर्याप्त कर्मचारी थे। कौशल प्रशिक्षण, शिशुगृह, चिकित्सा, शिकायत निवारण, कानूनी सहायता एवं ऐसी ही सुविधाएं उपलब्ध पाई गईं। भोजन व्यवस्था और स्वच्छता एवं रखरखाव का स्तर पर्याप्त रूप से अच्छा था। स्थान की कमी थी और राज्य सरकार को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराकर इस मुद्दे का समाधान करने की जरूरत है। आदतन अपराधिओं को अलग रखने के प्रश्न का भी समाधान किया जाना चाहिए।

आयोग की नई पहलें

I. पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का सृजन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्य की निम्नलिखित मदों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का सृजन किया :–

क) पूर्वोत्तर राज्यों से ऑन लाइन अथवा ऑफ लाइन प्राप्त सभी शिकायतें।

ख) पूर्वोत्तर के मामलों में महिला अधिकारों के हनन के संबंध में स्वतः संज्ञान लेना।

ग) पूर्वोत्तर के राज्य आयोगों/विश्वविद्यालयों/अनुसंधान निकायों/गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त अनुसंधान अध्ययनों, संगोष्ठियों एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के प्रस्तावों पर कार्रवाई करना।

II. जन जागरूकता पर बल

महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं स्कीमों के बारे में जन जागरूकता में वृद्धि करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं :

(i) दहेज एवं घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों पर पुस्तिका।

(ii) बस इतना ही काफी है ! घरेलू हिंसा को अब और न सहें।

(iii) अनिवासी भारतीय विवाहों में फंसी परित्यक्त भारतीय महिलाएं – समाधान।

(iv) आवाज उठाओ, विरोध करो, रिपोर्ट करो – कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न।

(v) आकांक्षा अनुष्ठान संबंध विवाह।

(vi) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (विशेषकर बलात्कार/यौन प्रहार) के मामलों में पुलिस अभियोजकों, मजिस्ट्रेटों, चिकित्सा पेशेवरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं मीडिया के लिए दिशानिर्देश।

(vii) कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण पर पहल संबंधी रिपोर्ट।

(viii) राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (उज्ज्वला) की राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समीक्षा पर रिपोर्ट।

(ix) राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (सबला) की राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समीक्षा पर रिपोर्ट।

(x) जनता के बीच महिलाओं के साथ अमानुषिक और कलंकित करके अत्याचार के निवारण पर राष्ट्रीय महिला आयोग की पहलों पर रिपोर्ट।

III. मीडिया एवं प्रचार

(i) इलैक्ट्रोनिक मीडिया

(क) आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्रृव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से घरेलू हिंसा, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम एवं अनिवासी भारतीय विवाहों पर लघु वीडियो स्पोटों का प्रसारण दूरदर्शन टीवी, पूर्वोत्तर के चैनलों और अन्य सी एण्ड एस निजी चैनलों पर किए।

(ii) प्रिन्ट विज्ञापन

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 11 जून, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अपनी स्वयं के निर्भया भवन नामक बिल्डिंग की ''आधारशिला रखना'' विषय पर विज्ञापन जारी किया।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 02 अक्तूबर, 2013 को एवं गांधी जयंती के अवसर पर ''अहिंसा एवं शांति में भारतीय महिलाओं की भूमिका'' विषय पर एक विज्ञापन जारी किया।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने इण्डियन वीमेन्स प्रैस कॉर्प्स की मैगजीन में राष्ट्रीय महिला आयोग की उपलब्धियों पर एक विज्ञापन जारी किया।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 16 दिसम्बर, 2013 को ''निर्भया'' को श्रंदाजलि देने के लिए प्रिन्ट मीडिया में एक विज्ञापन जारी किया।

(ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31 जनवरी, 2014 को राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर ''कार्य स्थल पर महिलाओं हेतु सुरक्षित वातावरण की प्रतिबद्धता'' विषय पर एक विज्ञापन जारी किया।

(च) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 08 मार्च, 2014 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ''प्रत्येक महिला को सम्मान, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता का अधिकार देना'' विषय पर एक विज्ञापन जारी किया।

(iii) मेला/कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता विकसित करने और लोगों में संचेतना पैदा करने के लिए विभिन्न मेलों में भाग लिया और प्रचार सामग्री वितरित की।

(क) वात्सल्य मेला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 14.11.2013 – 30.11.2013 तक दिल्ली हाट, आईएनए और पीतमपुरा, नई दिल्ली में वात्सल्य मेला, महिलाओं से संबंधित स्कीमों, कार्यक्रमों एवं महिला अधिकारों के बारे में सूचना के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग सहित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्रियाकलापों को उजागर करने वाले समारोह में भागीदारी करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय किया। मेला का विषय अहिंसा और घटता हुआ लिंग अनुपात था। आबंटित स्टाल में, आयोग ने नुक्कड़ नाटकों, चित्रकारी, स्लोगन लेखन, निबंध लेखन एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के माध्यम से घरेलू हिंसा, दहेज, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित समस्याओं और किशोरियों से संबंधित समस्याओं जैसे महिलाओं से संबंधित मुद्दों का व्यापक प्रचार – प्रसार किया।

(ख) आईआईटी कानपुर मेला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24–25 अक्तूबर, 2013 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा आयोजित आईआईटी कानपुर मेले में भागीदारी की। आबंटित स्टाल में, आयोग ने दहेज,

अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित समस्याओं, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न तथा अन्य समस्याओं जैसे महिलाओं से संबंधित मुद्दों का व्यापक प्रचार – प्रसार किया।

(ग) पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा मेला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला अधिकारों के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए 9–18 जुलाई, 2013 तक पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में एक स्टाल प्रायोजित की और आयोग के अनेक प्रकाशनों का प्रदर्शन किया। स्टाल देखने आई महिलाओं में जागरूकता विकसित करने के लिए विवरणिकाएं, पोस्टर एवं पुस्तिकाएं वितरित की गईं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने दोहराया कि महिला अधिकारों के बारे में संदेश फैलाने के लिए अभिनव माध्यमों से लोगों में संचेतना पैदा करना और उन्हें संघटित करना महत्वपूर्ण था।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 20 मार्च, 2014 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर लोगों में संचेतना पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटकों एवं गीतों का आयोजन किया।

IV. आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

हुडको और राष्ट्रीय महिला आयोग ने 07 मई, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों संगठन अभिनिर्धारित क्षेत्रों में महिला होस्टलों, सुधार गृहों जैसी सुविधाओं और कोई भी चीज जो महिलाओं के कल्याण से संबंधित है, के लिए निराश्रित महिलाओं के आवास की गुणवत्ता में सुधार करके उनकी जीवन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करके सहयोग तथा मिलकर कार्य करने के समझौते पर पहुंचे। समझौता ज्ञापन के तहत वृन्दावन के रास बिहारी सदन, निराश्रित महिलाओं के लिए एक आश्रय गृह को पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण के लिए अभिनिर्धारित किया गया।

V. ''निर्भया भवन'' की आधार शिला रखना

माननीय भारत के राष्ट्रपति ने 11 जून, 2013 को ''निर्भया भवन'' (राष्ट्रीय महिला आयोग की बिल्डिंग) की आधार शिला रखी। इस अवसर पर बोलते हुए, माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि आयोग ने हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों, सम्मान एवं विकास के लिए अपने सच्चे प्रयासों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है और यह बिल्कुल उचित था कि महिलाओं के कल्याण के लिए 20 वर्षों की प्रतिबद्धित सेवा के बाद, आयोग का अपना स्थायी मुख्यालय हो।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रीमती कृष्णा तीरथ ने कहा कि भारतीय संविधान ने पुरुषों एवं महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं और सरकार ने उनके कल्याण के लिए अनेक स्कीमें शुरू की हैं। उन्होंने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, मादा भ्रूण हत्या, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न आदि के लिए सिविल समाजए राष्ट्रीय महिला आयोग और गैर सरकारी संगठनों से मिलकर कार्य करने के लिए कहा।

11 जून, 2013 को ''निर्भया भवन'' (राष्ट्रीय महिला आयोग की बिल्डिंग) की आधार शिला रखने के सुअवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी। दीप प्रज्वलन निहारतीं श्रीमती कृष्णा तीरथ, भूतपूर्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग।

राष्ट्रीय महिला आयोग की भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि राट्रीय महिला आयोग को इस अवसर पर माननीय भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय भूतपूर्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार, श्रीमती कृष्णा तीरथ की उपस्थिति से गौरव मिला है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ है।

VI. महिलाओं से संबंधित कानूनों के उचित क्रियान्वयन पर न्यायपालिका एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण

आयोग ने न्यायापालिका एवं पुलिस कर्मियों के जेंडर संवेदीकरण से संबंधित एक स्कीम का अनुमोदन किया है जो क्रमशः न्यायपालिका एवं पुलिस अकादमियों के सहयोग से नियमित आधार पर क्षमता निर्माण का अभ्यास है। आयोग ने इस संदर्भ में वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम प्रायोजित किए :

(i) एमिटी विधि विद्यालय, एमिटी परिसर, नोएडा :– आयोग ने न्यायपालिका के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को जेंडर मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए एक तीन दिवसीय कार्यशाला प्रायोजित की ताकि महिलाओं के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय वे जेंडर संवेदी तरीके से कार्यवाही करेंगे। कार्यशाला की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

क) संपत्ति के किसी भी अधिकार से महिलाओं को अलग करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज एवं पारिवारिक कार्यनीतियों में जेंडर तटस्थता को बढ़ावा देने की तत्काल जरूरत है।

ख) ''नैतिक पुलिस'' और ''कानून का प्रवर्तन'' के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।

ग) पुलिस अधिकारियों को अपनी कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए सुविधाओं का वर्धित प्रावधान होना चाहिए।

घ) पुलिस अधिकारियों के लिए व्यापक दिशानिर्देशों का प्रचार किया जाना चाहिए।

ङ) महिलाओं से संबंधित अपराधों की उचित रिकार्डिंग के लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाए।

च) अवैध मानव व्यापार और बंधुआ मजदूरी के वज़ह से होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों की क्षेत्र में कार्य कर रही स्थापन एजेंसियों का रिकार्ड रख कर पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की जानी चाहिए।

छ) मीडियों को बढ़ा चढ़ा कर कही गई एवं सनसनीखेज खबरों से दूर रहना चाहिए।

ज) पुलिस को बलात्कार के मामलों की जांच करते समय संवेदी रहने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(ii) हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन, हरियाणा : आयोग ने जेंडर संवेदीकरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर दो पाठ्यक्रम प्रायोजित किए हैं। अकादमी ने जेंडर से संबंधित मुद्दों पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में 500 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया है।

(iii) कांस्टेबल प्रशिक्षण स्कूल (सीटी,स), भागलपुर : आयोग ने जेंडर संवेदीकरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर एक दो दिवसीय कार्यशाला प्रायोजित की। अकादमी ने जेंडर से संबंधित मुद्दों पर 300 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया है।

(iv) महाराष्ट्र राज्य आयोग, मुम्बई :– आयोग ने पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, नासिक के माध्यम से प्रशिक्षण प्रायोजित किया। प्रशिक्षण स्थल पुलिस अनुसंधान केंद्र, पुणे था। उन्होंने जेंडर संवेदीकरण पर प्रशिक्षकों को तीन दिन का प्रशिक्षण दिया। इन प्रशिक्षकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने अधिगम को उस प्रशिक्षण में उपयोग करेंगे जिसे वे अन्य पुलिस कर्मियों को देते हैं।

VII. राष्ट्रीय महिला आयोग का राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना

राष्ट्रीय महिला आयोग समय–समय पर संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन करके राज्य आयोगों से बातचीत करता रहता है। महिला सशक्तीकरण पर संसदीय स्थायी समिति ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच नियमित बातचीत के लिए एक तंत्र विकसित करने की सिफारिश की।

इस दिशा में एक कदम और आगे के रूप में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य महिला आयोगों के साथ निम्नलिखित परामर्श/विचार–विमर्श बैठकें आयोजित कीं :

(i) 04 अक्तूबर, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली में राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों के लिए प्रशिक्षण।

(ii) 09 जनवरी, 2014 को इम्फाल, मणिपुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य महिला आयोगों के साथ विचार–विमर्श।

(iii) 30 जनवरी, 2014 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में राज्य महिला आयोगों के साथ राष्ट्र स्तरीय विचार–विमर्श।

VIII. आंकड़ा आधारित प्रबंधन/पुरानी शिकायतों को अपलोड करना

वर्ष 2000 के बाद प्राप्त सभी शिकायतों को अपलोड करने की प्रक्रिया नवम्बर, 2011 में शुरू की गई और यह प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2000–2006 के दौरान प्राप्त सभी 52,303 पुराने मामलों की उनके क्लोजर/डीम्ड क्लोजर स्टेटस के साथ आंकडा आधार में प्रविष्ट कर दी गई है। इसके अलावा, जनवरी, 2007 से जुलाई, 2011 तक दर्ज 69,170 शिकायतों में से, 56009 शिकायतों पर मामलों की मौजूदा स्थिति को अद्यतन करने कार्रवाई की जा चुकी है। अगस्त, 2011 (वर्तमान आयोग के कार्यकाल के प्रारंभ से) 31 मार्च, 2014 तक, आयोग में कुल 45128 शिकायतें दर्ज हुई और उन सभी पर कार्रवाई की जा चुकी है।

IX. सफल महिलाओं को सम्मानित करना

राष्ट्रीय महिला आयोग अपने क्षेत्र विशेष की ऐसी असाधारण सफल महिलाओं को, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान एवं जेंडर समानता तथा न्याय के हितों में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है, को सम्मानित करने की पहल की है। आयोग ने यह पहल प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन के प्रतीक के रूप में वर्ष 2011 में शुरू की थी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के समारोह के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 20 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। 25 असाधारण महिलाओं को उनके क्षेत्र विशिष्ट में उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। डा. नन्दिता चटर्जी, सदस्य सचिव ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में भूतपूर्व अध्यक्षा, श्रीमती ममता शर्मा की उपस्थति में पुरस्कार दिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोगों के सहयोग से उनके संबंधित राज्यों में ''सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करना'', ''हमारा पुरुष प्रधान समाज – सोच में बदलाव'' विषयों पर आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता में सर्वोत्तम तीन प्रविष्टियों के लिए तीन कालेज छात्रों को भी सम्मानित किया। प्रथम पुरस्कार उत्तराखण्ड की सुश्री रीना मैथानी, द्वितीय पुरस्कार मध्य प्रदेश की सुश्री प्रियंका बारसे और तृतीय पुरस्कार राजस्थान की सुश्री जया जैन को दिया गया।

X. आयोग का सूचना पत्र : राष्ट्र महिला

आयोग का मासिक सूचना पत्र राष्ट्र महिला, जिसका प्रकाशन हिंदी एवं अग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है, देश भर में महिला कार्यकर्ताओं, कानूनी जगत के सदस्यों, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों एवं छात्रों को आयोग के कार्यक्रमों के बारे में निरंतर सूचना प्रदान करता है।

सूचना पत्र आयोग के क्रियाकलापों के साथ–साथ आयोग में दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में सफलता की कहानियां और महिलाओं को प्रभावित करने वाले न्यायालयों एवं सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को उजागर करता है। मुद्रण की बढ़ती हुई लागत के बावजूद, यह सूचना पत्र सभी पाठकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यह मासिक सूचना पत्र आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ncw.nic.in. पर भी उपलब्ध होता है।

अध्याय – 2

मीडिया और पहुंच कार्यक्रम

आयोग ने अपने कार्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं तथा यह उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य करता है। आयोग ने देश में समाज के विभिन्न वर्गों से अलग–अलग विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न महिला मुद्दों पर कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन/परामर्श बैठकें आयोजित/प्रायोजित कीं।

आयोग द्वारा आयोजित अथवा प्रायोजित/सह–प्रायोजित महत्वपूर्ण संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/परामर्श/बैठकें

I. आयोग द्वारा निम्नलिखित संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/परामर्श बैठकें आयोजित की गई :–

(i) ''दलित महिलाएं : उनके अधिकारों के लिए आवाज तथा चुनौतियां'' विषय पर राष्ट्रीय परामर्श 16 मई, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्रीमती कृष्णा तीरथ, भूतपूर्व मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा डॉ. पी.एल. पूनिया, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुख्य अतिथि और सम्मानीय अतिथि के रूप में इस अवसर पर शोभा बढ़ाई।

(ii) ''महिला आरक्षण विधेयक'' विषय पर परामर्श बैठक 27 अगस्त, 2013 को मग्नोलिया, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड़, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(iii) ''अधिकारों के प्रारूप विधेयक'' विषय पर परामर्श बैठक 6 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(iv) ''जेंडर और भूमि अधिकारों पर'' विशेषज्ञ समिति की बैठक 7 सितम्बर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(v) ''बेजुबान मुस्लिम महिलाओं की आवाज, चुनौतियां और समाधान'' विषय पर संगोष्ठी 15 सितम्बर, 2013 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई।

(vi) राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों का एक दिवसीय प्रशिक्षण 4 अक्तूबर, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

(vii) ''किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में संशोधन करके गंभीर/जघन्य अपराधों के मामले में किशोर की आयु को कम करना'' विषय पर कार्यशाला 7 अक्तूबर, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(viii) ''भारत में बाल विवाह कानूनों में संशोधन'' विषय पर परामर्श बैठक 19 नवम्बर, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(ix) ''महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थल'' विषय पर परामर्श बैठक 16 दिसम्बर, 2013 को इण्डिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(x) राष्ट्रीय महिला आयोग में पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ की स्थापना पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की अध्यक्षों के साथ विचार–विमार्श बैठक 9 जनवरी, 2014 को इम्फाल, मणिपुर में आयोजित की गई।

(xi) राज्य महिला आयोगों के साथ विचार–विमार्श बैठक 30 जनवरी, 2014 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई।

(xii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 22वां स्थापना दिवस 31 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में ''कार्य स्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल'' की प्रतिबद्धता के साथ मनाया।

(xiii) सबला और उज्ज्वला जैसी सरकारी स्कीमों के माध्यम से अवैध देह व्यापार की रोकथाम करने के लिए ''लड़कियों की क्षमता–निर्माण तथा सशक्तीकरण'' विषय पर परामर्श बैठक 24–25 फरवरी, 2014 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई।

(xiv) ''मीडिया में महिलाओं का चित्रांकन'' विषय पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक 24 फरवरी, 2014 को मुम्बई, महाराष्ट्र में आयोजित की गई।

(xv) ''जनता के बीच महिलाओं के साथ अमानुषिक और कलंकित करके अत्याचार का निषेध'' विषय पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक 27–28 फरवरी, 2014 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई।

(xvi) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 20 मार्च, 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।

(xvii) ''जेंडर और भूमि अधिकार'' विषय पर परामर्श बैठक 31 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

II. विभिन्न संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से निम्नलिखित संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं :

राष्ट्रीय बधिर संघ के सहयोग से ''बधिर महिलाओं के अधिकार'' विषय पर 06 एवं 07 दिसम्बर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी में प्रतिभागियों का दृश्य।

(i) ''नीति, अंतरालों तथा विधवाओं का समावेशन'' विषय पर सम्मेलन 4 अप्रैल, 2014 को नई दिल्ली में गिल्ड ऑफ सर्विस के सहयोग से आयोजित किया गया।

(ii) ''भारतीय समाज में अल्पसंख्यक महिलाओं के समक्ष चुनौतियां'' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन 10 अप्रैल, 2013 को बैंगलुरु में इण्डिया वर्ल्ड फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संगोष्ठी में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम को विशेष रूप से उद्धृत किया और अल्पसंख्यकों में ऐसे कार्यक्रमों तथा स्कीमों की जागरुकता की जरूरत पर जोर दिया। अपने उद्घाटन भाषण में भूतपूर्व राज्यपाल, श्री एच. एस. भारद्वाज ने महिलाओं के निमित्त सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों तथा महिला आयोगों के समन्वित प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। इस अवसर पर सदस्य शमीना शफीक ने भी विचार व्यक्त किए। कन्नड़ में प्रकाशित ''हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार'' शीर्षक नामक पुस्तिका भागीदारों को वितरित की गई।

(iii) ''कारगर सामाजिक बदलाव हेतु अध्यापकों तथा कॉलेज विद्यार्थियों में महिलाओं के प्रति संवेदना पैदा करना'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एक गैर–सरकारी संगठन के सहयोग से 23 अप्रैल, 2013 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अध्यापकों और विद्यार्थियों में जेंडर हिंसा की रोकथाम और जेंडर समानता के लिए कार्य करने हेतु जेंडर संचेतना पैदा की जानी चाहिए तथा इस अवसर पर सदस्य शमीना शफीक ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

(i) ''दलित महिलाएं : उनके अधिकारों के लिए आवाज और चुनौतियां'' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन 16 मई, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्रीमती कृष्णा तीरथ, भूतपूर्व महिला और बाल विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभाग) तथा श्री पी. एल. पूनिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संगोष्ठी में भाग लिया।

16 मई, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ''दलित महिलाएं : उनके अधिकारों के लिए आवाज और चुनौतियां'' विषय पर आयोजित सम्मेलन में श्रीमती कृष्णा तीरथ, भूतपूर्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को स्मृति चिह्न भेंट करतीं सुश्री हेमलता खेरिया, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग। साथ में हैं सुश्री शमीना शफीक, सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्री पी. एल. पूनिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, डा. चारू वलीखन्ना, भूतपूर्व सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग और श्रीमती के. रत्ना प्रभा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग।

सम्मेलन में भागीदारों का स्वागत करते हुए सुश्री हेमलता खेरिया, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रत्येक स्तर पर – शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य देखभाल, भूमि अधिकारों, पानी और स्वच्छता तथा राजनैतिक भागीदारी में दलित महिलाओं द्वारा सामना किए जा रहे भेदभाव तथा उदासीनता पर जोर दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर को उद्धृत करते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसे भेदभाव राष्ट्रीय एकता को कमजोर करते हैं।

श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला अयोग ने अपने भाषण में दलित महिलाओं के मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया तथा उनके सशक्तीकरण के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया।

श्री पी.एल. पूनिया ने इस बात पर बल दिया कि दलित महिलाओं के साथ हुए अपराध और अत्याचार, विशेषकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बढ़ रहे हैं तथा उन्होंने इन समस्याओं के निराकरण के लिए न्यायपालिका, पुलिस तथा प्रशासनिक तंत्र में संचेतना पैदा करने का सुझाव दिया।

उद्घाटन भाषण देते हुए, श्रीमती कृष्णा तीरथ, भूतपूर्व मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि सरकार दलित महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि वे गरिमा और आत्म सम्मान के साथ रह सकें। उन्होंने कहा कि सरकार दलित महिलाओं को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए ''वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर'' की स्थापना करने पर विचार कर रहा है।

सम्मेलन को दलित महिला नेताओं, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा संबोधित किया गया जिन्होंने दलित महिलाओं की प्रगति तथा सशक्तीकरण में बाधा उत्पन्न करने के मुद्दों पर विचार व्यक्त किए।

(v) जसोला में एक समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने दिनांक 11 जून, 2013 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के भावी मुख्यालय निर्भया भवन की नींव रखी।

इस अवसर पर बोलते हुए, माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि आयोग ने हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों, सम्मान एवं विकास के लिए अपने सच्चे प्रयासों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है और यह बिल्कुल उचित था कि महिलाओं के कल्याण के लिए 20 वर्षों की प्रतिबद्धित सेवा के बाद, आयोग का अपना स्थायी मुख्यालय हो।

भूतपूर्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रीमती कृष्णा तीरथ ने कहा कि भारतीय संविधान ने पुरुषों एवं महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं और सरकार ने उनके कल्याण के लिए अनेक स्कीमें शुरू की हैं। उन्होंने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, मादा भ्रूण हत्या, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न आदि के लिए सिविल समाज, राष्ट्रीय महिला आयोग और गैर सरकारी संगठनों से मिलकर कार्य करने के लिए कहा।

श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि राट्रीय महिला आयोग को इस अवसर पर माननीय भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, भूतपूर्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार, श्रीमती कृष्णा तीरथ की उपस्थिति से गौरव मिला है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ है।

(vi) ''महिलाओं के प्रति संचेतना पैदा करने तथा महिलाओं के साथ न्याय'' विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के सहयोग से 25 जुलाई, 2013 को इंदौर में आयोजित की गई। श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यशाला में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया। चूंकि पुलिस कानून की रक्षक तथा सुरक्षा प्रदाता है, उन्हें सामाजिक समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखनी होगी, उन्होंने कहा कि अकेले सख्त कानून महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को नहीं रोक सकते जब तक कि उन्हें निष्ठा से कार्यान्वित न किया जाए। श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि महिलाओं पर तेजाब हमले के अपराधियों को आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। उन्होंने कॉलेज में, बाजू रहित टी–शर्ट पहनने पर तीन लड़कियों को आईएमएसए निदेशक द्वारा दंड दिए जाने की भी भर्त्सना की है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खास किस्म के कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की लड़कियों को फरमान नहीं सुना सकता।

''महिलाओं के प्रति संचेतना पैदा करना और महिलाओं के साथ न्याय'' विषय पर 25 मई, 2013 को इंदौर, मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, इंदौर द्वारा आयोजित कार्यशाला में उपस्थित लोगों को संबोधित करतीं श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रिपोर्ट देने में अग्रणी रहे हैं तथा उन्होंन मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के उपाय करने हेतु सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनुरोध किया। डा0 चारू वलीखन्ना, भूतपूर्व सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं पर किए जा रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचारों पर चर्चा की।

(vii) ''महिला आरक्षण विधेयक'' विषय पर परामर्श बैठक 27 अगस्त, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। आयोग ने राज्य महिला आयोगोंए महिला संगठन के प्रतिनिधियों, महिला कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों को जो इस संबंध में अत्यधिक सरोकार रखते थे कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण

विधेयक को सूचीबद्ध होने के बावजूद, संसद के मौजूदा सत्र में लोकसभा के एजेंडे में नहीं रखा गया है, आमंत्रित किया। महिलाओं का विचार था कि राज्य सभा में पारित विधेयक का लोकसभा में भी तर्कसंगत रूप से अनुसरण किया जाए।

परामर्श बैठक में यह दोहराते हुए एक संकल्प पारित किया कि पंचायत तथा स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने राजनैतिक क्षेत्र में प्रविष्ट करने के लिए लाखों महिलाओं को समर्थ बना दिया है। इस अनुभव से अल्पसंख्यक महिलाओं का राजनैतिक क्षेत्र में जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हालांकि पितृसत्तात्मक ताकतों का जोर अभी भी जारी है और संसद में विधेयक का मार्ग अवरूद्ध करने के लिए अनेक वैकल्पिक दाव अंगीकार किए जा रहे हैं। प्रतिभागियों ने इच्छा ज़ाहिर की कि राज्य सभा में पारित महिला आरक्षण विधेयक बिना कोई विलंब किए लोक सभा में पास किया जाना चाहिए।

''महिला आरक्षण विधेयक'' विषय पर 27 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित परामर्श बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करतीं श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग। मंच पर उपस्थित हैं आयोग के अन्य सदस्य।

(viii) ''महिलाएं वस्तु नहीं हैं, वे मानव हैं'' विषय पर एक संगोष्ठी 01 सितंबर, 2013 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई। सभी वक्ताओं की इस बात पर सहमति भी थी कि भारत में सुरक्षा के तथा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के काफी सारे कानून हैं परंतु समय की जरूरत महिला संबंधित कानूनों तथा मुद्दों पर जागरुकता पैदा करने की है। लोगों को महिलाओं का शोषण करने के परिणामों का पता होना चाहिए तथा पुलिस और अपराधिक न्याय प्रणाली में विपदाग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए संचेतना पैदा की जानी चाहिए। महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार से निपटने वाले मामलों को एक समय–सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

(ix) **''मुस्लिम महिलाएं** : चुनौतियां और समाधान'' विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन 15 सितंबर, 2013 हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा दे देना और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नीतियां बनाने से कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ''उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने तथा उनके धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता है। महिलाओं को सशक्त करने और उनका विकास किए जाने की आवश्यकता है, हमें महिलाओं का पुनर्वास करने की आवश्यकता है तथा पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी पत्नियों और पुत्रियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन्हें यह एहसास कराएं कि वे विकासशील समाज का एक भाग है।

श्रीमती शमीना शफीक, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि ''मुस्लिम महिलाएं भारतीय सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक संदर्भ के भीतर जेंडर, नागरिकता और समुदाय के बीच कड़ी है।'' उन्होंने कहा कि भारतीय मुस्लिम महिलाएं हिंसा तथा सांप्रदायिक दंगों के लिए लक्ष्य रही हैं। प्रत्येक राज्य में अपनी अत्यधिक विसंगितयां हैं जिनको पहचानने की जरूरत है और जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि कारगर समाधान तक पहुंचा जा सके।

(x) ''भारत में कानूनी गर्भपात के चालीस से अधिक वर्ष : महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता'' विषय पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक 12 सितंबर, 2013 को आयोजित की गई। श्रीमती निर्मला सामंत प्रभवालकर, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बैठक में भाग लिया। वे सुरक्षित गर्भपात प्रदान करने वाले आधार का विस्तार करने पर बोलीं। उन्होंने कहा कि भारत अन्य देशों के समकक्ष एमटीपीए अधिनियम, 1970 में संशोधन करने में भूमिका निभा रहा है और इस प्रकार डॉक्टरों, नर्सों, गैर–सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, राज्य महिला आयोगों के साथ बातचीत किए जाने की जरूरत है क्योंकि वर्तमान अधिनियम डॉक्टर संकेंद्रित हैं। कानूनी गर्भपात जीवन बचाने के लिए किसी भी महिला का अधिकार है और लिंग चयनित गर्भपात को रोकने के लिए गर्भाधन पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का सख्ती से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

(xi) राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 अक्तूबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्रीमती निर्मला सामंत प्रभवालकरए सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने (1) राज्य महिला आयोगों के साथ नैटवर्किंग (2) महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों और आंतरिक कन्वेंशनों, महिला संरक्षण के लिए सीडा, कानूनों (3) सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों, शिकायतों को निपटाने की प्रक्रियाओं में जेंडर भेदभाव (4) परामर्श के दिनों के दौरान दिए जाने वाले मीडिया इंटरेक्शन में देखभाल और सावधानी संबंधी मुद्दों की जानकारी दी। उन्होंने नीति मामलों पर राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य आयोग के बीच नैटवर्किंग की जरूरत पर जोर दिया।

श्रीमती के. रत्ना प्रभा, भूतपूर्व सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य महिला आयोग की नीतियों और कार्यक्रमों को सफलता बनाने के लिए राज्य आयोगों के साथ घनिष्ठता से कार्य करने की जरूरत पर जोर दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 04 अक्तूबर, 2013 को आयोजित ''राज्य महिला आयोगों की अध्यक्ष और सदस्य सचिवों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम'' में उपस्थित लोगों को संबोधित करतीं श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग। साथ में हैं श्रीमती के. रत्ना प्रभा, भूतपूर्व सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग और श्रीमती सुनीता एच. खुराना, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग।

उन्होंने राज्य सरकारों से स्कीम की पुनरावृत्ति से बचने तथा एक दूसरे के अनुभवों का आदान–प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से संगोष्ठियां अथवा परामर्श बैठकों के आयोजन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग गैर–सरकारी संगठनों को भी शामिल करे तथा राष्ट्रीय महिला आयोग प्रायोजित कार्यक्रमों को करते वक्त राज्य आयोगों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि गैर सरकारी संगठन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रस्ताव राज्य महिला आयोगों के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्तुत करें।

उन्होंने राज्य आयोगों से मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने तथा राज्य सरकारों को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कारपोरेट्स, विश्वविद्यालयों को विभिन्न महिला संबंधित कार्यालयों में शामिल किया जाए क्योंकि निधियन सीमित था। महिला शिकायतकर्ताओं की मदद करने के लिए कानूनी शिविर लगाते वक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं ली जाएं।

राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग गैर–सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में राज्य आयोगों को सम्मिलित करने के लिए निर्देश दे तथा राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य आयोगों के बीच समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाएं।

(xii) ''पुलिस तथा जनता में भरोसा पैदा करना'' विषय पर परामर्श बैठक 7 अक्तूबर, 2013 को बीकानेर, राजस्थान में आयोजित की गई। इस अवसर पर बोलते हुए, श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि ''कानूनों की कार्यान्वयनकर्ता प्राधिकरण होने के नाते पुलिस के पास दो महत्वपूर्ण ड्यूटियां हैं (i) महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों से उनकी रक्षा करना तथा (ii) कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून तथा अधिनियम लागू करना। उन्होंने बलात्कार, यौन प्रहार, छेड़छाड़ और तेजाब हमले के मामलों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों में संचेतना पैदा करने की जरूरत पर तथा साथ ही दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के

उद्देश्य से त्वरित सुनवाई तथा उचित अन्वेषण के साथ–साथ आधुनिक फॉरेंसिक विज्ञान उपकरणों का प्रयोग करने पर बल दिया।

(xiii) ''महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थल'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 16 दिसम्बर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें 16 दिसम्बर, 2013 को सामूहिक बलात्कार की शिकार को श्रंद्धाजलि अर्पित की गई।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि डॉ0 गिरिजा व्यास, भूतपूर्व अवास और शहरी विकास केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यद्यपि देश ने अपराधियों को सज़ा देने के लिए कड़े कानून बनाए हैं परंतु सार्वजनिक स्थलों पर प्रहार और उत्पीड़न की घटनाएं अभी भी जारी हैं। कोई भी महिला अथवा लड़की सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इस समस्या से निपटने के लिए, उन्होंने कहा कि जनता में जागरुकता पैदा करना, कानून का उचित निष्पादन सुनिश्चित करना, मीडिया की रचनात्मक भूमिका, सिविल सोसायटी की सक्रिय भागीदारी तथा जेंडर बजटिंग आवश्यक हैं।

दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित, सम्मानीय अतिथि ने कहा कि समाज को महिलाओं की आजादी और गरिमा की देखरेख करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए और अधिक कानूनों की आवश्यकता नहीं है परंतु समाज में निवारण की भावना को बनाए रखने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव की अत्याधिक जरूरत है। महिलाओं से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन का अभाव है तथा इसलिए, पुलिस कार्मिक और दांडिक न्याय प्रणाली के कर्मियों में महिला मुद्दों के प्रति संचेतना पैदा करनी चाहिए।

निर्भया को श्रंद्धाजलि अर्पित करने के लिए आयोग के सभी सदस्य समारोह में उपस्थित थे। अन्य वक्ताओं में विभिन्न राज्य आयोगों, महिला एवं बाल विकास विभागों, विश्वविद्यालयों तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

''सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना'' अथवा ''पुरुष प्रधान समाज : सोच में बदलाव'' विषयों पर राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु पोस्टर का श्रीमती ममता शर्मा द्वारा अनावरण किया गया।

(xiv) ''भारत में बाल विवाह कानूनों में संशोधन'' विषय पर परामर्श बैठक 19 नवम्बर, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। इस परामर्श बैठक का उद्देश्य संबंधित मंत्रालयों तथा हितधारकों को भारत में बाल विवाह से निपटने वाले कानूनों से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करना था तथा मुद्दों के समाधन के लिए सिफारिश करना कि क्या ऐसे विवाहों को आदित निरस्त घोषित किया जाए अथवा बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) के अनुसार ऐसे विवाहों के संविदा पक्ष के विकल्प पर इसे अमान्य घोषित किया जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुश्री ललडिंगलीयनी साइलो ने अपने स्वागत भाषण में, विवाह की विरोधाभासी आयु और उनकी वैधता देने वाले विभिन्न कानून के रूप में विवाह की न्यूनतम आयु

के बारे में एकरूपता पर सरकार को निर्देश देने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में एनसीडब्ल्यू तथा डीसीडब्ल्यू द्वारा दायर रिट याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विचार–विमर्श इस बात पर था कि क्या बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार संविदा आधरित पक्ष के विकल्प पर 18 वर्ष से कम आयु से नीचे विधिपूर्वक सम्पन्न विवाहों को निरस्त अथवा निरस्त रहने योग्य घोषित किया जाए। उन्होंने महसूस किया कि ऐसे विवाहों को निरस्त के रूप में माना जाना चाहिए।

इस अवसर पर बोलते हुए, डा. चारू वलीखन्ना, भूतपूर्व सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि बाल विवाह लड़कियों के जीवन, स्वास्थ्य, गैर–भेदभाव, समानता, शिक्षा, कार्य, आर्थिक स्वतंत्रता आदि के मूल अधिकारों का हनन करता है और छोटी लड़कियों को मातृ मृत्यु, अक्षमता, यौन हिंसा और अवैध व्यापार के जोखिम में डालता है। उन्होंने कहा कि संविदा पक्ष के विकल्प पर बाल विवाहों को 'अमान्यकरणीय' बनाने वाली अधिनियम की धारा 3 के अधीन मौजूदा प्रावधान भ्रमात्मक हैं। उनका मत था कि ऐसे विवाहों को 'अमान्य' माना जाए।

प्रतिभागियों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत निम्नलिखित बिंदुओं पर मैतक्य हुआ। (1) बाल विवाह, 18 वर्ष की से कम आयु के विवाह को निरस्त घोषित किया जाए परंतु एक कट ऑफ तिथि नियत किए जाने की आवश्यकता है। (2) बाल विवाह निरस्त घोषित करने के लिए कट–ऑफ तिथि, अधिमानतः 2020 तय की जाए। (3) विवाह का पंजीकरण अनिवार्य बनाया जाए – प्रमाण पत्र में आयु के बारे में व्यापक ब्यौरा की जरूरत है। (4) परिवार संबंधी कानूनों में विशेषकर वैद्य विवाह की आयु की एकरूपता के बारे में विवाह अधिनियमों में संशोधन किया जाना चाहिए।

(xv) राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित शिकायतों तथा महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करने के लिए आयोग में पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ की स्थापना करने की पहल की। इस संदर्भ में, भूतपूर्व अध्यक्षा, श्रीमती ममता शर्मा की अगुवाई में एक दल ने, जिसमें आयोग की निर्मला सामंत प्रभावलकर एवं सुश्री लालडिंगलानी साइलो, संयुक्त सचिव सुश्री सुनीता एच. खुराना, सुश्री सुधा चौधरी, विधि अधिकारी तथा समन्वयकर्ता सुश्री लीलावती और श्री वी.के. अस्थाना शामिल थे, 9 जनवरी, 2014 को इम्फाल, मणिपुर का दौरा किया। पूर्वोत्तर महिला आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव भी मौजूद रहे।

बाद में, उन्होंने तीन ईमा कैथेल्स की महिला विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार– विमर्श बैठक आयोजित की। इम्फाल बाजार में केवल महिला विक्रेता होने से प्रभावित होकर अध्यक्ष ने कहा कि वे देश के दूसरे भागों में केवल महिला व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले बाजार परिसरों की स्थापना की संभावना तलाश करेगी। तथापि उन्होंने अफसोस जताया कि मणिपुर की महिलाओं द्वारा दिखाई गई बहादुरी और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद तथा सामाजिक संरचना में तीव्रता से बदलाव आने पर भी उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने महिलाओं के साथ किए जाने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पुलिस, प्रेस तथा राजनीतिज्ञों द्वारा सामूहिक प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया। समाज कल्याण मंत्री कुमारी ए. के. मीराबाई देबी ने मणिपुर राज्य महिला आयोग को और अधिक सक्रिय तथा कारगर बनाने के लिए सभी संभव सहायता की प्रतिज्ञा ली। इस अवसर पर ''हिंसा मुक्त घर, महिलाओं का अधिकार'' शीर्षक नामक द्विभाषी पुस्तिका का विमोचन किया गया।

(xvi) ''महिला मुद्दों पर मीडिया की भूमिका'' विषय पर कार्यशाला 13 जनवरी, 2014 को आयोजित की गई। श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यशाला में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि सरकार ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाए हैं परंतु फिर भी उनका उचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में, महिलाओं को आगे आना चाहिए और अपने अधिकारों का दावा करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर अपनी अप्रसन्नता जताई कि पुलिस पीड़ित महिलाओं की सहायता करने की बजाय, वे समझौते करने के लिए उन पर बहुविध दबाव डालती है।

देश में मादा भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर बोलते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 20 वर्षों में ऐसी स्थिति आएगी जब लड़कों को विवाह के लिए वधुएं नहीं मिलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि अब भी महिलाओं को चुड़ैल कहा जाता है और छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उन पर अत्याचार किए जाते हैं। ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाने चाहिए और इसमें मीडिया को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। बहुत से प्रख्यात पत्रकारों ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

(xvii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में आयोग के प्रांगण में अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। आयोग के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी तथा मीडिया के प्रतिनिधि इस अवसर पर मौजूद थे।

श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अकेले इतना कर पाना संभव नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति को महिलाओं के उत्थान और सशक्तीकरण के लिए मिलकर काम करना होगा। अध्यक्ष ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों और उनके अधिकारों के प्रति जागरुक होने के लिए महिलाओं से अनुरोध किया। मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीमती शर्मा ने अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में आयोग की उपलब्धियों को भी सामने रखा। आयोग ने राज्य आयोगों के काफी सहयोग से कार्य किया, महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा की और बलात्कार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं पर तेजाब फेंकने, उनका पीछा करने आदि से संबंधित कानूनों तथा महिलाओं के साथ किए जाने वाले बहुत से अन्य अत्याचारों पर कानूनों में परिवर्तनों की अनुशंसा भी की।

इस अवसर पर आयोग के पिछले ढाई साल की कुछ उपलब्धियों को दर्शाने वाली पुस्तिका भी जारी की गई।

(xviii) ''कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का निवारण'' विषय पर कार्यशाला राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के सहयोग से 3 फरवरी, 2014 को नोएडा में आयोजित की गई। श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यशाला में भाग लिया। अध्यक्ष ने अपने प्रमुख भाषण में कहा कि यह विषय आज के परिदृश्य में बहुत प्रासंगिक है जब काफी संख्या में महिलाएं कार्यशक्ति के रूप में जुड़ रही हैं। महिला संबंधित मुद्दों पर बोलते हुए, उन्होंने कहा, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में काम करने और समान वेतन, लाभ प्राप्त करने तथा उन्नति के अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में दी गई गारन्टी के अनुसार महिलाओं को महिला–पुरुष समानता के मौलिक अधिकार तथा अनुच्छेद के

तहत गरिमा से जीने के अधिकार, जिसमें सुरक्षित वातारण, यौन उत्पीड़न से मुक्ति का अधिकार शामिल है, का हनन करता है।

डॉ. चारु वलीखन्ना, सम्मानीय अतिथि ने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम करने पर प्रस्तुति दी तथा इस अधिनियम संबंधी उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के विवरण की जानकारी दी।

(xix) आंध्र प्रदेश राज्य आयोग के सहयोग से राज्य महिला आयोगों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन 30 जनवरी, 2014 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। 15 राज्यों के अध्यक्ष/सदस्य–सचिवों ने सम्मेलन में भाग लिया।

उद्घाटन सत्र में व्याख्यान देते हुए, श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में और अपने सक्रिय होने के लिए राज्य महिला आयोगों से अनुरोध किया। उन्होंने देश में महिलाओं के साथ बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई।

30 जनवरी, 2014 को हैदराबाद में राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करतीं श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग। मंच पर आसीन हैं (बाईं ओर से) श्रीमती सुनीता एच. खुराना, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, सुश्री वी.आर. त्रिपुराना, डा. नंदिता चटर्जी, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग और श्री चिरंजीव चौधरी।

डॉ. नन्दिता चटर्जी, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सम्मेलन का सार रखा और राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोगों की भूमिका और कार्यों के संकेन्द्रण की जरूरत को

दोहराया। राज्य आयोगों ने केंद्र और राज्य सरकारों से बातचीत करने की जिम्मेदारी लेने और सम्मेलन की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के लिए नीतियां तैयार करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुरोध किया।

(xx) महिलाओं के साथ अमानवीय हिंसा करने तथा उन पर जनता में कलंक लगाने के अत्याचारों का निषेध संबंधी विषय पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक 27–28 जनवरी, 2014 को आयोजित की गई जिसमें जनता में महिलाओं के साथ अमानवीय हिंसा करने तथा जनता में उन पर कलंक लगाने का उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के मॉडल केंद्रीय विधान के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया।

डॉ. चारु वलीखन्ना, भूतपूर्व सदस्य,ा राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि महिलाओं के साथ अमानवीय हिंसा और कलंक लगाने के मुद्दे से संवेदनशीलता के साथ निपटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर लेबल लगाना और उन्हें लक्षित करने अथवा उनकी परेड कराने अथवा उनके कपड़े उतारना अथवा उनके बाल काटना अथवा उनके चेहरे को काला करना महिलाओं के अधिकारों का हनन करना है और उनकी गरिमा को क्षति पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि वे इस परामर्श बैठक के माध्यम से इस समस्या का समाधान होते हुए देख रही हैं।

श्रीमती मार्गेट अल्वा, भूतपूर्व राज्यपाल, राजस्थान ने कहा कि मामला न केवल महिलाओं पर डायन के लेबल लगाने के उनके साथ अत्याचारों तक सीमित है बल्कि इसकी शाखाएं काफी दूर तक फैली हुई हैं। महिलाओं के साथ न केवल उनकी संपत्ति छीनने के उद्देश्य से अमानवीयता की जाती है बल्कि उन्हें बदनाम करने के लिए किसी भूत बाधा से ग्रस्त अथवा पागल भी कहा जाता है। यद्यपि ऐसे अत्याचारों के विरूद्ध प्रत्येक राज्य में कानून हैं, फिर भी उन्हें उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

इस समस्या पर बोलते हुए, श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि इस मुद्दे पर संभव समाधान ढूंढने के उद्देश्य से अलग–अलग राज्यों में संगोष्ठियां आयोजित की गईं थी तथा तत्संबंधी राष्ट्रीय मतैक्य को सम्मुख लाया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर पृथक राष्ट्रीय कानून की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने इन अपराधों की शिकार महिलाओं के पुनर्वास और उनकी क्षतिपूर्ति पर जोर दिया तथा सीरियलों और फिल्मों में महिलाओं का डायनों के रूप में चित्रण करने पर आपत्ति जताई।

सुश्री हेमलता खेरिया, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि ऐसे अत्याचारों के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाने चाहिएं तथा उन्होंने इस मुद्दे पर लोगों में संचेतना पैदा करने और उन्हें शिक्षित करने पर जोर दिया।

अंततोगत्वा, श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संपूर्ण विचार–विमर्श के उपरांत की गई अनुशंसाओं का उल्लेख किया : (i) इस मुद्दे पर एक विशेष केंद्रीय विधान होना चाहिए (ii) विधान के उपरांत इसका कारगर कार्यान्वयन किया जाना चाहिए (iii) परामर्श बैठक में यथा प्रस्तुत विधेयक के प्रारुप की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता होगी।

(xxi) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 25 उत्कृष्ट महिलाओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करके विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 20 मार्च, 2014 को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस

मनाया। डॉ0 नन्दिता चैटर्जी, सदस्य सचिव ने अध्यक्ष ममता शर्मा की उपस्थिति में, पुरस्कार वितरण समारोह में विख्यात महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किए।

20 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित ''अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस'' के अवसर पर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को स्मृति चिह्न भेंट करतीं डा. नंदिता चटर्जी, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने ''सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना, ''हमारा पुरुष प्रधान समाजः सोच में बदलाव'' विषयों पर निबंध प्रतियोगिता में सबसे बढ़िया प्रविष्टयों के लिए तीन कॉलेज विद्यार्थियों को भी पुरस्कार प्रदान किए। प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड की सुश्री रीना मैथानी, द्वितीय पुरस्कार मध्य प्रदेश की सुश्री प्रियंका बारसे जबकि तृतीय पुरस्कार राजस्थान की सुश्री जया जैन को प्रदान किया गया।

जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते सशक्तीकरण को चित्रित करने वाले कार्यक्रमों के दौरान महिला सशक्तीकरण पर प्रहसन का मंचन किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से काफी सारे प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

(xxii) ''मीडिया में महिलाओं का चित्रण'' विषय पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक 24 फरवरी, 2014 को मुम्बई में आयोजित की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की भूतपूर्व अध्यक्षा, श्रीमती ममता शर्मा तथा आयोग के सदस्यों सुश्री हेमलता खेरिया, श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर और श्रीमती ललडिंगलियानी साइलो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने इस परामर्श बैठक में भाग लिया। इस पूरे सत्र

का विषय ''फिल्म टेलिविज़न में महिलाओं का चित्रण'' रहा तथा दूसरे सत्र ''विज्ञापन में महिलाओं का चित्रण'' से संबंधित था। तीसरे सत्र का विषय ''समाज में महिलाएं, मीडिया, हिंसा तथा इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव'' रहा। आखिरी सत्र में श्री उज्ज्वल यू. के., प्रधान सचिव, महिला और बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार की अध्यक्षता में ''सीधे नियंत्रण के उपाय अथवा विनियमन'' पर चर्चा की गई।

(xxiii) ''सबला और उज्ज्वला जैसी सरकारी स्कीमों के माध्यम से अवैध देह व्यापार की रोकथाम करने के लिए लड़कियों का क्षमता–निर्माण तथा सशक्तीकरण'' विषय पर परामर्श 24–25 फरवरी, 2014 को कोलकाता में आयोजित किया गया जिसमें स्कीमों के कारगर कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं पर विचार – विमर्श किया गया। डॉ0 चारु वलीखन्ना, भूतपूर्व सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग ने परामर्श में भाग लिया। परामर्श की मुख्य अनुशंसाएं इस प्रकार हैं :

उज्ज्वला

i. निवारक कार्यनीतियों को सुदृढ़ बनाया जाए।

ii. आश्रय गृहों की स्थापना स्रोत क्षेत्रों (अवैध व्यापार) में की जानी चाहिए।

iii. विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण कार्रवाई का सुदृढ़ीकरण अपेक्षित है।

iv. स्कीमों के बारे में जागरूकता विकास एवं इसके लिए राशि का आबंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

v. अवैध व्यापार की पीड़ितों के पुनर्वास की स्कीम की समीक्षा की जरूरत है।

vi. व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पारिवारिक पुनः समेकन प्रक्रिया प्रदान की जानी चाहिए।

सबला

i. वित्तीय आबंटन की समीक्षा :–

   (क) पोषण प्रावधान को बढ़ाकर 25/– रुपये प्रति बालिका प्रति दिन किया जाना चाहिए क्योंकि मौजूदा बजट आबंटन बाजार दरों के समान नहीं है।

   (ख) राशि निर्मुक्ति चक्र को विनियमित किया जाए।

ii. विशिष्ट सहायता की जरूरतमंद बालिकाओं की जरूरतों को पूरा करना :

   (क) विशिष्ट जरूरतमंद बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

   (ख) पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा विधि का उपयोग किया जाए।

   (ग) आंगनवाड़ी केंद्र बाधा रहित तथा सर्वसुलभ होने चाहिए।

iii. अलग–अलग विभागों एवं स्कीमों के बीच अभिसरण तथा संपर्कों में सुधार किया जाना

चाहिए।

(क) लोगों में सबला स्कीम एवं इसकी सेवाओं के बारे में जागरूकता में वृद्धि की जाए।

(ख) समर्थक पर्यवेक्षण से उचित मानीटरन को बदला जाए।

(ग) सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाया जाए।

(xxiv) जेंडर तथा भूमि संबंधी अधिकारों पर परामर्श 31 मार्च, 2014 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य साझा मंच पर भूमि तथा जेंडर मुद्दों पर अनेक विशेषज्ञों को एक साथ लाना, विचार–विमर्श करना और बहुमूल्य पूरी जानकारी देना तथा अनुशंसाएं करना था ताकि ''भारत में जेंडर और भूमि संबंधी अधिकारों'' पर अध्ययन रिपोर्ट के प्रारुप में अत्याधिक अपेक्षित स्थान को पा सकें।

विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित अधिनियमों और कानूनों में विधायी संशोधनों की अनुशंसा करती है :–

I. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 का उत्तराधिकार के मामले में विधवाओं को चौथे पायदान पर रखने को मिटाने तथा निकृष्ट स्थिति को समाप्त करने, जिसमें ईसाई महिलाओं को संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व न देकर रखा जाता है, के लिए गोवा तथा पुद्देचेरी में विस्तार किए जाने की आवश्कयता है।

II. मुस्लिम कानून

(i) पुत्रों के साथ–साथ विधवा तथा पुत्रियों को संपत्ति का समान हिस्सा दिए जाने के लिए मुस्लिम कानून का संहिताकरण किए जाने की आवश्यकता है (जैसा कि तुर्की में दिया जाता है)। मुस्लिम कानून का संहिताकरण मुस्लिम महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों को मान्यता देगा और उसके महत्व को मानेगा जो महिलाओं को अपनी संस्कृति की निर्धारित करने में अपना मत देने की गारन्टी देगा।

(ii) मुस्लिम स्वीय (शरीयत) अधिनियम के विनियोग का कृषि भूमि के लिए विस्तार किया जाना चाहिए क्योंकि यह ग्रामीण भारत में उत्पादक परिसंपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप बनी हुई है।

III. प्रचलित कानून

(i) झारखंड में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 जैसे प्रचालित कानून तथा ओडिशा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में लागू अन्य प्रचलित कानून की गहराई से जांच की जानी चाहिए तथा पुत्रियों के उत्तराधिकार संबंधी भेदभावपरक प्रावधानों को हटाने के लिए संशोधन किए जाने चाहिएं।

(ii) विशेषकर जब आशंकाएं जताई हों कि आदिवासी प्रचलित कानूनों का संहिताकरण आदिवासी समाज में पितृसत्तात्मक अधिकार के लिए खाई खोद सकता है तथा भूमि का स्वामी बनने में आदिवासी महिलाओं के लिए कठिनाई खड़ी कर सकता है,

महिलाओं के लिए साम्यता सुनिश्चित करते हुए प्रचलित कानूनों को संहिताबद्ध किए जाने की आवश्यकता है।

IV. हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम का पूर्ण कार्यान्वयन करने में अवरोध औपचारिक संस्थानिक डोमेन तथा सामाजिक प्रथाओं और मानदंडों के डोमेन में दो तरह से मौजूद हैं। दोनों डोमेनों को शामिल करने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:–

(i) राज्य सरकारों को इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या महिलाओं ने इस कानून से लाभ उठाए हैं और क्या वे सहदायिकी संपत्ति में, विशेषकर कृषि भूमि में पुत्रियों को समान अधिकार की गारंटी देने वाले कानून का उपयोग करने में समर्थ रही हैं, इस अधिनियम की समीक्षा करनी चाहिए।

(ii) राज्य सरकारों को हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई हमारी सांविधिक प्रतिबद्धता के अनुसरण में महिलाओं को समान दर्जा प्रदान करने के सिद्धांत पर दाखिला–खारिज तथा विभाजन प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा तथा उसमें संशोधन करने चाहिएं। इस संशोधन में स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाएं कि किस प्रकार इस प्रक्रिया में कृषि भूमि में महिलाओं को समानता का अधिकार सुनिश्चित किया जा सकता है।

(iii) सुनिश्चित किया जाए कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम कृषि भूमि से संबंधित राज्य कानूनों को प्रत्यादेश करता है।

(iv) पत्नियों तथा पुत्रियों का दायवंचन का निषेध करने के लिए वसीयत करने के अधिकार को प्रतिबंधित करना।

(v) महिलाओं को अपना हिस्से छोड़ने के लिए बल प्रयोग का उन्मूलन करके महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का संरक्षण करना। इसके लिए कार्यवाहीगत बदलाव और दिशा–निर्देशों को लागू किए जाने की आवश्यकता है ताकि पुत्रियों/बहनों/विधवाओं को सामाजिक दबाव के चलते पिता/भाइयों द्वारा उनके अधिकारों से वंचित न किया जा सके।

अध्याय – 3

शिकायत और जांच प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसार आयोग को शिकायतों की जाँच करने तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन न किए जाने से संबंधित मामलों पर स्व–प्रेरणा से ध्यान देने का अधिकार दिया गया है। इस उपबंध का अनुपालन करने के लिए शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ इन सभी मुद्दों के संबंध में देश भर से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। ये शिकायतें मौखिक, लिखित रूप में या आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ncw.nic.in के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अनुसार आयोग महिलाओं के साथ जघन्य अपराधों से संबंधित घटनाओं का **स्व–प्रेरणा** से संज्ञान भी लेता है।

शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ इन महिलाओं की शिकायतों का उपयुक्त निपटान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और शीघ्र राहत प्रदान करने हेतु इन शिकायतों पर कार्रवाई करता है। सामान्यतः, शिकायतों पर आगे दर्शाए गए तरीके से कार्रवाई की जाती है :–

i. पुलिस की उदासीनता/निष्क्रियता की शिकायतें ऐसे मामले में समय पर और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। इस प्रकार संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) की जाँच करके आगे निगरानी की जाती है।

ii. पारिवारिक/वैवाहिक विवादों का समाधान परामर्श के माध्यम से किया जाता है। दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बुलाया जाता है और परामर्श के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रयास किया जाता है।

iii. गंभीर अपराधों के मामलों में आयोग जाँच समितियों का गठन करता है, जो घटनास्थल पर जाकर जाँच करती हैं, विभिन्न गवाहों के बयान लेती हैं, साक्ष्य एकत्र करती हैं और सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करती हैं। हिंसा और अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को तत्काल राहत और न्याय प्रदान करने में ऐसे अन्वेषणों से मदद मिलती है। आयोग इन मामलों के विषय में संबंधित राज्य सरकारों/प्राधिकारियों से संपर्क करके जाँच समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

iv. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के मामले में संबंधित संगठन/विभाग से कहा जाता है कि वे पीड़ित महिला कर्मचारी की शिकायत की जाँच करके उसकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निपटान) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें। सरकारी तथा कारपोरेट क्षेत्रों में 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' के मामलों की जाँच करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति

के गठन की आवश्यकता के विषय में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के विषय में विज्ञापन भी विभिन्न राज्यों के अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं।

v. जहाँ कहीं और जब कभी आवश्यक पाया जाता है, तभी शिकायतें विभिन्न राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग तथा तत्संबंधी राज्य आयोगों को अपनी ओर से उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए भेजी जाती हैं। ये शिकायतें ऐसी होती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित नहीं होती हैं।

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी वेबसाइट अर्थात www.ncw.nic.in के माध्यम से शिकायतों के शीघ्र और आसानी से पंजीकरण के लिए वर्ष 2005 में ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया।

इस प्रणाली के परिणामस्वरूप बहुत कम लागत में शिकायत के पंजीकरण और पावती जारी करने में तेजी आई है। कोई भी भारत/विश्व के किसी भी भूभाग से उक्त साइट पर लाग इन करके अपनी शिकायत का पंजीकरण करा सकता/सकती है। उक्त शिकायत को पंजीकरण संख्या देकर किसी विशिष्ट परामर्शदाता को आबंटित किया जाता है। तत्पश्चात उस शिकायत का निपटान भी डाक द्वारा/दस्ती प्राप्त होने वाली शिकायतों की तरह ही किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता मामले की प्रगति की जानकारी पाना चाहे तो वह मात्र साइट पर लाग इन करके उस मामले में की गई कार्रवाई तथा प्रगति का ब्यौरा प्राप्त कर सकता/सकती है।

वर्ष 2013–14 में ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से **4860** शिकायतें पंजीकृत की गईं। आनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–II** और श्रेणी–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–III** में दर्शाया गया है।

सामान्यतः विचारणीय न माने जाने वाली शिकायतें

आगे दर्शाई गई श्रेणी की शिकायतें/मामले सामान्यतः विचारणीय नहीं होते हैं :–

क. अपठनीय या अस्पष्ट, अनाम या छद्म नाम वाली शिकायतें।

ख. जब उठाया गया मुद्दा विभिन्न पक्षों के बीच संविदात्मक अधिकारों, दायित्वों जैसे सिविल विवादों से जुड़ा हो।

ग. जब उठाए गए मुद्दे महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर सेवा संबंधी मामलों से जुड़े हों।

घ. जब उठाया गया मुद्दा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर श्रम संबंधी/औद्योगिक विवादों से जुड़ा हो।

ङ. जब मामला किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण के विचाराधीन हो।

च. जब मामला किसी राज्य आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अनुसार विधिवत गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो।

छ. जब आयोग ने मामले में निर्णय पहले ही कर दिया हो।

ज. जब मामला किसी अन्य कारण से आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हो।

पंजीकृत की जाने वाली शिकायतों की श्रेणियां

आयोग में प्राप्त और पंजीकृत होने वाली शिकायतों को मुख्यतः आगे दर्शाई गई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

क्र.सं.	श्रेणी का नाम	उप श्रेणी
1.	तेजाब से हमला	
2.	व्यभिचार	
3.	हत्या का प्रयास	
4.	बलात्कार का प्रयास	क. अवयस्क से बलात्कार
		ख सामूहिक बलात्कार
		ग. पति द्वारा बलात्कार
5.	दूसरा विवाह	
6.	जाति, समुदाय आधारित हिंसा	i. पारिवारिक सम्मान के नाम पर अपराध
		ii. पारिवारिक सम्मान के नाम पर हत्याएं
7.	ससुराल वालों द्वारा शिकायतें	i. पति
		ii. ससुर
		iii. सास
		iv. अन्य ससुराल वालों द्वारा शिकायतें
8.	दंगा/सांप्रदायिक हिंसा पीड़ितों से संबंधित शिकायतें	
9.	साइबर अपराध	
10.	डायन प्रथा/विच हंटिंग	
11.	संपत्ति पर अधिकार से वंचित किया जाना	
12.	पति द्वारा छोड़ दिया जाना	
13.	तलाक	

क्र.सं.	श्रेणी का नाम	उप श्रेणी
14.	घरेलू हिंसा	क. वैवाहिक विवाद से संबंधित हो
		ख. वैवाहिक विवाद से संबंधित न हो
15.	दहेज मृत्यु	
16.	दहेज की मांग/दहेज के लिए उत्पीड़न	
17.	कन्या भ्रूण हत्या/कन्या शिशु हत्या/लिंग चयन	
18.	महिलाओं के साथ भेदभाव	
19.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	क. सार्वजनिक क्षेत्र
		ख निजी क्षेत्र
		ग. असंगठित क्षेत्र
20.	विधवाओं का उत्पीड़न	
21.	महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार	
22.	महिलाओं का अशिष्ट निरूपण	
23.	अपहरण/भगा ले जाना	
24.	लिविंग रिलेशनशिप	
25.	भरण–पोषण संबंधी दावा	
26.	बच्चों की सुपुर्दगी से संबंधित मामला	
27.	विविध	
28.	महिलाओं का उत्पीड़न/उनसे छेड़छाड़/ उनकी मर्यादा भंग करना/उनका पीछा करना	
29.	हत्या	
30.	भरण–पोषण भत्ता न देना	
31.	पुलिस की उदासीनता	
32.	पुलिस द्वारा उत्पीड़न/अत्याचार	
33.	विवाह से पहले विश्वासघात	
34.	संपत्ति	
35.	बलात्कार	क. अवयस्क से बलात्कार
		ख सामूहिक बलात्कार
		ग. पति द्वारा बलात्कार

क्र.सं.	श्रेणी का नाम	उप श्रेणी
36.	सेवा संबंधी मामला	क. विधवाओं की पेंशन और मुआवजे का भुगतान न करना
		ख अनुकंपा आधार पर नियुक्ति
37.	यौनाचार संबंधी कलंक	क. लोक सेवक
		ख अन्य कोई व्यक्ति
38.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	क. सार्वजनिक क्षेत्र
		ख निजी क्षेत्र
		ग. असंगठित क्षेत्र
39.	पीड़ितों के लिए आश्रय और पुनर्वास	
40.	आत्महत्या	क. प्रयास करना
		ख. प्रेरित करना
41.	जादू–टोना प्रथा/काला जादू/वूडो	
42.	महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाना	
43.	विकल्प के चुनाव का अधिकार	

वर्ष 2013–14 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का विश्लेषण (श्रेणी–वार और राज्य–वार)

वर्ष के दौरान शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ में **17562** शिकायतें/मामले पंजीकृत किए गए। वर्ष 2013–14 के दौरान आयोग द्वारा पंजीकृत शिकायतों का श्रेणी–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–IV** और राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–V** में दर्शाया गया है। ये शिकायतें 43 श्रेणियों/शीर्षों के अंतर्गत पंजीकृत की गई हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त हुई सबसे ज्यादा अर्थात 3000 शिकायतें घरेलू हिंसा से संबंधित थीं, जिसके बाद पुलिस की उदासीनता से संबंधित 2855 शिकायतों का स्थान आता है। दहेज की मांग/दहेज के लिए उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या 1162 थी। महिलाओं के उत्पीड़न/उनसे छेड़छाड़/उनकी मर्यादा भंग करने/उनका पीछा करने से संबंधित शिकायतों की संख्या 1296 थी और संपत्ति संबंधी विवादों की शिकायतों की संख्या 1097 थी। बलात्कार संबंधी शिकायतों की संख्या 960 थी। ससुराल पक्ष से 750 शिकायतें प्राप्त हुईं। अपहरण/भगा ले जाने की शिकायतें 459 थीं और पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायतें 502 थीं। विधवाओं के उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या 431 थी। कार्यस्थल पर उत्पीड़न के संबंध में 422 शिकायतें और सेवा संबंधी मामलों की 532 शिकायतें प्राप्त हुईं। दहेज मृत्यु की शिकायतें 417 और बलात्कार के प्रयास की शिकायतें 404 थीं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की 182 और पति द्वारा छोड़ दिए जाने की 26 शिकायतें प्राप्त हुईं। आयोग

ने साइबर अपराध की 34 और तेजाब से हमले की 18 शिकायतें भी पंजीकृत कीं। विविध श्रेणी में 1851 शिकायतें पंजीकृत की गईं।

शीर्ष दस श्रेणियां (घटते क्रम में), जिनमें शिकायतें पंजीकृत की गई हैं :–

क्र.सं.	श्रेणी	शिकायतों की संख्या
1.	घरेलू हिंसा	3000
2.	पुलिस की उदासीनता	2855
3.	दहेज की मांग/दहेज के लिए उत्पीड़न	1162
4.	महिलाओं का उत्पीड़न/उनसे छेड़छाड़/उनकी मर्यादा भंग करना/उनका पीछा करना	1296
5.	संपत्ति	1097
6.	बलात्कार	960
7.	ससुराल वालों द्वारा शिकायतें	750
8.	पुलिस द्वारा उत्पीड़न/पुलिस के अत्याचार	502
9.	अपहरण/भगा ले जाना	459
10.	दहेज मृत्यु	417

नोट : उपर्युक्त सारणी में दर्शाई गई शिकायतों में विविध/गैर–अधिदेशित श्रेणियों में पंजीकृत शिकायतें शामिल नहीं की गई हैं।

आयोग को उत्तर प्रदेश से 9226 शिकायतें/मामले, दिल्ली से 2784, हरियाणा से 1159, राजस्थान से 1139 और मध्य प्रदेश से 654 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बिहार से 449, महाराष्ट्र से 435, उत्तराखंड से 331, झारखंड से 235 और पंजाब से 211 शिकायतें प्राप्त हुईं। पश्चिम बंगाल से 198, छत्तीसगढ़ से 87 और गुजरात से 71 शिकायतें प्राप्त हुईं।

पंजीकृत शिकायतों की संख्या के आधार पर शीर्ष दस राज्यों (घटते क्रम में) की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	9226
2.	दिल्ली	2784
3.	हरियाणा	1159
4.	राजस्थान	1139

क्र.सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
5.	मध्य प्रदेश	654
6.	बिहार	449
7.	महाराष्ट्र	435
8.	उत्तराखंड	331
9.	झारखंड	235
10.	पंजाब	211

आयोग द्वारा की गई कुछ महत्त्वपूर्ण कार्रवाइयां और अन्वेषण :–

(i) आयोग को हरियाणा के रहनेवाले एक पिता की शिकायत प्राप्त हुई, जो उसने अपनी पुत्री की ओर से भेजी थी। उस शिकायत में उसने यह आरोप लगाया कि उसकी पुत्री के साथ उसका पति और ससुराल वाले घरेलू हिंसा करते हैं। शिकायतकर्ता ने अपने पुत्र के साथ दिल्ली के गाँधी नगर पुलिस थाने में जाकर मौखिक रूप से यह शिकायत की कि वह पिछले 2–3 दिनों से अपनी पुत्री से संपर्क नहीं कर पा रहा है। तत्पश्चात पुलिस के एक सिपाही ने उनके साथ जाकर शिकायतकर्ता की बेटी को उसके ससुराल से छुड़ाया, जहाँ उसे उसके ससुराल वालों ने कमरे में बंद करके ताला लगा रखा था। इस मामले का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने सुनवाइयों का आयोजन किया, जिनमें शिकायतकर्ता की पुत्री (पीड़ित) ने आयोग से अनुरोध किया कि उसे अपने दहेज का सामान और स्त्रीधन प्रतिवादी से वापस दिलाया जाए क्योंकि वह अपना वैवाहिक संबंध समाप्त करना चाहती है। इस मामले में कुल पाँच सुनवाइयां की गईं। आयोग की कार्रवाई से शिकायतकर्ता को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 4,90,000/- रुपए के साथ–साथ अपना स्त्रीधन प्राप्त हुआ। उक्त राशि का डिमांड ड्राफ्ट आयोग की उपस्थिति में शिकायतकर्ता को दिया गया। अब दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर कर दी है।

(ii) दिल्ली की एक शिकायतकर्ता ने आयोग को शिकायत की, जिसमें उसने यह आरोप लगाया कि जिस कालेज में वह पोस्ट डाक्टरेट डिग्री की पढ़ाई कर रही थी, उस कालेज में उसके पर्यवेक्षक (गाइड) ने उसका यौन उत्पीड़न किया। आयोग ने इस मामले में सुनवाई की। कालेज प्राधिकारियों सहित प्रतिवादी और शिकायतकर्ता सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, जिसमें आयोग ने शिकायतकर्ता हेतु सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए, ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।

(iii) उत्तर प्रदेश से अपनी बेटी की ओर से एक पिता की शिकायत आयोग को प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी का पति और ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं और दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करते हैं। इस मामले में आयोग ने सुनवाइयां कीं, जिनमें शिकायतकर्ता ने आयोग से अनुरोध किया कि उसे अपने दहेज का सामान और स्त्रीधन प्रतिवादी से वापस दिलाया जाए क्योंकि वह अपना वैवाहिक संबंध समाप्त करना चाहती है। आयोग ने कार्रवाई करते हुए दो सुनवाइयां कीं, जिनमें दोनों पक्षों

ने यह निर्णय किया कि वे आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर करेंगे तथा फर्नीचर इत्यादि जैसा दहेज का सारा सामान उत्तर प्रदेश के हरदोई में स्थित शिकायतकर्ता के घर वापस भेजा गया। शिकायतकर्ता को सारा स्त्रीधन तथा 49,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट और नकद 1,000/- रुपए आयोग की उपस्थिति में दिए गए।

(iv) आयोग को हरियाणा के गुड़गाँव में रहने वाली बालिका से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने यह आरोप लगाया कि उसे सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से मिले एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। शिकायतकर्ता ने यह आरोप भी लगाया कि प्रतिवादी ने उसे एयरलाइन में नौकरी दिलाने के झूठे बहाने से उसकी अश्लील तस्वीरें ली थीं और उसे डरा–धमका रहा था। आयोग ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक, पंचकुला, हरियाणा से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। चूंकि शिकायतकर्ता को बार–बार फोन पर धमकियां मिल रही थीं, इसलिए इस मामले में सुनवाई भी की गई, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), गुड़गांव, हरियाणा, अन्वेषण अधिकारी, सिविल लाइन्स, गुड़गांव और थाना प्रभारी, गुड़गांव आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें तत्काल अन्वेषण करके प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। आयोग को प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। उप–निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम जांच के लिए अमृतसर, पंजाब भेजी गई क्योंकि प्रतिवादी फरार था। संबंधित न्यायालय से प्रतिवादी/अभियुक्त की गिरफ्तारी के आदेश प्राप्त किए गए हैं।

(v) दिल्ली निवासी महिला ने शिकायत की, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वाले दहेज की मांग/उसका मानसिक उत्पीड़न और उसके साथ भावनात्मक दुर्व्यवहार करते हैं। आयोग ने इस मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के साथ कई सुनवाइयों/परामर्श सत्रों का आयोजन किया। आयोग की तुरंत कार्रवाई से इस मामले का समाधान हो गया और शिकायतकर्ता अपने वैवाहिक संबंध को एक और मौका देने के लिए सहमत हो गई। फिलहाल शिकायतकर्ता अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रह रही है और आयोग के प्रयासों के लिए आभारी है।

(vi) एक बेटी की मां ने आयोग से अपनी बेटी की कथित दहेज मृत्यु की शिकायत की। आयोग ने इस मामले में मध्य प्रदेश के दतिया के पुलिस अधीक्षक से की गई कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की। आयोग को प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

(vii) आयोग को उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक मां की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के पति और ससुराल वालों ने उसकी बेटी की हत्या की है। आयोग ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के देवरिया के पुलिस अधीक्षक से की गई कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की। आयोग को प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

(viii) कथित उत्पीड़न/छेड़छाड़/महिला की मर्यादा भंग करने के संबंध में एक बालिका की शिकायत प्राप्त हुई थी। आयोग ने इस मामले में पुलिस उपायुक्त, नागपुर, महाराष्ट्र से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग

को प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 354/323 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में दायर कर दिया गया है।

(ix) आयोग को कथित बलात्कार/उत्पीड़न/छेड़छाड़/महिला की मर्यादा भंग करने के संबंध में एक महिला की शिकायत प्राप्त हुई थी। आयोग ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक, मेरठ, उत्तर प्रदेश से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग को प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511/147/452/323/506 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में दायर कर दिया गया है।

(x) राष्ट्रीय महिला आयोग को कथित बलात्कार के संबंध में एक महिला की शिकायत प्राप्त हुई थी। आयोग ने इस मामले में पुलिस उपायुक्त, वर्धा, महाराष्ट्र से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग को प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में दायर कर दिया गया है।

(xi) हरियाणा की जींद की निवासी शिकायतकर्ता ने अपने पति द्वारा कथित घरेलू हिंसा की शिकायत आयोग से की। शिकायतकर्ता ने आयोग से इस मामले में कार्रवाई करते हुए अपने पति को परामर्श दिलाने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर आयोग में परामर्श/सुनवाई सत्रों का आयोजन किया गया। दो सुनवाइयों के बाद शिकायतकर्ता ने आयोग को यह जानकारी देते हुए कि अब वह अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रह रही है, यह मामला बंद करने का अनुरोध किया।

(xii) दिल्ली के शाहदरा की निवासी महिला ने अपने पति और ससुराल वालों द्वारा कथित शारीरिक एवं मानसिक यातना की शिकायत आयोग को की। शिकायतकर्ता को उसके घर से बाहर निकालकर अपने बच्चों से भी अलग कर दिया गया था। आयोग ने इस मामले में सुनवाइयों का आयोजन किया। दो सुनवाइयों/परामर्श सत्रों के बाद प्रतिवादी पक्ष ने अपनी गलती मानी और पीड़ित महिला को घर वापस लाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। शिकायतकर्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब वह अपनी ससुराल में अपने पति और बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रह रही है।

(xiii) आयोग को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि अंतरजातीय विवाह करने के कारण उसकी पत्नी के माता–पिता ने उसकी पत्नी को अनुचित ढंग से घर में कैद कर रखा है/पारिवारिक सम्मान के नाम पर हत्या/उसकी पत्नी की हत्या की धमकियां दे रहे हैं। आयोग ने इस मामले में शिकायतकर्ता और प्रतिवादी पक्ष के साथ सुनवाई की। इस सुनवाई के समय प्रतिवादी पक्ष (शिकायतकर्ता का ससुर) अपनी बेटी के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ और परामर्श के बाद वह पिता उस विवाह को स्वीकारने तथा अपनी बेटी शिकायतकर्ता को सौंपने के लिए सहमत हो गया।

(xiv) उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाली एक महिला की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके साथ घरेलू हिंसा की और उसे छोड़ दिया है। उसके पति और ससुराल वालों

ने बेटी को जन्म देने के लिए उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया था। शिकायतकर्ता और उसकी बच्ची को घर से निकाल दिया गया। आयोग ने इस मामले में सुनवाई की। दोनों पक्षों को अलग–अलग और एकसाथ परामर्श प्रदान किए जाने के बाद वे दोनों शांतिपूर्वक साथ रहने के लिए सहमत हो गए तथा शिकायतकर्ता के पति ने अपनी बच्ची को स्वीकार किया और वह अपनी पत्नी व उस बेटी की भलीभांति देखरेख करने के लिए सहमत हो गया।

(xv) आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की निवासी महिला की शिकायत का संज्ञान लिया। शिकायतकर्ता ने घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन सुनवाइयों/परामर्श सत्रों का आयोजन किया। परामर्श के बाद शिकायतकर्ता का पति अपने परिवार से अलग किराये के आवास में अपनी पत्नी के साथ रहने को सहमत हो गया और उसने आयोग को आश्वासन दिया कि वह किराये के आवास का पूरा खर्च वहन करेगा।

(xvi) उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी बेटी की कथित दहेज मृत्यु की शिकायत आयोग से की। आयोग ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग को प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने अन्वेषण करके अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप पत्र न्यायालय में दायर कर दिया गया है।

(xvii) दिल्ली निवासी ने आयोग से कथित घरेलू हिंसा की शिकायत की। आयोग ने इस मामले में सुनवाई का आयोजन किया। शुरुआत में तो दोनों पक्षों के बीच घोर विद्वेष था और वे अपने–अपने रुख पर अड़े हुए थे। आयोग ने दोनों पक्षों को अलग–अलग और एकसाथ परामर्श प्रदान किया, जिसमें दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने विवादो का समाधान किया और आयोग को यह आश्वासन दिया कि वे परिवार के रूप में साथ रहेंगे।

(xviii) आयोग को कथित उत्पीड़न/महिला की मर्यादा भंग करने के संबंध में उत्तराखंड के हरिद्वार में रहने वाली महिला की शिकायत प्राप्त हुई थी। आयोग ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग को प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोप पत्र न्यायालय में दायर कर दिया गया है।

(xix) आयोग को मध्य प्रदेश की ग्वालियर निवासी महिला की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। आयोग ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग को प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों को परामर्श के लिए बुलाया गया था और दोनों पक्षों ने इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान कर लिया था। शिकायतकर्ता अब अपने ससुराल में शांतिपूर्वक रह रही है।

(xx) आयोग को कथित बलात्कार के संबंध में मध्य प्रदेश की दमोह निवासी महिला की शिकायत प्राप्त हुई थी। आयोग ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग को प्राप्त

की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला अब न्यायालय में लंबित है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 (1) और (4) के अंतर्गत अन्वेषण

I. जांच समिति

(i) मध्य प्रदेश के भोपाल में एनआईएफटी में कार्यस्थल पर कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने के लिए जांच समिति गठित की गई थी। इस तीन सदस्यीय समिति ने घटनास्थल का दौरा करके कर्मचारियों/प्राधिकारियों से मुलाकात की। समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की और अपनी सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए वस्त्र मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवों को भेजीं।

(ii) आयोग ने भारतीय खेल प्राधिकरण, मुंबई द्वारा पीड़ित महिला मुक्केबाज के कथित उत्पीड़न, भविष्य के अवसर समाप्त किए जाने और उसे अपूरणीय क्षति पहुँचाए जाने से संबंधित शिकायत के विषय में जांच समिति गठित की। यह आरोप भी लगाया गया था कि उसे राष्ट्रीय छुट्टी के दिन भी अभ्यास के लिए बुलाया गया और उसे समुचित सुरक्षा उपकरण व हैडगियर नहीं दिए गए, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आईं और उसका ब्रेन हैमरेज हो गया। कोच ने महिला मुक्केबाज के विरुद्ध षड़यंत्र करते हुए उसका मुकाबला पुरुष मुक्केबाजों से कराया, जिससे उसे घातक चोटें आने के कारण वह मुक्केबाजी के खेल में अपने भविष्य के मौकों से हाथ धो बैठी। इस घटना की परिस्थितियों की जांच करने के लिए पाँच सदस्यों वाली जांच समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशें संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें से एक सिफारिश यह है कि भारतीय खेल प्राधिकरण महिला मुक्केबाज की चिकित्सीय देखरेख की जिम्मेदारी ले, ताकि वह मुक्केबाज पुनः अपना सामान्य जीवन शुरू कर सके और प्राधिकरण पीड़ित को स्थायी सरकारी नौकरी भी दिलाए। ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और अब महिला मुक्केबाज का व्यापक चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय खेल प्राधिकरण ने ली है।

(iii) दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कालेज में प्रयोगशाला सहायक, सुश्री पवित्रा भारद्वाज के आत्मदाह कर लेने और कथित रूप से जलने के कारण उसकी मृत्यु होने के मामले की जांच के लिए आयोग ने समिति का गठन किया। चार सदस्यीय जांच समिति ने 09.10.2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग में मामले की जांच की। जांच की यह कार्यवाही राष्ट्रीय महिला आयोग की भूतपूर्व अध्यक्षा की उपस्थिति में की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की और अपनी सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति को भेजीं।

(iv) राजस्थान के जोधपुर की बाप नामक तहसील के कान्हापुर में तीन बच्चियों के साथ एक महिला की कथित हत्या/आत्महत्या की शिकायत की जांच करने के लिए जांच समिति गठित की गई थी। इस चार सदस्यीय समिति ने घटनास्थल का दौरा करके प्राधिकारियों से विचार–विमर्श किया। इस

जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की और सिफारिशें भी संबंधित प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं।

(v) राजस्थान के बूंदी में तलाकशुदा महिला के कथित उत्पीड़न/उस पर शारीरिक प्रहार की शिकायत की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। इस जांच समिति ने घटनास्थल का दौरा करके पीड़ित के बयान लिए और संबंधित अधिकारियों से भी मुलाकात की। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की और इसकी सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं।

(vi) राजस्थान के पाली जिले की बाली नामक तहसील के लूंडरा गांव में एक बालिका के कथित बलात्कार की शिकायत की जांच करने के लिए तीन सदस्यों वाली जांच समिति गठित की गई। इस जांच समिति ने घटनास्थल का दौरा किया, पीड़ित के बयान लिए और संबंधित अधिकारियों से भी मुलाकात करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच समिति की सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं।

(vii) हरियाणा के सोनीपत में एक स्कूल में अवयस्क बालिका के कथित बलात्कार की शिकायत के संबंध में जांच समिति का गठन किया गया। दो सदस्यों वाली इस जांच समिति ने घटनास्थल का दौरा करके पीड़ित के बयान लिए और संबंधित अधिकारियों से भी मुलाकात की। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की और इसकी सिफारिशें उपयुक्त कार्रवाई के लिए हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं।

II. स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेने के मामले

राष्ट्रीय महिला आयोग प्रचार माध्यमों में आने वाली खबरों और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने तथा उनके संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन न किए जाने की शिकायतों के आधार पर स्व–प्रेरणा से मामलों का संज्ञान लेता है। सामान्यतः, संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाती है। गंभीर और जघन्य अपराधों के मामलों में आयोग जांच समितियों का गठन भी करता है, जो अपराधों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई करने के लिए अपनी सिफारिशें आयोग को प्रस्तुत करती हैं। वर्ष 2013–14 में आगे दर्शाए गए मामलों में जांच समितियों का गठन किया गया :–

(i) दिल्ली के सरिता विहार में उड़िया महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति पकड़ा गया

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार तीन पुरुषों ने टैक्सी ड्राइवर बनकर कथित रूप से दो बहनों को अगवा किया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। आयोग ने दिनांक 01.04.2013 के अपने पत्र द्वारा दिल्ली के पुलिस आयुक्त से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। इसी के साथ आयोग ने इस घटना की जांच के लिए जांच समिति भी गठित की।

इस जांच समिति की तीन सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में सुश्री हेमलता खेड़िया (सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग), सुश्री मानसी प्रधान, (सामाजिक कार्यकर्ता) (जांच समिति की सदस्य) और श्रीमती आसिमा महानंदा (ओडिशा राज्य महिला आयोग की भूतपूर्व सदस्य) (जांच समिति की सदस्य) शामिल थीं।

जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 09.5.2013 के पत्र द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं। इस मामले में कोई उत्तर प्राप्त न होने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को अनुस्मारक दिनांक 18.12.13 को भेजा गया है।

(ii) महिला आयुर्वेदिक डाक्टर की रहस्यमय मृत्यु

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार ओडिशा के पुरी में मलाटीपाटपुर में रेल की पटरियों पर एक महिला आयुर्वेदिक डाक्टर का शव पाया गया था। आयोग ने दिनांक 26.04.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन किया।

इस जांच समिति की तीन सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में डा. चारू वलीखन्ना (भूतपूर्व सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग), श्रीमती मानसी प्रधान, (सामाजिक कार्यकर्ता) (समिति की सदस्य) और सुश्री ऊषा कुमारी (परामर्शदाता, राष्ट्रीय महिला आयोग) (जांच समिति की सहायतार्थ सदस्य) शामिल थीं।

इस जांच समिति ने मामले की जांच करने के लिए 02.05.2013 को घटनास्थल का दौरा किया। जांच समिति की सिफारिशें मुख्य सचिव, ओडिशा राज्य सरकार, सचिवालय, भुवनेश्वर को 22.05.2013 को भेजी गईं। इस मामले में कोई उत्तर प्राप्त न होने पर अनुस्मारक दिनांक 26.12.2013 को भेजा गया।

ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के दिनांक 5.02.2014 के पत्र द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ, जिसमें सूचित किया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई कर ली गई है।

(iii) ओडिशा में जनजातीय महिला को जादू–टोना करने के लिए नंगा घुमाया गया

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार इस अजीबोगरीब घटना में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आमपाड़ा गांव में गांव वालों ने तीन महिलाओं और एक बुजुर्ग आदमी को काला जादू करने वाला घोषित करके नंगा घुमाया। आयोग ने दिनांक 15.02.2013 के पत्र द्वारा ओडिशा के पुलिस महानिदेशक से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक से 04.03.2013 को प्राप्त हुई की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह सूचित किया गया कि कथित पीड़ित जादू–टोने के जरिए इलाज किया करते थे और उन्हें जुलूस में नंगा घुमाया गया। कथित अभियुक्त सरपंच को गिरफ्तार किया गया और उस क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह भी सूचित किया गया कि यह

बात सही नहीं है कि यह घटना पुलिस की उपस्थिति में हुई थी। इसके अतिरिक्त आयोग ने इस मामले की जांच के लिए दिनांक 26.04.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन भी किया।

इस जांच समिति की तीन सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में डा. चारू वलीखन्ना (भूतपूर्व सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग), सुश्री ऊषा कुमारी (जांच समिति की सहायतार्थ सदस्य) और सुश्री ग्लोरिया डुंगसुंग (सामाजिक कार्यकर्ता) (सदस्य) शामिल थीं।

इस जांच समिति ने मामले की जांच करने के लिए 03.05.2013 को सुंदरगढ़ जिले का दौरा किया। जांच समिति की सिफारिशें मुख्य सचिव, ओडिशा राज्य सरकार को 27.05.2013 को भेजी गईं।

(iv) आदिवासी महिला को मूत्र पिलाकर की निर्मम पिटाई

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नांदिया गांव में एक जनजातीय महिला पर काला जादू करने का संदेह होने पर उसे जबरन मूत्र पिलाया गया। पुरुषों के समूह ने उसकी पिटाई की। आयोग ने दिनांक 20.05.2013 के पत्र द्वारा पुलिस महानिदेशक, भोपाल से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग ने इस मामले में दिनांक 17.06.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन भी किया।

इस जांच समिति की तीन सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में डा. चारू वलीखन्ना (भूतपूर्व सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग), सुश्री प्रिया ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य) और सुश्री शीला दूबे, सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य) शामिल थीं।

यह समिति इस मामले की जांच करने के लिए 20.06.2013 को जिला होशंगाबाद पहुँची। जांच समिति की सिफारिशें मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को 26.07.2013 को भेजी गईं। अपर पुलिस महानिदेशक से दिनांक 08.08.2013 के पत्र द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह सूचित किया गया कि चार कथित अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506, 355, 34 के अंतर्गत मामला संख्या 25/13 दर्ज किया गया है। सभी कथित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आयोग में यह मामला बंद कर दिया गया है।

(v) मध्य प्रदेश की ग्वालियर जेल में महिला कैदी ने दो वर्षीय बच्चे की हत्या की

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार जेल परिसर में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला कैदी ने कथित रूप से दो वर्षीय बच्चे की हत्या की थी। आयोग ने दिनांक 29.05.2013 के पत्र द्वारा पुलिस महानिदेशक, भोपाल, मध्य प्रदेश से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग को ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक से दिनांक 10.7.2013 की की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह सूचित किया गया है कि बहोडापुर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मामला संख्या 278/19 दर्ज किया गया और इसकी जांच चल रही है। जेल में महिला कैदियों की दशा की जानकारी मांगने के लिए पुलिस महानिदेशक को दिनांक 24.07.2013 को पत्र भी भेजा गया है। आयोग ने इस मामले में दिनांक 07.08.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति भी गठित की।

इस जांच समिति के तीन सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में डा. चारू वलीखन्ना (भूतपूर्व सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग), सुश्री प्रिया ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य) और श्री अजय जैन, मनःचिकित्सक (सदस्य) शामिल थे।

समिति इस मामले की जांच करने के लिए 12.08.2013 को ग्वालियर जिला जेल पहुँची। जांच समिति की सिफारिशें मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को 04.09.2013 को भेजी गईं। आयोग को ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक की दिनांक 08.11.2013 की की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह सूचित किया गया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला कैदियों को अलग रखे जाने का प्रावधान न होने के कारण उन्हें उनके बच्चों के साथ एक ही प्रकोष्ठ में रखा जाता है। यह भी सूचित किया गया कि विशेष ध्यान देने और देखरेख के लिए प्रकोष्ठ अधिकारी और प्रकोष्ठ के रात्रि प्रहरी के साथ–साथ महिला गार्ड भी तैनात की जाती हैं। सभी कैदियों की नियमित चिकित्सीय जांच की सुविधा है। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला कैदियों का उपचार ग्वालियर के मानसिक अस्पताल के मनश्चिकित्सक करते हैं।

(vi) पुरी में नेत्रहीन अवयस्क के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की गई

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार भुवनेश्वर जिले में ब्लाइंड स्कूल की कक्षा 5 की 13 वर्षीय छात्रा से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। तत्पश्चात आयोग ने दिनांक 10.06.2013 के पत्र द्वारा ओडिशा के पुलिस महानिदेशक से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, अपराध शाखा, ओडिशा से की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें सूचित किया गया कि दिनांक 6.6.2013 को पुरी के सरदार पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376/302 के अंतर्गत मामला संख्या 136 दर्ज किया गया। की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार कथित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त आयोग ने इस मामले में जांच के लिए दिनांक 12.07.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति भी गठित की थी, जिसकी दो सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में सुश्री हेमलता खेड़िया (सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग) और सुश्री मानसी प्रधान (सदस्य) शामिल थीं। ।

समिति ने इस मामले की जांच के लिए 22.07.2013 को पुरी के बेलडाल गांव में पीड़ित के घर का दौरा किया। जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 26.08.2013 के पत्र द्वारा ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं।

(vii) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक और छात्रा पर हमला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार स्पैनिश भाषा पढ़ रही 22 वर्षीय छात्रा पर उसके मित्र ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में हमला करके उसका उत्पीड़न किया। आयोग ने दिनांक 06.08.2013 के पत्र द्वारा दिल्ली के पुलिस आयुक्त से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग ने दिनांक 13.08.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन भी किया।

इस जांच समिति की तीन सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में डा. चारू वलीखन्ना (भूतपूर्व सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग), सुश्री हुस्ना सुभानी, सामाजिक कार्यकर्ता (सदस्य) और सुश्री सुमन, सुओ मोटो कोआर्डिनेटर, राष्ट्रीय महिला आयोग (समिति की सहायतार्थ सदस्य) शामिल थीं।

समिति ने इस मामले की जांच के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर का दौरा किया। जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 06.09.2013 के पत्रों द्वारा मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप कुलपति को भेजी गईं। दक्षिणी जिले के अपर पुलिस उपायुक्त से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह सूचित किया गया कि पीड़ित द्वारा दायर लिखित शिकायत के आधार पर वसंत कुंज पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354/506 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 310/13 दर्ज की गई। अभियुक्त को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर से 05.08.2013 को गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354ध्506 के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया गया है। यह मुकदमा सुनवाई के लिए न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया है। न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण आयोग में अब यह मामला बंद कर दिया गया है।

(viii) कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के चंद्रपुर जिले में स्थित कार्यालय में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न की घटना हुई थी। आयोग ने दिनांक 13.08.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन किया।

इस जांच समिति के दो सदस्यों में समिति के अध्यक्ष के रूप में अधिवक्ता विजय बांगड़े, प्रो. जयश्री कपासे नामक सामाजिक कार्यकर्ता (जांच समिति की सदस्य) शामिल थे।

समिति ने इस मामले की जांच के लिए 21, 22, 23, 26, और 27 अगस्त को डीपो कार्यालय के दौरे किए। जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 13.09.2013 के पत्र द्वारा महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं।

(ix) मुंबई की पत्रकार से सामूहिक बलात्कार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया है, जिसके अनुसार मुंबई की पत्रिका में इन्टर्न के रूप में कार्यरत 22 वर्षीय महिला फोटो–पत्रकार के साथ महालक्ष्मी, मुंबई में कथित सामूहिक बलात्कार हुआ था। आयोग ने दिनांक 23.08.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन किया।

इस जांच समिति के दो सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में अधिवक्ता निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय पुलिस सेवा के भूतपूर्व अधिकारी श्री विनोद शर्मा, दिल्ली (जांच समिति के सदस्य) शामिल थे। इस समिति ने मामले की जांच के लिए जसलोक

अस्पताल का दौरा किया। जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 13.09.2013 के पत्र द्वारा महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं।

(x) ओडिशा में मूक–बधिर बालिका से बलात्कार और ओडिशा के नयागढ़ जिले में अवयस्क जनजातीय बालिका से सामूहिक बलात्कार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई खबरों का संज्ञान लिया, जो इस प्रकार थीं :–

(क) 'ओडिशा में मूक–बधिर बालिका से बलात्कार' जिसके अनुसार सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) में कार्यरत अनुदेशक ने संस्था की मूक–बधिर छात्रा से बलात्कार किया।

(ख) 'ओडिशा के नयागढ़ जिले में अवयस्क जनजातीय बालिका से सामूहिक बलात्कार' जिसके अनुसार कटक के नयागढ़ जिले में 16 वर्षीय अवयस्क जनजातीय बालिका से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार हुआ। इसके अतिरिक्त आयोग ने दिनांक 27.08.2013 के आदेश द्वारा इस मामले में जांच समिति का गठन किया।

इस जांच समिति की दो सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में सुश्री हेमलता खेड़िया, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, सुश्री मानसी प्रधान नामक सामाजिक कार्यकर्ता (जांच समिति की सदस्य) शामिल थीं। जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 25.10.2013 के पत्र द्वारा ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं।

(xi) केंद्रपाड़ा बलात्कार पीड़ित का भुवनेश्वर में निधन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'केंद्रपाड़ा बलात्कार पीड़ित का भुवनेश्वर में निधन' शीर्षक से प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार दो सप्ताह पहले ओडिशा के केंद्रपाड़ा में तीन व्यक्तियों द्वारा जिंदा जला दिए जाने के बाद से जीवन–मृत्यु के संघर्ष में उलझी 14 वर्षीय बालिका का भुवनेश्वर के अस्पताल में निधन हो गया था। आयोग ने इस मामले में दिनांक 04.09.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन किया।

इस जांच समिति की दो सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में सुश्री हेमलता खेड़िया, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग और सुश्री मानसी प्रधान नामक सामाजिक कार्यकर्ता (जांच समिति की सदस्य) शामिल थीं।

समिति ने मामले की जांच के लिए दिनांक 05.09.2013 को महाकलपाड़ा के खरिनासी गांव में पीड़ित के माता–पिता से मुलाकात की। जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 25.10.2013 के पत्र द्वारा ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं।

(xii) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की स्थिति की जांच करना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई खबर का संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की स्थिति की जांच की। आयोग ने इस मामले में दिनांक 18.09.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन किया।

इस जांच समिति के सात सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती शमीना शफीक, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग (जांच समिति की सदस्य), श्रीमती श्रीरूपा मित्रा चौधरी (राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्ययन समिति की अध्यक्षा) (जांच समिति की सदस्य), भारतीय पुलिस सेवा के भूतपूर्व अधिकारी श्री विनोद शर्मा (जांच समिति के सदस्य), सुश्री मीनू गौतम, सामाजिक कार्यकर्ता (जांच समिति की सदस्य), श्री सुखचैन सिंह (राष्ट्रीय महिला आयोग के जनसंपर्क अधिकारी) (जांच समिति के सदस्य) और श्री अभिषेक गुप्ता, अधिवक्ता (जांच समिति के सदस्य) शामिल थे।

जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 09.01.2014 के पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं।

(xiii) निष्ठुर पिता का कहना है कि पारिवारिक सम्मान के लिए बेटी की हत्या की

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार हरियाणा के रोहतक जिले में गरनौती गांव में एक पिता ने पारिवारिक सम्मान के नाम पर अपनी बेटी और उसके प्रेमी को खुलेआम मौत के घाट उतार दिया। आयोग ने इस मामले में दिनांक 27.11.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन किया।

इस जांच समिति के दो सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में श्रीमती शमीना शफीक, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग और भारत के उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता श्री विनय प्रीत सिंह (जांच समिति के सदस्य) शामिल थे।

समिति ने मामले की जांच के लिए दिनांक 23.09.2013 को रोहतक के घरनावती गांव का दौरा किया। जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 27.09.2013 के पत्र द्वारा हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं।

(xiv) (1) देहात में बिक रही बिहार और पश्चिम बंगाल की महिलाएं।

(2) अनैतिक व्यापार की शिकार दो बालिकाओं से राजधानी में बलात्कार।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई विभिन्न खबरों का संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार राज्यों में अनैतिक व्यापार की घटनाओं; जबरन मजदूरी के लिए महिलाओं के अनैतिक व्यापार; सुरक्षित प्रवास की जरूरत और घरेलू कार्य के विनियमन की जांच की।

अनैतिक मानव व्यापार के रैकिट द्वारा घरेलू नौकरानी का काम दिलाने के बहाने झारखंड से दिल्ली लाई गई पीड़िता ने आयोग में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। दर्ज कराई गई इस शिकायत के साथ–साथ आयोग ने विवाह और दिल्ली में रोजगार दिलाने के बहाने पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड राज्यों की गरीब महिलाओं का अनैतिक व्यापार किए जाने की घटनाओं की खबरों का भी संज्ञान लिया है।

इसके अतिरिक्त आयोग ने दिनांक 31.10.2013 के आदेश द्वारा चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसमें समिति की अध्यक्षा के रूप में डा. चारू वलीखन्ना, भूतपूर्व सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय पुलिस सेवा के भूतपूर्व अधिकारी डा. पी.एम. नायर (जांच समिति के सदस्य), श्रीमती हेमलता, भूतपूर्व अध्यक्षा, झारखंड राज्य महिला आयोग (जांच समिति की सदस्य) और श्री निर्णय जान छेत्री, गैर–सरकारी संगठन के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता (जांच समिति के सदस्य) शामिल थे।

आयोग ने 'देहात में बिक रही बिहार और पश्चिम बंगाल की महिलाएं' शीर्षक से प्रचार माध्यमों में आई इस खबर पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशकों को दिनांक 17.04.2013 को पत्र लिखे। आयोग को बिहार पुलिस से दिनांक 16.07.2013 की की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें राज्य में अनैतिक मानव व्यापार और बाल श्रम के विस्तृत आंकड़े दर्शाए गए हैं। आयोग को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक से दिनांक 25.07.2013 की की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की अविवाहित और बड़ी उम्र की महिलाओं (40 से 45 वर्ष की आयु की) को अनैतिक व्यापारियों के गिरोह अच्छी नौकरी और रोजगार का प्रलोभन देकर ले जाते हैं और उन्हें बिहारी मजदूरों को औसतन 25,000 रुपए प्रति महिला की दर से बेच देते हैं।

आयोग ने 'अनैतिक व्यापार की शिकार दो बालिकाओं से राजधानी में बलात्कार' शीर्षक से प्रचार माध्यमों में आई इस खबर पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगते हुए पुलिस आयुक्त को दिनांक 24.07.2013 को पत्र भेजा और उत्तर–पूर्वी जिले के अपर पुलिस आयुक्त से प्राप्त उत्तर में यह सूचित किया गया कि संबंधित खबर में कथित घटनास्थल का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तथापि, इस खबर की जानकारी सारे पुलिस कर्मियों को दे दी गई, ताकि वे इस विषय में सजग रहें।

डा. चारू वलीखन्ना (राष्ट्रीय महिला आयोग की भूतपूर्व सदस्या) की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने इस मामले की जांच के लिए अपना दौरा 07.11.2013 को रांची से शुरू किया। जांच समिति की सिफारिशें महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली; सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली; सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को दिनांक 16.12.2013 के पत्र द्वारा भेजी गईं।

आयोग को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से दिनांक 10.12.2013 के पत्र द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ, जिसमें सूचित किया गया है कि किशोरियों के सशक्तीकरण की स्कीम वर्ष 2010 से देश भर के 205 जिलों में चलाई जा रही है। किशोरियों के क्षमता विकास और सशक्तीकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के साथ तालमेल की योजना भी बनाई गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के साथ हिंसा की रोकथाम करना और उनके बुनियादी अधिकारों के विषय में जागरूकता बढ़ाना तथा यौन हिंसा से आत्मरक्षा के उपाय सिखाना भी है।

(xv) 'दूरदर्शन के अधिकारी पर यौन अपराध का आरोप, प्राथमिकी दायर की जाए'

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार दूरदर्शन के एक शीर्ष अधिकारी ने कनिष्ठ कर्मचारी का यौन उत्पीड़न किया। आयोग ने दिनांक 01.10.2013 के पत्र द्वारा जांच समिति का गठन किया।

इस जांच समिति के पांच सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में डा. चारू वलीखन्ना, भूतपूर्व सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग, डा. वी.आर. त्रिपुराना, (जांच समिति के सदस्य) (आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष), सुश्री योगिता भयान, सामाजिक कार्यकर्ता (जांच समिति की सदस्य), श्री आर.एम. शर्मा (जांच समिति के सदस्य) (अधिवक्ता), सुश्री सुमन (जांच समिति की सहायतार्थ सदस्य) (राष्ट्रीय महिला आयोग की समन्वयक) शामिल थे।

जांच समिति ने इस मामले की जांच के लिए दूरदर्शन कार्यालय और प्रसार भारती का दौरा किया। जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 09.10.2013 के पत्र द्वारा सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी गईं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का उत्तर आयोग को प्राप्त हो गया है और अब यह मामला बंद कर दिया गया है।

(xvi) 'खुर्दा जिलेबानपुर थाना क्षेत्र में 6 व्यक्तियों ने 30 वर्षीय महिला से बलात्कार किया और मोबाइल फोन से फोटो भी खींचे'; 'कटक जिले के बिंधनिमा गांव में कथित रूप से छह पुरुषों ने 17 वर्षीय बालिका को चार दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उससे सामूहिक बलात्कार किया तथा ओडिशा के समंत्रपुर क्षेत्र में बंदूक दिखाकर महिला से बलात्कार किया गया'

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में 'खुर्दा जिलेबानपुर थाना क्षेत्र में 6 व्यक्तियों ने 30 वर्षीय महिला से बलात्कार किया और मोबाइल फोन से फोटो भी खींचे'; 'कटक जिले के बिंधनिमा गांव में कथित रूप से छह पुरुषों ने 17 वर्षीय बालिका को चार दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उससे सामूहिक बलात्कार किया तथा ओडिशा के समंत्रपुर क्षेत्र में बंदूक दिखाकर महिला से बलात्कार किया गया' शीर्षक से आई विभिन्न खबरों का संज्ञान लेते हुए इस मामले में दिनांक 11.10.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन किया।

इस जांच समिति की दो सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में सुश्री हेमलता खेड़िया, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग और सुश्री मानसी प्रधान नामक सामाजिक कार्यकर्ता (जांच समिति की सदस्य) शामिल थीं।

जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 21.02.2014 के पत्र द्वारा ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं।

(xvii) 'ओडिशा : अध्यापिका को जिंदा जलाया गया, अधिकारी पर आरोप'

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार ओडिशा के राजगढ़ जिले में एक स्कूल अध्यापिका को कथित रूप से इस कारण से जिंदा जला दिया गया कि उसने पिछले दो महीनों से छुपते फिर रहे उप स्कूल निरीक्षक के विरुद्ध अपने यौन उत्पीड़न की शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया था। आयोग ने दिनांक 01.11.2013 के आदेश द्वारा ओडिशा के पुलिस महानिदेशक से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग ने इस मामले में दिनांक 11.11.2013 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन भी किया।

इस जांच समिति की दो सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में सुश्री हेमलता खेड़िया, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग और सुश्री मानसी प्रधान नामक सामाजिक कार्यकर्ता (जांच समिति की सदस्य) शामिल थीं।

जांच समिति ने इस मामले की जांच के लिए दिनांक 11.11.2013 को पुरी में देलांगा के मुनिंदा गांव में पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। समिति ने 12.11.2013 को रायगढ़ के टीकरी प्राथमिक विद्यालय का दौरा भी किया, जहाँ यह घटना हुई थी। जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 19.12.2013 के पत्र द्वारा ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं। ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव से की गई कार्रवाई रिपोर्ट दिनांक 13.11.2013 के पत्र द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें यह सूचित किया गया है कि इस मामले में जांच करके उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य अपराध शाखा ने विशेष टीम का गठन कर दिया है।

(xviii) 'बंगाल में जनजातीय महिला से सामूहिक बलात्कार : विमेन पैनल ने जांच के आदेश दिए, 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए'

राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार माध्यमों में 'बंगाल में जनजातीय महिला से सामूहिक बलात्कार : विमेन पैनल ने जांच के आदेश दिए' शीर्षक से आई इस खबर का संज्ञान लिया, जिसके अनुसार पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में जनजातीय समुदाय की युवती को अन्य समुदाय के व्यक्ति से अपने संबंधों की सजा देते हुए 12 पुरुषों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

आयोग ने दिनांक 23.01.2014 के पत्र द्वारा पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग ने इस मामले में दिनांक 28.01.2014 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन भी किया।

इस जांच समिति में समिति की अध्यक्षा के रूप में श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग सहित दो सदस्यों में श्रीमती शमीना शफीक, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग (जांच समिति की सदस्य) और सुश्री मालिनी भट्टाचार्य नामक सामाजिक कार्यकर्ता (जांच समिति की सदस्य) शामिल थीं।

समिति ने इस मामले की जांच के लिए वीरभूम जिले में सूरी होम जाकर पीड़ित से मुलाकात की। जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 20.02.2014 के पत्र द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को भेजी गईं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिकी में नामित सभी तेरह व्यक्तियों को 22.01.2014 को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वे पुलिस की हिरासत में हैं।

(xix) 'बूंदी जिले में 20 वर्षीय पीड़ित के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई' राजस्थान

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस खबर का संज्ञान लेते हुए, राजस्थान के बूंदी जिले में 20 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की कथित घटना की जांच करने के लिए दिनांक 20.02.2014 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन किया।

इस जांच समिति में समिति की अध्यक्षा के रूप में श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग सहित दो सदस्यों में श्रीमती शमीना शफीक, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग (जांच समिति की सदस्य) और सुश्री योगिता भयाना नामक सामाजिक कार्यकर्ता (जांच समिति की सदस्य) शामिल थीं।

(xx) (i) 'पंचायत में महिला को निर्वस्त्र किया, टीकमगढ़

(ii) 'मध्य प्रदेश के डाबरा जिले में किटोरा गांव में अंधविश्वास के कारण महिलाओं को सीढ़ियों से ऊपर जाने की अनुमति नहीं'

राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित और आगे दर्शाई गई खबरों का संज्ञान लेते हुए जांच समिति का गठन किया :–

(क) मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 'पंचायत में महिला को निर्वस्त्र किया'

(ख) 'मध्य प्रदेश के डाबरा जिले में किटोरा गांव में अंधविश्वास के कारण महिलाओं को सीढ़ियों से ऊपर जाने की अनुमति नहीं'

आयोग ने इस मामले में दिनांक 03.03.2014 के आदेश द्वारा जांच समिति का गठन किया, जिसकी दो सदस्यों में समिति की अध्यक्षा के रूप में सुश्री हेमलता खेरिया, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग और सुश्री प्रिया ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता (जांच समिति की सदस्य) शामिल थीं।

अध्याय – 4

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) प्रकोष्ठ

वर्ष 2006–07 के दौरान महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति (14वीं लोकसभा) ने अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा विषय पर चर्चा की। अन्य सिफारिशों के साथ–साथ यह सिफारिश भी की गई कि अनिवासी भारतीयों के विवाह से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एक सुपरिभाषित/ समन्वित तंत्र विकसित किया जाए ताकि पीड़ित महिलाएं अपनी समस्याओं का सम्मानपूर्ण हल प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इन सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए, 07 जुलाई, 2008 को एक अंतरमंत्रालयी बैठक आयोजित की गई और राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रवासी भारतीय मंत्रालय के दिनांक 28 अप्रैल, 2009 के पत्र सं. ओआई–19021/3/2006–एसएस के माध्यम से अनिवासी भारतीयों के विवाहों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्र स्तर पर समन्वय एजेंसी के रूप में नामित किया गया। अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ अंतरदेशीय विवाहों के परिणामस्वरूप, जिनमें महिला अधिकारों का कोई हनन हुआ हो अथवा महिलाओं के साथ घोर अन्याय का कोई मुद्दा शामिल हो, भारत एवं विदेशों से प्राप्त शिकायतों से निपटने के लिए 24 सितम्बर, 2009 से राष्ट्रीय महिला आयोग में औपचारिक रूप से शुरू हुआ।

I. अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व यह हैं कि प्रकोष्ठ :–

i. भारतीय महिलाओं के प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने एवं उन पर कार्रवाई करने के लिए समन्वय एजेंसी होगा।

ii. शिकायतकर्ता को समाधान, पक्षों के बीच मध्यस्थता एवं संबंधित मुद्दों पर परामर्श सहित हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

iii. व्यापक क्षेत्र को शामिल करने के लिए भारत में एवं विदेशों में गैर सरकारी संगठनों, समुदायिक संगठनों और राज्य महिला आयोगों के साथ जुड़ेगा तथा नैटवर्क स्थापित करेगा ताकि सुगम पहुंच को सरल बनाया जा सके और सहायता सेवाएं प्रदान की जा सकें।

iv. विभिन्न सरकारी एजेंसियों/संगठनों जैसे कि राज्य सरकारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय दूतावासों एवं मिशनों, संबंधित मंत्रालयों आदि के बीच समन्वित प्रत्युत्तर प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करेगा।

v. शिकायत/मामले से संबंधित मुक़दमों तथा अन्य मुद्दों में पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करेगा।

vi. पंजीकृत मामलों का डाटा बैंक रिकार्ड रखेगा।

vii. दर्ज शिकायतों पर राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों से रिपोर्टें तथा उन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगेगा।

viii. अनिवासी भारतीयों के विवाहों से संबंधित किसी भी नीति अथवा मुद्दे पर सरकार को सलाह देगा और सिफारिश करेगा।

ix. न्याय प्रदान करने का कार्य सौंपी गई विभिन्न एजेंसियों अर्थात न्यायपालिका, पुलिस, प्रशासन आदि को विषय के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलों की योजना बनाएगा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

x. प्रासंगिक मुद्दों पर आम लोगों के लिए जागरुकता अभियान चलाएगा। इसके लिए प्रकोष्ठ द्वारा उलब्ध सभी मीडिया सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

xi. संबंधित क्षेत्र जैसे कि दोहरी नागरिकता से जुड़ी शिकायतों, नए कानून को अधिनियमित करने अथवा अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने, अन्य देशों के विवाह कानूनों आदि के मुद्दों पर अनुसंधान एवं अध्ययन को बढ़ावा देगा/सहायता करेगा।

xii. शिकायतों की जांच करेगा और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 की उपधारा 4 के साथ पठित धारा 10 (1) (च) एवं अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के संज्ञान में लाए गए किसी भी मुद्दे पर स्व–संज्ञान लेगा।

वर्ष 2009 में इसकी शुरूआत से, आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में 31 मार्च, 2014 तक लगभग 1691 शिकायतें पंजीकृत हुई हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में 375 मामले पंजीकृत हुए हैं। इस प्रकार पंजीकृत मामलों की राज्य–वार तथा देश–वार संख्या **अनुलग्नक–VI** और **अनुलग्नक–VII** में दी गई है।

II. अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतें मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित होती हैं:

i. पति/ससुराल वालों द्वारा पासपोर्ट जब्त करना
ii. बच्चों की सुपुर्दगी से संबंधित समस्याएं
iii. देश छोड़ रहे प्रतिवादी को पकड़कर रखने की शिकायतें
iv. परित्याग
v. दहेज की मांग
vi. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता
vii. पति के भारत में/पत्नी के विदेश में रहने पर पासपोर्ट की दूसरी प्रति जारी करना
viii. वीज़ा जारी करना
ix. भरण–पोषण
x. विदेशों में दस्तावेजों की सेवा
xi. जहां पतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है
xii. पत्नी भारत में /पति विदेश में रहता हो
xiii. विविध

* *ऐसी शिकायतों, जिनमें अनेक कार्रवाइयां तथा बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण शामिल होते हैं, की जटिलता के कारण राज्य–वार तथा देशवार आंकड़े हमेशा विशिष्ट श्रेणी में ही नहीं होते हैं।*

III. शिकायतों पर कार्रवाई करने की विधियां/तरीके

राष्ट्रीय महिला आयोग मुख्यतः विभिन्न मंत्रालयों के बीच अभिसरण दृष्टिकोण अपनाता है तथा पीड़ितों के मामलों को उठाते समय सहायता प्रदान करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करने का प्रयास करता है। यदि आवश्यक हो तो शिकायतों पर निम्न प्रकार से कार्रवाई की जाती है :

i) शिकायत का संज्ञान लेने पर प्रतिपक्ष/बुलाए जाने वाले पक्ष को आयोग में प्राप्त शिकायत पर उन्हें उत्तर देने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। प्रतिपक्ष/पक्षों को उपस्थित होने वाले पक्ष को समन में उल्लिखित विशिष्ट दिन आयोग के समक्ष उपस्थित होने तथा अपना उत्तर देने के लिए, यदि आवश्यक हो, समन भी जारी किए जाते हैं।

ii) ऐसे मामलों में जहां जांच लंबित है अथवा पंजीकृत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए उनकी ओर से कोई कमी हुई है, संबंधित पुलिस स्टेशन को की गई कार्रवाई रिपोर्टों के लिए पत्राचार किया जाता है। यदि ऐसा अपेक्षित हो, संबंधित देश के भारतीय दूतावास को भी शिकायतें अग्रेषित की जाती हैं।

iii) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय को उचित न्यायालय द्वारा जारी समन, वारंट अथवा पारित कोई आदेश को देने और अन्य प्रासंगिक मामलों में जब कभी एवं जब कहीं शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए लिखा जाता है।

iv) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय अथवा विदेशों में भारतीय दूतावासों से भी प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम के अनुसार पीड़ित को कानूनी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क किया जाता है।

v) पासपोर्ट से संबंधित किसी भी मामले के लिए पासपोर्ट प्राधिकरण के साथ पत्राचार किया जाता है।

vi) यदि आवश्यक हो, प्रतिवादी पति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शिकायत को उसके नियोक्ता को अग्रेषित किया जा सकता है।

IV. अनिवासी भारतीय/प्रवासी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय वधुओं की समस्या के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए गए प्रयास

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के साथ पठित धारा 8 के तहत उपबंधों के अनुसरण में अनिवासी भारतीय/प्रवासी विवाहों के संबंध में मौजूदा कानूनों में समाविष्ट उपबंधों में संशोधनों/नए कानून, जहां आवश्यक हो, निरुपित करने के लिए दिनांक 08.06.2011 के कार्यालय आदेश के द्वारा एक पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई। **''अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित कानून और महिलाओं पर उनका प्रभाव''** पर रिपोर्ट 07.02.2014 को प्राप्त हुई तथा आयोग ने रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया है।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें :

रिपोर्ट में अनिवासी भारतीय विवाहों को विनियमित करने की कानूनी अवसंरचना को पुनः परिकल्पित करने का प्रस्ताव किया गया है तथा अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है :

क) विदेशी विवाह अधिनियम

ख) संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम

ग) सिविल प्रक्रिया संहिता

घ) दंड प्रक्रिया संहिता

(क) विदेशी विवाह अधिनियम, 1969

(i) अधिनियम को अपने दायरे में विवाहों की व्यापक श्रेणी को शामिल करना चाहिए और वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रतिकारों तक अधिक पहुंच भी प्रदान करनी चाहिए।

(ii) अधिनियम को ऐसे विवाहों में जो भारत में हुए हैं, लेकिन विवाह के बाद युगल विदेशों में रहने का इरादा रखता है, महिलाओं को सुरक्षोपाय प्रदान करने चाहिए।

(iii) अधिनियम को निम्न प्रकार के विवाहों को विनियमित करना चाहिए :

(क) दो व्यक्तियों का विवाह जिनमें से पति/पत्नी दूसरे देश का नागरिक है अथवा दूसरे देश में रहता है।

(ख) दो अनिवासी भारतीयों का विवाह

(ग) दो व्यक्तियों का विवाह, जिनमें से दोनों ही भारत के नागरिक नहीं हैं किंतु वर्तमान में दोनों अथवा दोनों में से एक भारत में रह रहा है, भले ही विवाह विदेश में हुआ हो।

(iv) अधिनियम को तलाक, न्यायिक प्रथक्करण, भरण–पोषण, निर्वाह भत्ता एवं अभिरक्षा तक ही सीमित न रहकर प्रतिकारों की व्यापक श्रेणी प्रदान करनी चाहिए।

(v) **अधिनियम को विवाह की अवधि के दौरान हासिल की गई अचल संपत्ति में पति के हिस्से में आधा हिस्सा तथा चल संपत्ति में भी आधा हिस्सा और उत्पीड़न, दुर्व्यवहार एवं परित्याग हेतु हर्जाना एवं मुआवजा पत्नी को देना चाहिए। इन सहायताओं तक पत्नी की पहुंच उसके स्थायी अथवा सामान्यतः निवास अथवा आवास पर आश्रित नहीं होनी चाहिए।**

(vi) इस समय इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाएं प्रतिकार केवल तभी प्राप्त कर सकती हैं, **यदि वे सहायता हेतु याचिका से पहले तीन वर्ष से भारत में रह रही हों। संशोधन महिला हितों के लिए अन्य कानूनों जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आदि के अनुरूप होना चाहिए,** जिनमें न्यायालय का क्षेत्राधिकार महिलाओं के वर्तमान आवास के आधार पर होता हैं।

(vii) पंजीकरण एवं सहायता हेतु याचिका के दौरान प्रक्रिया में न्यायालयों तक पहुंच सुगम बनाने तथा वैवाहिक प्रतिकारों के लिए विदेश जा रही महिलाओं एवं बच्चों के हितों के लिए सुरक्षोपाय भी

शामिल किए जाएं। **भारत में अनिवासी भारतीय विवाहों, जिनमें पति विदेश मूल का अथवा विदेश में रहने वाला है, का पंजीकरण निम्नलिखित सहित उसके विवरण देने वाले घोषणा/शपथ पत्र के साथ विदेशी विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए :**

क) उसकी नागरिकता अथवा स्थायी निवास संख्या

ख) उसके नियोजन का स्थान एवं प्रकृति और उसकी आय का ब्यौरा

ग) भारत एवं विदेश में उसकी संपत्तियों की सूची

(viii) अधिनियम को वित्तीय सहायता के लिए महिलाओं एवं बच्चों को अधिकार प्रदान करने के लिए निर्णय से पहले संपत्ति की कुर्की एवं अन्य सुरक्षोपाय भी प्रदान करने चाहिएं।

(ख) संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890

अधिनियम को निम्नलिखित के लिए संशोधित किया जाना चाहिए :

(i) बच्चे के माता एवं पिता दोनों को प्राकृतिक संरक्षक बनाए जाने के लिए।

(ii) **न्यायालय को अधिनियम की धारा 9 के तहत जहां अवयस्क रह रहा है, के अनुसार न्याय क्षेत्र प्रदान करना।**

(iii) ऐसे पिता को बच्चे की अभिरक्षा तथा मिलने के अधिकारों की कार्रवाई रोकना जिसने स्वेच्छा से भरण–पोषण एवं बच्चे की सहायता हेतु भुगतान के लिए मना कर दिया हो।

(iv) अंतरराष्ट्रीय बाल व्यपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन के संबंध में भारत के मामले में समान स्थिति बनाए रखना। लिंग निरपेक्ष कन्वेंशन होने के कारण यह महिलाओं के विशिष्ट अनुभवों पर ध्यान नहीं देता है और यह अभिरक्षा के अध्याय के संबंध में अक्सर महिलाओं के विरूद्ध कार्य करता है।

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

(i) संहिता की धारा 13 में या तो व्यापक रूप से स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का अपवाद होना चाहिए या फिर जहाँ महिला विदेश में मुकदमा लड़ने में असमर्थ हो वहाँ अतिरिक्त अपवाद शामिल किया जाना चाहिए।

(घ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

(i) **दंड प्रक्रिया संहिता** की **धारा 126** में, वैवाहिक सहायता एवं विवाह से संबंधित अपराधों के लिए क्षेत्राधिकार ऐसे स्थान के न्यायालय को दिया जाना चाहिए जहां पर महिला वर्तमान में रह रही है।

<u>भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1969</u>

(i) अनिवासी भारतीयों हेतु जमानत की शर्त में प्रवधान है कि उसे अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा करना होगा। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) (ड़) के प्रावधानों को भी सक्रिय रूप से लागू किया जाना चाहिए।

(ii) कानून को यह नियत करना चाहिए कि अनिवासी भारतीय दावा किए गए दहेज/स्त्रीधन की राशि के बराबर जमानत राशि न्यायालय में जमा करे।

विविध

(i) सभी विवाह कानूनों को भरण–पोषण, निर्वाह धन अथवा संपत्ति के मामले में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पति को संपत्ति बेचने अथवा हस्तांतरित करने से रोकने के लिए विशेषरूप से समादेश का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।

(ii) ऐसे पतियों के लिए, जिनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, **लुक आउट नोटिस** जारी किया जाना चाहिए।

(iii) भारत को समन तामील करने, भरण – पोषण आदेश लागू करने और प्रत्यार्पण के लिए उन सभी देशों के साथ, जिनमें भारतीय मूल के लोगों की काफी संख्या है, द्विपक्षीय संधियों पर पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ की सफलता की कुछ कहानियां

i. शिकायतकर्ता ने अपने उस पति के, जिसने उसका परित्याग कर दिया जब वह गर्भवती थी, विदेश में मौजूदा पता–ठिकाना जानने के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग की और उसने अपने पति के पासपोर्ट की प्रति भी मांगी। आयोग ने उसकी शिकायत उसके पति की कंपनी को भेजी। कंपनी ने सूचित किया कि उसके पति ने कंपनी छोड़ दी है और उसके पति के पासपोर्ट की प्रति भी भेजी जिसे शिकायतकर्ता को भेज दिया गया।

ii. तथाकथित दहेज की मांग, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न की एक पीड़िता से उसके पति एवं ससुराल वालों के विरुद्ध यह शिकायत प्राप्त हुई कि भारतीय पुलिस आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही है। आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया और की गई कार्रवाई रिपोर्ट इस सूचना के साथ प्राप्त हुई कि पुलिस ने पीड़िता के पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया गया है।

iii. आयोग को तथाकथित दहेज की मांग, शारीरिक एवं मानसिक दुर्व्यवहार की एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता अपने पति का पासपोर्ट जब्त करने का अनुरोध कर रही थी क्योंकि उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। आयोग ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय महावाणिज्यदूतावास, बरमिंघम के साथ मामले को उठाया। एक की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई कि आरोपी का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है।

iv. आयोग को तथाकथित परित्याग एवं उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने उसके पति को समन तामील करने का भी अनुरोध किया जो एचसीएल अटलांटा में कर्मचारी था। आयोग ने समन की प्रति भारतीय महावाणिज्यदूतावास, अटलांटा को अग्रेषित की जिसे शिकायतकर्ता के

पति को तामील कर दिया गया। आयोग को शिकायतकर्ता से एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें शिकायतकर्ता ने आयोग का आभार व्यक्त किया और मामले को बंद करने का अनुरोध किया क्योंकि मामले का समाधान हो गया है।

v. आयोग को शिकायतकर्ता के पति एवं ससुराल वालों द्वारा तथाकथित उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त हुई। आयोग ने संबंधित जिले के पुलिस उपायुक्त को एक पत्र भेजा। आयोग को यह सूचना देते हुए एक की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई कि आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता को भेजी गई।

vi. आयोग को शिकायतकर्ता के पति द्वारा तथाकथित परित्याग और भरण–पोषण भत्ते का भुगतान न करने की एक शिकायत प्राप्त हुई। चूंकि पति सऊदी अरब में रहता था, आयोग ने शिकायत की जांच करने के लिए शिकायत को भारतीय महावाणिज्यदूतावास, रियाद को अग्रेषित कर दिया। वाणिज्यदूतावास ने शिकायत को विदेश मंत्रालय, किंगडम ऑफ सऊदी अरब को भेज दिया। तत्पश्चात, शिकायतकर्ता के पति ने अपने परिवार से संपर्क किया और भरण–पोषण भत्ते का भुगतान करना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने आयोग की सहायता के लिए उसकी सराहना की और आयोग से शिकायत बंद करने का अनुरोध भी किया।

अध्याय – 5

विधायी प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसार, आयोग कानूनों की समीक्षा करता है, कानूनों से संबंधित विशिष्ट अध्ययन कराता है, संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन करता है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले एवं उनसे संबंधित नए कानूनों को अधिनियमित करने के साथ–साथ मौजूदा कानूनों में संशोधनों की सिफारिश करता है।

I. कानूनों की समीक्षा

वर्ष 2013–14 के दौरान, अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयेग ने निम्नलिखित कानूनों की समीक्षा की :–

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की समीक्षा

आयोग ने इसे सशक्त, स्वतंत्र तथा अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से इस अधिनियम की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की। दिनांक 23 जुलाई, 2012 के आदेश द्वारा कानून के मौजूदा उपबंधों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में संशोधनों पर विशेषज्ञ समिति की प्रारूप सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया गया। सिफारिशों के साथ–साथ दिनांक 24 मई, 2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजे गए। ब्यौरा **अनुलग्नक–VIII** में दिया गया है। **राष्ट्रीय महिला आयोग को सशक्त बनाने के लिए और सिफारिशें बाद में भेजी गई।**

(ii) भारत में बाल विवाह कानूनों के क्रियान्वयन पर सिफारिशें

अपने गठन के समय से ही, राष्ट्रीय महिला आयोग बाल विवाहों के प्रचलन के बारे में चिंता करता रहा है और बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में संशोधन करने की सिफारिशें की हैं। भारत में बाल विवाह की समस्या से कारगर ढंग से निपटने में औपचारिक विधान की विफलता से पार पाने के लिए और व्यापक तंत्र को स्थापित करने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) को 10 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया।

आयोग ने इस मुद्दे पर मेघालय, शिलोंग, पुदुच्चेरी, उदयपुर आदि में राष्ट्रीय एवं क्षेत्र–स्तरीय परामर्शों का आयोजन किया। आयोग ने इस मुद्दे पर पूर्व में आयोजित किए गए सभी परामर्शों की सिफारशों पर चर्चा करने के लिए और इसके आगे इस मुद्दे को हल करने के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए 19 नवम्बर, 2013 को संबंधित मंत्रालयों और सभी पक्षकारों के साथ एक बैठक आयोजित की। सिफारिशों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 31 मार्च, 2014 को भेजा गया। ब्यौरा **अनुलग्नक–IX** में दिया गया है।

(iii) गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकरण हेतु प्रारूप आचार संहिता पर टिप्पणियां

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रसव पूर्व निदान तकनीक प्रभाग ने गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकरण हेतु प्रारूप आचार संहिता को राष्ट्रीय महिला आयोग की टिप्पणियों के लिए भेजा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अपने पत्र के माध्यम से अपने सुझाव/टिप्पणियां भेज दीं। ब्यौरा अध्याय–7 में दिया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रसव पूर्व निदान तकनीक प्रभाग ने गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) नियम,**1996** में अल्ट्रासाउण्ड एवं अन्य मशीनों की अंधाधुन्ध आपूर्ति/बिक्री को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारशों को समाहित करने के लिए नियम 18क को शामिल करने वाली भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 26.02.2014 की अधिसूचना की प्रति भेजी।

II. आयोजित परामर्श

वर्ष 2013–14 के दौरान, अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित परामर्शों का आयोजन किया :

(i) दलित महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन : उनके अधिकारों के लिए आवाज एवं चुनौतियां

''उनके अधिकारों के लिए आवाज एवं चुनौतियां'' विषय पर दलित महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 16 मई, 2013 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य दलित महिलाओं की निराशाजनक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करना और उनकी शिकायतों के निवारण हेतु उपायों की सिफारिश करना था।

(ii) महिला आरक्षण विधेयक पर राष्ट्रीय परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 27 अगस्त, 2013 को इण्डिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में महिला आरक्षण विधेयक पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। काफी चर्चा के बाद, लोक सभा में महिला आरक्षण विधेयक शीघ्र पारित कराने के लिए प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प डा. (श्रीमती) प्रभा किशोर तावैद्य, संसद सदस्य को भेजा गया। संकल्प की प्रति **अनुलग्नक–X** पर दी गई है।

(iii) अधिकार विधेयक पर राष्ट्रीय परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 06 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में अधिकार विधेयक पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। परामर्श में महिलाओं को भारत के संविधान के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय कन्वेन्शनों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पहलुओं पर उन्हें गारंटी प्रदत्त मानवाधिकारों से संपन्न करने के उद्देश्य से, अधिकार विधेयक के प्रारूप चार्टर पर चर्चा एवं विचार–विमर्श भी किया गया।

(iv) 'महिलाओं के साथ जनता के बीच अमानुषिक एवं कलंकित करके अत्याचारों का निषेध' पर राष्ट्रीय परामर्श

'महिलाओं के साथ जनता के बीच अमानुषिक एवं कलंकित करके अत्याचारों का निषेध' पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन 27 एवं 28 फरवरी, 2014 को जयपुर, राजस्थान में किया गया। इस परामर्श का उद्देश्य महिलाओं के साथ जनता के बीच अमानुषिक एवं कलंकित करके हिंसा को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रारूप आदर्श केंद्रीय विधान को अंतिम रूप देने के लिए मंच प्रदान करना था। परामर्श में इस मुद्दे पर विशेष केंद्रीय विधान अधिनियमित करने और मौजूद विधानों के कारगर क्रियान्वयन के लिए आम सहमति उभर कर आई।

(v) जेंडर एवं भूमि का अधिकार पर राष्ट्रीय परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिश की कि महिलाओं को भूमि के अधिकार के कारगर क्रियान्वयन के लिए न केवल कानून में जेंडर असमानता को मिटाने की जरूरत है अपितु कानून का बेहतर क्रियान्वयन भी जरूरी है। तदनुसार, जेंडर तथा भूमि के अधिकार पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक राष्ट्रीय महिला आयोग में 07 सितम्बर, 2013 को आयोजित की गई और जेंडर तथा भूमि के अधिकार पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में 31 मार्च, 2014 को आयोजित किया गया।

III. कराए गए अध्ययन

वर्ष 2013–14 के दौरान, अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित अध्ययन कराए :–

(i) ''छत्तीसगढ़ की जेलों में महिलाओं की स्थिति'' विषय पर अभियान द्वारा अध्ययन।

(ii) ''वैवाहिक क्रूरता और भारतीय दंड संहिता की धारा 498क'' विषय पर इण्डियन स्कूल ऑफ वीमेन स्टडी एण्ड डवलपमेंट, नई दिल्ली द्वारा अनुसंधान अध्ययन।

इन अध्ययनों का ब्यौरा अध्याय–8 में दिया गया है।

IV. अन्य पहलें

वर्ष 2013–14 के दौरान, अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार कुछ अन्य पहलें शुरू कीं :–

(i) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012 पर मानव संसाधन विकास पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधनों का प्रस्ताव वर्ष 2000 में किया था। संशोधित सिफारिशें पुनः वर्ष 2010 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी

गईं। संशोधित विधेयक राज्य सभा में 13 दिसम्बर, 2012 को पुरःस्थापित किया गया और इसे जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया।

आयोग विधेयक पर उसके द्वारा दी गई सिफारिशों पर अपने विचार रखने के लिए संसदीय स्थायी समिति के समक्ष 09 मई, 2013 को उपस्थित हुआ। समिति ने स्त्री अशिष्ट रूपण को विनियमित करने हेतु एक केंद्रीय प्राधिकरण की जरूरत को स्वीकार किया। समिति द्वारा की गई टिप्पणियां नीचे दी गई हैं :–

'7.3 समिति को यह बताया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभिन्न पक्षकारों के साथ क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक परामर्श किया और मौजूदा अधिनियम को 'महिलाओं और बच्चों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध अधिनियम, 2009' के रूप में पुनः प्रारूपित किया। आयोग का मानना है कि मौजूदा अधिनियम में साधनों का अभाव है और शिकायतों की सुनवाई करने तथा उन पर निर्णय देने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है। विधान को क्रियान्वयनकर्ता प्राधिकारियों द्वारा उचित तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के अशिष्ट रूपण के विनियमन हेतु मौजूदा तंत्र और विभिन्न स्वायत्त एजेंसियों में निहित अन्य स्व–विनियामक तंत्र दोनों ही असफल रहे। अश्लीलता के मामलों से संबधित भारतीय दंड संहिता के उपबंध महिलाओं के हितों के लिए हानिकर थे और अपराधी को किसी भी दायित्व से पूर्णतः मुक्त रखते थे। यह अधिनियम एवं दंड संहिता के प्रासंगिक उपबंधों का गलत औचित्य था। इसके अलावा, उपलब्ध विनियामक एवं विधायी दस्तावेज़ होने के बावजूद भी, महिलाओं को वस्तु के रूप में मानने के खिलाफ रोष पर सार्वजनिक बहस जारी रही और इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में महिलाओं के चित्रण के बारे गंभीर चिंताएं थी। इस पृष्ठपट में, आयोग ने अधिनियम के उचित क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक नोडल प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा, आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय होने चाहिएं। पुलिस, न्यायपालिका के संवेदीकरण की भी जरूरत थी जिससे ऐसे मामलों में अपराधी के छूट जाने और दोष सिद्ध होने के अनुपात में कमी आएगी। इसके अलावा, यह सुझाव दिया गया कि ऐसी अश्लीलता, जो इंटरनेट के जरिए सुगमता से उपलब्ध है, का निषेध भी अधिनियम के दायरे में लाया जाए।

7.4 प्रस्तावित केंद्रीय प्राधिकरण की व्याख्या करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया कि उक्त प्राधिकरण की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी और यह उस विधि को, जिसमें महिलाओं को किसी भी प्रकाशित दस्तावेज़ में अथवा मीडिया के प्रसारण में चित्रित किया गया है, नियंत्रित एवं विनियमित करेगा। इसके प्रमुख राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य सचिव होंगे और इसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रैस परिषद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नामित महिलाओं के मुद्दों पर कार्य में अनुभवी एक सदस्य शामिल होंगे। इस केंद्रीय प्राधिकरण को कार्यक्रम देने वाले अथवा विज्ञापन के प्रसारण अथवा प्रकाशन के खिलाफ अपील/परिवाद अथवा शिकयत प्राप्त करने, भारतीय दंड संहिता की धारा 292–294 के अंतर्गत

शिकायतों से संबंधित मामलों की जांच करने अथवा उन पर स्व–संज्ञान लेने, ऐसी शिकायतों पर विचार करने तथा साठ दिन के भीतर उनका निपटान सुकर बनाने आदि की शक्तियां प्राप्त होंगी/कार्य करेगा। इसके बाद यह प्राधिकरण दोषी विज्ञापक एवं प्रकाशक को उसके प्रसारण अथवा विज्ञापन अथवा कार्यक्रम आदि को बंद करने के लिए आदेश जारी करेगा। यह प्राधिकरण किसी भी राजपत्रित अधिकारी को प्रवेश करने, किसी भी आपत्तिजनक विषय वस्तु अथवा समग्री को जब्त करने के लिए प्रधिकृत भी करेगा।'

समिति यह सिफारिश करती है कि विधेयक को उसके द्वारा सुझाए गए संशोधनों/परिवर्धनों को समाहित करने के बाद पारित कर दिया जाए। समिति मंत्रालय से पक्षकारों की सिफारिशों/सुझावों को समाहित न करने के कारण बताने के लिए भी कहती है।

ii) समझौता ज्ञापन (एमओयू)

हुडको और राष्ट्रीय महिला आयोग ने 07 मई, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों संगठन अभिनिर्धारित क्षेत्रों में महिला होस्टलों, सुधार गृहों जैसी सुविधाओं और कोई भी चीज जो महिलाओं के कल्याण से संबंधित है, के लिए निराश्रित महिलाओं के आवास की गुणवत्ता में सुधार करके उनकी जीवन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करके सहयोग तथा मिलकर कार्य करने के समझौते पर पहुंचे। समझौता ज्ञापन के तहत वृन्दावन के रास बिहारी सदन, निराश्रित महिलाओं के लिए एक आश्रय गृह को पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

iii) राज्य महिला आयोग के कार्यकरण की समीक्षा

आयोग ने राज्य सरकारों से उनके राज्यों में राज्य महिला आयोगों के कार्यकरण की समीक्षा करने और यदि अपेक्षित हो, उनके अधिदेश के अनुसार अधिक कारगर रूप से कार्य करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त जनशक्ति एवं भौतिक अवसरंचना प्रदान करने का मामला उठाया है।

V. राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग

राष्ट्रीय महिला आयोग समय–समय पर संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन करके राज्य आयोगों से विचार – विमर्श करता रहता है। महिला सशक्तीकरण पर संसदीय स्थायी समिति ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच नियमित विचार – विमर्श के लिए एक तंत्र विकसित करने की सिफारिश की।

इस दिशा में एक कदम और आगे के रूप में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य महिला आयोगों के साथ निम्नलिखित परामर्श/विचार–विमर्श बैठकें आयोजित कीं :

(i) 04 अक्तूबर, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली में राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों के लिए प्रशिक्षण

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों के लिए 04 अक्तूबर, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया।

(ii) 09 जनवरी, 2014 को इम्फाल, मणिपुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य महिला आयोगों के साथ विचार–विमर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 09 जनवरी, 2014 को इम्फाल, मणिपुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य महिला आयोगों के साथ विचार–विमर्श बैठक का आयोजन किया।

(iii) 30 जनवरी, 2014 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में राज्य महिला आयोगों के साथ राष्ट्र स्तरीय विचार–विमर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग और आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग ने 30 जनवरी, 2014 को हैदराबाद में राज्य महिला आयोगों के साथ विचार–विमर्श बैठक का संयुक्त रूप से आयोजन किया।

VI. महिलाओं से संबंधित कानूनों के उचित क्रियान्वयन पर न्यायपालिका एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण

आयोग ने न्यायापालिका एवं पुलिस कार्मिकों के जेंडर संवेदीकरण से संबंधित एक स्कीम का अनुमोदन किया है। न्यायपालिका एवं पुलिस अकादमियों के सहयोग से नियमित आधार पर क्षमता निर्माण का अभ्यास किया गया। आयोग ने इस संदर्भ में वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम प्रायोजित किए :

(i) एमिटी विधि विद्यालय, एमिटी परिसर, नोएडा : आयोग ने न्यायपालिका के अधिकारियों और पुलिस कार्मिकों को जेंडर मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए एक तीन दिवसीय कार्यशाला प्रायोजित की ताकि महिलाओं के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय वे जेंडर संवेदी तरीके से कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

(ii) हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन, हरियाणा : आयोग ने जेंडर संवेदीकरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर दो पाठ्यक्रम प्रायोजित किए हैं। अकादमी ने जेंडर से संबंधित मुद्दों पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में 500 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया है।

(iii) कांस्टेबल प्रशिक्षण स्कूल (सीटी,स), भागलपुर : आयोग ने जेंडर संवेदीकरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर एक दो दिवसीय कार्यशाला प्रायोजित की। अकादमी ने जेंडर से संबंधित मुद्दों पर 300 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया है।

(iv) महाराष्ट्र राज्य आयोग, मुम्बई :– आयोग ने पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, नासिक के माध्यम से प्रशिक्षण प्रायोजित किया। प्रशिक्षण स्थल पुलिस अनुसंधान केंद्र, पुणे था। उन्होंने जेंडर संवेदीकरण पर टीओटी (प्रशिक्षक प्रशिक्षकों) को तीन दिन का प्रशिक्षण दिया।

अध्याय – 6

अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 (1) (छ) के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराने और बाधाओं का पता लगाने, जिससे कि उनको दूर करने की कार्ययोजनाओं की सिफारिश की जा सके, का अधिदेश प्राप्त है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10 (1) (ज) के अंतर्गत संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान कराने, जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधिनित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जा सके, का भी अधिदेश प्राप्त है।

अधिदेश के अनुसार, आयोग गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्वैच्छिक संगठनों, विश्वविद्यालयों/कालेजों, स्वायत्त निकायों, संस्थाओं आदि के सहयोग से विशेष अध्ययन कराता है, संगोष्ठियों/सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं, कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों (एलएपी) और पारिवारिक महिला लोक अदालतों (पीएमएलए) का आयोजन करता है। आयोग विभिन्न संगठनों के सहयोग से समाज के विभिन्न वर्गों की राय एवं सुझाव प्राप्त करता है। आयोग प्रायः महिलाओं के अधिकारों एवं उनके सशक्तीकरण के लिए इस प्रयोजन हेतु कार्य कर रहे सिविल समाज के समूहों, शिक्षाविदों, जेंडर अधिकारों के लिए कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं तथा अन्य पक्षकारों के साथ कार्य करता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अनुसंधान/अध्ययन कराने हेतु तेजाब हमलों की पीड़ित महिलाएं; मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति; अल्पसंख्यक महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा; दलित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आदि जैसे कुछ विशिष्ट मुद्दे/विषय अभिनिर्धारित किए और इन मुद्दों पर कुछ अध्ययनों को प्रायोजित किया।

आयोग ने वर्ष 2013–14 के दौरान संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए बलात्कार/अवैध व्यापार; चुड़ैल हत्या; मीडिया में महिलाएं; घटता हुआ लिंग अनुपात; घरेलू हिंसा; जेंडर आधारित हिंसा आदि जैसे कुछ प्रासंगिक एवं विशिष्ट मुद्दे भी अभिनिर्धारित किए और इन मुद्दों पर अनेक परामर्शों एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया।

आयोग जेंडर समानता एवं सशक्तीकरण से विशिष्ट रूप से संबंधित मुद्दों पर प्रासंगिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अनेक संगोष्ठियों, जन सुनवाइयों, कार्यशालाओं एवं अनुसंधान अध्ययनों को भी बढ़ावा देता है।

आयोग महिलाओं के मुद्दों/उनकी समस्याओं और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध कानूनी उपचारों के बारे में व्यापक जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से कानूनी कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी क्रियाकलापों का प्रायोजन भी करता है। पिछड़े और अल्प विकसित क्षेत्रों में जागरूकता विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

कल्याणपुर, बिहार में 06 और 07 मार्च, 2014 को आयोजित ''कानूनी जागरूकता कार्यक्रम'' के अवसर पर उपस्थित प्रतिभागी महिलाएं।

ऐसे संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य/क्षेत्र/राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठियां, अनुसंधान/अध्ययन, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम एवं पारिवारिक महिला लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी, क्रमशः **अनुलग्नक–XI, अनुलग्नक–XII, अनुलग्नक–XIII** और **अनुलग्नक–XIV** पर दी गई है।

वर्ष 2013–14 के दौरान प्रायोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों/ पारिवारिक महिला लोक अदालतों की संख्या की राज्य–वार सूची नीचे तालिका में दी गई है :

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संगोष्ठियों / कार्यशालाओं की कुल संख्या	कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	पारिवारिक महिला लोक अदालतों की संख्या
1	आंध्र पंदेश	18	48	–
2	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3	असम	01	05	–
4	बिहार	03	49	–
5	चंडीगढ़	01		
6	छत्तीसगढ़	03	32	–
7	दिल्ली	24	15	–
8	गोवा	–	–	–
9	गुजरात	05	24	–
10	हरियाणा	06	27	–
11	हिमाचल प्रदेश	01	–	–
12	झारखण्ड	05	11	–
13	कर्नाटक	05	21	02
14	केरल	02	06	–
15	मध्य प्रदेश	08	27	–
16	महाराष्ट्र	15	36	–
17	मिजोरम	01	–	–
18	मणिपुर	02	12	–
19	मेघालय	–	–	–
20	नागालैंड	–	–	–
21	ओडिशा	07	36	–
22	पुदुच्चेरी	–	–	–
23	पंजाब	03	16	–

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संगोष्ठियों / कार्यशालाओं की कुल संख्या	कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	पारिवारिक महिला लोक अदालतों की संख्या
24	राजस्थान	16	102	—
25	सिक्किम	——	——	——
26	तमिलनाडु	03	24	——
27	त्रिपुरा	01	10	——
28	उत्तराखण्ड	02	06	00
29	उत्तर प्रदेश	22	70	04
30	पश्चिम बंगाल	8	25	00
	कुल	**162**	**602**	**06**

हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने थाना/पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिस कर्मियों के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से मई, 2008 में दिल्ली पुलिस के साथ 'घर बचाओ, परिवार बचाओ' नामक एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की ताकि वे महिलाओं से संबंधित मुद्दों का कारगर ढ़ंग से निपटान कर सकें। महाराष्ट्र मॉडल पर दिल्ली में महिलाओं एवं बच्चों हेतु तीन विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए मार्च, 2009 में परियोजना का चरण II शुरू किया गया। प्रकोष्ठ के प्रमुख कार्य महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के मामलों से निपटना, आपराधिक शिकायतों पर पुलिस सहायता प्रदान करना, पारिवारिक सेवा एजेंसियों को मामले रैफर करना, परामर्श देना, कानूनी सहायता प्रदान करना और महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। परियोजना का निधियन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जाता है और इसका क्रियान्वयन टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) और दिल्ली पुलिस के सहयोग से किया जाता है। परियोजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए, इसके कार्यकाल को एक और वर्ष के लिए मार्च, 2015 तक बढ़ा दिया गया है।

वर्ष 2013–2014 के दौरान अनुसंधान प्रकोष्ठ की सिफारिशें

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2013–14 के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधानों/अध्ययनों के साथ–साथ संगोष्ठियों/सम्मेलनों/परामर्शों को प्रायोजित किया और अध्ययनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों में अन्य बातों के साथ–साथ उभर कर आई सिफारिशें केंद्र, राज्य सरकारों एवं संबद्ध एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन हेतु अध्याय–8 में दी गई हैं।

अध्याय – 7

पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने और उनका विकास एवं सशक्तीकरण करने के लिए विशेष उपाय करने के लिए पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसके अलावा, यह प्रकोष्ठ पूर्वोत्त्र राज्य विशिष्ट अधिनियमों एवं संहिताओं/प्रथाओं की कानूनी समीक्षा से संबंधित मामलों को भी देखता है।

9–12 जनवरी, 2014 को राष्ट्रीय महिला आयोग का मणिपुर का दौरा

अलग से पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ के गठन का पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक प्रचार करने और स्थानीय महिलाओं से बातचीत करने के लिए, श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अगुवाई में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने 09–12 जनवरी, 2014 को मणिपुर का दौरा किया। दौरे के दौरान, मणिपुर राज्य महिला आयोग के सहयोग से निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :

I. राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की समाकलनात्मक बैठक

09 जनवरी, 2014 को इम्फाल, मणिपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्षेत्र के राज्य महिला आयोगों के साथ सशक्त नेटवर्क विकसित करने और निम्नलिखित बिंदुओं पर राज्य आयोगों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके साथ एक सत्र का आयोजन किया :–

(i) विभिन्न कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदत्त सुरक्षोपाय राज्य में कैसे कार्य कर रहे हैं।

(ii) राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सुरक्षापायों के कारगर क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें।

(iii) महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए आयोजना प्रक्रिया में सुधार पर सलाह।

(iv) विश्वविद्यालयों अथवा स्थानीय प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से संवर्धनात्मक एवं शैक्षणिक अनुसंधान शुरू करने के लिए राज्य महिला आयोगों के लिए कार्यविधि और योजना/प्रस्ताव।

चर्चा शुरू करते हूए, इबेतोम्बी देवी, अध्यक्ष, मणिपुर राज्य महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों और राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षों का स्वागत किया और राष्ट्रीय महिला आयोग में पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ के गठन की पहल के लिए श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग का आभार व्यक्त किया।

श्रीमती ममता शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने संबोधन में इम्फाल में मिलने के अवसर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। श्रीमती शर्मा ने सभा को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और जेंडर आधारित हिंसा के निवारण एवं जेंडर मुद्दों पर कार्य करने के अवसर

उपलब्ध कराने के लिए प्रकाशित पुस्तिकाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याएं एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न – भिन्न हो सकती हैं लेकिन महिला अधिकारों की वंचना सर्वव्यापक है। उन्होंने पूर्वोत्तर में जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साहस का एवं राजनैतिक सक्रियतावाद का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे सशक्त एवं संवेदी बनाने के लिए महिलाओं तक गांव स्तर तक पहुंचने के लिए नियमित बातचीत करने की जरूरत भी महसूस की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अपने राज्यों के साथ–साथ अखिल भारत में उनकी विशिष्ट समस्याओं एवं चुनौतियों को समझता है। इसलिए, पूर्वोत्तर की महिलाओं और उनकी विशिष्ट समस्याओं/चुनौतियों पर अधिक ध्यान देने और जहां कहीं अपेक्षित हो, राज्य सरकारों/केंद्र सरकार के साथ हस्तक्षेप करने के लिए भी, पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उन्होंने राज्य महिला आयोगों के साथ, जो बुनियादी स्तर तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण शाखा हैं, नियमित विचार – विमर्श की जरूरत पर भी जोर दिया।

विचार विमर्श बैठक के दौरान राज्य आयोगों के अध्यक्षों ने पूर्वोल्लिखित मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण दिया।

राज्य महिला आयोगों ने उनके सामने आ रही निम्नलिखित समान समस्याओं के कारण अधिदेश के अनुसार उपयोगी एवं सार्थक कार्य करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की :

(i) राज्य महिला आयोगों का 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये का बहुत छोटा वार्षिक बजट होता है जो क्षेत्र की महिलाओं की जरूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ii) कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के लिए राशियां काफी अपर्याप्त हैं क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी भूमि व भौतिक विशेषताओं के कारण दुर्गम क्षेत्र है।

(iii) त्रिपुरा राज्य के अलावा, जहां अध्यक्ष केबिनेट मंत्री के स्तर का होता है और उसे मंत्री का पूरा दर्जा प्राप्त है, अन्य राज्यों में अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्तर परिभाषित नहीं है।

(iv) अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन अथवा मानदेय बहुत ही कम है और यह 2,000/– रुपये से लेकर 15,000/– रुपये प्रति माह है।

(v) पुलिस कर्मियों से पूर्व–सक्रिय कार्रवाई एवं सहयोग सुनिश्चित करने के लिए पुलिस संवेदीकरण की जरूरत है।

(vi) महिलाओं को बहु आवश्यक न्याय प्रदान करने के लिए अधिक फास्ट ट्रैक न्यायालयों की जरूरत है।

(vii) लड़कियों के लिए अनिवार्य आत्म रक्षा प्रशिक्षण शुरू किया जाना चाहिए ताकि लड़कियां खतरों से अपनी रक्षा कर सकें।

(viii) लड़कियों के लिए अधिक आश्रय गृह आवश्यक हैं।

(ix) महिलाओं से संबंधित मुद्दों और कार्यक्रमों के लिए निधियों का समर्पित आगम सुनिश्चित करने के लिए राज्य बजट में जेंडर बजटिंग शुरू की जानी चाहिए।

विचार–विमर्श के बाद, निम्नलिखित सिफारिशें उभर कर आईं :

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग राज्य महिला आयोगों को समान स्तर प्रदान करने के मुद्दे को राज्य सरकारों के साथ उठाए।

(ii) महिलाओं हेतु अधिक आश्रय गृहों का निर्माण/स्थापना करना। राज्य महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जो सीएसआस गतिविधियों के लिए उपलब्ध राशि तक पहुंच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता लेगा।

(iii) राज्य महिला आयोग लोगों में और विशेषकर महिलाओं में जागरूकता विकसित करने के लिए सामग्री मुद्रित/प्रकाशित एवं तैयार करने में सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को मीडिया योजनाएं प्रस्तुत करें।

(iv) पुलिस/न्यायायिक अकादमियों के सहयोग से राज्य महिला आयोग क्रियान्वयनकर्ता अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

II. 10 जनवरी, 2014 को विक्रेताओं अथवा "ईमाकैथेल" के साथ विचार–विमर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 10 जनवरी, 2014 को इम्फाल में पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों के साथ–साथ इम्फाल के ईमा कैथेल के विक्रेताओं के साथ विचार विमर्श बैठक आयोजित की। ईमा कैथेल्स [माताओं का बाजार], विश्व भर में विख्यात महिलाओं की समानता एवं स्वतंत्रता का विशुद्ध प्रतीक है। इस बाजार में एक भी पुरुष कोई चीज बेचता हुआ नहीं मिलेगा। सब्जी से लेकर मछली तक, फल से लेकर बर्तनों तक, कपड़ों से लेकर हस्तशिल्प तक, और अन्य स्थानीय उत्पाद, विक्रेता सभी महिलाएं हैं। इस बाजार की विशिष्टता यह है कि यह स्थान केवल आहार एवं वाणिज्य का स्थान नहीं है अपितु सूचनाओं के आदान – प्रदान एवं सामाजिक–राजनैतिक प्रक्रमों का स्थान भी है। मणिपुर की महिलाएं प्रगतिशील हैं और उन्होंने जीरो स्तर से पूरे राज्य में बहुउद्देशीय बाजारों की स्थापना की और इन्हें ईमा कैथेल्स के रूप में जाना जाने लगा। ये बाजार महिलाओं को एक साथ आने का अवसर देते हैं और महिलाओं एवं समाज की समस्याओं पर आवधिक चर्चा करने तथा प्राधिकारियों को लिखकर राज्यों के साथ इन्हें उठाने के लिए संयुक्त मंच प्रदान करते हैं।

मणिपुर की समाज कल्याण मंत्री कुमारी ऐ.के. मीराबाई देवी ने मुख्य अतिथि के रूप में अवसर की शोभा बढ़ाई। मुख्य सचिव श्री पी.सी. लॉमकुंगा, भा.प्र.से. और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग श्री बरुण मित्रा, भा. प्र.से भी उपस्थिति थे।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रकाशन **"हिंसा मुक्त घर, महिलाओं का अधिकार"** की द्विभाषी पुस्तक (मणिपुरी–अंग्रेजी) का विमोचन किया गया।

इम्फाल के ईमा कैथेल्स की महिला व्यापारियों ने बाद में हुए विचार विमर्श में निम्नलिखित समस्याएं एवं सुझाव प्रकट किए :–

(i) दुकानदारों का निर्बाध आगमन सुनिश्चित करने के लिए बाजार के चारों ओर की दीवार एवं तारबंदी हटा दी जाए ताकि बाजार चारों ओर से खुला हो।

(ii) शौचालयों में रिसाव हो रहा था और सरकार द्वारा इनकी मरम्मत की जरूरत है।

(iii) तीनों बाजारों के लिए एक स्थान पर महिलाओं द्वारा संचालित बैंक की आवश्यकता है और इसे पहले तल पर खोला जाए जहां इसके लिए स्थान चिह्नित है।

(iv) नगरपालिका कर, जो 15/– रुपये प्रति माह था, को बढ़ाकर 90/– रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसे कम किया जाए।

(v) बाजार की छत, जो रिसती है, की तुरंत मरम्मत कराई जाए क्योंकि जब बरसात होती है, माल एवं सामान खराब हो जाता है।

(vi) ऋण उच्च ब्याज दर पर लिए जाते हैं और सरकार को बैंक को भुगतान की जा रही ब्याज पर छूट देनी चाहिए।

(vii) फेरीवाले विक्रेता व्यवसाय को हथिया रहे हैं और इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया जाए।

(viii) बाजार में एटीएम लगाया जाए।

(ix) पार्किंग स्थल को बाजार से दूर स्थानांतरित किया जाए।

(x) सरकार तीनों ईमा कैथेल्स को सुपर बाजार में बदलना चाहती है लेकिल ईमा कैथेल्स की महिलाओं ने 'नींद रहित रातें' नामक विरोध प्रदर्शन किया। वे कहती हैं कि वे सुपर बाजार के खिलाफ हैं और परंपरागत शैली के बाजार जारी रखना चाहती हैं।

(xi) फोउओइबी बाजार की सचिव ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, श्रीमती ममता शर्मा को ज्ञापन सौंपा।

तदोपरांत, ईमा कैथेल्स की महिलाओं के द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा करने और उनकी शिकायतों का शीघ्र निपटान करने का अनुरोध करने के लिए मणिपुर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

III. 11 जनवरी, 2014 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मोरेह – एक सीमावर्ती शहर का दौरा

राष्ट्रीय महिला आयोग की भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती निर्मला सामंत और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ललडिंगलियानी साइलो ने भारत–म्यांमार सीमा पर सीमावर्ती गांव मोरेह की सामुदायिक महिला नेताओं से मुलाकात की। पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य महिला आयोगों की अध्यक्ष उपस्थित थीं।

'सहभाजन सत्र' में मोरेह की महिला नेताओं ने उनके सामने आ रही निम्नलिखित समस्याओं के बारे में बताया :–

(i) गर्भवती महिलाओं को कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसलिए उन्हें इम्फाल जाना पड़ता है। कुछ महिलाओं के रास्ते में दम तोड़ने के बारे में बताया गया।

(ii) क्षेत्र में उपलब्ध पानी पीने योग्य नहीं है

(iii) पहाड़ी जनजातीय परिषद, मेइतेइ परिषद आदि कानून संबंधी निर्णय लेती हैं और सामुदायिक एसोशिएशनें बलात्कार जैसे मुद्दों से निपटती हैं।

(iv) महिलाओं की समस्याओं और ड्रग, एचआईवी/एड्स आदि पर अनेक गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं।

(v) मोरेह की अधिकांश महिलाएं कुली के रूप में कार्य करती हैं। उनके लिए नियोजन के बेहतर अवसर होने चाहिएं।

(vi) सरकार को आर्थिक उन्नयन के लिए कोई वैकल्पिक आजीविका प्रदान करनी चाहिए।

(vii) कूड़ा निस्तारण की कोई उचित सुविधा नहीं हैं और महिलाओं को स्वयं झाड़ू लगाना पड़ता है और कूड़ा साफ करना पड़ता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य महिला आयोगों के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

क्र.सं.	राज्य महिला आयोग	कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	संगोष्ठी/कार्यशाला
1	अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग	7	–
2	असम राज्य महिला आयोग	5	–
3	मेघालय राज्य महिला आयोग	7	1
4	मिजोरम राज्य महिला आयोग	7	–
5	नागालैंड राज्य महिला आयोग	7	–
6	त्रिपुरा राज्य महिला आयोग	7	1
7	सिक्किम राज्य महिला आयोग	7	–

अध्याय – 8

सूचना का अधिकार

प्रशासनिक एवं अन्य मामलों में स्पष्टता, पारिदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। अधिनियम जब तक कि मामले को सार्वजनिक करने की छूट प्राप्त नहीं हो, आवेदक को, जो भारत का नागरिक है, कार्यपालक अभिकरणों के पास उपलब्ध सूचना प्रदान करने की व्यवस्था करता है।

आयोग ने उप सचिव को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और संयुक्त सचिव को अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किया है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी कर्तव्यों के उचित निष्पादन हेतु यथा आवश्यक किसी अन्य अधिकारी की सहयता ले सकता है। कोई अधिकारी, जिसकी सहायता उप धारा 5 (4) के अंतर्गत मांगी गई है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता देगा और उसे मानित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी माना जाएगा।

(क) वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त एवं निपटान किए गए सूचना का अधिकार आवेदनों का ब्यौरा

सूचना का अधिकार अधिनियम की तिमाही रिपोर्ट	सूचना का अधिकार आवेदनों का आदि शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य लोक प्राधिकारियों से अंतरित आवेदनों सहित प्राप्त आवेदनों की संख्या	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य लोक प्राधिकारियों से अंतरित आवेदनों सहित निपटाए गए आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदन
01–04–2013 से 30–06–2013	33	203	200	36
01–07–2013 से 30–09–2013	36	147	157	26
01–10–2013 से 31–12–2013	26	165	171	20
01–01–2014 से 31–03–2014	20	171	140	51

(ख) वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त एवं निपटाई गई प्रथम अपील का ब्यौरा

सूचना का अधिकार अधिनियम की तिमाही रिपोर्ट	सूचना का अधिकार आवेदनों का आदि शेष	धारा 6(3) के अंतर्ग अन्य लोक प्राधिकारियों से अंतरित आवेदनों सहित प्राप्त आवेदनों की संख्या	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य लोक प्राधिकारियों से अंतरित आवेदनों सहित निपटाए गए आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदन
01–04–2013 से 30–06–2013	07	35	36	06
01–07–2013 से 30–09–2013	06	18	19	05
01–10–2013 से 31–12–2013	05	20	19	06
01–01–2014 से 31–03–2014	06	22	17	11

उपरोक्त तालिका में दिया गया ब्यौरा केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम वार्षिक रिटर्न सूचना प्रणाली में अपलोड कर दिया गया है।

यद्यपि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, संबंधित कर्मचारियों को नियमों एवं विनियमनों के बारे में अद्यतन रखने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण दिया गया है। आयोग वेबसाइट के माध्यम से नियमित अंतराल पर लोगों को स्वतः अधिक से अधिक सूचना प्रदान करने का सतत प्रयास करता रहता है ताकि लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। हिंदी में प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों के उत्तर अधिकांश मामलों में हिंदी मे ही दिए गए।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों के उत्तर यथासंभव शीघ्र दिए गए। अंतरण हेतु मामलों को अति शीघ्र अंतरित कर दिया गया और जब कभी सूचना देने से इनकार किया गया, ऐसा मुख्यतः निजता को बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के कारण किया गया।

सभी सूचनाएं, जिन्हें पब्लिक डोमेन पर डाला जाना था, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आयोग में आयोजित बैठकों/ संगोष्ठियों और आयोग की माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के औपचारिक दौरों के बारे में सूचना, प्रैस विज्ञप्तियां, विभिन्न प्रकाशन, वार्षिक रिपोर्टें, जांच रिपोर्टें, निविदा सूचनाएं, रिक्त पदों के विज्ञापन आदि वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित सूचनाओं के साथ सूचना का अधिकार खण्ड अलग से है :

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
2. सूचना का अधिकार नियमावली एवं दिशानिर्देश
3. सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित अधिकारियों का ब्यौरा
4. संगठनात्मक चार्ट
5. राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों का वेतन विवरण
6. जारी की गई अधिसूचनाएं और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का अधिनियम सं. 4) के अंतर्गत बनाए गए नियम
7. सूचना का अधिकार आवेदकों की सूची
8. बार–बार पूछे जाने पश्न (एफएक्यूज)
9. अधिसूचना (हिंदी, अंग्रेजी)
10. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत सूचना
11. वर्ष 2007–08 से 2013–14 तक की वार्षिक रिपोर्टें

अध्याय – 9

सिफारिशें

भारतीय संविधान जाति, नस्ल, धर्म, रंग एवं लिंग का भेदभाव किए बिना हमारे समाज के सभी वर्गों को न्याय और समानता की गारंटी प्रदान करता है। महिलाओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक विधान अधिनियमित किए गए हैं और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों और अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन किए गए हैं। इन उपायों के बावजूद, महिलाओं के विरुद्ध दहेज हत्या, तेजाब हमला, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू हिंसा आदि जैसे अपराध और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार होते रहते हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयोग का मूल अधिदेश महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखना और उनकी सुरक्षा करना है, वर्ष 2013–14 के दौरान पक्षकारों के साथ परामर्श करने के बाद, सरकार द्वारा क्रियान्वयन के लिए अन्य बातों के साथ–साथ कानूनी पहलुओं पर सिफारिशें निम्नानुसार प्रस्तावित की गई हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसी वर्ष के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन भी प्रायोजित किए और इन अध्ययनों से उभर कर आई सिफारिशें भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वयन हेतु नीचे दी गईं हैं।

I. कानूनों की समीक्षा

वर्ष 2013-14 के दौरान, अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित कानूनों की समीक्षा की :–

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की समीक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में कतिपय संशोधनों की पहले भी सिफारिशें की थीं और उन सिफारिशों को वर्ष 2006 एवं पुनः वर्ष 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा था। आयोग ने इसे सशक्त, स्वतंत्र तथा अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से इस अधिनियम की समीक्षा करने की पुनः जरूरत महसूस की। दिनांक 23 जुलाई, 2012 के आदेश द्वारा कानून के मौजूदा उपबंधों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में संशोधनों पर विशेषज्ञ समिति की प्रारूप सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया गया। सिफारिशों के साथ–साथ दिनांक 24 मई, 2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 08 अगस्त, 2013 को भेजे गए। ब्यौरा **अनुलग्नक–VIII** में दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग को सशक्त बनाने के लिए और सिफारिशें बाद में भेजी गई।

(ii) भारत में बाल विवाह कानूनों के क्रियान्वयन पर सिफारिशें

अपने गठन के समय से ही, राष्ट्रीय महिला आयोग बाल विवाहों के प्रचलन के बारे में चिंता करता रहा है और बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में संशोधन करने की सिफारिशें कीं। भारत में बाल विवाह की समस्या से कारगर ढंग से निपटने में औपचारिक विधान की विफलता से पार पाने के लिए और व्यापक तंत्र को स्थापित करने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) को 10 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया।

आयोग ने इस मुद्दे पर मेघालय, शिलोंग, पुदुच्चेरी, उदयपुर आदि में राष्ट्रीय एवं क्षेत्र स्तरीय परामर्शों का आयोजन किया। आयोग ने इस मुद्दे पर पूर्व में आयोजित किए गए सभी परामर्शों की सिफारशों पर चर्चा करने के लिए और इसके आगे इस मुद्दे को हल करने के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए 19 नवम्बर, 2013 को संबंधित मंत्रालयों और सभी पक्षकारों के साथ एक बैठक आयोजित की। सिफारिशों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 31 मार्च, 2014 को भेजा गया। ब्यौरा **अनुलग्नक–IX** में दिया गया है।

(iii) गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकरण हेतु प्रारूप आचार संहिता पर टिप्पणियां

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रसव–पूर्व निदान तकनीक प्रभाग ने गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकरण हेतु प्रारूप आचार संहिता को राष्ट्रीय महिला आयोग की टिप्पणियों के लिए भेजा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अपने पत्र के माध्यम से अपने निम्नलिखित निवेश/टिप्पणियां भेजीं :

(i) सलाहकार समितियों को ऐसे नैदानिक केंद्रों एवं क्लिनिकों का आवधिक निरीक्षण करने की स्पष्टतया शक्ति भी दी जाए।

(ii) सलाहकार समितियों की बैठकों में लिए गए निर्णयों को सार्वजनिक किया जाए।

(iii) प्रत्येक पंजीकृत जननिक परामर्श केंद्र, जननिक प्रयोगशाला, जननिक क्लिनिक एवं इमेजिंग केंद्र पर उपयुक्त प्राधिकरणों में शामिल एवं उपयुक्त प्राधिकरणों की सहायता करने वाले सदस्यों के नाम एवं पते दर्शाए जाएं ताकि कोई भी व्यक्ति, जो शिकायत करने की इच्छा रखता है, आसानी से शिकायत कर सके।

(iv) अल्ट्रासाउण्ड और अन्य मशीनों की अंधाधुन्ध आपूर्ति/ बिक्री विनियमित करने के लिए एक उचित प्रावधान किया जाना भी अपेक्षित है। मशीनों की आपूर्ति विनियमित करने के लिए एक अनिवार्य प्रावधान होना चाहिए।

(v) इस अधिनियम के क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस की सहायता के बिना उपयुक्त प्राधिकरण को छापा मारने, परिसर की तलाशी लेने, उपकरण एवं रिकार्ड जब्त एवं सील करने में कठिनाई होगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रसव–पूर्व निदान तकनीक प्रभाग ने गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) नियम,**1996** में अल्ट्रासाउण्ड एवं अन्य मशीनों की अंधाधुन्ध आपूर्ति/बिक्री को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारशों को समाहित करने के लिए नियम 18 क को शामिल करने वाली भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 26.02.2014 की अधिसूचना की प्रति भेजी।

II. आयोजित परामर्श

वर्ष 2013–14 के दौरान, अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयेग ने अपने विधायी प्रकोष्ठ के माध्यम से निम्नलिखित परामर्शों का आयोजन किया :–

(i) दलित महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन : उनके अधिकारों के लिए आवाज एवं चुनौतियां

''उनके अधिकारों के लिए आवाज एवं चुनौतियां'' विषय पर दलित महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 16 मई, 2013 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य दलित महिलाओं की निराशाजनक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करना और उनकी शिकायतों के निवारण हेतु उपायों की सिफारिश करना था। राष्ट्र स्तरीय परामर्श में उभर कर आईं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजे गईं मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:–

i. सरकार को दलितों एवं अन्य निर्धन समुदायों को जमीन बांटने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

ii. छुआछूत प्रथाओं के विरुद्ध दलित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुपालन में छुआछूत के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कानून का ईमानदारी से एवं कारगर क्रियान्यन किया जाए।

iii. सरकार को दलित महिलाओं के प्रति किए जा रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार प्रदान करने के लिए पूर्व–सक्रिय मानीटरन प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

iv. राजनैतिक अभिशासन के साथ–साथ अन्य निर्णय निर्माण अवसंरचनाओं में जाति प्रभावित समुदाओं की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी सहायता की जानी चाहिए।

v. यह सिफारिश की गई कि दलितों के लिए विशिष्ट घटक योजना का मानीटरन एवं मूल्यांकन करने के लिए सिविल समाज संगठनों की एक समिति बनाई जाए।

(ii) महिला आरक्षण विधेयक पर राष्ट्रीय परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 27 अगस्त, 2013 को इण्डिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में महिला आरक्षण विधेयक पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। काफी चर्चा के बाद, लोक सभा में महिला आरक्षण विधेयक शीघ्र पारित कराने के लिए प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प डा.

(श्रीमती) प्रभा किशोर तावैद्य, संसद सदस्य को भेजा गया। संकल्प की प्रति **अनुलग्नक–X** पर दी गई है।

III. कराए गए अध्ययन

वर्ष 2013–14 के दौरान, अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, विधायी प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित अध्ययन कराए :–

(i) 'छत्तीसगढ़ की जेलों में महिलाओं की स्थिति' विषय पर अभियान द्वारा अध्ययन।

(ii) 'वैवाहिक क्रूरता और भारतीय दंड संहिता की धारा 498क' विषय पर इण्डियन सोशल ऑफ वीमेन स्टडी एण्ड डवलपमेंट, नई दिल्ली द्वारा अनुसंधान अध्ययन।

(i) आयोग ने 'छत्तीसगढ़ की जेलों में महिलाओं की स्थिति' विषय पर अध्ययन करने के लिए अभियान, राव हाउस, पहला तल, गोंदपाडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को एक अध्ययन प्रायोजित किया।

(क) उद्देश्य : अध्ययन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में जेल में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति सुझाना था। अध्ययन में भारत में अपराध एवं महिलाओं में अपराधिता, छत्तीसगढ़ में जेलें और छत्तीसगढ़ की जेलों में महिलाओं की जीवन परिस्थितियां शामिल हैं।

(ख) कार्यविधि : आंकड़ा संग्रहण/सर्वेक्षण की विधि संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरी गई प्रश्नावली के माध्यम से सूचना प्राप्त करना था। अध्ययन पांच केंद्रीय कारागारों और दो उप जेलों में किया गया।

(ग) टिप्पणियां : रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं :

i. महिला बैरकों में जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी जिसके कारण मच्छरों का अनियंत्रित प्रजनन हो रहा है।

ii. गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए अलग कोठरी नहीं थी।

iii. उपलब्ध कराया गया पेय जल एक बैरक के लिए केवल एक मिट्टी के बर्तन में था जो महिला कैदियों के लिए अपर्याप्त था।

iv. जेल में उपलब्ध कराई गई सुविधाएं जैसे कि गर्मियों में ठंडक करने की उचित प्रणाली और सर्दियों के लिए रजाई, स्वैटर आदि मौसम की जरूरतों के अनुकूल नहीं थीं।

v. विचारणाधीन महिलाओं द्वारा स्वच्छता समस्याओं के बारे में रिपोर्ट की गई।

(घ) सुझाव : रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए गए :

i. जेल में बंद महिलाओं को विभिन्न सरकारी स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध लाभ दिए जाने चाहिए। उन्हें जेल से छूटने के बाद अच्छे नागरिक की तरह सामान्य जीवन जीने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

ii. महिला कैदियों को उनके अधिकारों जैसे कि परामर्श का अधिकार, गर्भवती महिलाओं को पोषक भोजन का अधिकार आदि के बारे में जागरूक बनाया जाना चाहिए।

iii. प्रत्येक महिला कैदी को अनुकूल जीवन परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

iv. महिलाओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए।

v. गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए अलग बैरक होनी चाहिए।

vi. परामर्श प्रणाली को अभिनव बनाया जाना चाहिए।

(ii) वैवाहिक क्रूरता और भारतीय दंड संहिता की धारा 498क पर अनुसंधान अध्ययन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वैवाहिक हिंसा की पीड़ितों के परिप्रेक्ष्य से, विशेषकर इस मुद्दे के बारे में हाल ही मे हुए वाद–विवादों के संदर्भ में न्याय प्रदायगी प्रणाली और इसकी सुलभता को समझने के लिए वैवाहिक क्रूरता के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क की प्रभावोत्पादकता पर दो राज्यों अर्थात् हरियाणा और तमिलनाडु में पीड़तों को उपलब्ध कानूनी प्रतितोष पर इण्डियन स्कूल ऑफ वीमेन स्टडी एण्ड डवलपमेंट, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक अनुसंधान अध्ययन को प्रायोजित कया।

अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश महिलाओं को, जो हिंसा का सामना कर रही हैं, इस कानून एवं इसके निहितार्थों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अधिकांश महिलाएं भारतीय दंड संहिता की धारा 498क का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही करती हैं। दुरुपयोग होने से कहीं दूर, हकीकत में इस कानून का उपयोग कम हो रहा है। बहुत सी महिलाएंए हिंसा की घटनाओं का बार–बार सामना करने के बावजूद भी पुलिस के पास जाना पसंद नहीं करती हैं। जबकि इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध कम होने के आरोप हैं, कम दोष सिद्ध होने की ऐसी दर के अनेक कारण हैं। इन कारणों में से एक कारण पुलिस द्वारा इस कानून का खराब क्रियान्वयन है, जो दोष सिद्ध सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक साक्ष्यों को एकत्रित और वाद को न्यायालय में मजबूती से पेश नहीं करती है। अधिकांश मामलों का अंत समझौता होता है क्योंकि महिलाएं बिना किसी परिणाम के लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थ होती हैं। प्रतिवादी पर भी दांडिक न्याय प्रणाली की ओर से प्रत्येक स्तर पर समझौता करने अथवा मामले का निपटारा करने का अत्यधिक दबाव होता है। समाज, पुलिस एवं विधिक तंत्र का प्रत्येक स्तर मामले का निपटारा करने के लिए महिला पर दबाव डालता है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में न्याय प्रक्रियाओं तेजी से कार्य करें क्योंकि देरी से किया गया अन्वेषण आरोपियों द्वारा पीड़ित महिलाओं पर दबाव डालने को अधिक सुगम बनाता है। महिलाओं के लिए ऐसे में सामान्य जीवन जीने के लिए वापस जाना कठिन होता हैए जब उनके मामले न्यायालयों में लंबित होते हैं।

इस अध्ययन में निम्नलिखित सिफारिशें की गई :–

i. पुलिस को दहेज से संबंधित मामलों की 60 दिन की अवधि के भीतर समयबद्ध तरीके से जांच करने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए। धारा 498क (पत्नी के साथ अत्याचार), दहेज की मांग एवं उत्पीड़न, दहेज एवं *स्त्रीधन* वापस न करने, धारा 304ख (दहेज हत्या), तथा धारा 302, विशेषकर दहेज उत्पीड़न से संबंधित हत्या के मामलों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए।

ii. प्रक्रिया में, अन्य उपायों के साथ–साथ, यह निर्धारित किया जाय कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल और भारतीय दण्ड संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम जैसे अन्य विशिष्ट कानूनों की सभी प्रयोज्य धाराओं में दर्ज की जाए; कि पीड़िता एवं उसके निकट संबंधियों एवं उन सभी के जिन्हें पीड़िता अपना गवाह बनाना चाहती है, के बयान पुलिस द्वारा रिकार्ड किए जाएं; दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान शीघ्र ही, महिला के पुलिस के पास पहुंचने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकार्ड किए जाएं और पुलिस को शीघ्र ही दहेज एवं *स्त्रीधन* वापस ले लेना चाहिए। यदि कोई शारीरिक चोट लगी है, पीड़िता को चिकित्सा जांच के लिए ले जाया जाना चाहिए; पीड़िता के जलने और गंभीर चोट होने के मामले में, पीड़िता का बयान 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट द्वारा रिकार्ड किया जाए; मौत के मामले में, कम समय के भीतर शव परीक्षा की जानी चाहिए।

iii. महिला पुलिस स्टेशनों एवं महिला अपराध प्रकोष्ठों (जहां कहीं अस्तित्व में हैं) को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज एवं मामले की जांच करनी चाहिए। उन्हें समझौता प्रक्रिया अथवा किसी भी प्रकार के परामर्श में नहीं लगना चाहिए क्योंकि वे प्रशिक्षित परामर्शदाता नहीं होते हैं और वे अक्सर अपनी सोच तथा पूर्वाग्रह को सामने लाते हैं। वास्तविकता में, उन्हें पीड़िता को उसके कानूनी अधिकारों तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकारों के बारे में बताना चाहिए। पीड़िता को परामर्श, यदि कोई दिया जाए, केवल विधिक सहायता क्लिनिकों एवं अन्य परामर्श केंद्रों, यदि कोई हो, के माध्यम से तभी दिया जाए, जब वह मामले का निपटान करना चाहती हो।

iv. न्यायालय में विचारण दिन–प्रतिदिन आधार पर किया जाना चाहिए तथा असाधरण परिस्थितियों के अलावा, जिन्हें लिखित में रिकार्ड किया जाए, स्थगन नहीं दिया जाना चाहिए। इन असाधारण परिस्थितियों में भी एक सप्ताह से अधिक का स्थगन नहीं दिया जाना चाहिए। विचारण गवाहों की जांच शुरू होने के दो माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाए।

v. संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे न्यायालयों का नजदीकी से मानीटरन करना चाहिए जो निर्धारित समय सीमा के भीतर विचारण नहीं करते हैं और ऐसे विपथगामी न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जवाबदेही प्रक्रिया करनी चाहिए।

vi. सरकार को ऐसी महिलाओं के लिए, जो हिंसा की शिकार हुई हैं और अपने वैवाहिक घरों में नहीं रह सकती हैं, पर्याप्त संख्या में आश्रय गृह स्थापित करने चाहिए। 12वीं पंच वर्षीय योजना के महिलाओं हेतु कानूनी ढांचे पर उप–समूह की सिफारिश को, कि देश के प्रत्येक जिले में एक आश्रय गृह होना चाहिए, सरकार को लागू करना चाहिए।

vii. राज्य को वैवाहिक क्रूरता की ऐसी पीड़िताओं का, जो कानूनी एवं चिकित्सा सहायता लेने में सक्षम नहीं हैं, पुनर्वास करना चाहिए एवं उनके दिन–प्रतिदिन का आहार भी उपलब्ध कराया जाए।

viii. बाल विवाहों को रोकने के लिए विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाए।

ix. भारतीय दंड संहिता की धारा 498क को किसी भी तरह से अनूकृत नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, इसे ऊपर सुझाए गए तरीके से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

x. पुलिस एवं न्यायपालिका को तदर्थ रूप से नहीं अपितु नियमित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा जेंडर संवेदी बनाया जाए। हिंसा के अनेक रूपों, जिनका महिलाओं को सामना करना पड़ता है, और उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के भेदभावों पर जोर दिया जाए ताकि घरेलू हिंसा एवं अन्य प्रकार की हिंसाओं, जिनका महिलाएं घरों में और घरों के बाहर सामना करती हैं, की गंभीरता को कम न आंका जाए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है।

xi. पुलिस एवं न्यायपालिका दोनों को और अधिक संवेदनशील एवं प्रतिनिधिक बनाने के लिए दोनों में सभी स्तरों पर अधिक संख्या में महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए।

xii. अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, कानून एवं इसके महिलाओं एवं अन्य के लिए निहितार्थों के बारे में जागरूकता विकसित किए जाने की तत्काल आवश्यकाता है ताकि वे, जो पीड़ित हैं, कानून की मदद ले सकें। यह कानूनी जागरूकता 12वीं पंच वर्षीय योजना के महिलाओं हेतु कानूनी ढांचे पर उप–समूह द्वारा यथा अनुशंसित ग्रामीण एवं शहरी दोनों स्तरों पर प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तत्वाधान में की जा सकती है।

IV. राष्ट्रीय महिला आयोग का राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग

राष्ट्रीय महिला आयोग समय–समय पर संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन करके राज्य आयोगों से बातचीत करता रहता है। महिला सशक्तीकरण पर संसदीय स्थायी समिति ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच नियमित बातचीत के लिए एक तंत्र विकसित करने की सिफारिश की।

इस दिशा में एक कदम और आगे के रूप में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य महिला आयोगों के साथ निम्नलिखित परामर्श/विचार–विमर्श बैठकें आयोजित कीं :

(i) 04 अक्तूबर, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली में राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों के लिए प्रशिक्षण

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों के लिए 04 अक्टूबर, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस विचार–विमर्श के दौरान आगे दर्शाए गए मुद्दों पर प्रकाश डाला गया :–

क. सभी महिला आयोगों को मजबूती प्रदान करने, एक–समान कार्य के दोहराव से बचने और एक–दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए समय–समय पर परस्पर विचार–विमर्श करना आवश्यक है।

ख. राज्य आयोगों को सुझाव दिया गया कि वे राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए विषयों पर आयोग के सहयोग से विचार–विमर्श कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/परामर्शों के आयोजन के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तथापि, राज्य/क्षेत्र–विशिष्ट विषयों के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग गैर–सरकारी संगठनों को इस आशय के निर्देश जारी करने की प्रक्रिया पर भी विचार कर सकता है कि वे आयोग द्वारा प्रायोजित अपने कार्यक्रमों में राज्य आयोगों को शामिल और आमंत्रित करें।

ग. इस विषय में विचार करने का सुझाव दिया गया कि गैर–सरकारी संगठन संगोष्ठियों/सम्मेलनों के आयोजन के अपने प्रस्ताव राज्य आयोगों के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजें, यदि राज्य आयोगों में यह कार्य करने की क्षमता हो।

घ. यह सूचित करते हुए कि अपने अधिदेश के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और कानूनी रक्षोपायों की समीक्षा करता है, यह सुझाव दिया गया कि राज्य महिला आयोग भी कुछ कानूनों, कानूनी रक्षोपायों की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट/सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकते हैं।

ङ. कॉरपोरेट/विश्वविद्यालय/सामाजिक संगठनों को शामिल करने का सुझाव भी दिया गया क्योंकि इन कार्यक्रमों के आयोजन का निधियन सीमित है। सदस्य सचिव ने यह सुझाव भी दिया कि प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों से परामर्श और कानूनी मामलों में सहायता करने के लिए एक सप्ताह में एक/दो बार परामर्शदाता/कानूनी विशेषज्ञ भेजने का अनुरोध किया जाए। दहेज उत्पीड़न, हिंसा इत्यादि के विभिन्न मामलों में महिलाओं की सहायता करने के लिए आयोजित किए जाने वाले कानूनी सहायता शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सहयोग लिया जाए।

च. राज्यों के समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभागों के साथ समन्वय करके राज्य महिला आयोग गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 सहित महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता शिविर, संवर्धनात्मक कार्यकलाप शुरू कर सकते हैं।

छ. प्रतिभागियों को यह जानकारी दी गई कि निराश्रित महिलाओं की जीवन–दशा में सुधार के उद्देश्य से निर्धारित क्षेत्रों में महिला होस्टलों, आश्रय गृहों जैसी सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सदस्य सचिव ने सुझाव दिया कि राज्य महिला आयोग महिलाओं के कल्याण के उपायों में सहयोग के लिए राज्य में मौजूद नवरत्न या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत अपने संसाधन उपलब्ध कराने को कह सकते हैं।

ज. क्षेत्रीय इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों, टीवी चैनलों पर कार्यक्रमों, परिचर्चाओं के आयोजन की संभावनाएं खोजने के मुद्दे पर भी विचार किया गया।

(ii) 09 जनवरी, 2014 को इम्फाल, मणिपुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य महिला आयोगों के साथ विचार–विमर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 09 जनवरी, 2014 को इम्फाल, मणिपुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य महिला आयोगों के साथ विचार – विमर्श बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से प्राप्त अनुवर्ती कार्रवाई के मुद्दे इस प्रकार हैं :–

i. राज्य महिला आयोगों के एक समान दर्जे का मुद्दा राज्य सरकारों के साथ उठाया जाए।

ii. राज्य महिला आयोग आश्रय गृहों की स्थापना के प्रस्ताव राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्तुत करें।

iii. राज्य महिला आयोग मीडिया योजनाएं राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्तुत करें।

iv. राज्य महिला आयोग पुलिस/न्यायिक अकादमियों के सहयोग से पुलिस/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता विकास/प्रशिक्षण के प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(iii) 30 जनवरी, 2014 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में राज्य महिला आयोगों के साथ राष्ट्र स्तरीय विचार–विमर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग और आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग ने 30 जनवरी, 2014 को हैदराबाद में राज्य महिला आयोगों के साथ विचार–विमर्श बैठक का संयुक्त रूप से आयोजन किया। विचार–विमार्श के बाद निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :

i. झारखंड राज्य महिला आयोग डायन प्रथा के विषय में परियोजना शुरू करे।

ii. केरल राज्य महिला आयोग प्रवासी कामगारों के विषय में परामर्श कार्यक्रम का आयोजन करे।

iii. केरल राज्य महिला आयोग संपूर्ण भारत में कानूनों के कार्यान्वयन में कमियों के विषय में परामर्श कार्यक्रम का आयोजन करे।

iv. विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न विभागों के बीच तालमेल।

v. महिलाओं के सशक्तीकरण में प्रचार माध्यमों का सहयोग लिया जाए।

vi. महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

vii. पुलिस और न्यायपालिका को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

viii. जम्मू और कश्मीर को अन्य राज्यों की भांति सहायता उपलब्ध कराई जाए।

ix. एचआईवी पॉजिटिव पाई गई महिलाओं को न्याय दिलाने, उनके कल्याण और सशक्तीकरण के लिए कार्य किया जाए।

x. महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियों के गठन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

xi. महिलाओं के अधिकारों के विषय में व्यापक जागरूकाता अभियान चलाए जाएं।

xii. अधिकाधिक कुटुंब न्यायालयों और परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाए।

xiii. राज्य महिला आयोगों के दर्जे और शक्तियों में एकरूपता के लिए संबंधित सरकारों को पत्र लिखे जाएं।

V. महिलाओं से संबंधित कानूनों के उचित क्रियान्वयन पर न्यायपालिका एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण

(i) एमिटी विधि विद्यालय, एमिटी परिसर, नोएडा :– आयोग ने न्यायपालिका के अधिकारियों और पुलिस कार्मिकों को जेंडर मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए एक तीन दिवसीय कार्यशाला प्रायोजित की ताकि महिलाओं के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय वे जेंडर संवेदी तरीके से कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे। इस कार्यशाला की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

i. संपत्ति के किसी भी अधिकार से महिलाओं को अलग करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज एवं पारिवारिक कार्यनीतियों में जेंडर तटस्थता को बढ़ावा देने की तत्काल जरूरत है।

ii. ''नैतिक पुलिस'' और ''कानून का प्रवर्तन'' के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।

iii. पुलिस अधिकारियों के लिए अधिक सुविधाओं का प्रावधान किया जाए ताकि उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सके।

iv. पुलिस अधिकारियों के लिए व्यापक दिशानिर्देशों का प्रचार किया जाना चाहिए।

v. महिलाओं से संबंधित अपराधों की उचित रिकार्डिंग के लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाए।

vi. अवैध मानव व्यापार और बंधुआ मजदूरी के वज़ह से होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों की क्षेत्र में कार्य कर रही स्थापन एजेंसियों का रिकार्ड रख कर पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की जानी चाहिए।

vii. मीडियों को बढ़ा चढ़ा कर कही गई एवं सनसनीखेज खबरों से दूर रहना चाहिए।

viii. पुलिस को बलात्कार के मामलों की जांच करते समय संवेदी रहने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

VI. वर्ष 2013–2014 के दौरान अनुसंधान प्रकोष्ठ की सिफारिशें

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2013–14 के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधानों/अध्ययनों के साथ–साथ संगोष्ठियों/सम्मेलनों/परामर्शों को प्रायोजित किया और अध्ययनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों में अन्य बातों के साथ–साथ उभर कर आई सिफारिशें केंद्र, राज्य सरकारों एवं संबंद्ध एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन हेतु नीचे दी गई हैं।

क. अनुसंधान अध्ययनों में की गई सिफारिशें

1. सदर्न इण्डिया एजूकेशन ट्रस्ट, चैन्नई, तमिलनाडु द्वारा भारत में स्व–सहायता दलों का किया गया एक तुलनात्मक अध्ययन

यह अध्ययन वर्ष 2011–12 में संस्वीकृत किया गया था। अध्ययन की रिपोर्ट का अनुमोदन वर्ष 2013–14 में आयोग की बैठक में किया गया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पांच चयनित क्षेत्रों (उत्तर क्षेत्र से राजस्थान,

दक्षिण क्षेत्र से आंध्र प्रदेश, मध्य क्षेत्र से उत्तर प्रदेश, पश्चिम क्षेत्र से महाराष्ट्र और पूर्व क्षेत्र से पश्चिम बंगाल) में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास में स्व–सहयाता दलों की भूमिका का विश्लेषण करना और समृद्धि एवं विकास में उनके योगदान का सार प्रस्तुत करना था। अध्ययन में की गई मुख्य सिफारिशों को क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों के आधार पर निम्नलिखित चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

सामुदायिक स्तर

i. जहां कहीं स्व–सहायता दल ससंबद्ध नहीं हैं, भारत के सभी क्षेत्रों में परामर्श के माध्यम से आपसी मतभेदों को दूर करना चाहिए।

ii. स्व–सहायता दलों के अधिकांश सदस्य अपने क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं होते हैं, उनमें से अधिकांश, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में अधिक पढ़े–लिखे नहीं होते हैं। इसलिए, किसी भी परियोजना अथवा साहसिक कार्य चुनने से पहले, उन्हें पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए।

iii. स्व–सहायता दलों को महिलाओं के लिए सामुदायिक मंच के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि वे गांव के मामलों में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकें। महिलाएं स्थानीय चुनाव में खड़ी हो सकती हैं अथवा सामाजिक या सामुदायिक मुद्दों (महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अल्कोहल, दहेज प्रथा, स्कूल, जल आपूर्ति आदि) के समाधान के लिए कार्रवाई कर सकती हैं क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में उत्तरी, पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र में सामुदायिक समस्याओं में वृद्धि हो रही है।

iv. स्व–सहायता दलों के जागरूकता कार्यक्रम में स्व–सहायता दलों के प्रक्रियात्मक एवं औपचारिक पहलुओं पर जोर देने के बजाय स्व–सहायता दलों की क्षमता के बारे में लोगों में विश्वास पैदा करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

v. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत प्रदत्त सहायिकी बंद कर दी जानी चाहिए और यह राशि विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्व–सहयाता दलों को उनके आईजीए (आय उत्पादक गतिविधियां) उत्पादों के लिए बाजार सहायता के सृजन पर व्यय की जानी चाहिए। अन्य क्षेत्रों को भी इस राशि को तात्कालिकताओं के अलावा आय उत्पादक गतिविधियों पर व्यय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

vi. सभी क्षेत्रों में अंतिरिम ऋण को भी चुना जाना चाहिए।

vii. दक्षिण, उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्र में मितव्ययिता से की जाने वाली बचत राशि में वृद्धि का जानी चाहिए।

viii. मध्य क्षेत्र में मितव्ययिता बचत लागू की जाए।

वित्तीय एजेंसियां

i. महिलाओं की उपभोग जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्याज की कम दर पर ऋण की उपलब्धता मुख्य कारण है जो लगभग सभी क्षेत्रों में स्व–सहायता दलों से जुड़ने के लिए महिलाओं को प्रेरित करता है। इस लिए सभी क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं को उचित रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

ii. सरल प्रक्रिया और वित्तीय एजेंसियों से सही प्रोत्साहन भारत में पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों की तरह महिलाओं को उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक स्व–सहायता दलों को गठित करने में सक्षम बना सकते हैं। यही प्रक्रिया उत्तरी क्षेत्र में भी अपनाई जानी चाहिए।

iii. बकाएदारी का जोखिम और कारोबार लागत कम करने के मामले में उनकी कॉर्पोरेट कार्यनीति के एक भाग के रूप बैंक के अग्रिम पत्राधान में स्व–सहायता दलों के प्रसार का विस्तार करने की आनिवार्य आवश्यकता है।

iv. कर्ज की अदायगी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्व–सहायता दल ऋण एजेसिंयों से कर्ज लेते हैं। इन एजेंसियों को उन्हें कर्ज की अदायगी के बारे में सलाह देनी चाहिए। उचित सलाह प्रतिवादी की क्षमता और स्व–सहायतादलों की ऋण अदयगी में वृद्धि करेगी।

v. बचत करना बीच में छोड़ देने वालों (नियमित बचत करने में अप्रवासन/वित्तीय कठिनाइयों के कारण) की बचतें डूबनी नहीं चाहिए और उन्हें देय ब्याज मिलनी चाहिए। संचयी ब्याज के बारे में स्पष्ट मानदंड अथवा नियमित प्रत्यायन नहीं होने के कारण बचत करना बीच में छोड़ देने वालों को ब्याज न मिलने की संभावना होती है। इसलिए, बचत करना बीच में छोड़ देने वालों का उचित अनुवर्तन होना चाहिए।

vi. ऋण की अदायगी न करने वालों पर समूह में चर्चा से लेकर, चेतावनी देने और जुर्माना लगाने और कुछ मामलों में तो बाकीदार की संपत्ति को कब्जे में ले लेन अथवा उसके घर पर ताला लगाने तक का अक्सर दबाव रहता है। बाकीदारों से निपटने में सही संतुलन बनाए रखा जाए। बाकीदार की स्थिति समझनी चाहिए और नियमित मानीटरन एवं भावी ऋणों का प्रोत्साहन सहित ऋण वसूली के अलग–अलग तरीकों (मौसमी एवं अभेद्य भुगतानों) पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आंतरिक बसूलियों के सुविचरित मानीटरन एवं स्पष्ट दिशानिर्देशों की जरूरत होती है। स्व–सहायता दल छोड़ने और अधिशेष संचय राशि को आपस में बांटने के लिए स्पष्ट मानक अपेक्षित होते हैं।

vii. वित्तीय विवरण का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए क्योंकि वित्तीय विवरण के अभाव में, स्व–सहायता दल/स्व–सहायता दल संवर्धन एजेंसियां उनकी वित्तीय स्थिति का मानीटरन नहीं कर सकती हैं।

गैर सरकारी संगठन/क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियां

i. स्व–सहायता दलों को गैर–सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न सरकारी/बैंक स्कीमों के बारे परिचित कराना चाहिए।

ii. निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए स्व–सहायता दलों के मानीटरन को अधिक सख्त बनाया जाना चाहिए :

   क. नियमित एवं समय पर बचत एवं अंशदान,

   ख. स्व–सहायता दलों की बैठकों का नियमित आयोजन और इनमें सदस्यों की उपस्थिति, विशेषकर दक्षिण क्षेत्र में,

   ग. प्रत्येक बैठक को सार्थक बनाने और आपसी ऋणों, ब्याज दर, ऋण बसूली एवं बैंकों के साथ संपर्क आदि के बारे में यथार्थ निर्णय लेने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन करने के लिए।

निर्धन एवं अत्यधिक निर्धन के लिए फिर भी एसएचपीए (स्व–सहायता दल सवंर्धन एजेंसी) और गैर सरकारी संगठनों द्वारा अधिक प्रयास तथा गहन अनुवर्तन अपेक्षित है।

i. स्व–सहायता दलों को अपनी आजीविका में वृद्धि करने के लिए अवसरों एवं मूल तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। स्व–सहायता दलों के कौशलों में सुधार करने के लिए सभी क्षेत्रों में बाह्य प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहिए। गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्व–सहायता दलों की एकता एवं समृद्धि के लिए नियमित बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए।

ii. स्व–सहायता दलों की महिलाओं को उत्पादों की प्रदर्शनियां लगानी चाहिए जो अन्य स्व–सहायता दलों की महिलाओं को उनके उत्पादों में रुचि हासिल करने के लिए मंच प्रदान करेंगी और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करेंगी।

iii. नियमित अंतराल पर स्व–सहायता दलों के पदाधिकारियों के क्रमावर्तन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

iv. साहूकारों से ऋण लेने को हतोत्साहित करने के लिए सक्षम एजेंसियों द्वारा आय उत्पादक गतिविधियों के लिए प्रेरणात्मक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण, पूर्वी क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, आयोजित किए जाने चाहिए।

v. स्कूल जाने वाले और स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और औपचारिक शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। प्रचलित सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

vi. गैर सरकारी संगठनों को स्व–सहायता दलों के गठन मात्र के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्हें स्व–सहायता दलों के साथ कम से कम पांच वर्षों तक रहना चाहिए और जब तक वे परिपक्व न हो जाएं, उनके साथ कार्य करना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों को पश्चगामी एवं अग्रगामी संपर्कों हेतु स्व–सहायता दलों की सक्रिय रूप से सहायता करनी चाहिए और विशेषकर उन्हें बाजार संबंधी सहायता प्रदान करनी चाहिए। नाबार्ड जैसी संस्थाओं को सामुदायिक बैंकिंग सहायता प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से गैर सरकारी संगठनों की घनिष्ठ भगीदारी से जिला स्तारीय प्रदायगी तंत्र में सुधार करने और अपने निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत है।

vii. चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा स्व–सहायता दलों की प्रगति के लिए कारगर कार्रवाई में सहायता के लिए चुनाव पश्च मार्गदर्शन तथा नेटवर्किंग के माध्यम से अनुवर्तन किया जाना चाहिए।

viii. गैर सरकारी संगठनों और स्व–सहायता दल संवर्धन एजेंसियों को रिकार्ड के रखरखाव एवं अंतरिम सत्यापन के लिए रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण और बाह्य लेखापरीक्षण प्रणाली शुरू करनी चाहिए।

ix. असम के मितव्ययता समूहों ने उल्लेख किया कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए और अपनी शिकायतों के निवारण के लिए बहादुरी से प्रशासन के पास सीधे आ रही हैं। चूंकि यह सिद्ध हो चुका है कि पूर्वोत्तर भारत में यहां तक कि विद्रोह के दौरान भी, स्व–सहायता दल सफल रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में स्व–सहाता दल भी इन सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना सकते हैं।

x. गैर सरकारी संगठनों को प्रेरणा शिविरों और प्रशिक्षण काग्रक्रमों का आयोजन में अपने कौशल दिखाने चाहिए ताकि गांववासियों को प्रेरित कर सकें और स्व–सहायता दलों की क्षमता में विश्वास पैदा कर सकें।

सरकार के स्तर पर

i. नए दलों के गठन के लिए सार्थक ऊर्जा एवं आवश्यक अनुदान अपेक्षित होता है। सरकारों, दानकर्ताओं एवं नीति निर्माताओं को इन छोटे संगठनों में के बारे में जागरूक होना चाहिए और उन्हें पर्याप्त मात्रा में संसाधन दिए जाने चाहिए।

ii. स्व–सहायता दल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर पैदा करने के प्रमुख स्रोत होते हैं। सरकार की ओर से प्रोत्साहन एवं सहायता से ग्रमीण बेरोजगारी की समरस्या को हल किया जा सकता है। पूर्वी क्षेत्र के महिला स्व–सहायता दलों का सशक्तीकरण स्व–सहायता दलों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार करके (मुद्दों को हल करके एवं आय उत्पादक गतिविधियों में वृद्धि करके) किया जाए।

iii. स्व–सहायता दलों को, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, सहायता देने के लिए केवल सक्षम गैर सरकारी संगठनों का चयन करने के लिए यर्थाथ अभ्यास किया जाना चाहिए।

iv. पश्चित बंगाल की निम्नलिखित सर्वोत्तम पद्धतियों को अन्य क्षेत्रों, विशेषकर मध्य क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाए :

क) स्व–सहायता दलों को सरकारी आर्थिक सहायता में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि।

ख) जिला और ब्लॉक स्तरों पर अधिक विपणन आउटलेटों को खोलने की जरूरत है।

ग) स्व–सहायता दलों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के मंत्रियों को शामिल करते हुए राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक 'कार्य बल' गठित किया जाए।

v. सरकार को स्व–सहायता दलों के माध्यम से ग्रामीण निर्धनों की सहायता करने और कम ब्याज दर पर सरल ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए।

vi. सरकारी ठेकों के लिए पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए।

vii. उपभोग आधारित स्व–सहायता दलों का उद्यमशीलता अभिमुख स्व–सहायता दलों में परिवर्तिन के माध्यम से सतत रोजगार के सृजन हेतु जिससे रोजगार सृजन और महिलाओं का सशक्तीकरण हो, स्थानीय संसाधनों का अभिनिर्धारण करने के लिए विकास के सभी पक्षकारों अर्थात् सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं वित्तीय एजेंसियों की सहायता से एक सफल प्रयास किए जाने की जरूरत है। महिलाओं के आजीविका अवसरों में वृद्धि करने के लिए उन्हें आवश्यक प्रबंधकीय, तकनीकी एंवं विपणन कौशल प्रदान किए जाने चाहिए।

2. सामाजिक अनुसंधान केंद्र, बसंत कुंज, नई दिल्ली द्वारा किया गया मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक की जेलों की महिला कैदियों का स्थति विश्लेषण

यह अध्ययन वर्ष 2011–12 में संस्वीकृत किया गया था और सिफारिशों के साथ–साथ अध्ययन की रिपोर्ट का अनुमोदन वर्ष 2013–14 में आयोग की बैठक में किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य महिला कैदियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि तथा उनकी पारिवारिक अवसंरचना की स्थिति का अध्ययन करना और दोषसिद्ध महिलाओं की संख्या एवं अपील प्रक्रिया एवं पैरोल तक उनकी पहुंच का मूल्यांकन करना था। अध्ययन में की गई कुछ सिफारिशों को निम्नलिखित 10 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

प्रबंधन

i. भारत को महिला कैदियों के साथ व्यवहार पर संयुक्त राष्ट्र नियमावली, जिसे बैंकाक नियमावली भी कहा जाता है, की अभिपुष्टि करनी चाहिए।

ii. महिला कैदियों के लिए उत्तरदायी एक उप समिति का गठन किया जाना चाहिए और यह जेंडर संवेदी कार्यक्रमों के लिए नीति तैयार करने एवं कार्यनीति निरूपित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य कर सकेगी।

iii. जेल अधिकारियों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित कर्मचारियों के लिए जेंडर विशिष्ट पाठ्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए।

iv. महिला अपराधियों को जेल से छूटने के बाद सेवाएं और सहायता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ पहुंच एवं भागीदारी निर्माण किया जाना चाहिए।

v. आरोपी महिलाओं के यौन प्रहार के अवसरों को कम करने के लिए महिला कारावास केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

vi. यह जांच करने के लिए कि तंत्र कार्य कर रहा है अथवा नहीं, जेल प्रबंधन की वार्षिक निष्पादन लेखापरीक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

vii. उचित मानीटरन तंत्र जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोगों को उचित तरीके से प्रवर्तित किए जाएं।

viii. गैर दांडिक मामलों से निपटने के लिए कारावास के विकल्पों जैसे कि सामुदायिक सेवा, घर में बंदी, आर्थिक दंड आदि अभिकल्पित किए जाने चाहिए।

ix. ऐसी महिलाओं की, जिन्होंने 10 वर्ष का कारावास काट लिया है और/अथवा वृद्ध हैं (60 वर्ष से अधिक आयु की) सजा माफी अथवा समय से पहले रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए।

विचारणाधीन

i. राज्य सरकार को अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करना चाहिए अथवा एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में, यदि अधिसूचित नहीं किया गया हो, निर्धारित करना चाहिए।

ii. विचारणाधीन कैदियों को दोषसिद्ध कैदियों से दूर अलग संस्थान में रखा जाना चाहिए।

iii. सभी विचारणाधीन कैदियों को पीठासीन मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई की तारीख पर हाजिर किया जाना चाहिए।

iv. सांविधिक समिति को राज्य में विचारणाधीन कैदियों की स्थति की समष्टि के रूप में समीक्षा करनी चाहिए।

v. कारावास के विकल्प को आजमाया जाए और भारतीय दंड संहिता में समाविष्ट किया जाए।

vi. मामालों की त्वरित समीक्षा के लिए लोक अदालतों एवं वाडियो कान्फ्रेंसिंग को वरीयता दी जाए और इनकी संख्या में वृद्धि की जाए।

जमानत/ पैरोल

i. महिलाओं के लिए जमानत की राशि बेजा अधिक और मनमानी नहीं होनी चाहिए।

ii. आबाद जिंदगी एवं स्थायी निवास वाले आरोपी व्यक्तियों को निजी मुचलके पर छोड़ा जाना चाहिए। परवीक्षा अधिकारियों, सामुदायिक सदस्यों और सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन पर्यवेक्षण कर सकते हैं।

iii. पैरोल के लिए, जमानती राशि के लिए उन्हीं दिशानिर्देशों का पालन किए जाए जिनका जमानत के लिए किया जाता है।

कानूनी अधिकार एवं सहायता

i. अभ्यर्थी की विश्लेषणात्मक क्षमता तथा कानून के बुनियादी जानकारी की समस्या के समाधान के लिए भारतीय बार परीक्षा को कड़ाई से लागू करना चाहिए।

ii. सभी जेलों में कैदियों के संख्या के अनुपात में समर्पित कानूनी अधिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं तैनाती होनी चाहिए ।

iii. विधि आधिकारियों की कारगरता को मापने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु मानीटरन प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए।

iv. ऐसे अपराधियों को जो हिदी नहीं समझते हैंए अनुवादक उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

v. कैदियों में उनके अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के बारे जागरूकता फैलाने के लिए कानूनी साक्षरता अभियान चलाए जाने चाहिए।

जीवन परिस्थितियां

i. कैदियों को कपड़ों के दो सेट उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनके पास एक सेट बना रहे जब दूसरा सेट धोया जा रहा हो।

ii. विचारणाधीन कैदियों को भी कपड़े उपलब्ध कराए जाएं क्योंकि कानूनी मामले के परिणामस्वरूप उनका परिवार द्वारा परित्याग किया जा सकता है, जिससे अपराधी बाहरी संसाधनों के बिना रह जाता है।

iii. उपयोग योग्य शौचालयों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जानी चाहिए। कैदियों के निजिता के अधिकार को बनाए रखने के लिए दरवाजों सहित स्नानघर एवं शौचालय सुविधा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। गर्म पानी उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा पर विचार करके पानी की स्थति में सुधार किया जाए।

iv. उन जेलों में, जिनमें महिला कैदियों की संख्या अधिक है, रसोई अथवा खाना पकाने की सुविधाएं महिला वार्ड में विकसित की जाएं ताकि कैदी अपना खाना स्वयं तैयार सकें।

v. कैदियों को कॉल करने की अनुमति दी जाए और प्रति कॉल की समय सीमा बढ़ा कर कम से कम 10–15 मिनट कर दी जाए।

स्वास्थ्य देखरेख

i. प्रत्येक महिला वार्ड में महिला कैदियों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चिकित्सा अधिकारी को महिला वार्ड का हर साप्ताह दौरा करना चाहिए तथा अंतरिम अवधि के दौरान आपातकाल में बुलाने पर उपस्थित रहना चाहिए।

ii. महिलाओं की स्त्रीरोग संबंधी देखरेख तक नियमित पहुंच होनी चाहिए। यदि जेल में स्त्रीरोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं हो सकती होए महिला कैदियों को नियमित जांच के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए।

iii. मनोवैज्ञानिक अथवा मनःचिकित्सक का पद संस्वीकृत किया जाए। प्रत्येक महिला कैदी को, चिकित्सा जांच के अलावा, जेल में प्रवेश से पहले मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन से गुजरना चाहिए।

iv. प्रत्येक जेल में कम से कम एक मनोवैज्ञानिक अथवा मनःचिकित्सक की भर्ती की जाए। इस व्यक्ति को महिला कैदियों को मनोवैज्ञानिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए परामर्श हेतु उपलब्ध रहना चाहिए।

v. जेल में महिला कैदियों एवं बच्चों की देखरेख के लिए, जेल में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की देखरेख के लिए आर.डी. उपाध्याय दिशानिर्देशों को लागू किया जाना चाहिए।

vi. जेल में बच्चों की शैक्षिक, पोषणीय, चिकित्सीय एवं मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए।

मनोरंजन, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रम

i. कैदियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान एवं योग सुविधाएं शुरू की जानी चाहिए। तिहाड़ जेल के उदाहरण के अनुसरण में, दस दिवसीय विपासना पाठ्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।

ii. बागवानी, कला, खेल आदि जेसे कार्यक्रम विकसित किए जाएं जहां महिला कैदियों को कम ऊर्जा लगने वाले कार्यकलापों में लगाया जा सके।

iii. महिला वार्डों में शिक्षक के पद संस्वीकृत किए जाएं और साक्षरता में वृद्धि करने के लिए उचित पाठ्यक्रम विकसित किया जाए।

iv. जेल प्राधिकारियों को शिक्षा के प्रयोजन के लिए जरूरी सामग्री जैसेकि पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की आपूर्ति करनी चाहिए।

v. ऐसी कार्यशालाएं खोलने के लिए, जहां कैदी कार्य अनुभव हासिल कर सकते हैं और जेल में रहते हुए अपनी आय से कुछ बचत कर सकते हैं, एक नीति विकसित और कार्यनीतिक योजना निरूपित की जानी चाहिए।

vi. दिया गया प्रशिक्षण एवं कार्य बाजार की मांग के अनुरूप होना चाहिए जिसका उद्देश्य जेल से छूटने के बाद आजीविका कमाने के महिलाओं के अवसरों में वृद्धि करना है।

vii. उस स्थान को ध्यान में रखते हुए, जहां महिलाएं जेल से छूटने के बाद वापस जाएंगी, दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षणों की सीमा में विस्तार किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

viii. सिलाई–कटाई स्पष्टया एक कौशल है जिसकी मांग काफी है और इसलिए दिए जा रहे पाठ्यक्रमों में वृद्धि की जाए अथवा विविधता लाई जाए।

ix. प्रत्येक कैदी की सजा के घटक के रूप में कक्षाओं और शिक्षा एवं प्रशिक्षण गतिविधियों जैसी अन्य गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उपाय अंगीकृत किए जाने चाहिए।

x. प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाह्य एजेंसियों के साथ सहयोग विकसित किया जाना चाहिए।

बच्चे

i. पुलिस को बच्चे को बताना चाहिए कि उनके अभिवावक कहां और क्यों जा रहे हैं।

ii. यदि उनके अभिवावक को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाता है तो पुलिस को बच्चे को इस संबंध में बताना चाहिए।

iii. जेल अधिकारियों को, जब जेल में माता–पिता दोनों कैद हों, अभिभावक और बच्चों के बीच नियमित बातचीत के लिए विनियम बनाने चाहिए।

iv. जेल में बच्चों को उचित भोजन, भौतिक एवं सामाजिक वातावरण, शिक्षा की सुविधाएं, मनोरंजन गतिविधियां एवं चिकित्सा देखरेख आदि उपलब्ध कराई जाए।

जेल से छूटने के बाद सहायता

i. जेल से छूटने से पहले कैदियों और उनके परिवारों के बीच मध्यस्थता करने के लिए अधिवक्ताओं, जेल के अधिकरियों एवं सिविल समाज के साथ मिलकर उपाय विकसित किए जाने चाहिए।

ii. रिहा की गई महिला अपराधियों का पुनः सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए जेल के अंदर किए गए क्रियाकलापों को बाहर की सेवाओं से जोड़े जाने की जरूरत है।

3. 'सरोगेट मदरहुड – नैतिक या वाणिज्यिक' विषय पर सामाजिक अनुसंधान केंद्र, बसंत कुंज, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अध्ययन

यह अध्ययन वर्ष 2011–12 में संस्वीकृत किया गया था और सिफारिशों के साथ–साथ अध्ययन की रिपोर्ट का अनुमोदन वर्ष 2013–14 में आयोग की बैठक में किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य तीन अध्ययन क्षेत्रों सरोगेसी के मामलों एवं इससे जुड़े मुद्दों का स्थितिक विश्लेषण करना; सरोगेट मदर के लिए सुनिश्चित किए गए सामाजिक एवं स्वास्थ्य अधिकारों की जांच करना; और अध्ययन के आधार पर कानूनी प्रावधानों के माध्यम से सरोगेट मदर, बच्चे एवं कमीशनिंग पेरेंट्स के अधिकारों के संरक्षण के लिए नीतिगत सिफारिशें करना था। अध्ययन से उभर कर आईं मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

केंद्र सरकार की भूमिका

i. मौजूदा सरोगेसी प्रणाली को मानीटीर एवं विनियमित करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत है।

ii. सरोगेसी प्रबंधन विषय, जिसमें तीनों पक्ष अर्थात सरोगेट मदर, कमीशनिंग पेरेंट्स और बच्चा शमिल हो, पर प्रत्यक्ष कानून होना चाहिए।

iii. सरोगेसी पर भारत सरकार का रुख स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए एक सुपरिभाषित कानून का प्रारूप तैयार किए जाने की जरूरत है ताकि सरोगेट मदर के शोषण को बढ़ावा देने वाली गुप्त गतिविधियों को रोका जा सके।

iv. बच्चे के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अभिकल्पित एक मजबूत विधान होना चाहिए।

v. पालन पोषण के अधिकारों के समापन एवं अंतरण की मान्यता को कानूनी वैधता प्रदान की जाए।

vi. सरोगेट मदर से संदेश को सही तरह से संप्रेषित करने के लिए सरोगेट और भावी माता–पिता के बीच संप्रेषण संपर्क के लिए द्विभाषिया (डाक्टर के अलावा) होना चाहिए। प्रायः सेरोगेट मदर्स की ओर से डाक्टर बात करता है लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इनके हितों को बिना किसी गलत अर्थ के संप्रेषित कर दिया गया है।

vii. विशिष्टरूप से, जन्म के बाद, सरोगेट मदर को बिना किसी चिकित्सा सहायता के छोड़ दिया जाता है। यह सिफारिश की जाती है कि गर्भावस्था के तीन माह बाद उनके प्रजनन अंगों की गहन देखरेख और चिकित्सा जांच का प्रावधान होना चाहिए।

viii. यदि सरोगेट मदर जुड़वाँ बच्चों को जन्म देती है, उसे दोगुनी राशि अथवा दूसरे बच्चे के लिए कीमत की कम से कम 75% राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

ix. सरोगेट शिशु का नागरिकता का अधिकार भी अति महत्वपूर्ण है। भारत सरकार को सरोगेट शिशु को भारतीय नागरिकता देने के मामले में दृढ़ रहने की जरूरत है क्योंकि उसने भारतीय माँ (सरोगेट मदर) की कोख से और भारत में जन्म लिया है।

x. बच्चे के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और यदि उसे कमीशनिंग पेरेंट्स द्वारा नहीं ले जाया जाता है, उसे भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए।

xi. स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरोगेट मदर एवं बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य है, इसलिए बीमा किया जाना चाहिए।

xii. सरकार को सरोगेसी क्लिनिकों का, जो सामान्यतः सरोगेसी समझौते के लिए मनमानी कीमत वसूलते हैं, मानीटरन करना चाहिए। उचित विनियमन बनाने और क्रियान्वित किए जाने चाहिए जो सरकार को एह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएंगे कि क्लिनक उचित कीमत ही वसूल करें।

xiii. सभी सरोगेसी समझौतों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एआरटी प्रभाग के तहत उचित मानीटरन समिति की स्थापना की जानी चाहिए।

राज्य सरकार की भूमिका

i. सरकार को सरोगेसी के वाणिज्यीकरण की प्रचुरता पर निगरानी एवं नियंत्रण रखना चाहिए।

ii. सरकार को सरोगेट मदर, कमीशनिंग पेरेंट्स एवं सरोगेसी समझौते के माध्यम से जन्में बच्चे के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरोगेसी क्लिनिकों, आश्रय गृहों और एजेंसियों का मनीटरन करना चाहिए।

iii. राज्य सरकार को विशेषकर ऐसे स्थानों पर एवं उनके आस – पास, जहां सरोगेट मदर्स रहती हैं, गरीबी उपशमन स्कीमों/कार्यक्रमों की जांच करनी चाहिए।

iv. राज्य सरकार को ऐसे स्थानों पर, जहां सरोगेट मदर्स रहती हैं, रोजगार उत्पादक स्कीमों/कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की भूमिका

i. चूंकि आईसीएमआर के दिशानिर्देश पर्याप्त नहीं हैं, सरोगेट मदर्स के लिए अधिकार आधारित कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।

ii. सरोगेट मदर को अनुबंध की एक प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए क्योंकि वह समझौते में एक पक्ष होती है और उसके हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसा होता है कि प्रायः निर्णय भावी माता–पिता एवं क्लिनिक द्वारा लिए जाते हैं, सरोगेट मदर की इस मामले में कोई राय नहीं ली जाती है।

iii. इस विषय पर और अधिक वाद – विवाद एवं चर्चा किए जाने की जरूरत है कि क्या सरोगेट मदरिंग की दिशा में सार्वजनिक नीति एवं कानून बनाया जाना चाहिए। वास्तविकता में, सक्रिय संवर्धन के लिए प्रतिषेध से लेकर विनियमन तक अनेक विकल्प मौजूद हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसी,मआर) की भूमिका

i. सरोगेसी के वाणिज्यीकरण को रोका जाना चाहिए। तथापि, ठोस कानून के माध्यम से मौजूदा सरोगेसी प्रणाली का उचित मानीटीरन किया जाना चाहिए।

ii. सरोगेट मदर्स की गोपनीयता बनायी रखी जानी चाहिए और इसका मानीटरन किया जाना चाहिए।

iii. सरोगेट मदर का तीन बार से अधिक परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए और इस बात का मानीटरन किया जाना चाहिए।

iv. सरोगेट मदर को क्लिनिक/अस्पताल तथा अनुर्वरता चिकित्सक सहित सरोगेसी समझौते में शामिल सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध की एक प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

4. 'तमिलनाडु में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार' विषय पर सदर्न इण्डिया एजूकेशन ट्रस्ट, चैन्नई, तमिलनाडु द्वारा आयोजित अनुसंधान अध्ययन

यह अध्ययन वर्ष 2011–12 में संस्वीकृत किया गया था और सिफारिशों के साथ–साथ अध्ययन की रिपोर्ट का अनुमोदन वर्ष 2013–14 में आयोग की बैठक में किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य तमिलनाडु के विभिन्न धार्मिक समूहों की महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों में भेदभाव को उजागर करना और जेंडर समानता लाने के उद्देश्य से कारगार नीति के निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना था। अध्ययन में की गई सिफारिशों को निम्नलिखित चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

केंद्र सरकार

i. सभी धार्मिक कानूनों को, जो संपत्ति के अधिकार के बारे में भेदभाव करते हैं, निरस्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए अथवा उनमें तत्काल संशोधन किया जाए।

ii. उन प्रथागत कानूनों पर जो जमीन एवं आवासीय मामलों के संदर्भ में संपत्ति के वंशानुगत अधिकार में महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।

iii. संपत्ति से संबंधित नए कानून में ऐसे विशिष्ट प्रावधान शामिल किए जाएं जो सभी धार्मिक समूहों की महिलाओं के संपत्ति के स्वतंत्र अधिकारों को पहचानें एवं उनकी रक्षा करें।

iv. सभी समुदायों की महिलाओं को जेंडर समानता और महिलाओं के कानूनी अधिकारों को अभिशासित करने वाली सभी मौजूदा कानूनों का कारगर क्रियान्वयन सुचिश्चित किया जाए।

v. समाज के सभी वर्गों जैसे कि आम लोगों, सरकारी अधिकारियों, विधायकों, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, समुदाय आधारित गैर–सरकारी संगठनों एवं शिक्षकों को महिलाओं का संपत्ति का अधिकार सहित महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर विशेष ध्यान देते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों से संबंधित शिक्षा दी जानी चाहिए।

vi. 'महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों के लिए बुनियादी सिद्धांत' के प्रारूप को निरूपित करने के लिए महिला कार्यकर्ताओं, विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों को शामिल करते हुए एक समूह का गठन किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके, संरक्षण प्रदान किया जा सके तथा लागू किया जा सके।

vii. वैवाहिक संपत्ति को संयुक्त नाम पर करने को अधिदेशित करने वाले प्रावधान लागू किए जाएं क्योंकि यह महिलाओं के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा है।

viii. जमीन की खरीद, उस तक पहुंच एवं उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण करने वाले कारकों पर ध्यान देते हुए ऐसी स्कीमें जो उत्पादक जमीन तक महिलाओं की सतत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सृजनात्मक तरीकों को खोजती हैं, तैयार की जानी चाहिए।

ix. संपत्ति से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों को स्थापित किए जाने की जरूरत है।

x. महिलाओं के संपत्ति एवं वंशानुगत अधिकारों के बारे में प्रमुख नीति क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों का मानीटरन करने के लिए लोगों का नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए।

xi. यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार की स्कीमों के अंतर्गत लाभ और सुविधाएं जनजातीय महिलाओं द्वारा उनके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उपयोग की जाएं, उपाय किए जाने चाहिए।

राज्य सरकार

i. पूर्ववर्ती प्रभाव से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए महिलाओं की सहायता के लिए और परिवार के पुरुष सदस्यों के समान बराबर लाभ प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार संशोधन अधिनियम, 1989 में संशोधन किया जाना चाहिए।

ii. सरकार को विवाहित महिलाओं सहित महिलाओं को उनके परिवार से उनके हिस्से की संपत्ति लेने के लिए न्यायालय में सुगम पहुंच के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए प्रावधान करने चाहिए।

iii. तमिलनाडु सरकार को परिवारों में जमीन/वंशानुगत संपत्ति विवाद को हल करने तथा संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी लेने में उनकी सहायता करने के लिए गैर–हिस्सेदारी वाले तीसरे पक्ष की सहायता से मध्यस्थता करने के लिए सुलभ एवं स्वतंत्र प्रर्वतन एजेंसियों का सृजन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

iv. तमिलनाडु सरकार को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं की सहायता करने के लिए अर्ध – न्यायिक शक्तियों के साथ स्थानीय न्यायाधिकरण स्थापित करने चाहिए।

v. स्कूलों एवं कालेजों जैसी शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए।

vi. यह जानने के लिए कि जेंडर संवदी तंत्र कैसे स्थापित किया जाए, अनुसंधान किया जाना चाहिए और निष्कर्षों का प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए।

vii. वित्तीय संस्थानों को महिलाओं को बेहतर, वहनीय एवं सुलभ परिसंपत्तियों, विशेषकर आवासीय परिसंपत्तियों के निर्माण में सहायता करने के लिए साख एवं ऋण प्रदान करने हेतु स्कीमें निरूपित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

viii. महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के अलग–अलग पहलुओं पर अतिक्रमण करने वाली सभी कानूनों, नीतियों एवं अधिनियमों को सुमेलित बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

ix. सरकार को जनजतीय गांवों में स्कीमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन एवं मानीटरन करने के लिए क्षेत्र अधिकारियों/कल्याण अधिकारियों के रूप में मावन विज्ञानियों की नियुक्ति करनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कार्यक्रम कारगर एवं सांस्कृतिक रूप से संवेदी बने रहें।

x. जनजातीय बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए, स्कूली पाठ्यक्रम उनकी संस्कृति, बोली एवं स्थानीय वातावरण के अनुसार अभिकल्पित किया जाना चाहिए। शिक्षकों के संबंध में, शिक्षण एवं प्रशिक्षण जैसे निवेश जनजातीय संस्कृति के जोड़ने के लिए आशोधित किए जाने चाहिए।

xi. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।

xii. राज्य सरकार को महिलाओं के मुद्दों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

xiii. राज्य स्तर पर महिला विशिष्ट नीतियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

xiv. महिला संरक्षण के क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों एवं अन्य विधिक कर्मियों को आवधिक अनुकूलन किया जाना चाहिए।

xv. प्रासंगिक सिविल समाज संगठनों में नीति बदलाव के लक्ष्यों की साझा समझ पैदा करने के लिए नेटवर्क तैयार किया जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए।

xvi. इंटर्नशिप एवं आदान–प्रदान दौरों के माध्यम से सफल मध्यस्थता प्रणाली के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को सामने आने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

स्थानीय सरकार

i. अर्ध विधिक व्यवसाइयों एवं सामुदायिक नेताओं को मध्यस्थ के रूप में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

ii. व्यक्तिओं के एक नेटवर्क का, जो महिलाओं के संपत्ति एवं वंशानुगत अधिकार के संबंध में प्रमुख नीति क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों का मानीटरन कर सके, सृजन किया जाना चाहिए।

iii. महिलाओं के संपत्ति एवं वंशानुगत अधिकारों के बारे में समयोचित और अद्यतन सूचना के प्रसार के लिए प्रभावी प्रणालियां विकसित की जानी चाहिए।

iv. समुदाय आधारित महिला समूह गठित किए जाने चाहिए और उन्हें महिलाओं से संबंधित मुद्दों से जोड़ा जाना चाहिए।

v. परंपरागत नेताओं को मूल्यों एवं मानकों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने और महिलाओं की स्तर की लिए सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए मनवाने के लिए कार्यनीतियां विकसित की जानी चाहिए।

vi. जेंडर समानता एवं महिला अधिकारों पर सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री का उपयोग करके स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य स्थानीय स्थलों में शिक्षा अभियान चलाए जाएं और इन अभियानों में पुरुषों को भी शामिल किया जाए।

vii. पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए बुनियादी स्तर पर मध्यस्थता नेटवर्क विकसित किए जाने चाहिए।

अन्य एजेंसियां

i. गैर–सरकारी संगठनों को जागरूकता विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

ii. गैर सरकारी संगठनों को महिलाओं के मुद्दों पर पुरुषों को संवेदनशील बनाने में सक्षम बनाने के लिए अपने जागरूकता कार्यक्रमों में पुरुषों को भागीदार बनाना चाहिए।

iii. जागरूकता विकास के लिए पोस्टर, पर्चियां एवं लोगों के साथ संपर्क कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

5. यौन उत्पीड़न के विषय में कालेज के छात्रों का परिप्रेक्ष्य : बैंगलूरू शहर के कालेजों की केस स्टडी पर वीमेन पावर कनैक्ट, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली द्वारा एक अनुसंधान अध्ययन

यह अध्ययन वर्ष 2011–12 में संस्वीकृत किया गया था और सिफारिशों के साथ–साथ अध्ययन की रिपोर्ट का अनुमोदन वर्ष 2013–14 में आयोग की बैठक में किया गया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यौन उत्पीड़न के बारे में छात्रों के बोध, ज्ञान एवं सोच का पता लगाना और बैंगलुरू शहर के कालेजों में यौन उत्पीड़न निवारण कार्यक्रमों की उपलब्धता निर्धारित करना था। अध्ययन में निकल कर आईं सिफारिशों नीचे दी गई हैं :

कालेज स्तर

i. प्रवेश के समय, अभिवावकों एवं छात्रों के लिए परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

ii. अनुकूल स्वभाव, बेहतर मनोवृत्ति एवं महिलाओं के लिए सम्मान विकसित करने के उद्देश्य से छात्रों को मूल्यपरक शिक्षा दी जानी चाहिए।

iii. छात्रों को परीक्षा से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए या संस्थान से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए यदि वे यौन उत्पीड़न के मामलों में दो बार से अधिक संलिप्त पाए जाते हैं।

iv. कालेज के गलियारों, कैंटीन एवं पार्किंग स्थलों में चार्टों एवं पोस्टरों के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 209, 354 एवं 509 सहत कानूनी प्रावधानों के बारे में छात्रों का संवेदीकरण कया जाना चाहिए।

v. शिक्षा परिसरों में पहली बार यौन अपराध करने वालों को ऐसी टी–शर्ट पहन कर जिस पर 'मैं यौन उत्पीड़न नहीं करूंगा' लिखा हो, परिसर की सफाई करने की सजा दी जानी चाहिए।

vi. छात्रों, प्रबंधन, शिक्षण एवं शिक्षण इतर कर्मचारियों को शामिल करते हुए (उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार) को यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण निकाय की स्थापना की जानी चाहिए।

vii. कैंटीन एवं पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।

viii. छात्रों का कोई भी दुर्घटना होन के मामले में सही मार्गदर्शन किया जाए और शिकायत दर्ज कराने में सहायता की जाए।

राज्य स्तर

i. लोगों को महिलाओं के साथ अत्याचार एवं यौन उत्पीड़न रोकने हेतु कदम उठाने के लिए सतर्क किया जाए। ऐसा गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से संभव हो सकता है।

ii. जेंडर संवेदीकरण के लिए जन शिक्षा शुरू की जानी चाहिए।

iii. शिक्षा संस्थानों का उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यात्मक यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण तंत्र के बारे में नियमित मानीटरन किया जाना चाहिए।

iv. महिलाओं पर सार्वजनिक बहसों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

v. बस स्टॉपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।

vi. व्यस्ततम घंटों के दौरान अर्थात शाम/देर शाम को पुलिस द्वारा मुख्य जंकशनों पर एवं सुनसान जगहों पर पैट्रोलिंग एवं मार्शलिंग की जानी चाहिए।

vii. यौन अपराधों/उत्पीड़न के अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस एवं पासपोर्ट पर इस बारे में मोहर लगा दी जानी चाहिए।

viii. निजी एवं सरकारी कर्मचारियों को 'यौन उत्पीड़न नहीं करूंगा' की शपथ पर हस्ताक्षर कराए जाने चाहिए।

ix. यौन उत्पीड़न एवं प्रतितोष के बारे में प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

x. पीड़िता को या तो ऑनलाइन अथवा अन्य साधनों के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस संकट से निपटने के लिए आगे आना चाहिए।

ii. विज्ञापन एवं प्रसारण को महिला शरीर के अविवेकी उपयोग को बंद करना चाहिए।

iii. कठोर सजा देने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता की धारा 209, 354 एवं 509 में कानूनी संशोधन किया जाना चाहिए ।

iv. शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

v. पीड़िता/शिकायतकर्ता को अदालत में हाजिर होने से छूट मिलनी चाहिए।

vi. महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों के अपराधियों को पेंशन अथवा/उपदान/वृद्धि/वेतन वृद्धि नहीं मिलनी चाहिए।

vii. पीछा करने के संबंध में साइबर कानून में संशोधन किया जाना चाहिए।

viii. साइबर अपराधों अर्थात फोटो का दुरुपयोग, रूप बदलने के अपराधियों को रोकने के लिए सख्त साइबर कानून बनाया जाना चाहिए।

ix. एन्टी रैगिंग की तरह, यौन उत्पीड़न निवारण फोरम को भारत के राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में लाया जाना चाहिए।

6. नागरिक विकास समिति, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित शोध पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी एवं उत्पन्न कठिनाई

यह शोध 2011–12 में स्वीकृत हुआ व अंतिम रिपोर्ट आयोग की बैठक में 2013–14 में स्वीकृत हुई। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचित महिला पंचों एवं सरपंचों के सामने उत्पन्न हो रही कठिनाइयों का पता लगाना व उनके निस्तारण के उपाय करना है। शोध के द्वारा प्राप्त हुए सुझाव निम्नलिखित हैं :

अ. जिला स्तरीय सुझाव

1. ग्राम स्तर पर प्रधान व सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए और उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए।

2. ग्राम पंचायतों की बैठकों में महिलाओं, पंचों व सरपंचों को पूर्ण भागीदारी दी जाए तथा उनके अपने कार्य स्वयं निपटाने हेतु प्रेरित किया जाए।

3. महिला पंच व सरपंच के रिश्तेदारों या परिवारों के सदस्यों द्वारा उनकी मोहर पर अपने हस्ताक्षर न किए जाएं। उनको स्वयं हस्ताक्षर हेतु प्रेरित करें।

4. प्रतिभागियों की संख्या पर विशेष ध्यान दिया जाए।

5. महिला शिवरों/गोष्ठियों का आयोजन कर उसमें प्राप्त की गई उपलब्धियों पर चर्चा की जाए।

6. महिलाओं को स्वयं अपने कार्य हेतु जागरूक करना चाहिए।

7. महिला मंडलों व स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से महिला पंचों व सरपंचों के मन में आत्म विश्वास जागृत किया जाए।

8. आपसी चर्चा के माध्यम से समस्याओं का निवारण कर भागीदारों के बीच सामुदायिक भावना निर्मित करें।

ब. राज्य स्तरीय सुझाव

1. गोष्ठी आयोजन के पश्चात अधिकारियों को वहां जाकर कुछ प्रमुख महिलाओं से संपर्क बनाए रखना चाहिए, ताकि ऐसी महिलाओं को आगे मार्गदर्शन मिल सके और उनके संकल्प को कार्यरूप देने में किए जा रहे प्रयासों में अनुभव की जा रही समस्याओं का समाधान हो सके।
2. बालक – बालिकाओं के जन्म में भेदभाव न रखा जाए।
3. बालिकाओं के शारीरिक व मानसिक विकास के संबंध में प्रशिक्षण योजना तैयार की जाए। महिलाओं को स्वयं अपने कार्य को करने के लिए जागरूक करना चाहिए।
4. महिलाओं पर हो रहे घरेलू अत्याचार एवं शोषण से उन्हें बचाने के लिए विकास खण्ड स्तर पर नियमित योजना बनाई जाए।
5. महिला पंचों एवं सरपंचों की जिला स्तर पर उनकी दैनिक कठिनाइयों को आकलन किया जाए।

स. केंद्र स्तरीय सुझाव

1. यथासंभव अधिक से अधिक महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए योजना तैयार कर योजना को लागू किया जाए।
2. ऐसे शिविरों का आयोजन ग्राम स्तर व विकास खण्डों पर समय–समय पर किया जाए कि महिलाओं के अधिकारों के हितों के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके।
3. महिला पंचों एवं सरपंचों को साक्षर करने हेतु पाठ्यक्रम लागू किए जाएं।
4. पंचायती राज के कार्यान्वयन में समिति संगत भिन्नता को शामिल किया जाए।
5. ग्राम पंचायत सरपंचों व पंचों तथा सचिवों को संयुक्त प्रशिक्षण विकास प्रखण्ड स्तर पर दिया जाए।
6. ग्राम स्तर पर महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके।

ख. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों के माध्यम से प्रवर्तित सिफारिशें

1. राष्ट्रीय बधिर संघ, नई दिल्ली के सहयोग से बधिर महिलाओं के सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

आयोग ने बधिर महिलाओं के मुद्दों एवं सरोकारों को समझने के उद्देश्य से उनके सशक्तीकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में देश भर की बधिर महिलाओं ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

i. बधिर महिलाओं के अधिकारों के हनन के मामलों में सांकेतिक भाषा द्विभाषिया के माध्यम से समय पर न्याय दिलाने के लिए ब्लॉक एवं जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए।

ii. बधिर महिलाओं को ऐसी सभी परिस्थितियों में, जहां उनके अधिकारों को जोखिम है अथवा उनका हनन किया जा रहा है, द्विभाषा सेवाओं के संबंधित सुविधाओं/प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

iii. व्यावसायिक प्रशिक्षणए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा जारी रखने की इच्छा रखने वाली बधिर महिलाओं को सांकेतिक भाषा द्विभाषिया उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

iv. राज्य को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में समूह के रूप में बधिर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए व्यापक कार्यनीति की समीक्षा एवं निरूपण करने के लिए प्रयास करेगा। इन सिफारिशों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया।

2. सबला और उज्ज्वला स्कीमों पर चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सिनी), कोलकाता के सहयोग से राष्ट्रीय परामर्श

इस परामर्श का उद्देश्य इन स्कीमों के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं एवं चुनौतियों को अभिनिर्धारित करना और उनके कारगर क्रियान्वयन के लिए उपायों एवं संशोधनों के लिए सिफारिशें करना था। परामर्श की सिफारिशों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया। इनमें से कुछ सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

उज्ज्वला

i. निवारक कार्यनीतियों को सुदृढ़ बनाया जाए।

ii. आश्रय गृहों की स्थापना स्रोत क्षेत्रों (अवैध व्यापार) में की जानी चाहिए।

iii. विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण कार्रवाई का सुदृढ़ीकरण अपेक्षित है।

iv. स्कीमों के बारे में जागरूकता विकास एवं इसके लिए राशि का आबंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

v. अवैध व्यापार की पीड़ितों के पुनर्वास की स्कीम की समीक्षा की जरूरत है।

vi. व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पारिवारिक पुनः समेकन प्रक्रिया प्रदान की जानी चाहिए।

सबला

i. वित्तीय आबंटन की समीक्षा :–

क. पोषण प्रावधान को बढ़ाकर 25/– रुपये प्रति बालिका प्रति दिन किया जाना चाहिए क्योंकि मौजूदा बजट आबंटन बाजार दरों के समान नहीं है।

ख. राशि निर्मुक्ति चक्र को विनियमित किया जाए।

ii. विशिष्ट सहायता की जरूरतमंद बालिकाओं की जरूरतों को पूरा करना :

क. विशिष्ट जरूरतमंद बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

ख. पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा विधि का उपयोग किया जाए।

ग. आंगनवाड़ी केंद्र बाधा रहित तथा सर्वसुलभ होने चाहिए।

iii. अलग–अलग विभागों एवं स्कीमों के बीच अभिसरण तथा संपर्कों में सुधार किया जाना चाहिए।

क. लोगों में सबला स्कीम एवं इसकी सेवाओं के बारे में जागरूकता में वृद्धि की जाए।

ख. समर्थक पर्यवेक्षण से उचित मानीटरन को बदला जाए।

ग. सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाया जाए।

3. 'चुडैल हत्या एवं इसका प्रभाव' विषय पर सोसायटी फॉर इनोवेटिव रूरल डवलपमेंट, साहिबगंज, झारखंड के साथ राज्य स्तरीय संगोष्ठी

इस संगोष्ठी का उद्देश्य चुडैल हत्या, इसके दुष्प्रभाव, पीड़िता के स्तर, परामर्श सेवाओं, कानूनों और सरकार से वित्तीय सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करना था। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

राज्य प्रशासन और उसकी एजेंसियों से संबंधित

i. राष्ट्रीय संरक्षण स्कीमों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

ii. चुडैल हत्या पर कानून बनाया जाना चाहिए।

iii. महिलाओं के संरक्षण के लिए पारिवारिक न्यायालयों एवं कार्य बल की स्थापना की जानी चाहिए।

iv. सामाजिक बदलाव में वृद्धि लाने के लिए बुनियादी स्तर पर सार्वजनिक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए जानें चाहिए।

v. ऐसी महिलाओं के, जिन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है, उनके परिवारों एवं समुदायों के साथ पुनर्समेकन और पुनर्मिलन कार्यक्रम पर जोर दिया जाना चाहिए।

vi. आवास केंद्र नहीं बल्कि परामर्श केंद्र का प्रावधान किया जाना चाहिए।

vii. परिवारों की पूर्व सक्रिय भूमिका को शिक्षा की सहायता से सशक्त बनाया जाना चाहिए।

viii. भारत में चुडैल हत्या से जुड़े अंधविश्वास को मिटाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

भारत सरकार और उसकी एजेंसियों से संबंधित

i. दोषियों के लिए कठोर सजा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून अपेक्षित है। साथ ही, मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए उन्हें तत्काल दूर करने एवं सुधारने की भी जरूरत है।

ii. चुडैल हत्या के दुष्प्रभावों को दूर करने और चुडैल हत्या पर कानूनों के बारे में लोगों को संवेदी बनाने के लिए जागरूकता अभियानों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

iii. महत्वपूर्ण सिफारिशें करने के लिए इस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो मौजूदा स्थिति को सुधारने में वास्तव में सहायता करेगा।

4. ''पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में घरेलू बाल नौकरों के रुप में किशोरियों और महिलाओं/किशोरियों के अवैध व्यापार का निवारण'' विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग और चैपलिन क्लब, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी

इस संगोष्ठी का उद्देश्य अवैध व्यापार के मामलों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों को समझने और समस्या के मूल कारणों एवं दुष्परिणामों के बारे में आम लोगों तथा सभी पक्षकारों को संवेदी बनाना था। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं :–

i. पुलिस को बालिकाओं के विवाह को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

ii. जिला स्तर से गांव स्तर तक आईसीपीएस परियोजनाओं (समेकित बाल संरक्षण स्कीम) का उचित एवं कारगर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

iii. ब्लॉक स्तर पर अभिघात परामर्श केंद्र और नारी अदालतें स्थापित की जानी चाहिए।

iv. अवैध व्यापार रोधी समिति, विशेषकर ग्राम स्तर पर गठित की जानीं चाहिए और उन्हें सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

v. भारत में बाल दुर्व्यवहार पर व्यापक कानूनी एवं नीतिगत उपायों का अभाव है। दुर्व्यवहार का सामना कर रहे सभी बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून को प्रभावित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

vi. बच्चों द्वारा घरेलू कार्य किया जाना भारतीय कानून द्वारा जोखिमपूर्ण श्रम के रूप में नहीं माना/स्वीकार किया जाता है। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे बच्चों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, यह अति महत्वपूर्ण है कि श्रम के इस रूप को जोखिमपूर्ण श्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाए और संबंधित कानूनी संरक्षण को इन बच्चों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

vii. व्यक्तिगत सुरक्षा को, एक पाठ्यक्रम जो बच्चों को जीवन–कौशल सिखाता है और उन्हें आत्म–रक्षा सीखने में सहायता करता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

viii. अनुचित परिस्थितियों को सामना कर रहे घरेलू बाल नौकरों के लिए चाइल्डलाइन (1098) की सहायता से प्रभावी रिपार्टिंग तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

ix. पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों और महिला फोरमों को बाल घरेलू नौकरों और अवैध व्यापार से संबंधित मामलों के मानीटरन तथा अन्वेषण में भागीदार बनाया जाना चाहिए।

5. ''मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक विकास'' विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से इस्लामिक एजूकेशन वेलफेयर एसोसिएशन, मालदा, पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी

एक दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राज्य से दो सौ प्रतिभागियों ने उक्त विषय पर मंच साझा करने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए हिस्सा लिया। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं :–

i. मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए नए कानून अपेक्षित हैं और मौजूदा कानूनों की कमियों को दूर किए जाने एवं उनमें सुधार किए जाने की भी जरूरत है।

ii. महिलाओं के अधिकारों एवं उनका सशक्तीकरण और मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे विषयों पर जागरूकता अभियान आयोजित किए जाने चाहिए।

iii. भारत में प्रचलित कानूनों के बारे में मुस्लिम महिलाओं की जागरूकता के स्तर की जांच करने के लिए अध्ययन कराए जाने चाहिए।

iv. मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों पर अधिक अधिकार आधारित दृष्टिकोण शुरू करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

v. मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए सरकारी स्कीमों का प्रस्ताव किया जाना चाहिए।

vi. मुस्लिम कल्याण एजेंसियां का सृजन किया जाना चाहिए।

vii. एक ऐसा विशेष प्रकोष्ठ होना चाहिए जहां से मुस्लिम महिलाएं उनके लिए उपयुक्त विभिन्न कैरियर विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें।

viii. मुस्लिम महिलाओं के स्तर में परिवर्तन लाने के लिए अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ राजनैतिक आवाज एवं दृश्यता होनी चाहिए।

6. ''भारतीय प्रवासी समुदाय में महिलाएं'' विषय पर ऑर्गनाइजेशन फॉर डायसपोरा एक्टिविटीज के सहयोग से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित संगोष्ठी

संगोष्ठी का आयोजन प्रवास, विवाह के परिणामस्वरप प्रवास, और विदेशों में कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल महिला कर्मियों के साथ भेदभाव के व्यवहारिक एवं विषयगत परिप्रेक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए किया गया। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों से संबंधित

i. प्रवासी महिलाओं के विभिन्न वर्गों पर सुव्यवस्थित शोध किया जाना चाहिए।

ii. प्रवासी महिलाओं के सशक्तीकरण में सहायता करने के लिए अलग – अलग देशों और उनकी प्रवासी नीतियों पर भी शोध किया जाना चाहिए।

iii. ऐसी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर जो प्रव्रजन की प्रक्रियाओं में, विशेषकर महिलाओं से संबंधित प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाते हैं, आगे अध्ययन किए जाने चाहिए।

iv. विवाह से संबंधित प्रव्रजन में आ रही समस्याओं का विशेषरूप से उललेख किया जाना चाहिए।

v. खाड़ी देशों की पत्नियों एवं अर्ध कुशल/अकुशल कर्मियों की पत्नियों, जो यहीं वापस रह जाती हैं, के सामने आ रही समस्याओं का भी उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है।

vi. इन महिलाओं को भेजी गई रकम के उचित निवेश के बारे में सहायता एवं परामर्श भी दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें आजीविका का सतत स्रोत प्राप्त हो सके।

भारत सरकार और इसकी एजेंसियों से संबंधित

i. नई नीतियां, विशेषकर महिलाओं से संबंधित नीतियां बनाए जाने की जरूरत है।

ii. कुछ मुद्दों को, विशेषकर उन देशें में जहां घरेलू हिंसा, सम्मान के लिए हत्या एवं पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार बहुत अधिक होता है, द्विपक्षीय स्तर पर उठाए जाने की जरूरत है।

iii. राष्ट्रीय महिला आयोग को संबंधित देशों के महिला आयोग के साथ नियमित रूप से विचार–विमर्श करते रहना चाहिए।

iv. राष्ट्रीय महिला आयोग, विदेश मंत्रालय के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य कर सकता है।

7. ''अंतराल कम करना – मणिपुर में महिलाओं के बीच संपत्ति के अधिकार का पहलू'' विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से सामाजिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान, मणिपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी

एक दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी को आयोजन मणिपुर की महिलाओं के सामने उनके संपत्ति के अधिकार के संबंध में आ रही समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से किया गया। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

i. पूर्वोत्तर राज्यों में जेंडर असंतुलन और संपत्ति के अधिकार के बारे में व्यापक जागरूता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

ii. लोगों के बीच आपसी संवाद और अलग–अलग क्षेत्रों के सिविल समाजों के नेताओं के बीच विचार–विमार्श के माध्यम से क्षेत्र के अलग दृ अलग जातीय समूहों के बीच बेहतर सोच एवं संबंध बनाए जाने चाहिए।

iii. महिलाओं को जमीन के अधिकार सहित संपत्ति का अधिकार देने के लिए रूढ़िजन्य विधि में संशोधन किया जाना चाहिए।

iv. महिलाओं को जमीन एवं संपत्ति तक पंहुच, उस पर नियंत्रण एवं स्वामित्व के मामले में सक्षम बनाने की तात्कालिक आवश्यकता है।

v. स्थानीय सरकारों को कारगार तरीके से प्रशासन की स्वायत्त शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे महिलाओं और पुरुषों दोनों को भागीदारी के समान अधिकार दे सकें।

vi. नीति निर्माताओं को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, पहाडों में रह रही महिलाओं के साथ–साथ घाटियों में रहने वाली महिलाओं के लिए अलग–अलग नीतियां बनानी चाहिए।

vii. सरकार के साथ देशज लोगों को स्थितियों की समीक्षा करने और अनुचित एवं भेदभावपरक पद्धतियों से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय करने के लिए उचित प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए।

8. ''मणिपुर में महिला हथकरघा कर्मियों की स्थिति'' विषय पर द नियो लाइफ फाउण्डेशन, मणिपुर और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी

संगोष्ठी का मुख्य विषय महिला बुनकरों की स्थिति में सुधार करना और उनकी आजीविका के लिए साधन तलाशना था। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

i. हथकरघा बुनाई में अपार क्षमता होने के कारण, मौजूदा घरेलू बाजार का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक विस्तार किया जाना चाहिए और इसके लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्यात बाजार कार्यक्षेत्र के लिए प्रयास करने चाहिए।

ii. हथकरघा बुनाई एवं स्वामित्व के कार्य आचरणों के अनुरूप समूह कार्य, गतिकी, दृढ़ता एवं लोचनीयता को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से समय–समय पर हथकरघा बुनकरों के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रमों की जरूरत है।

iii. मूल्य दर कर्मी की मौजूदा प्रथा को प्रति घंटा की दर से कर्मी में बदला जाना चाहिए।

iv. सरकार द्वारा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

v. हथकरघा बुनकरों को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में बताया जाना चाहिए ताकि वे अपनी गतिविधियों में सुधार लाने के उद्देश्य से सहायता प्राप्त कर सकें।

vi. लक्षित खरीददारों के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए अनुसंधान एवं बाजार सर्वेक्षण किए जाने चाहिए।

vii. बुनकरों के लिए विशेष ऋण सुविधाओं का सृजन किया जाना चाहिए।

viii. बुनकरों को जटिलताओं से निपटाने और साझा सुविधा केंद्र के निर्माण हेतु बुनकर संघ बनाने के लिए कुछ प्रावधान होन चाहिए।

9. ''दिल्ली की महिलाओं का सशक्तीकरण'' विषय पर श्राइन सोसायटी, आजाद नगर, दिल्ली और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी

इस संगोष्ठी का उद्देश्य जेंडर पुर्वग्रह से संबंधित सामाजिक सोच एवं सामुदायिक प्रथाओं में बदलाव लाना और जेंडर परिप्रेक्ष्य को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाना था। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

i. जेंडर पूर्वग्रह को नियंत्रित करने के लिए गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का उचित क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

ii. महिलाओं को आयोजना, बजट एवं नीति निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

iii. महिलाओं के आर्थिक अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण वरीयता आधार पर किया जाना चाहिए।

iv. स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी अनिवार्य सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी में कोई जेंडर असंगति नहीं की जानी चाहिए।

v. ऐसी मलिन बस्तियों एवं मुहल्लों में जिनमें कमजोर वर्ग की महिलाओं की संख्या बहुत होती है, महिला कल्याण कार्यक्रम चलाने की जरूरत है।

vi. कामकाजी महिलाओं को, विशेषकर देर रात तक काम पर रहने वाली महिलाओं को उचित सुरक्षा दी जानी चाहिए।

10. ''जेंडर संचेतना के माध्यम से महिला सशक्तीकरण'' विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से अखिल भारत दलित विकास परिषद, लखनऊ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी

संगोष्ठी का उद्देश्य जेंडर संचेतना के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के रोड मैप पर सुझाव देना था। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

i. महिलाओं को आत्म रक्षा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे विषम परिस्थितियों में अपनी रक्षा कर सकें।

ii. राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के बारे में नीतियां अथवा दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

iii. उपेक्षित वर्गों की महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

iv. स्व–सहायता दलों को ऐसे क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जहां पर महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए इसकी आवश्यकता है।

v. महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को मिटाने के लिए दूर–दराज के क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए।

11. ''दार्जिलिंग हिमालयी क्षेत्र में महिलाएं एवं विकास : मुद्दे एवं चुनौतियां'' विषय पर ओडिशा युवा सांस्कृतिक संसद, पुरी, ओडिशा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी

संगोष्ठी का आयोजन दार्जिलिंग हिमालयी क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से एवं राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने और चाय बागानों के मालिकों एवं प्रबंधकों के हाथों उन्हें वर्षों पुराने शोषण से मुक्त कराने के उद्देश्य से किया गया था। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

i. दार्जिलिंग क्षेत्र की अधिकांश महिलाएं गरीब हैं और रोजगार के आधुनिक साधनों तक उनकी पहुंच नहीं है। इसलिए, प्रत्येक जिले में महिला रोजगार केंद्र खोले जाने चाहिए।

ii. महिलाओं के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए 1000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम समूह में महिलाओं हेतु निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए।

iii. महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए महिलाओं के अधिकारों एवं सशक्तीकरण से संबंधित कार्यक्रम आवश्यक हैं।

iv. विभिन्न स्तरों पर चुनाव लड़ने के लिए इस क्षेत्र की महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक संख्या में महिला संगठनों को इस क्षेत्र का दौरा करना चाहिए तथा भागीदारी विकसित करनी चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र की महिलाओं को महिला सशक्तीकरण के मामले में शेष भारत की महिलाओं के बराबर आने के लिए बहुत प्रयास करना होगा।

v. पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं को चाय के बागानों में अथवा अन्यत्र कार्य करते समय अपने बच्चों की देखभाल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस क्षेत्र में बाल देखरेख केंद्रों की संख्या बहुत कम है। इसलिए, प्रत्येक ग्राम समूह में सरकारी बाल देखरेख गृह होने चाहिए।

vi. यद्यपि दार्जिलिंग क्षेत्र प्राकृतिक समृद्धि से परिपूर्ण है, इस क्षेत्र की महिलाएं मूल्य परिवर्धन एवं विपणन प्रशिक्षण के अभाव के कारण इसका वाणिज्यिक उपयोग करने में असफल रही हैं। इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि 5000 महिलाओं के प्रत्येक ग्राम समूह में सराकरी वन उत्पाद एवं हस्तशिल्प केंद्र होना चाहिए।

vii. चाय बागानों मे कार्य कर रही अधिकांश महिलाओं को कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है और उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने के अलावा, उनका आर्थिक एवं शारीरिक दोनों ही रूपों

में शोषण किया जाता है। इन सभी महिलाओं को सरकार द्वारा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष बीमा स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

viii. महिलाओं की समस्याओं के बेहतर संप्रेषण और बेहतर समझ के लिए महिलाओं की जनसंख्या के अनुकूल महिला अधिकारियों की संख्या होनी चाहिए। चाय बागानों में इन अधिकारियों की विशेष भर्ती की जानी चाहिए।

12. ''महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के रूपों को समाप्त करना'' विषय पर आंध्र प्रदेश महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित संगोष्ठी

संगोष्ठी का आयोजन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विभिन्न रूपों पर चर्चा करने और उन्हें समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

i. जेंडर अनुकूल स्कीमें/कार्यक्रम बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों में सलाहकार होने चाहिए।

ii. ऐसे शिकायत निवारण तंत्र पर, जिस पर महिलाएं विश्वास कर सकें, लोगों में जागरूकता में वृद्धि करने के लिए लघु फिल्मों जैसे साधनों का निर्माण किया जाना चाहिए।

iii. नए उभरते हुए महिला नेताओं को सशक्त बनाने के लिए सिविल समाज संगठनों की भागीदारी में कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

iv. जेंडर आधारित अपराधों का निपटान करने के लिए और अधिक फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए।

v. जेंडर आधारित हिंसा के लंबित मामलों में विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

vi. राष्ट्रीय महिला आयोग को जेंडर अनुकूल पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

vii. महिलाओं से संबंधित हैल्पलाइनों को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

viii. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से जुड़े मामलों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य महिला आयोगों द्वारा पुलिस, न्यायापालिका एवं संरक्षण अधिकारियों के साथ अभिसरण बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए।

ix. पंजीकृत मामलों और निपटान किए गए मामलों की संख्या के बारे में संरक्षण अधिकारियों से नियमित प्रतिवेदन मांगे जाने चाहिए।

x. एकल महिलाओं एवं विधवाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाए किए जाने चाहिए। महिला श्रमिकों के लिए अतिरिक्त राशि और सहायता प्रणालियां होनी चाहिए।

xi. सभी बस स्टॉपों, रेलवे स्टेशनों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी केमेरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

xii. यौन दुर्व्यवहार के मामलों के लिए वन स्टॉप क्रायसिस प्रकोष्ठों और अभिघात केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

xiii. स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों पर दो बच्चों का मानक लागू किया जाना चाहिए।

13. ''घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का कारगर कार्यान्वयन'' विषय पर श्री महादेवेश्वरी महिला सेवा समाज, जिला चिकबल्लापुर, कर्नाटक और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी

संगोष्ठी का आयोजन घरेलू हिंसा की मौजूदा स्थिति की जांच करने और उसके बारे में सिफारिशें करने के उद्देश्य से जिला चिकबल्लापुर, कर्नाटक में किया गया था। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

i. इस मुद्दे पर स्थानीय प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके व्यापक प्रचार – प्रसार किया जाना चाहिए।

ii. स्व–सहायता दल विकसित किए जाने चाहिए और महिला सुरक्षा के लिए कार्रवाई दल बनने के लिए उनकी क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए।

iii. पुलिस अधिकारियों और न्यायपालिका की सहायता से घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 पर जागरूकता विकसित करने के लिए नियमित शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए।

iv. विपदाग्रस्त महिलाओं की आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय टोल फ्री आपातकालीन हैल्पलाइनें स्थापित की जानी चाहिए।

14. राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से पंजाब स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब द्वारा ''समावेशी विकास और महिला सशक्तीकरण'' विषय पर आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी

संगोष्ठी का आयोजन समावेशी आर्थिक विकास और इसके महिलाओं से संबंध के निवारण के उद्देश्य से किया गया। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आई कुछ प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :–

i. निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति ने महिलाओं को उपेक्षित कर दिया है। इसलिए, यह महसूस किया गया कि महिलाओं को विकास प्रक्रिया में समान भागीदार बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था, समाज एवं परिवार में उनकी भूमिका को पहचानने के लिए और शिक्षा में सभी स्तरों पर नामांकन एवं पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में लिंग अंतराल कम करके सभी स्तरों पर समृद्ध होन के लिए समर्थक एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने प्रयास किए जाने चाहिए।

ii. महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और असंगठित क्षेत्र में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होना चाहिए।

iii. प्रशासनिक पदानुक्रम के उच्च स्तरों पर महिलाओं को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

iv. निम्न आय वर्गों में जागरूकता विकास की विशेष जरूरत है।

15. हिरानागपुर अल्पसंख्यक महिला विकास संस्थान और राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला सशक्तिकरण एवं नेतृत्व विकास विषय पर संयुक्त रूप से दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें विशेषज्ञों और समाजसेवियों द्वारा प्रतिभागियों के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए :–

1. महिलाएँ शिक्षा के माध्यम से ही समाज में फैली कुरीतियों जैसे डायन प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि को दूर कर सकती है। उन्होंने सुझाव दिए कि महिलाएँ वोट के अधिकार को समझें और समाज को नेतृत्व प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाएँ। उन्होंने सुझाव दिया कि महिला को यदि कोई समस्या हो तो वे बिना रोक–टोक अपना केस महिला आयोग में दर्ज कराएँ।

2. महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। समाज में कुरीति एवं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर समाज में कोई बुराई फैल रही हो तो उसे सभी महिलाएँ संगठित होकर उसे दूर करें और समाज में जागरूकता फैलाएँ। उन्होंने सुझाव दिए कि महिलाएँ आपस में संगठित होकर शिक्षा का प्रचार–प्रसार करें और सामाजिक कुरीतियों पर जागरूकता लाएँ।

3. बालिका शिक्षा एवं महिला शिक्षा पर लोगों को विशेष जोर देना चाहिए। समाज में और परिवार में लड़का एवं लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कों की शिक्षा को जितना महत्व दिया जाए उतना ही महत्व लड़कियों की भी शिक्षा के लिए दिया जाना चाहिए ताकि समाज में समानता का माहौल बने और महिलाओं में आत्मसम्मान हो।

4. यदि महिला पर कोई हिंसक कार्रवाई होती है या उस पर मार–पीट एवं अत्याचार किया जा रहा है तो उस महिला को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कानून के तहत अपना बयान दर्ज कराना चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकार के लिए यह कानून जानना चाहिए।

5. महिलाएँ शिक्षा के साथ अपना हुनर विकास पर भी ध्यान दें। सिलाई, कढ़ाई–बुनाई, मुर्गी पालन, बकरी पालन, आदि का प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएँ अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त करें ताकि उनका जीवन स्तर ऊँचा उठे, जिससे उनमें महिलाओं में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता आएगी।

6. महिलाएँ आपस में संगठित होकर रहें। समाज में महिलाएँ समूह बनाकर समय–समय पर सभी मिलकर कुछ निश्चित राशि बचत करके उस समूह में जमा करें। महिलाएँ समूह बनाकर आपस में रोजगार बढ़ाएँ। अपने बच्चों की पढ़ाई–लिखाई पर विशेष ध्यान दें। महिला समूह गठन कर महिलाएँ बैंक या फंडिंग एजेंसी से सम्पर्क कर ऋण या अनुदान प्राप्त कर लघु एवं कुटीर उद्योग लगाएं।

7. महिलाएँ नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएँ, पंचायती राज व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक हो।

8. महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए। इसके लिए उन्हें विभिन्न विभागों से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

16. ओडिशा युवा सांस्कृतिक संसद, पुरी, ओडिशा और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित चिलिका, ओडिशा में ''व्यापक शराब व्यवसाय और जेंडर हिंसा'' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

संगोष्ठी का आयोजन व्यापक शराब व्यवसाय और जेंडर हिंसा के बीच संबंध पर चर्चा करने के उद्देश्य से किया गया। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं :–

i. शराब के अवैध व्यापार में वृद्धि और तदोपरांत शराब का अत्यधिक सेवन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भड़काने के एक प्रमुख कारण के रूप उभर कर आया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के निवारण के लिए शराब के सेवन में कमी लाना अत्यंत आवश्यक है।

ii. फिल्मी हस्तियों, टेलीविज़न की हस्तियों, प्रिन्ट मीडिया एवं ऑन लाइन मीडिया सहित पूरे मास मीडिया समुदाय को शराब के सेवन के दुष्प्रभाव और इसके महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर दूरगामी परिणामों को दर्शाना चाहिए।

iii. महिलाओं को उनके परिवार के सदस्यों को शराब का सेवन करेन से रोकने के तरीकों के बारे में सलाह देने के लिए सभी शिक्षा संस्थानों, व्यावसायिक आउटलेटों और जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तरीय प्रशासन यूनिटों में विशेष परामर्श प्रकोष्ठ खोले जाएं।

iv. एक तात्काकलिक उपाय के रूप में, सभी राज्य सरकारों को शराब के लाइसेंस की संख्या को मौजूदा संख्या से घटाकर आधा कर देनी चाहिए।

v. एक शराब – रोधी दस्ता तैयार किया जाए और अवैध शराब की बिक्री का भण्डाफोड़ करने के लिए जिले के प्रत्येक उप–प्रभाग में उसकी तैनाती की जाए।

vi. महिला स्व–सहायत दल को अवैध शराब के व्यापार पर नजर रखने के लिए कुछ शक्तियां देकर सामुदायिक पुलिस पहल के तहत सलंग्न किया जाना चाहिए।

17. राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से अखिल भारतीय महिला सोसायटी द्वारा ''महिला सुरक्षा – एक चुनौती (घरेलू हिंसा, दहेज, बलात्कार, छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न)'' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी

संगोष्ठी का आयोजन महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने और कार्रवाई एवं नीति स्तर पर सिफारिशें करने के उद्देश्य से किया गया। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं :–

i. महिलाओं को हिंसा एवं यौन उत्पीड़न के विरुद्ध उनकी आवाज उठाने के लिए मंच प्रदान किया जाए।

ii. महिलाओं की जमीन एवं संपत्ति तक पहुंच होनी चाहिए।

iii. कार्य स्थल, अल्पावास गृहों, आश्रयों एवं समर्थन सेवाओं में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत निवारण तंत्र जिसमें महिला पीड़ितों को परामर्श एवं कानूनी सहायता शामिल हों, समावेशन किया जाए।

iv. ऐसी महिलाओं को श्रम बाजार में प्रवेश कराने के लिए कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

v. घरेलू कार्य को समाविष्ट करने के लिए 'कामकाजी महिला' की परिभाषा का विस्तार किया जाना चाहिए।

vi. महिलाओं को आजीविका एवं रोजगार खोने सहित हिंसा के सभी रूपों से संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

vii. महिलाओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के सभी राज्यों में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

viii. सामाजिक सुरक्षा प्रावधान के अंतर्गत सभी आवासीय स्कीमों में यह सुनिश्चित किया जाए कि मालिकाना हक महिला के नाम अथवा संयुक्त नामों पर दिया जाए।

18. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ''महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थल'' विषय पर आयोजित संगोष्ठी

संगोष्ठी का आयोजन **''निर्भया''** की वर्षगांठ मनाने और उसकी सहनशक्ति, उत्साह, साहस एवं दृढ़ता को श्रृद्धांजलि देने के लिए किया गया। संगोष्ठी के दौरान उभर कर आईं कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं :–

i. यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत, सभी सरकारी कार्यालयों के साथ–साथ निजी क्षेत्रों में भी आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित की जानी चाहिए। उत्पीड़न की शकायतों के निवारण के लिए स्थानीय शिकायत निवारण समिति, जिसे अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है, का गठन करने का प्रस्ताव भी किया गया।

ii. महिलाओं के वैवाहिक बलात्कार को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में शामिल किया जाना चाहिए।

iii. प्रत्येक राज्य को 181 को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए साझा हैल्पलाइन नम्बर रखना चाहिए।

iv. पंचायतों के माध्यम से ग्राम स्तर पर, नगर निगम अथवा गैर सरकारी संगठन के माध्यम से शहरों में, स्कूलों एवं कालेजों आदि में जेंडर संचेतना एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजना किया जाना चाहिए। रेजीडेन्शियल वेलफेयर एसोसिऐशन को भी जेंडर कार्यक्रमों में शामिल किया जाए।

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

BALANCE SHEET (NON PROFIT ORGANISATION)
AS AT 31ST MARCH,2014

(Amount in ₹)

CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR			PREVIOUS YEAR		
		Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
Capital Fund	1	6,58,52,325.00	-	6,58,52,325.00	6,44,04,736.00	-	6,44,04,736.00
Reserves and Surplus	2	1,79,24,242.00	75,65,145.00	2,54,89,387.00	(62,82,740.00)	70,27,861.00	7,45,121.00
Earmarked/Endowment Fund							-
Secured Loans and Borrowings							-
Unsecured Loan and Borrowings							-
Defered Credit Liabilities							-
Current Liabilities and Provisions	3	3,78,15,619.00	1,09,565.00	3,79,25,184.00	2,77,92,798.00	1,09,565.00	2,79,02,363.00
		12,15,92,186.00	**76,74,710.00**	**12,92,66,896.00**	**8,59,14,794.00**	**71,37,426.00**	**9,30,52,220.00**
ASSETS							
Fixed Assets	4	2,02,45,071.00	-	2,02,45,071.00	2,33,87,259.00	-	2,33,87,259.00
Investment -From Earmarked/Endowment Funds							-
Inverstment -Others	5	-	-	-	-	-	-
Current Assets, Loans & Advances	6	10,67,12,158.00	23,09,667.00	10,90,21,825.00	6,79,16,538.00	17,48,423.00	6,96,64,961.00
Miscellaneous Expenditure		-	-	-	-	-	-
							-
TOTAL (B)		**12,69,57,229.00**	**23,09,667.00**	**12,92,66,896.00**	**9,13,03,797.00**	**17,48,423.00**	**9,30,52,220.00**
Significant Accounting Policies	14						
Contingent Liabilities and Notes of Accounts	15						

Pay & Accounts Officer

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

MEMBER SECRETARY

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली–02 / New Delhi-02

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT (NON - PROFIT ORGANISATIONS)
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(Amount in ₹)

INCOME	SCHEDULE	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Income from Sales/Sevices			-		-
Grants/ Subsidies	7	12,85,52,411.00	4,85,00,000.00	11,88,15,735.00	4,57,27,000.00
Fees/ Subscriptions	8	-	4,363.00	-	9,556.00
Income from Investment (Income on Invest. From Earmarked/	9	-	-	-	
Endow. Funds transferred to Funds)		-	-	-	-
Income from Royalty, Publication etc.		-	-	-	-
Interest Earned	10	9,97,578.00	3,72,173.00	5,75,067.00	2,23,637.00
Other Income	11	46,91,435.00	3,400.00	-	-
Increase/(Decrease) in stock of Finished goods		-	-	-	-
Previous year Mis. Income					
Previous Year Adjustments Other Income(Depriciation charged on Building from 2008-09 to 2011-12)		-	-	3,34,414.00	-
TOTAL (A)		**13,42,41,424.00**	**4,88,79,936.00**	**11,97,25,216.00**	**4,59,60,193.00**
EXPENDITURE					
Establishment Expenses	12	1,16,59,129.00	3,03,11,610.00	1,17,86,395.00	2,83,02,536.00
Other Administrative Expenses etc.	13	9,42,41,548.00	1,80,31,042.00	7 68,22,440.00	1,71,02,945.00
Expenditure on Grants, Subsidies etc.		-	-	-	-
Interest		-	-	-	-
Depreciation (Net Total at the year end)		40,98,221.00	-	48,59,763.00	-
Loss on sale of Fixed Assets		35,544.00		-	
TOTAL (B)		**11,00,34,442.00**	**48342652.00**	**93468598.00**	**45405481.00**
Balance Being excess of income over Expenditure (A-B)		**2,42,06,982.00**	**5,37,284.00**	**2,62,56,618.00**	**5,54,712.00**
Transfer to Special Reserve		-	-	-	-
Transfer to/from General Reserve		-	-	-	-
Balance Being suplus/(Deficit) carried to Corpus/Capital Fund		**2,42,06,982.00**	**5,37,284.00**	**2,62,56,618.00**	**5,54,712.00**

Pay & Accounts Officer

MEMBER SECRETARY

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली–02 / New Delhi-02

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT (NON - PROFIT ORGANISATIONS)
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(Amount in ₹)

RECEIPTS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR		PAYMENTS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Opening Balances									
Cash in hand	-	43,213.00	-	-	Establishment Expenses(Sch.-16)	1,16,59,129.00	3,01,45,535.00	1,17,61,977.00	2,85,48,286.00
Bank Balance	14,76,918.00	12,61,267.00	8,48,598.00	9,84,007.00					
					Other Administrative Expenses (Schedule-17)	11,25,83,969.00	1,78,99,095.00	10,70,70,556.00	1,70,85,247.00
Grants Received	13,00,00,000.00	4,85,00,000.00	12,27,00,000.00	4,57,27,000.00		-	-		
					Remittance (Schedule-18)	-	64,58,824.00	-	57,21,969.00
Income on Investments									
Endow Funds	-	-	-	-	Security Deposit	-	-	25,000.00	4,200.00
Own Funds	-	-	-	-	Expenditure on Fixed Assets	14,47,589.00	-	38,68,201.00	-
Interest on Investment	-	-	-	-			-		
Interest Received					Closing Balances				
					Cash in hand	-	-	-	-
					Postage stamps in hand		29,479.00		43,213.00
Bank deposits	9,97,578.00	3,72,173.00	5,83,054.00	2,15,650.00	Bank Balances	1,25,99,844.00	21,35,507.00	14,76,918.00	12,61,267.00
Interest on HBA	-	-	-	-					
Loans & Advances	-	-	-	-					
Investment Encashed	-	-	-	-					
Interest on CPF	-	-	-	-					
Other Income									
RTI	-	4,363.00	-	9,556.00					
Miscellaneous Income	58,15,035.00	28,600.00	-	-					
Remittance (Schedule-18)	-	64,58,824.00	-	57,21,969.00					
Security Deposit	1,000.00	-	71,000.00	6,000.00					
	13,82,90,531.00	5,66,68,440.00	12,42,02,652.00	5,26,64,182.00		13,82,90,531.00	5,66,68,440.00	124202652.00	5,26,64,182.00

Pay & Accounts Officer

MEMBER SECRETARY

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली–02 / New Delhi-02

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

SCHEDULE 1- CAPITAL FUND

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Balance as at the beginning of the year	6,44,04,736.00		6,05,20,471.00	-
Add :- Contribution towards Corpus/Capital Fund	-	-	-	-
Add/(Deduct) :- Balance of Net Income/(Expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	-	-	-	-
Add: Adjustment Entry for Refund of TDS on Interest	-	-	-	-
Add: Rectify Entry for sale of Fixed Assets		-		-
Add: Addition of Capital Fund during the year	14,47,589.00	-	38,84,265.00	-
Less: Sale of Fixed Assets for the FY 2013-14		-	-	-
Less: Adjustment Entry for sale of Fixed Assets for the FY 20112-13		-		-
Balance At at the Year End	**6,58,52,325.00**	-	**6,44,04,736.00**	-

SCHEDULE 2- RESERVES & SURPLUS

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
1) ***Capital Reserve***				
As Per Last Account	(62,82,740.00)	70,27,861.00	(3,25,39,358.00)	64,73,149.00
Add/(Deduct) :- Net Income/(Expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	2,42,06,982.00	5,37,284.00	2,62,56,618.00	5,54,712.00
TOTAL	**1,79,24,242.00**	**75,65,145.00**	**(62,82,740.00)**	**70,27,861.00**

Pay & Accounts Officer

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

MEMBER SECRETARY

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली–02 / New Delhi-02

SCHEDULE 3- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

(Amount in ₹)

		Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
CURRENT LIABILITIES					
CPF Payable		-	-	-	-
Security Deposit		90,989.00	1,09,565.00	99,989.00	1,09,565.00
Advances to NGO Payable	A+B+C+D+E	3,08,11,495.00	-	2,15,89,634.00	-
Advances to NGO (NER) Payable	F+G+H	69,13,135.00	-	61,03,175.00	-
Sundry Creditors		-		-	
		3,78,15,619.00	**1,09,565.00**	**2,77,92,798.00**	**1,09,565.00**
Special Study	(A)	**76,70,701.00**		**73,61,420.00**	
Abhivyakti Foundation		1,37,970.00		1,37,970.00	
Abhiyan, Chattisgarh		83,000.00		83,000.00	
Activit of Voluntary Action for Development		1,15,920.00		-	
All India Foundation for Peace & Disaster Mang.Delh		2,18,610.00		2,18,610.00	
Anjneya Sewa Samitee Rajasth		1,34,190.00		1,34,190.00	
Association for Develp & Research (ADARAS).		1,35,000.00		1,35,000.00	
Astha Mahila Vikas Avam Paryavaran Kota		1,64,430.00		1,64,430.00	
Bomongram Resham Khadi Pratishan		1,42,380.00		1,42,380.00	
Center for Social Research, New Delhi		28,086.00		2,69,640.00	
Center for Women Studies		1,41,120 00		1,41,120.00	
Centre for Alternative Dalit Media(CADAM) Delhi		1,70,730.00		-	
Centre for Social Research, Vasant Kunj, Delhi		47,940.00		47,940.00	
Centre for Studies for cultural indentity of weaker		1,01,400.00		1,01,400.00	
Centre of the Study of Values		45,780.00		45,780.00	
Chaitanya Mohan kothi, Gaya		58,800.00		58,800.00	
Chhayadeep Samiti Village Rajkheta Chattigar		1,58,760.00		1,58,760.00	
Chikhali Vikas Pratisthan Maharashtra		1,64,430.00		1,64,430.00	
Dhanvandhiri Mentally Retarded & Drug Addictors		2,20,710.00		2,20,710.00	
Dhara Jharkhand		1,49,940.00		1,49,940.00	
Dr. Shaila Parveen, Lecturer, Varanasi, U.P.		61,000.00		61,000.00	
Dr. Usha Tandon Associate Professor, DU, New Delhi		60,060.00		60,060.00	
Ehsaas foundation, New Delhi		1,52,400.00		1,52,400.00	
Environics Trust, New Delhi		1,09,200.00		1,09,200.00	
Faculty of Law University of Delhi		1,00,800.00		-	
Forum for Fact Finding Documentation & Advocacy		1,40,730.00		-	
HELP Organisation Jaipur		1,31,670.00		1,31,670.00	
Indian Council For scientific Research & Devlopment		65,100.00		65,100.00	
Indian Institute of Technology WB		64,050.00		64,050.00	
Indian School of Women's Studies & Devlot.		72,870.00		72,870.00	
Indian Social Institute Delhi		2,63,550.00		2,63,550.00	

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Jabala Action Research organisation	48,615.00		48,615.00	
Jamia Milia Islamia, Delhi	81,100.00		81,100.00	
Jan Kalyan Parishad Chhattisgarh	1,33,560.00		1,33,560.00	
Kalyani Rural Development Foundation, Ajmer	48,720.00		48,720.00	
Kundan Welfare Society	1,16,550.00		1,16,550.00	
Legal services Near Apollo Hospital, New Delhi	65,200.00		65,200.00	
Liaqut Ali Khan, Jaipur	40,000.00		40,000.00	
Lok Sewa Sansthan UP	46,620.00		46,620.00	
Luxmi Narayan Gramodhog Vikas Samiti, UP	-		-	
Masoom society for social Science	38,600.00		38,600.00	
Mathura Krishna Foundation, Bihar	41,200.00		41,200.00	
Mother's LAP Charitable Org.	15,000.00		15,000.00	
Mother Teresa Women's University Tamilnadu	1,34,820.00		1,34,820.00	
Mother Teresa Rural Development Society	1,08,360.00		1,08,360.00	
Ms. Sheela Choudhary	49,200.00		49,200.00	
Nabakrushna Choudhary Centre for Development Studies	40,000.00		40,000.00	
Nagrik Vikas Samiti, U.P.	-		59,900.00	
Nav Rajiv Gandhi Foundation & Research	1,19,700.00		1,19,700.00	
Noble social & Educational Society	-		46,070.00	
Pashim Banga Yuba Kalyan Manch	38,640.00		38,640.00	
Phagwara Environment Association Punjab	1,19,700.00		1,19,700.00	
Prof. Vijaya Laxmi, Udaipur	42,600.00		42,600.00	
Registrar, Jamia Millia Islamia Univert-Sp.St	3,26,655.00		-	
Rural Devlopment and welfare Society,Jaipur Rajasthan	1,15,930.00		1,15,930.00	
Rural Education Working Society, Tamilnadu	1,78,290.00		1,78,290.00	
Rural Organisation for Social Improvement	1,28,520.00		-	
R.V. College of Engineering Mysore	1,53,090.00		1,53,090.00	
Sahas Brotherhood Uplifting HP	70,770.00		2,12,310.00	
Samajik Anusanshan Evam Manav Vikas	-		-	
Samajik Nyay Sanstha Delhi	3,19,725.00		3,19,725.00	
Seva Yatan Jeevo Kalyan Sansthan, Rajasthan	48,720.00		1,46,160.00	
Shiv Charan Mathur Social Policy Research Inst.	51,450.00		51,450.00	
Shri Asra Vikas Sansthan .	-		-	
Shri Bhairvi Social Foundation	-		-	
Shri Raj Singh Nirwan	2,32,000.00		2,32,000.00	
Situational Analysis of Homeless Women	1,50,000.00		1,50,000.00	
Society for Universal Welfare Jaipur	50,820.00		50,820.00	
Southern India Education Trust	66,780.00		2,00,340.00	
South Vihar Welfare Society for Tribal	2,11,680.00		2,11,680.00	
Srijana,Lucknow	1,41,750.00		-	
Surul Centre for Services in Rural Area	2,43,810.00		2,43,810.00	
The Association For Development Initiative	47,460.00		47,460.00	
United Trust PTR Nagar,Tamilnadu.	48,040.00		48,040.00	
Women Power Connect	-		95,760.00	
Women Study & Development, Kochi	1,16,400.00		1,16,400.00	

(Amount in ₹)

		Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
Legal Awareness Programme	(B)	**1,29,45,500.00**		**67,14,750.00**	
Aakash Seva sansthan, Udaipur		30,000.00		30,000.00	
Abhinav vikas Manch, Bihar		50,000.00		50,000.00	
Abhyudaya Seva Samithi AP-LAP		20,000.00		-	
ADARSA, Odisha		55,000.00		55,000.00	
Adarsh Gramin Shikshan Samiti , Rajasthan		50,000.00		-	
Aikatan Sangha Village & Post Dara, West Bengal		15,000.00		15,000.00	
Akhil Bhartiya Nav Yuvak Kala Sangam, Haryana		50,000.00		-	
Akhil Bhartiya Gramin Vikas Sansthan UP		-		-	
Akhil Bhartiya Samajik Vikas Samit UP		25,000.00		25,000.00	
Akhil Bhartiya Samaj Suranksh, Jhajjar		-		-	
Akhil Progressive & Cultural Society Delhi		15,000.00		15,000.00	
All India Common Wealth Org. Haryana		30,000.00		30,000.00	
All India Grauates Associa. (AIGA)		30,000.00		30,000.00	
Aman Gram Udyog Samiti, Haryana		15,000.00		15,000.00	
Ambpali Handloom & Handicraft Bihar LAP		50,000.00		-	
Amit Smriti Bal Kalyan Samiti, MP		-		-	
Anandi Devi Jan Kalyan Shiksha UP		-		25,000.00	
Anand Swaroop Bahhudeshiya Sewabhavi		50,000.00		50,000.00	
Ankur Samajik Sewvabhavi Sanstha-Maharstra-LAP		50,000.00		-	
Annapurana Jan Vikas Sansthan UP		50,000.00		50,000.00	
Anusuchit Jaati Avam Anusuchit Jan Jati		30,000.00		30,000.00	
Aravali Institute of Devpt. Research(LAP)		1,00,000.00		-	
ARISE, Rajahmndry, AP-LAP		50,000.00		-	
Arpana Siksha Samiti Rajsthan		50,000.00		-	
Arunodaya Samiti Rewa MP		50,000.00		-	
Asha, Odisha		25,000.00		-	
Asha Vikas Sansthna, Udaipur		30,000.00		30,000.00	
Association for Neglected Group Oddisha		50,000.00		-	
Association for Women's rural Development, Odisha		15,000.00		15,000.00	
Astitva Babu Uddeshiya Manav Uthan Sansthan		15,000.00		15,000.00	
Audyogik Jan Kalyan Sansthan UP		50,000.00		-	
Balanandana Trust Karnataka		1,00,000.00		-	
Bal Niketan Siksha Samiti, UP		15,000.00		15,000.00	
Bal Vikas Education Society, Faridabad		30,000.00		30,000.00	
Bandhana Foundation UP		50,000.00		-	
Barnamala Educational and Cultural Society WB		30,000.00		-	
Bastar Samajik Jan Vikas Samiti-Chhattisgarh LAP		45,000.00		-	
Benodini Centre for Urban & Rural Devl. West. Bengal		15,000.00		15,000.00	
Bhagwati Devlopmt Samittee, Jharkhand-LAP		1,00,000.00		-	
Bharat Uday Sansthan- Rajasth-LAP		50,000.00		-	
Bhartiya Dhyanvardhini Lokvikas, Maharashtra		15,000.00		15,000.00	
Bhartiya Gramin Vikas Seva SansthanLAP UP		50,000.00			
Bhartiya Shashika Prasar Sansthan		25,000.00		25,000.00	

(Amount in ₹)

	Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
Bhartiya Shilpkar Samaj Kalyan Samiti,UP LAP	50,000.00		-	
Bijiram Swain Mahila Samity, Odisha	15,000.00		15,000.00	
Brilliant Star Education Society, MP	-		-	
Burans Samajik Sanskritik Sanstha Uttarkhd-LAP	-		50,000.00	
Center for Action on Disabled Right AP	15,000.00		15,000.00	
Champa Sudama Sewa Sansthan-LAP	25,000.00		-	
Chandipur Gramin Develpmt WB-LAP	50,000.00		-	
Chandpur International Club & Library WB- LAP	50,000.00		-	
Chattisgarh Prachar Evam Vikas Sansthan-LAP	-		25,000.00	
Chattisgarh State Commission for Women	30,000.00		30,000.00	
Chhayadeep Samiti Chhattisgarh-LAP	50,000.00		-	
Chhitiz Mahila Vikas Samiti	-		75,000.00	
Chob Singhshiksha Samiti	-		15,000.00	
Club Bright Star Orrissa-LAP	50,000.00		-	
Committee for Legal Aid to Poor Odisha-LAP	25,000.00		-	
Core for Rural Employment Advancement Technology L	50,000.00		-	
Crafts & Social Development Org. Tri Nagar	30,000.00		30,000.00	
Dalit Mahila Rachnatmak Parishad	15,000.00		15,000.00	
Dalit Solidarity Peoples Delhi-LAP	50,000.00		-	
Deepak Jan Kalyan Sewa Sansthan=LAP	50,000.00		-	
Dhyani Education & Charitable Trust Gujrat-LAP	50,000.00		-	
Digambarpur Angikar, WB-LAP	50,000.00		-	
DISA (Develpt Integrated Socity for Human-LAP	75,000.00		-	
District Magistrate & Collector	15,000.00		15,000.00	
Dronacharya Shikshan Samiti-LAP	1,00,000.00		-	
East Magrahat Akatal Bal	45,000.00		45,000.00	
Fortune Sewa Sansthan, Rajasth.-LAP	1,25,000.00		-	
Foundation for Social Research & Dynamic Bihar Lap	50,000.00		-	
Gandhi sewa sansthan	15,000.00		15,000.00	
Gangotri Foundation UP	-		-	
Golden Future Foundation Haryana	15,000.00		15,000.00	
Gramin Jan Kalyan Sansthan , Rajasthan-LAP	1,00,000.00		-	
Gramin Jankalyan Sewa Samiti UP	30,000.00		30,000.00	
Gramin Mahila Vikas Samiti, Jhajjar, Haryana	75,000.00		75,000.00	
Gramin Uthan Manav Sansthan Rajst.-LAP	50,000.00		-	
Gramin Uthan Sasnthan, Rajasthan	-		1,00,000.00	
Gramin Vikas Sansthan, Haryana	15,000.00		15,000.00	
Gramin Yuva Vikas Mandal, Haryana	15,000.00		15,000.00	
Gramodhar Kalyan Samiti, Bihar	15,000.00		15,000.00	
Gramodyog Ashram, Bihar	15,000.00		15,000.00	
Gram Sudhar Samiti, Haryana	15,000.00		15,000.00	
Gram Vikas Sewa Sansthan Rajasthan-LAP	50,000.00		-	
Gurubhakti Shaikshanik &Sevabhavi	15,000.00		15,000.00	
Gyan Dharshan Acadamy	15,000.00		15,000.00	
Gyan Sagar, Bihar	15,000.00		15,000.00	

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Harijan Adivasi Mahila Kalyan Samiti, Bihar- LAP	50,000.00		-	
Harijan Mahila Evam Bal Vikas Sansthan, Bihar	15,000.00		15,000.00	
Harijan Sewa Samiti Bhihar-LAP	50,000.00		-	
Harmain Educational & Welfare Society- UP	30,000.00		-	
Haryana Gramin Sudhar Avam Sanskritik, Haryana	-		15,000.00	
Help Aim India Sansthan, Rajasth.-LAP	50,000.00		-	
Helpful Society, Delhi	50,000.00		50,000.00	
Himaliyan Gramodhyog Vikas Sansthan Uttarakhand	-		25,000.00	
Idhaya Devlopment Society Puducherry	-		25,000.00	
India Evangelical & Educational Rural Devtlp AP LAP	50,000.00		-	
Indian Minoriti Youth Association, UP	15,000.00		15,000.00	
Indian Society, Udaipur	15,000.00		15,000.00	
Indira Vikas Mahila Mandali, AP	10,000.00		10,000.00	
Indo Nepal Women Welfare Society	15,000.00		15,000.00	
Insaf Foundation UP-LAP	1,00,000.00		-	
Institute of Career Courses UP	-		25,000.00	
Institute of Social Welfare & Education-LAP	1,25,000.00		-	
Institution of Social Welfare Action, Gujrat	15,000.00		15,000.00	
Jagriti Jan Kalyan Samiti Bihar	75,000.00		75,000.00	
Jagriti Sewa Sansthan Rajasthan	-		-	
Jai Shri Arihant Vidya Mandir Samiti	-		1,50,000.00	
Janasadhana Odisha-LAP	50,000.00		-	
Jan Hiteshini Kalyan Samiti Uttrakhand	45,000.00		45,000.00	
Jankalyan Foundation UP	-		25,000.00	
Jan Kalyan Parishad Chattisgarh	-		25,000.00	
Jan Kalyan Sansthan, Pathankot	-		25,000.00	
Janmanas Society for Social & Environtl Delhi-LAP	50,000.00		-	
Jan Sewa Samiti, Rohtak Haryana	15,000.00		15,000.00	
Jharkhand Mahila Jagriti-LAP	20,000.00		-	
Jivan Jyoti Samiti, Haryana	15,000.00		15,000.00	
J& K State Commission for Women, Srinagar	-		2,00,000.00	
Joint women's Programme	30,000.00		30,000.00	
Kadambani Shiksah Evam Samaj Kalyan Sewa MP	15,000.00		15,000.00	
Kamal Khadi Gramodyog Mandal-LAP	25,000.00		-	
Kamavati Khadi Gramodhyog Seva Gujrat-LAP	50,000.00		-	
Khadija Welfare Foundation UP	-		25,000.00	
Khirpai Sri Ramkrishna Society WB LAP	50,000.00		-	
Kiran Sewa Samiti-UP	-		50,000.00	
Kisan Bharti Vikas Sansthan Bhilwara	-		1,00,000.00	
Koti Reddy Subbi Reddy Amarnath AP-LAP	75,000.00		-	
Kriti Sansthan -Rajasth-LAP	25,000.00		-	
Lakecity Movement Society, Rajasthan	45,000.00		45,000.00	
Lakshay education, Art & Cultural Society, Haryana	15,000.00		15,000.00	
Liberal Friendz Association Maharashtra	-		25,000.00	
Life Line Service Socty, MP-LAP	50,000.00		-	

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Maa Dindeshwari Shiksha Samiti,Chattigarh	75,000.00		25,000.00	
Maa Draupadai Jansewa Samiti,UP	15,000.00		15,000.00	
Maa Gajalaxmi Youth Social Org. Orissa-LAP	50,000.00		-	
Maa Satabhauni Club Odisha-LAP	75,000.00		-	
Mahatma Sairam Pratistan Maharastra	25,000.00		25,000.00	
Mahaveer Shiksha Samiti- LAP	50,000.00		-	
Mahila Evam Bal Uthan Samiti- Uttarakhand	50,000.00		25,000.00	
Mahila Gramin Vikas Evam Takniki Prashikshan	-		50,000.00	
Mahila jagrukta shiksha & Kalyan samiti	15,000.00		15,000.00	
Mahila Kala Kendra -Bihar-LAP	75,000.00		-	
Mahila Kalyan Evam Vidya Vikas Samiti, Kanpur	25,000.00		25,000.00	
Mahila Prayas Jagriti Mission Delhi	50,000.00		-	
Mahila Sewak Samaj,Bihar-LAP	50,000.00		-	
Mahila Udyog Kendra Parmeshwar Bhawan, Bihar	15,000.00		15,000.00	
Mahila Utthanam UP	-		-	
Mahila Vikas Charitable Society Bihar-LAP	-		50,000.00	
Mallabpur People Rural Development Society WB	30,000.00		30,000.00	
Mallikarjuna Weker Section Devlpmt AP-LAP	50,000.00		-	
Mamatha Makkalay Mandira, Karnataka-LAP	1,00,000.00		-	
Manas Gramin Uthan Samiti, Bihar	-		50,000.00	
MANASWI SHAHDARA DELHI-LAP	1,00,000.00		-	
Manav Kalyan Avam Suraksha Samiti, Haryana	15,000.00		15,000.00	
Manav Kalyan Chetna Sansthan Rajasth	-		1,00,000.00	
Manav Kalyan Samiti, Almora	30,000.00		30,000.00	
Manav Kalyan Sansthan,Dehradun	30,000.00		30,000.00	
Mangal Shantimahila Vikas Charitable Gujrat	25,000.00		25,000.00	
Marudhara Sansthan Jaipur	2,50,000.00		2,50,000.00	
Matra Darshan Shiksha Samiti, Baswara	15,000.00		15,000.00	
Matra dhashan shiksha samiti, Udaipur	15,000.00		15,000.00	
Maulasai Sewabhavi Sansthan Maharashtra	15,000.00		15,000.00	
Maurya Shakya Chatrawas Jan Kalyan Samiti-UP LAP	50,000.00		-	
M.K.Gandhi Mission Maharastra-LAP	50,000.00		-	
Modern Shiksha Vikas Samiti	15,000.00		15,000.00	
Motherly Association fo rSocial Serv.(MASS)	15,000.00		15,000.00	
Mrityunjoy Nagar Mukti Tirtha WB-LAP	50,000.00		-	
Mukat Bharti Siksha Samiti Rajasthan LAP	50,000.00		-	
Murshidabad Adibashi Gramin WB-LAP	50,000.00		-	
Muslim Mahsshara Tarraqui Society MP-LAP	30,000.00		-	
Nabin Sangha West Bengal	30,000.00		30,000.00	
Nalanda Educational Society, Haryana	15,000.00		15,000.00	
Narayana Vyayamshala& Krida Mandal-Lap	50,000.00		-	
National Alliance of Women(NAWO)-LAP	2,25,000.00		-	
National Charitable Welfare Society, UP	-		30,000.00	
National Youth Association	40,000.00		40,000.00	
Native Education & Employment Develp. Society, MP	15,000.00		15,000.00	

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Natural Institute of Social Chnge and Resource	15,000.00		15,000.00	
Navjeevan Sansthan Rajasthan-LAP	50,000.00		-	
Nav Jyoti Sewa Snasthan UP	-		1,00,000.00	
Navrachna Mahila Vikas Trust-LAP	25,000.00		-	
Nav Vihar Udhyod Mandal, Bihar-LAP	1,00,000.00		-	
NAWANDAGAR Chhatisgarh-LAP	50,000.00		-	
Nehru Yuva Mandal Fatehpur Rajsthan-LAP	1,00,000.00		-	
New age foundation	15,000.00		15,000.00	
New life club	15,000.00		15,000.00	
N.J.Maratha Vidya Prasarak Samaj-Gujr.LAP	25,000.00		25,000.00	
Noble Social & Educational Society, Tirupati	-		1,05,000.00	
Noorpur Subarna Prabhat Samiti, WB	-		-	
OASIS Foundation, Tamilnadu	10,000.00		10,000.00	
Onward, Kolkata W.Bengal	-		15,000.00	
Organization for Development Rural Eco.Odisha-LAP	1,00,000.00		-	
Odisha state commission for women	2,00,000.00		2,00,000.00	
Pace Academy , Maharashtra-LAP	50,000.00		-	
Parbhat Sagar Gyan Vikas Sansthan Rajasthan	30,000.00		30,000.00	
Partha Samaj Sewa Evam Mahila Uthan MP-LAP	50,000.00		-	
Parvatiya Mahila Vikas Samiti Uttakhand	15,000.00		15,000.00	
People for Education Research Scholarship ,(LAP)	75,000.00		-	
People Voluntary IntegralService Org	15,000.00		15,000.00	
Praballa Samaj Sevi Sansthan Jharkhand	-		30,000.00	
Pragati Mahila Bhauuddeshiya, Maharastra LAP	25,000.00		25,000.00	
Prag Sarvodya Samiti, Jaunpur	-		-	
Prani Mitra Samiti . MP	-		50,000.00	
Prantiya Partakar Association UP LAP	50,000.00		-	
Prasad Ekta Samiti MP-LAP	1,00,000.00		-	
PRERNA Jharkhand-LAP	50,000.00		-	
Public Health & Medical Techonology,Delhi	15,000.00		15,000.00	
Public Welfare & Development Society Tamilnadu-LAP	50,000.00		-	
Purvanchal Vikas Samiti	25,000.00		25,000.00	
Purwanchal Saikchik Avam Samjik Vikas Sanst U.P	-		25,000.00	
Pushpa kekatiya charitable	15,000.00		15,000.00	
Rachheri janta vikas gram udyog saiti	12,500.00		12,500.00	
Rural Organisation for Poverty Eradication	15,000.00	**	15,000.00	
Rajasthan Gramin Vikas Rajsthan-Lap	1,00,000.00		-	
Rajputana Purv Sainik Avam Jan Kalyan Rajath.LAP	1,00,000.00		-	
Ramanand Memorial Seva Samiti-Lap	1,00,000.00		-	
Rana Javik Gramin Evam Krishi Sewa Samiti, Uttarakh	25,000.00		25,000.00	
Ranjana Royal Educational Welfare Delhi-LAP	1,00,000.00		-	
Ranthambhour Sewa Sansthan, Rajath.-LAP	1,00,000.00		-	
Rashtra Ratna Samaj Kalyan Sansthan-Bihar-LAP	75,000.00		-	
Rashtriya Sadbhav Sewa Samiti-Hary-LAP	1,25,000.00		-	
Reformer Educational & Social Welfare Society- LAP	50,000.00		-	

(Amount in ₹)

	Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
Roshni National Sewa Gramodhyog Sansthan UP	-		50,000.00	
Rural Development Society-AP-LAP	75,000.00		-	
Rural Development Trust Tamilnadu-LAP	25,000.00		-	
Rural Devlopment & Welfare Society, Rajasthan	30,000.00		30,000.00	
Rural Litigation & Entitlement Kendra Dehradun-LAP	60,000.00		-	
Rural Organisation for AGRO Development	-		40,000.00	
Rural Women Developmt Society Tamilnaddu-LAP	25,000.00		-	
Sadrauna Jan Kalyan Samiti-UP-LAP	50,000.00		-	
Sahayoga India-Orissa-LAP	1,00,000.00		-	
Sahayta Samajik Sanstha Chattisgrh-LAP	50,000.00		-	
Sahyog Samajik Sansthan Rajasthan	-		50,000.00	
Sajag Foundation Delhi LAP	-		25,000.00	
Samagra Jan Kalyan Samiti, U.P	-		-	
Samaj Kalyan Samiti Haryana	15,000.00		15,000.00	
Samaj Kalyan & Shiksha Sansthan Rajth.-LAP	-		50,000.00	
Samaj sansthan & sarvagin vikas sansthan	9,000.00		9,000.00	
Samaj uthan samiti	13,250.00		13,250.00	
Samaj Vikas Samiti Hisar-LAP	1,00,000.00		-	
Samta sewa sansthan	30,000.00		30,000.00	
Sangeeta Rao Educational Society-AP, LAP	1,00,000.00		-	
Sanjivani Bahuuddheshiya Gramin Vikas Sanstha, Maha	50,000.00		-	
Sanjivani Educational & Social Developt Sanstha-LAP	50,000.00		-	
Sanjivani Vikas Fpundation Maharashtra	-		25,000.00	
Sankalp Sansthan Rajasthan-LAP	1,00,000.00		-	
Santhakabi Bhima Bhoi Sanskrutik Anusthan Odisha-LA	25,000.00		-	
Sant Sewa Sansthan UP-LAP	75,000.00		-	
Sarbangin Unnayan Samiti	20,000.00		20,000.00	
Sarijan Foundation UP-LAP	50,000.00		-	
Sarvjanik Shikshan Sansthan UP	-		50,000.00	
Sarvoday Vikas Samit Bihar	-		50,000.00	
Sarvohara Lokh Kalyan Samiti-LAP	1,00,000.00		-	
Sarv Samaj Manav Utthan Samiti UP-LAP	75,000.00		-	
SAVEGE (Society on Action Villange Edu. AP	15,000.00		15,000.00	
Savitri Manav Vikas Sansthan- UP	-		25,000.00	
SCRAAC Oddisha-LAP	25,000.00		-	
Sevarth Sansthan Rajsthan-LAP	1,25,000.00		-	
Sewahar (Society for Education, Welf & Healt (Haryana)	15,000.00		15,000.00	
Shekhar Shikshan Evam Samajoothan Samiti UP-LAP	50,000.00		-	
Shivam Education & Charitable Trust Gujrat	-		50,000.00	
Shivam Gram Uthan Sewa Sansthan UP	-		25,000.00	
Shivam Shiksha Samiti Rajasth.LAP	1,00,000.00		-	
Shiv Jan Jagriti Shiksha Samiti,Haryana	15,000.00		15,000.00	
Shiv Shankar Sewa Sansthan - Rajsth- LAP	50,000.00		-	
Shree Sidha Dev Gramoudiog Sansthan	25,000.00		25,000.00	
Shri Aasra Vikas Sansthan, Udaipur	-		75,000.00	

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Shri Banashankari Mahila Mandal	25,000.00		25,000.00	
Shri Bateshwar Dayal Samaj Kalyan Samiti-UP-LAP	1,00,000.00		-	
Shri Govind Manav Sewa Sansthan	50,000.00		75,000.00	
Shri hari krishan shiksha sewa samiti	15,000.00		15,000.00	
Shri Krishna Shiksha Prasar Samiti(LAP)	1,25,000.00		-	
Shri Laxmi Narayan Badri Vishal	30,000.00		30,000.00	
Shri Laxmi Rural Devlpt & Educa. Society,AP	15,000.00		15,000.00	
SHRI NARAYAN &VIKAS SANSTHAN -Lap	50,000.00		-	
Shri Rajiv gandhi Memorial Public Sansthan, Rajasthan	45,000.00		45,000.00	
Shri Ram Charitable Trust, Gujrat	-		1,05,000.00	
Shri Vagad Janjati Evam Vikas Sansthan Rajsth.	-		25,000.00	
Shyam Gramodyog Sewa Sansthan UP	15,000.00		15,000.00	
Siddharth Trust, Gujrat-LAP	30,000.00		-	
Sir Chotu Ram Yuva Club, Haryana	50,000.00		-	
Sirijan Mahilavikas Manch , Jharkhand	15,000.00		15,000.00	
Smt sushila devi eduational society	30,000.00		30,000.00	
Snegam Multi Social Actio Movement Tamilnadu	10,000.00		10,000.00	
Social action network group	15,000.00		15,000.00	
Social Development Service Odisha-LAP	25,000.00		-	
Social Devlopment Welfare Society , Delhi	-		50,000.00	
Society for Cause of People's Empowerment(SCOPE) UP	50,000.00		-	
Society for Humanitarian Action Rehabilitation Orri	45,000.00		-	
Society for Integrated Rural Developt-LAP	50,000.00		-	
Society for Nurturing Education Health-AP	30,000.00		30,000.00	
Society for Social Developt Tamilnadu-LAP	1,00,000.00		-	
Society for Social Transformation LAP	50,000.00		-	
Society for Training, Amelioration, OrissaLAP	1,00,000.00		-	
Sosva Traning and Promotion Pune	50,000.00		50,000.00	
Soundarya Rural & Urban Development Association Kar	1,00,000.00		-	
Spandan Sitapur UP	25,000.00		25,000.00	
Sriguru Ayyappaswamy Educational Trust, Karnataka-L	50,000.00		50,000.00	
Sri Krishna Shiksha Prasar Samiti, MP	15,000.00		15,000.00	
Sri Sai Sewa Samiti UP- LAP	50,000.00		-	
Sri Vidya Sarsswathi Mahila Mandal	-		15,000.00	
STAIRS, UP-LAP	75,750.00		-	
Stree Mukti Sanghatana, Maharastra,	-		50,000.00	
Sujas Sanskritik Sewa Sanstha Rajasth	1,50,000.00		1,50,000.00	
Sumitra samajik kalyan sansthan	30,000.00		30,000.00	
Sunrise Arts & Sports Club Kerala	-		25,000.00	
Surakshita Vividoddesha Sanstha Karnataka	-		-	
Suresh Sharma Foundation Rajasthan	1,00,000.00		1,00,000.00	
Surya Prakash Charitable Asso. Delhi	-		60,000.00	
Sustainable Research & Develpmt Centre Maharst.LAP	50,000.00		-	
S.V.S. sansthan	15,000.00		15,000.00	
Swargiya Rajjulal Kashyap Shikshan Chhatisg-LAP	50,000.00		-	

(Amount in ₹)

		Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
Swar Social Service Sansthan UP-LAP		50,000.00		-	
Swavlambi Gramodhyog & Jan Chetna Vikas Sansthan		15,000.00		15,000.00	
Talent Trust , Tamilnadu-LAP		50,000.00		-	
Thamizhial Aayyu Arakkattalai, Tamilnadu LAP		50,000.00		-	
The Karnataka State Harijan-LAP		50,000.00		-	
The Society for Women & Child Development & Serv. Delhi		30,000.00		30,000.00	
The Women's Welfare Society Karnataka-LAP		50,000.00		-	
Thirumanagai Charitable Trust, Tamilnadu		15,000.00		15,000.00	
Tiwari Vikas Avam Seva Sansthan Rasth- LAP		50,000.00		-	
Tri Sansthan Sundri, Rajasthan-LAP		1,00,000.00		-	
Tulsi Gramodyog Sewa Samiti, U.P		25,000.00		25,000.00	
Uday Sansthan, Bundi		-		2,50,000.00	
UMANG, Meherauli		-		50,000.00	
Ummid Samiti-Rajasthan		30,000.00		30,000.00	
Utkarsh Mahila Avam Bal Kalyan MP		15,000.00		15,000.00	
Uttarakhand State Commission for Women		1,25,000.00		1,25,000.00	
VEED-Tamilnadu-LAP		50,000.00		-	
Vidya Bhushan Yuvak Mandal -LAP		75,000.00		-	
Vigyan shiksha kendra		30,000.00		30,000.00	
Vikalang Sahara Samiti Delhi-LAP		-		25,000.00	
Vikas Gram Udyog Mandal,Sonipat Haryana		30,000.00		30,000.00	
VISA(Voluntary Institutn for Social Activit) Odis L		75,000.00		-	
Vishwamanava Srvathomukha Abhirudhi Sanga-Karnatka-		75,000.00		-	
Women & Children Development Socity AP		-		50,000.00	
Yamuna Sanstha Rajasthan		30,000.00		30,000.00	
Yash Bahuuddeshiya Gramin Vikas Sanstha Mahartr-LAP		50,000.00		-	
Yuva Sangharsh Samit Haryana		45,000.00		45,000.00	
Yuva Sports Samiti, Haryana		15,000.00		15,000.00	
Zaidi Social Welfare Society, New Delhi		-		-	
PMLA	(C)	**12,75,000.00**		**12,00,000.00**	
Aharnish Sewa Sansthan, Deoria UP		60000.00		60000.00	
Asha Mahila Janklalyan Pratishthan		30000.00		30000.00	
Ayisha Welfare Society UP		60000.00		60000.00	
Chand Talimi Society, U.P.		-		15000.00	
Dalit Uthan Rashtriya Girls Samiti,UP-PMLA		30,000.00		-	
Gramin Vikas Sansthan UP		90000.00		90000.00	
Haryana State Legal Service Authority, Haryana		150000.00		150000.00	
Islamia Maktab Primary Girls School, U.P.		15000.00		15000.00	
Jan Samadhan Sewa Sansthan-UP-PMLA		30000.00		-	
Kshetriya Mahila Evam Bal Vikas Samit-		30000.00		30000.00	
Maa Purna Jan Kalyan Sewa Sansthan - PMLA		30000.00		-	
Mahila Kala Kendra Bihar		-		30000.00	
Manav Kalyan Samiti		30000.00		30000.00	

(Amount in ₹)

		Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
Maulana Azad Educational Society UP-PMLA		60000.00		-	
Mother Teresa Foundation UP		-		90000.00	
Nai Bhor Dawn of Life, New Delhi		-		30000.00	
Narendra Dev Educational School, Maharahtra		15000.00		15000.00	
Panchla Reliance Society WB		30000.00		30000.00	
Polymers Education Society AP		-		-	
Pratibha , UP		1,50,000.00		1,50,000.00	
RANJANA ROYAL EDUCATIONALWELFARE		-		30,000.00	
Sahara Samiti		15,000.00		15,000.00	
Sainik Mahila Prashikshan, Gorakhpur		30,000.00		-	
Sant Sewa Sansthan -UP-PMLA		60,000.00		-	
Sarvodaya Jan Kalyan Sansthan UP		60,000.00		60,000.00	
Shri Anand Vikas Samiti		-		-	
Shri Bodhewar Mahadev Sansthan		90,000.00		90,000.00	
Shri Meera Saraswati Shiksha Samiti-PMLA		30,000.00		-	
Spandan Sitapur, UP- PMLA		30,000.00		-	
The Women's Welfare Society Karnataka (PMLA)		30,000.00		-	
Upkar Samiti -UP-PMLA		-		60,000.00	
Yashwant Sevabhavi Bahuuddeshiya, Latur		60,000.00		60,000.00	
Yuva Chetna Samaj Kalyan Samiti, Delhi		45,000.00		45,000.00	
Zain Social Welfare Society, Lucknow		15,000.00		15,000.00	
Seminar & Conference	(D)	**81,85,604.00**		**59,59,404.00**	
Andhra Pradesh State Women Commission-S/C		1,01,400.00		-	
Bharat Youth Welfare Education & Rural- Karnataka		90,000.00		-	
Gandhi Smaraka Grama Seva, Kerala-S/C		90,000.00		-	
Institute of Chartered Management Association S/C		90,000.00		-	
JAWAHAR LAL NEHRRU University - S/C		90,000.00		-	
Odisa Yuva Sanskrutik Puri S/C NL		90,000.00		-	
Punjab State Commission for Women-S/C		90,000.00		-	
Sarthak, Shakarpur-S/C NL		90,000.00		-	
Udisha Vasant Kunj Delhi-S/C		90,000.00		-	
University Maharani College,Jaipur-S/C NL		90,000.00			
University of Kota Rajsth-S/C NL		30,000.00		-	
Aal-E-Yaseen Human Resources Developt. S/C		30,000.00		-	
Abhyudaya Seva Samithi AP-S/C-		30,000.00		-	
Adarsha Rural Devlpt. & Traing Socty.Karnt-S/C		30,000.00		-	
Adarsha Women Devlpt Society, AP-S/C		30,000.00		-	
Adarsh Kalyankari SewaUP S/C		30,000.00			
Akhil Bharat Dalit Vikas Parishad UPS/CSL		-		-	
A.R.Foundation AP-S/C		30,000.00		-	
Arun Institute of Rural Affairs- Odisha-S/C		30,000.00		-	
Asthana-A-Chistia Mahila Mandali-S/C		30,000.00			

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Bankura Manas Social Welfare Socity, WB-S/C	30,000.00		-	
Barberia Chetana Satsang WB-S/C	30,000.00		-	
Bharatiya Samvalamvan Sansthan UP-S/C	30,000.00		-	
Brij Bal Vikas Kendra , UP-S/C	30,000.00		-	
Chandrasekhar Azad Gramin Vikas Seva -S/C	30,000.00		-	
Chaplin Club WB-S/C	30,000.00		-	
Chetanalaya Delhi-S/C (SL)	30,000.00		-	
Community Rural Welfare Develpmt-S/C	30,000.00		-	
Deep Vidya Mandir Samit (DVMS) Rajth-S/C	30,000.00		-	
D.S.Social Society Awas Vikas, UP-S/C	30,000.00		-	
Fellowship , Orissa-S/C	30,000.00		-	
Gramin Vikas Sansthan Rajasthan-S/C	-		-	
Gram Vikas Sewa Sansthan Rajathn-S/C	30,000.00		-	
Gurukul Shiksha Evam Gramin Vikas Sansthan-S/C	30,000.00		-	
Heal India , Delhi-S/C SL	-		-	
Hira Nagpur Alpsankhyak Mahila Jharkhand-S/C	30,000.00		-	
Holy Mission for Children's Welfare WB-S/C	30,000.00		-	
Indian Social Institute Delhi-S/C	30,000.00		-	
Islamic Education Welfare Associat.WB-S/C	30,000.00		-	
Jai Devi Siksha Prasar Samiti MP-S/C	30,000.00		-	
Jai Kisan Shikshan Prasarak Mandal-S/C	30,000.00		-	
Jai Maa Bhawani Foundation- MP S/C	30,000.00		-	
Jai Shree Arihant Vidhya Mandir Bundi-S/C	30,000.00		-	
Jan Jagriti Sewa Samiti UP-S/C SL	30,000.00		-	
Jan Kalyan Samaj Sewa Trust-S/C	30,000.00		-	
Jeevankiran Sreekrishna Kerala-S/C SL	30,000.00		-	
Kamla Nehru Mahavidyalaya -S/C	30,000 00		-	
Karunamayi Mahila Mandali- S.C	30,000.00		-	
KKC Institute PG Studies(KIPS)-AP S/C SL	30,000.00		-	
Lokashrya, Delhi- S/C SL	-		-	
Lok Sewa Sansthan- S/C (Statelevel)	30,000.00		-	
Maa Hawwa Minority Multipurpose Women's-S/C	30,000.00		-	
Maathru Bhoomi Foundation-S/CSL	30,000.00		-	
Maharashtra State Commission for Women-S/C	49,000.00		-	
Mahila Chetna Samiti Haryana-S/C SL	-		-	
Mahila Janshakti Sanghathan Jharkhand S/C	30,000.00		-	
Mahila Samajothan Samiti UP-S/C	-		-	
Manav Seva Kalyan Sansthan MP-S/C	30,000.00		-	
Manav Vikas Foudation -Delhi-S/C	30,000.00		-	
Maqsad Sansthan Almora-S/C(SL)	30,000.00		-	
Mata Shree Jan Kalyan Sewa Sansthan, UP-S/C SL	-		-	
Matoshri Maisahed Ambedkar Gram Vikas- S/C	30,000.00		-	
Mitra Awareness Social Service-AP-S/C	30,000.00		-	
Mothers LAP Charitable Org. AP-S/C SL	30,000.00		-	
Mother Teressa Rural & Tribal Devlpt. AP-S/C	30,000.00		-	

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Mukti Mamta Mahial Mandal-MP S/C	30,000.00		-	
Nagrik Utthan Samiti UP-S/C	60,000.00		-	
Naini Mahila Evam Bal Vikas Samiti Uttarakand-S/C	30,000.00		-	
Nehru Studies Centre-S/C(SL)	30,000.00		-	
Nehru Yuva Club -Haryana-S/C	30,000.00		-	
Nivedita Kalyan Samiti MP-S/C	30,000.00		-	
Noble Reformation Integration Society -S/C	30,000.00		-	
Pirojpur Noboday Welfare Society WB S/C	30,000.00		-	
Rajdhani College,Delhi-S/c	30,000.00		-	
Ranjana Royal Educational Welfare & Cultrl Ass.S/C	30,000.00		-	
Sadayanodai Ilaingar Narpani-Tamilnadu-S/C	30,000.00		-	
Safe Society - S/C SL	30,000.00		-	
Sahayta Samajik Sansthan ,Chattisgarh-S/m	30,000.00		-	
Salem District People Service Society -S/C SL	30,000.00		-	
Samaj Sewa Sansthan UP-S/C SL	-		-	
Sangini Mahila Samiti-S/C	30,000.00		-	
Sanjeevani Vikas Foundation, Maharashtra-S/C	30,000.00		-	
Sankar Gyan Peeth Shikshan Chhattisgarh-S?C	30,000.00		-	
Sanskritik Samajik Samiti UP-S/C	30,000.00		-	
Sarva Uttan Sansthan- UP- S/C SL	-		-	
Sarvjan Sewa Sansthan -S/C	30,000.00		-	
Satvinder Shiksha Samiti-S/C SL	30,000.00		-	
Savitribai Fule Bhau Shikshan Sansthan-S/C SL	30,000.00		-	
SHARE (Socty for Humanita . Action) Orissa-S/C	30,000.00		-	
Shree Darpan Charitable Institute-Gujrat, S/C	30,000.00		-	
Shri Krishna Samiti Kuldeep Haryana-S/C	30,000.00		-	
Shripad Navjeevan Pratishthan Maharashtra-S/C SL	30,000.00		-	
Shri Rajiv Gandhi Smruti Khadi Gramodyog Trust S/C	30,000.00		-	
Shyam Kavi Lok Kalyan Sansthan-S/c	30,000.00		-	
Social Action for Rural Poor Karnataka-S/C	30,000.00		-	
Society for Innovative Rural Devlpmt-Jarkhand-S/C	30,000.00		-	
Society for Promotion of Pragati Sansthan Rajth S/C	30,000.00		-	
Society for Upliftment of Poor in Rural-AP-S/C	30,000.00		-	
Sri Mahadeswari Mahila Sewa Samaja S/C	30,000.00		-	
Suryoday Khadi Mission Gujrat, S/C	30,000.00		-	
SWAVALAMBAN HP- S/C	30,000.00		-	
Tarusakha -, Patana-S/C	30,000.00		-	
Trilochanpur Association WB-S/C	30,000.00		-	
Ummang Partners in Human Develpt, Delhi	30,000.00		-	
Universal Development Foundation Rajsth-S/C SL	30,000.00		-	
Voluntary Integrated Develpmt Society AP-S/C	30,000.00		-	
Weaker Section Development Society AP-S/C	30,000.00		-	
All India Society for Social Justice-S/c	90,000.00		-	
Centre for Women & Law -S/C	60,000.00		-	
Department-Cum- Centre for Women's Std-S/C	60,000.00		-	

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Indiramma Mahila Mandali-S/C	30,000.00		-	
Punjab School of Economics, Punjab-S/C	60,000.00		-	
Society for Cause of People Empwt (SCOPE) S/C	60,000.00		-	
Academy of Grassroots Studies & Research of India	60,000.00		-	
Adarsa ,Orissa (S/C)	15,000.00		15,000.00	
Aikatan Sangh West Bengal	30,000.00		30,000.00	
Akhil Bhartiya Viklang Sewa Sansthan UP	30,000.00		30,000.00	
Akhil Manav Seva Parishad	13,950.00		13,950.00	
All India Foundation for Peace & Disastermangt.(S/C	30,000.00		-	
All India Women's Conference Delhi	30,000.00		30,000.00	
Ambpali Bihar	-		30,000.00	
Amity Law School. UP	1,53,750.00		1,53,750.00	
Amrita Mahila Kalyan Samiti UP	30,000.00		30,000.00	
Anandi Devi Jan Kalyan Shiksha Samajothan UP	-		30,000.00	
Anirban Welfare Society WB-S/C	10,000.00		10,000.00	
Antarrashtriya Drashtachar Unmolan Avam Samaj Kalya	-		-	
Asha Kala Kendra MP	-		-	
ASRA Kolkatta	30,000.00		30,000.00	
Association for Devlt & Research Odisha	30,000.00		30,000.00	
Awadh Educational Society Lucknow	30,000.00		30,000.00	
Bhagidari Jan Sahyog Samiti	30,000.00		30,000.00	
Bhartiya Gramodyog Sewa sansthan	15,000.00		15,000.00	
Bhartiya Lok Kalyan Sansthan Rajasth	-		30,000.00	
Centre For Social Research, New Delhi	1,51,674.00		1,51,674.00	
Centre For Women's Studies, Udaipur	90,000.00		90,000.00	
Child in Need Institute (CINI)-WB S/C	90,000.00		-	
College of Home Science Udaipur	-		30,000.00	
Dalit Samaj Bal Evam Mahila Utthan-UP S/C	30,000.00		-	
Deep Welfare Org. Burari S/C	-		30,000.00	
Developing Countries Research Centre DU	90,000.00		90,000.00	
Dhanvandhiri Mentally Retarded Drug	30,000.00		30,000.00	
Dharti Foundation Odisha	60,000.00		60,000.00	
Director Maya Foundation Chandigarh	90,000.00		90,000.00	
Disha Foundation-Rajasthan	-		30,000.00	
Divine Touch Delhi-S/c	90,000.00		90,000.00	
Dr. Hahnemann, Educational Devlt.Delhi	30,000.00		30,000.00	
Duarshani Saramik Sangha	9,000.00		9,000.00	
Education & Rural Development, Tamil Nadu	29,000.00		90,000.00	
Education & Rural Development	-		-	
Gandarpurkur Sri Ramkrishna AshramWB	30,000.00		30,000.00	
Gandhi Smariti Sansthan Rajsthan	-		30,000.00	
Gangotri Foundation UP	-		-	
Gayathri Rural Development Society Karnatka	60,000.00		60,000.00	
Geet Mahila Samiti U.P.	15,000.00		15,000.00	
Gnana Sudha Educational Society, Hyderabad	15,000.00		15,000.00	

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Gramin Uthan Manav Sansthan Rajasthan	30,000.00		30,000.00	
Green World Educational Society, Udaipur	30,000.00		30,000.00	
Guild for Service	-		60,000.00	
Gujrat State Commission for Women	60,000.00		60,000.00	
G.V.M. College Sonipat	-		30,000.00	
Handicapped Welfare Society	-		-	
Helena Kaushik Women's collage, Jhunjhunu	-		90,000.00	
Himachal Pradesh State Commission	-		60,000.00	
Human Resource Advancement Welfare Delhi	30,000.00		1,78,200.00	
India International Intellectual Society Delhi	-		90,000.00	
Indian Institute of Youth Welfare, Maharashtra	15,000.00		15,000.00	
India World Foundation Delhi-S/C Adv	90,000.00		-	
Institute for Environmental & Social Affairs Rajas	-		30,000.00	
Institute of Career Courses, UP	-		30,000.00	
Integrated Tribal development for workers	30,000.00		30,000.00	
Jan Kalyan Samiti, Punjab-S/C	30,000.00		-	
Jan Kalyan Yuvak Sangha, Odisha	27,540.00		27,540.00	
Jeevan Prakash Trust Gujrat-S/C	30,000.00		-	
Jijamata Bahuudheshiya Mahila ,Latur	30,000.00		30,000.00	
Jogrook mahila sansthan parcham	-		-	
Jai Maa Mahila Utthan Samiti, Delhi	-		-	
Jan Kalyan Kutir Gramodhyog Sanstha,	30,000.00 **		30,000.00	
Jankalyan Orrissa	30,000.00		30,000.00	
Jharkhand State Commission	1,00,000.00		1,00,000.00	
Kamina Bright Light Mission W B	-		30,000.00	
Kanoria Pg Mahila Mahavidyalaya Jaipur	-		90,000.00	
Kasturba Mahila Samiti Jaipur	-		-	
Kasturba Mahila Shiksha Samiti Jaipur	-		30,000.00	
Kerala Educational Development & Emplt.,Kerala	30,000.00		30,000.00	
Kiran Sewa Samiti UP	-		30,000.00	
Krushi Mahila Mandali, NAWA, AP	30,000.00		30,000.00	
Kumarsha Rural Development Society, WB	15,000.00		15,000.00	
Kundan Welfare Society-S/C	60,000.00		-	
Lokahitwadi Samajik Va Sanskrutik Krida	30,000.00		30,000.00	
Mahaveer Shiksha Samiti MP-Rajasthan	-		1,00,000.00	
Mahila Jagriti Samiti, UP	-		-	
Mahila Kalyan Samiti	-		-	
Mahila Prabodhini Foundationl UP	-		-	
Mahila Sakhi Saheli Samiti, Chhattisgarh-S/C	30,000.00		30,000.00	
Mahila Utthanam-UP S/c	30,000.00		-	
Maya Foundation Chandigarh	30,000.00		30,000.00	
Mega Rural Development Society Karnataka	-		30,000.00	
Nagara Bhavi Urban & Rural Service(NB Urban)	30,000.00		30,000.00	
Nari Uthan Samiti UP	-		30,000.00	
National Charitable Welfare Society-UP	30,000.00		30,000.00	

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
National Youth Foundation Lucknow	-		-	
Natun Pather Sathi Kolkata	30,000.00		30,000.00	
Navneet Foundation UP	-		-	
Nav Nirman Mahila Mandali	7,190.00		7,190.00	
Nav Nirman Mahila Mandal Samiti Jaipur	90,000.00		90,000.00	
Nav Rajiv Gandhi Foundation & Research-Jaipur	30,000.00		30,000.00	
Navyug social development institute	56,100.00		56,100.00	
NAWO, Dr. Pam Rajput Women's Resource, Chandigarh	2,00,000.00		2,00,000.00	
Nehru Yuva Mandal Kendra, Moradahbad(S/C)	30,000.00		-	
Noble Social & Educational Society	60,000.00		60,000.00	
Odisa Yuva Sanskrutik -Puri-S/C	30,000.00		-	
Om Addarsh Samiti Dausa	30,000.00		30,000.00	
Om Sai Sewa Sansthan Fatehpur	-		-	
Organizing Secretary, 33rd Crimonology Conf. J &K	90,000.00		90,000.00	
Pahal Welfare Society Haryana	30,000.00		30,000.00	
Parivartan Haryana	-		30,000.00	
Partners for Law in Development	-		1,95,000.00	
Parwaz Jan Kalyan Sansthan UP	30,000.00		30 000.00	
Pondicherry Women's Commission	-		90,000.00	
Pooja Adarsh Vidya Mandir Sanstha, Rajasthan	30,000.00		30,000.00	
Pooja Welfare Society,J&K-S/c	30,000.00		30,000.00	
Pratapgarh Gramotthan Samiti, UP	-		-	
Prikarma Mahila Samiti	30,000.00		30,000.00	
Principal Miranda House,DU	-		-	
Principal M.P. Govt. PG College, Rajasthan	30,000.00		30,000.00	
PRIYA,Bhubaneswar	-		-	
Public Welfare Society	-		30,000.00	
Rajapur Gramya Vikas Evam Prashikashan Sanstha UP S	-		90,000.00	
Rajiv gandhi janseva sansthan	30,000.00		30,000.00	
RK HIV AIDS research & Care centre	80,000.00		80,000.00	
Role of women writer in social awakening	18,000.00		18,000.00	
Sabri Educational & Welfare Society, UP	30,000.00		30,000.00	
Sadbhabhavana Samanvaya Sansthan UP	45,000.00		45,000.00	
SADHANA, Odisha	-		-	
Sagar Khadi Gramodhyog Samiti, Kushinagar	-		-	
Sakhi Kendra	60,000.00		60,000.00	
Sammati Social Samiti, MP	15,000.00		15,000.00	
Sampratika Odisha	-		30,000.00	
Sanjeevani, bhuabneshwar	9,000.00		9,000.00	
Sanjeevani Delhi	30,000.00		30,000.00	
Sanjeevani Society	15,000.00		15,000.00	
Sankalp Sewa Sansthan, UP	-		-	
Sanskritik Vikas Evam Nav Kalyan Samiti Uttara	30,000.00		30,000.00	
Santhwaran Social Service Educational & Charitable	-		-	
Sarojani Naidu Mahila Vikas Avam-Rajasth.-S/C	-		30,000.00	

(Amount in ₹)

		Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
Sarvodaya Samegra Vikas & Sanchar Sansthan,		30,000.00		30,000.00	
Sauhard Vikas Sanstha - Rajasthan		-		30,000.00	
Savitri Manav Vikas Sansthan UP		-		30,000.00	
Scheduled Tribe and Backward Classes AP		-		30,000.00	
Self Initiative For Total Awareness, Deogarh		30,000.00		30,000.00	
Serva Sukhai Ujjawal Gramodyog Sewa UP		-		30,000.00	
Service Education and Welfare Association, Varanasi		30,000.00		30,000.00	
Shaheed Ashfaque Ullah Khan Memorial Society, Prata		-		30,000.00	
Shakti Vahini		30,000.00		30,000.00	
Shiv Charan Mathur Social Policy-S/c		30,000.00		-	
Shri Giriraj Ji Maharaj Shiksha, UP		30,000.00		30,000.00	
Silda swasti unnayan samiti		30,000.00		30,000.00	
Shrine Society Delhi		-		30,000.00	
Shri Ram Smriti Shaikhnik Indor		30,000.00		30,000.00	
Society For Health & Educational Development, Hyderabad		15,000.00		15,000.00	
Society for Innovative Rural Devlpt Delhi		-		30,000.00	
Sri Sai Sewa Samiti UP		-		30,000.00	
Stree Mukti Sanghtana, Mumbai		30,000.00		30,000.00	
Subhashit Jansewa Sanstha UP		-		30,000.00	
Suruchi Kala Kendra , Bihar		30,000.00		30,000.00	
S.V.Educational Society AP		30,000.00		30,000.00	
Swargiya Ram Sewak Sewa Samiti UP		-		30,000.00	
Taraingini Social Service Society, AP		15,000.00		15,000.00	
The Collector & Migistrate,Sawai Madhopur		30,000.00		30,000.00	
The Commissioner of Police Pune		30,000.00		30,000.00	
The Director, Centre for Women Studies Aligarh		90,000.00		90,000.00	
The Education & Rural Development, Tamilnadu		-		30,000.00	
UGC- Academic Staff College Uttarakhand		-		1,20,000.00	
Uthan Soudh Sansthan, Rajasthan		30,000.00		30,000.00	
Vandana Samaj Kalyan Samiti UP		-		30,000.00	
Vashnao Nari Seva Sansthan UP		30,000.00		30,000.00	
Vidya Kala Sansthan, UP		15,000.00		15,000.00	
Vishwseshwaraian Rural & Urban Developt Karnataka S		-		60,000.00	
Voluntary Agency for Social Action-Orissa		30,000.00		30,000.00	
West Bengal Commission for Women		60,000.00		60,000.00	
Wippro Foundation		30,000.00		30,000.00	
Women Association for Training Empowert (WATER)		-		60,000.00	
Yuva Gram Vikas Samiti Rajasthan		-		30,000.00	
Capacity Building of Judicial / Police	(E)	**7,34,690.00**		**3,54,060.00**	
ACP/HQ/DD, SPUWC Nanakpura		1,12,140.00		1,12,140.00	
Amity Law School Noida-Capacity Buildg		63,000.00		-	
Director Police Academy Moradabad-Capacity Build		56,700.00		-	
Haryana Police Academy Madhuban-Capacity Buldg		82,950.00		-	
Maharashtra State Commission -Capacity Buildg.		63,000.00		-	

(Amount in ₹)

		Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
Police Training Centre Mumbai		-		21,000.00	
Police Training College Daroh, HP-Capacity Buildg		29,405.00		-	
Principal Constable Training School,Bihar-Capcity B		64,575.00		-	
Raja Bahadur Venkat Rama Reddy AP Police-Capacity		42,000.00		-	
Rajasthan Police Academy Jaipur		1,32,300.00		1,32,300.00	
The Director Haryana Police Academy		88,620.00		88,620.00	
Special Study(NER)	(F)	**4,10,635.00**		**5,41,675.00**	
All Manipur Senior Citizens		65,520.00		1,96,560.00	
Assam University		1,31,040.00		1,31,040.00	
Dream Progressive Welfare Association, Assam		36,600.00		36,600.00	
Indian institute of technology		60,060.00		60,060.00	
Jana Neta Irawat Foundation, Manipur		37,065.00		37,065.00	
Jana Samridhi Samiti Imphal. Manipur		32,350.00		32,350.00	
Omeo Kumar Das Institute A Social Change		48,000.00		48,000.00	
Rural Service Agency (RUSA)		-		-	
Legal Awareness Programme (NER)	(G)	**54,11,500.00**		**44,46,500.00**	
Abu Tariang Socio- Economic Dev. Soc.		30,000.00		30,000.00	
Amatsara Shillong		5,50,000.00		5,50,000.00	
Arunachal Pradesh State Comm. (LAP NER)		2,10,000.00		-	
Arunachal State Commission of Women		8,30,000.00		8,30,000.00	
Assam State Commission for Women, Uzanbazar		3,50,000.00		1,40,000.00	
Deera Village Forest Management, Arunachal Prades		20,000.00		20,000.00	
District Social Welfare Office, Assam		56,500.00		56,500.00	
Dreams Assam		20,000.00		20,000.00	
Eight Brothers Social Welfare Society		-		60,000.00	
Elanglam Tondonbi Singh Manipur		-		-	
Ever Green Earth , Assam		30,000.00		30,000.00	
Golaghati Welfare Society Tripura		-		60,000.00	
Hayang Memorial Agro Industry & Education		40,000.00		40,000.00	
Himalayan Tribal Welfare Society AP		-		60,000.00	
International Computers-Assam		-		-	
Ittehaad Socia-Cultural Organization, Assam		20,000.00		20,000.00	
Jazzy, Guwahati, Assam		20,000.00		20,000.00	
Jyotimoy Foundation Assam		20,000.00		20,000.00	
Khadi & Village Industries-		-		-	
Khomidok Muslim Women W#elfare Society, Manipur		20,000.00		20,000.00	
Khumui Burui Bodool , Tripura		-		55,000.00	
Khyrim Kulti Purpose Society-Megalaya		-		60,000.00	
Kongpal Punshi Lamjing Marup Manipur-LAP Ner		60,000.00			
Konwar Chtia Sanshani Mahila Samity, Assam		40,000.00		40,000.00	
Lamjing Thawan Association, Manipur		-		-	

(Amount in ₹)

	Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
Leiyaibi Memorial Trust, Manipur	-		-	
Light of Village, Guwahati	20,000.00		20,000.00	
Longmai Multi-Purpose Association, Manipur	20,000.00		20,000.00	
Lufuria Nava Jagaran Club	-		-	
Manav Sarathi Assam-	-		90,000.00	
Manipur State Commission for Women	6,60,000.00		3,60,000.00	
Mascotte Development Society Nagaland-	60,000.00		60,000.00	
Meghalaya State Commission for Women, Shillong	3,50,000.00		1,40,000.00	
Merit Educational Society, Assam	20,000.00		20,000.00	
Mizoram State Commission for Women	3,10,000.00		4,00,000.00	
Nagaland Women Commission-LAPNER	2,10,000.00			
Nandini Welfare Society Assam-LAP NER	30,000.00		-	
Naotoumai Rural Devlpt Asso.Manipur	30,000.00		30,000.00	
National Educational Institute, Assam	-		-	
Nayan Mani Pragati Sangha Assam	15,000.00		15,000.00	
NIMS Educational & Social Asso. Assam	40,000.00		40,000.00	
North-East Bright Society, Assam	40,000.00		40,000.00	
North-East People Right, Assam	20,000.00		20,000.00	
Ohho Mi Enki SA Society	-		-	
Orechid India Society Tadar AP	-		60,000.00	
Organization for Socio-Economic Devt	-		-	
Phakun Harmoti Gaon Shrimata Sankar, Assam	40,000.00		40,000.00	
Prayas, Assam	40,000.00		40,000.00	
Progressive Devlopment Org, Assam	20,000.00		20,000.00	
REDCO Foundation , Manipur	40,000.00		40,000.00	
Rotary Club Shillong	5,10,000.00		5,10,000.00	
Self Employed Tribla & Backwards Women's	20,000.00		20,000.00	
Sikkim State Commission for Women-LAP NER	2,10,000.00		-	
Sun Club Assam	20,000.00		20,000.00	
The Association for Devlopment of Backward Areas, Manipur	20,000.00		20,000.00	
The Integrated Progressive Rural Deveopment Organisation	-		-	
The Life Care Foundation,Manipur	-		-	
The Sangit Natya, Manipur	60,000.00		60,000.00	
Traditional Culture & Budhist Research,Manipur	-		60,000.00	
Tripura Commission for Women,Agartala(NER)LAP	1,80,000.00		-	
United Progressive Society, Assam	60,000.00		60,000.00	
Upliftment of Human Resource & Vocational Training	-		90,000.00	
Volunteers Guild Assam-LAPNER	30,000.00		-	
Women and Child Developmen Society, AP	-		-	
Welfare to All HEPAH, Assam	20,000.00		20,000.00	

(Amount in ₹)

		Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
Seminar & Conference (NER)	(H)	**10,91,000.00**		**11,15,000.00**	
Akhanda, Tripura		30,000.00		30,000.00	
AMATSARA, Shillong		-		30,000.00	
Angikar Assam		-		-	
Assam State Commisssion for Women		1,20,000.00		1,50,000.00	
Assam University		-		90,000.00	
Center for Women Studies, Assam		30,000.00		30,000.00	
Department of Political Science Debrugarh Universal		30,000.00		30,000.00	
Development Networking Agency, Manipur		30,000.00		30,000.00	
Dukutia Charitable Trust, BTAD		30,000.00		30,000.00	
Foundation for Social Development Org. Imphal, Manipur		30,000.00		30,000.00	
Grassroot, Meghalaya		20,000.00		20,000.00	
Hayang Memorial Agro Industry & Edu.AP		30,000.00		30,000.00	
Institute of Social Research & Devlpt.Manipur S-NER		30,000.00		-	
Iswarambha Samiti Sangh		30,000.00		30,000.00	
Manipur State Commission for Women		90,000.00		90,000.00	
Meghlaya State Commission for Women-S/C		36,000.00		-	
New Integrated Rural Management Agency		30,000.00		30,000.00	
New Vision Creative Society Village & Post Era, Assam		30,000.00		30,000.00	
North -East India Centre for Mass Communatio- S/C N		30,000.00		-	
North East Network, Assam		1,35,000.00		1,35,000.00	
PARDA Manipur		30,000.00		30,000.00	
Rural Develpt Society Arunachal Pradesh		30,000.00		30,000.00	
Rural Women Upliftment Asso. of Assam		-		30,000.00	
Shalom Educational & Charitable Trust		-		30 000.00	
Social Awarencess for Friendly Envirnt-Guwahat NER		30,000.00		-	
Social Welfare Managmt & Promotional-S/C NER		30,000.00		-	
South Asia Bamboo Foundation		30,000.00		30,000.00	
The Iramsiphai Mamang Leikal ,Manipur		30,000.00		30,000.00	
The Neo Life Foundation Manipur- S/C		30,000.00		-	
Wangjing Women and Girsl Society, Manipur-S/C		1,20,000.00		1,20,000.00	

Pay & Accounts Officer

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

MEMBER SECRETARY

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव/Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली–02/New Delhi-02

SCHEDULE 4- FIXED ASSETS

(Amount in ₹)

	GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Opening Balance	Additions	Deductions	Adjustments	Closing Balance	Opening Balance	On Additions	On Deductions	Total value at end	Current Year	Previous Year
FIXED ASSETS										-	
Land	36,89,781.00	-	1,36,338.00	-	35,53,443.00	-	-	-	-	35,53,443.00	36,89,781.00
Building- Work in Progress	9,72,416.00	2,12,444.00	-	-	11,84,860.00	-	-	-	-	11,84,860.00	9,72,416.00
Plant & Machinery	60,01,230.00	2,26,038.00	13,654.00	-	62,13,614.00	8,95,726.40	33,328.20	-	9,29,054.60	52,84,559.40	60,01,230.00
Vehicles	28,09,703.00	-	60,744.00	-	27,48,959.00	4,12,343.85	-	-	4,12,343.85	23,36,615.15	28,09,703.00
Furniture & Fixtures	74,80,145.00	7,03,290.00	2,94,474.00	-	78,88,961.00	7,18,567.10	56,714.85	-	7,75,281.95	71,13,679.05	74,80,145.00
Computer	15,87,214.00	1,10,623.00	-	13,654.00	17,11,491.00	9,60,520.80	72,518.10	-	10,33,038.90	6,78,452.10	15,87,214.00
Books & Publications	8,46,770.00	1,95,194.00	8,08,309.00	-	2,33,655.00		1,40,193.00	-	1,40,193.00	93,462.00	8,46,770.00
Documentary Films	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,33,87,259.00	**14,47,589.00**	**13,13,519.00**	**13,654.00**	**2,35,34,983.00**	**29,87,158.15**	**3,02,754.15**	**-**	**32,89,912.30**	**2,02,45,071.00**	**2,33,87,259.00**

Note :- Rs. 13654 (after Dep.) trsf from M&E to Computer which is purchased by last year and 45% depreciation charged from computer A/C of last year i.e 13654*45%

Pay & Accounts Officer

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

MEMBER SECRETARY

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव/Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली-02/New Delhi-02

SCHEDULE 4- FIXED ASSETS

(Amount in ₹)

		Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
				(Amount in ₹)	
1)	Land	35,53,443.00	-	36,89,781.00	
2)	Building- work in progress	11,84,860.00	-	9,72,416.00	
3)	Furniture & Fixtures	71,13,680.00	-	74,80,145.00	
4)	Machinery & Equipments	52,84,559.00	-	60,01,230.00	
5)	Computer	6,78,452.00	-	15,87,214.00	
6)	Vehicle	23,36,615.00	-	28,09,703.00	
7)	Documentary Films	-			
8)	Books & Publications	93,462.00	-	8,46,770.00	
		2,02,45,071.00	-	2,33,87,259.00	

SCHEDULE 5- INVESTMENT OTHERS

(Amount in ₹)

CPF Investment	-	-		-
Add : Accrued interest	-	-		-
	-	-	-	-

Pay & Accounts Officer

MEMBER SECRETARY

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव/Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली-02/New Delhi-02

SCHEDULE 6- CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

(Amount in ₹)

		Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan (Amount in ₹)
A.	***CURRENT ASSETS***				
1)	Cash in Hand (Including cheques/drafts and Imprest)	-	-	-	
2)	Postage Stamps in Hand		29,479.00		43,213.00
3)	Bank Balance :-				
	With Schedule Banks :				
	On Saving Account	1,25,99,844.00	21,35,507.00	14,76,918.00	12,61,267.00
	On CPF Account Canara Bank	-	-		-
4)	Loan, Advances and Other Amount recoverable in cash or in kind or for value to be received :-	-	-	-	
5)	Sundry Debtors	-	-	200.00	27.00
	A	**1,25,99,844.00**	**21,64,986.00**	**14,77,118.00**	**13,04,507.00**

Pay & Accounts Officer

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

MEMBER SECRETARY

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली–02 / New Delhi-02

(Amount in ₹)

		Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
B.	***LOANS & ADVANCES***				
	Under Plan	B 1,54,47,154.00		1,90,00,024.00	
	Advances to Employees	1,46,97,154.00		1,82,50,024.00	
	Seminar & conference				
	Abdus Salam	3,57,109.00		3,57,109.00	
	Daler Singh	-		1,000.00	
	Diwan Singh	-		2,000.00	
	Hardeep Singh	-		11,620.00	
	Manju S Hembram	4,60,097.00		4,60,097.00	
	Mridul Bhattacharya	-		65,175.00	
	Navodita Sharma	-		4,67,687.00	
	Rajkumar (Asstt.)	-		1,500.00	
	Shamina Shafiq	-		15,000.00	
	Charu Wali Khana,Member	70,000.00		-	
	Kishor Samant, LIA	6,000.00		-	
	Malkhan Singh	1,52,640.00			
	R.K.Sehgal	2,450.00			
	S.K.Gupta	20,000.00			
	Vikas Vinod Bhale	2,17,811.00			
	Sohan Lal	-		5,500.00	
	Varun Chabra	-		10,000.00	
	Wansuk Syiem	-		65,000.00	
	Machinery & Equipment				
	Mridul Bhattacharya	-		-	
	Advance for Advertisement				
	Accounts Officer DAVP	35,53,655.00		1,22,11,387.00	
	Directorate of Advertising & Visual Publicity	97,07,392.00		45,76,949.00	
	India World Foundation	1,50,000.00		-	
	Advances to NGO	7,50,000.00		7,50,000.00	
	Seminar & Conference				
	ACP, HQ, DDO, Nanak Pura	1,00,000.00		1,00,000.00	
	Aparna Bhatt, Advocate	-		-	
	CEQUIN, New Delhi	2,00,000.00		2,00,000.00	
	Swarlipi Swagat Building, Mumbai	4,50,000.00		4,50,000.00	
	Advances for Seminar & Conference				
	India International Centre	-		-	

(Amount in ₹)

		Current Year Plan	Current Year Non-Plan	Previous Year Plan	Previous Year Non-Plan
Under Non Plan	C		**1,29,181.00**	-	**3,58,416.00**
Advances to Employees			**1,18,028.00**		**3,47,263.00**
Repair & Maintenance Vehicle			-	-	**19,055.00**
Diwan Singh			-	-	19,055.00
Office Expenses			**700.00**	-	**16,505.00**
Airport Authority of india			700.00	-	700.00
Hardeep Singh			-	-	9,000.00
Mridul Bhattacharya			-	-	3,340.00
Prakash Chand (Peon)			-		2,865.00
SC Sharma			-	-	100.00
Vandana Paranjpe			-	-	-
Mahender Singh			-	-	500.00
Travelling Expenses			-	-	**8,705.00**
Jai Bhagwan			-	-	4,224.00
Jasvinder Kaur			-	-	-
Wansuk Syiem			-	-	-
sarabjeet Singh			-	-	4,481.00
Advance for Telephone			-		-
Hardeep Singh			-		-
Advance for Petrol			**1,365.00**		**20,960.00**
B.S.Rawat			1,365.00		1,365.00
Israr Ahmed			-		5,000.00
Jai Bhagwan			-		5,595.00
Yashpal Singh			-		-
Mridul Bhattacharya			-		9,000.00
Salary Advance			**1,15,963.00**		**2,82,038.00**
Kishor P. Samarth					-
Festival Advance			27,000.00		16,200.00
LTC Advance			88,963.00		2,65,838.00
OMCA			**11,153.00**		**11,153.00**
Other Motor Car Advane			11,153.00		11,153.00

(Amount in ₹)

		Current Year Plan	Non-Plan	Previous Year Plan	Non-Plan
Under NER	D	**41,40,000.00**		**77,39,396.00**	**-**
Advance to NGO		**27,40,000.00**		**27,40,000.00**	
Seminar & Conference (NER)		**23,40,000.00**		**23,40,000.00**	**-**
Director of Social Welfare, Govt. Of Meghalaya		4,40,000.00		4,40,000.00	-
Mizoram State Commission		2,50,000.00		2,50,000.00	-
Pondicherry Women Commission		5,00,000.00		5,00,000.00	-
Principal Secretary, Govt. Of tripura		2,50,000.00		2,50,000.00	-
Rotary Club Shillong		9,00,000.00		9,00,000.00	-
Legal Awareness Programme(NER)		**4,00,000.00**		**4,00,000.00**	**-**
Rotary Club Shillong- NER		4,00,000.00		4,00,000.00	-
Advance for Advertisement (NER)		**14,00,000.00**		**49,99,396.00**	
Accounts Officer DAVP		14,00,000.00		49,99,396.00	
Other					
Advance to Provident Fund			-	-	-
CPWD		1,80,00,000.00		1,80,00,000.00	-
Advance for Building to NBCC		5,64,87,000.00		2,17,00,000.00	
			-	-	-
	E	**7,44,87,000.00**	**-**	**3,97,00,000.00**	**-**
	TOTAL F (B+C+D+E)	**9,40,74,154.00**	**1,29,181.00**	**6,64,39,420.00**	**3,58,416.00**
Security Deposit	G	**38,160.00**	**15,500.00**	**-**	**85,500.00**
	TOTAL A+F+G	**10,67,12,158.00**	**23,09,667.00**	**6,79,16,538.00**	**17,48,423.00**

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

Pay & Accounts Officer

MEMBER SECRETARY

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव/Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली-02/New Delhi-02

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

SCHEDULE 7- GRANTS

(Amount in ₹)

		Current year		Previous Year	
1) Central Government		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
	Grant	13,00,00,000.00	4,85,00,000.00	12,27,00,000.00	4,57,27,000.00
	Less: Amount Grant in aid Capitalised	14,47,589.00	-	38,84,265.00	-
	Total Grant	12,85,52,411.00	4,85,00,000.00	11,88,15,735.00	4,57,27,000.00

SCHEDULE 8- FEES/ SUBSCRIPTIONS

	Current year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
1) Entrance Fees	-	-	-	-
2) Annual Fees/ Subscription	-	-	-	-
3) RTI Fees	-	4,363.00	-	9,556.00
		-		
		4,363.00		9,556.00

Pay & Accounts Officer

MEMBER SECRETARY

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव/Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली–02/New Delhi-02

SCHEDULE 9 &10- INTEREST EARNED

(Amount in ₹)

		Current year		Previous Year	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
1)	On Saving Bank Account				
	a) With Schedule Bank	9,97,578.00	3,72,173.00	5,75,067.00	2,23,637.00
	b) Interest on investment	-	-	-	-
2)	Interest on HBA	-	-	-	-
3)	Interest Earned on CPF	-	-	-	-
4)	Interest Earned on FDR	-	-	-	-
		9,97,578.00	3,72,173.00	5,75,067.00	2,23,637.00

SCHEDULE 11- OTHER INCOME

(Amount in ₹)

		Current year		Previous Year	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
1)	Income	-	-	-	-
2)	Mis. Income	46,91,435.00	3,400.00	-	-
3)	Transfer from CPF Receipt & Payment Account	-	-	-	-
		46,91,435.00	3,400.00	-	-

Pay & Accounts Officer

MEMBER SECRETARY

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव/Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली–02/New Delhi-02

SCHEDULE 12- ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in ₹)

		Current year		Previous Year	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
1	Salary:-				
	CP & Members	-	97,39,542.00	-	1,00,84,214.00
	Officers	-	63,31,883.00	-	64,79,426.00
	Staff	-	1,31,82,439.00	-	1,05,02,943.00
2	Wages	81,41,740.00	-	75,32,935.00	-
3	Contribution to CPF	-	-	-	-
4	Contribution to Other Funds:-				
	LSC	-	4,80,236.00	-	3,62,445.00
	PC	-	5,77,510.00	-	8,73,508.00
5	Payment for Professional Fees & Services	35,17,389.00	-	42,53,460.00	-
		1,16,59,129.00	3,03,11,610.00	1,17,86,395.00	2,83,02,536.00

Pay & Accounts Officer

MEMBER SECRETARY

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव/Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली–02/New Delhi-02

SCHEDULE 13- OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Amount in ₹)

	Current Year		Previous Year	
	Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
Advertisement Exps.	2,36,39,337.00	-	50,04,532.00	-
Legal Awareness Programme	1,92,30,849.00	-	1,41,34,059.00	-
Printing	10,99,910.00	-	7,31,337.00	-
Seminar & Conference	2,62,74,428.00	-	2,73,68,811.00	-
Special Study	63,87,195.00	-	93,20,470.00	-
Review of Law	15,44,722.00	-	-	-
PMLA	8,40,000.00	-	23,54,200.00	-
Funds for NGO's for Nukkad Natak	1,04,415.00		15,000.00	
Audio Visual Publicity-Spot, Documentry Films etc.	28,00,903.00		24,76,506.00	
Capacity Building of Judicial & Police official	13,20,931.00		12,12,929.00	
Establishment of 24X7 Help Line & Call Center	-		18,65,000.00	
Repair & Maintenance Plan	2,94,474.00		-	
Land & Building RRT	1,36,338.00			
Networking of NCW with SWC & Teleconferencing	5,16,368.00		99,341.00	
Printing of Pamphlets, Leaflets & other Materials	14,53,867.00		17,45,907.00	
Office Expenses	-	57,37,265.00	-	51,83,305.00
Repair & Maintenance	-	10,54,565.00	-	8,25,133.00
Telephone	-	8,47,864.00	-	7,74,569.00
Travelling Expenses	-	25,81,978.00	-	20,90,970.00
Audit Fees	-	2,37,480.00	-	1,49,950.00
Bank Charges	-	11,485.00	-	15,178.00
Petrol, Oil & Lubricants	-	12,65,955.00	-	13,06,940.00
Interest paid on CPF	-	-	-	-
Rent, Rates & Taxes	-	62,75,090.00	-	65,90,400.00
Litigation		19,360.00		1,66,500.00
Advertisement NER	35,99,396.00	-	-	-
Legal Awareness Programme NER	38,04,710.00	-	49,80,000.00	-
Seminar & Conference NER	8,98,350.00	-	46,68,598.00	-
Special Study NER	2,95,355.00	-	8,45,750.00	-
	9,42,41,548.00	**1,80,31,042.00**	**7,68,22,440.00**	**1,71,02,945.00**

Pay & Accounts Officer

MEMBER SECRETARY

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली–02 / New Delhi-02

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
SCHEDULES FORMING PART OF RECEIPT & PAYMENT AS AT MARCH 31, 2014

SCHEDULE 16- ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in ₹)

		Current year		Previous Year	
		Plan	Non-Plan	Plan	Non-Plan
1	Salary:-				
	CP & Members		2,90,87,789.00		2,73,12,333.00
	Officers				
	Staff				
2	Wages	81,41,740.00		75,32,935.00	
3	Contribution to CPF				
4	Contribution to Other Funds:-				
	LSC		1057746		12,35,953.00
	PC				
5	Payment for Professional Fees & Services	35,17,389.00		42,29,042.00	
		1,16,59,129.00	3,01,45,535.00	1,17,61,977.00	2,85,48,286.00

Pay & Accounts Officer

MEMBER SECRETARY

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली–02 / New Delhi-02

SCHEDULE 17- OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Amount in ₹)

Particulars		Current Year	Previous Year
1 ***Under Plan***			
Advertisement Exps.		16248293	13246795
Legal Awareness Programme		13100099	12579059
Printing		1109910	731337
Seminar & Conference		23818364	25227674
Special Study		6061257	8402505
Review of LAW		15,44,722.00	-
PMLA		765000	1754200
Audio visual Publicity		7931346	7900955
Land & Building work in progress advance		3,47,87,000.00	21700000
Establishment of 24X 7 Help Line & Call Centre		-	1865000
Printing of Pamphlets, Leaflets & other materials for distribution		1453867	1775907
Capacity Building of Judicial & Police officials on proper Implementation of women laws		940301	968489
Networking of NCW with State Women Commission & Teleconferencing		516368	99341
Funds to NGOs for Nukkad Natak & local songs etc		104415	15000
	A	**10,83,80,942.00**	**9,62,66,262.00**
2 ***Under Non Plan***			
Office Expenses		5704673	51,58,984.00
Repair & Maintenance		1035510	8,25,133.00
Telephone		847864	770069
Travelling Expenses		2573273	2091756
Audit Fees		237480	149950
Bank Charges		11485	15178
Petrol, Oil & Lubricants		1194360	1317277
Rent, Rates & Taxes		6275090	6590400
Litigation		19360	166500
	B	**1,78,99,095.00**	**1,70,85,247.00**

3 ***Under NER***

(Amount in ₹)

Particulars		Current Year	Previous Year
Advertisement		-	1999396
Legal Awareness Programme		283971 0	3805000
Seminar & Conference		917180	4420638
Special Study		446137	579260
Printing		-	-
	C	42,03,027.00	1,08,04,294.00
	Total A+B+C	13,04,83,064.00	12,41,55,803.00

Pay & Accounts Officer

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

MEMBER SECRETARY

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव/Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली–02/New Delhi-02

Remittance Schedule-18

(Amount in ₹)

	Current year		Previous year	
	Addition	Amount Remitted	Addition	Amount Remitted
GPF	14,03,000.00	14,03,000.00	13,91,500.00	13,91,500.00
Licence Fee	87,270.00	87,270.00	64,401.00	64,401.00
Income tax	30,87,268.00	30,87,268.00	28,50,644.00	28,50,644.00
CGHS	33,875.00	33,875.00	26,900.00	26,900.00
CGEGIS	16,475.00	16,475.00	15,070.00	15,070.00
HBA	1,760.00	1,760.00	21,120.00	21,120.00
Interest on HBA	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
MCA + (Intt.)	15,936.00	15,936.00	7,968.00	7,968.00
OMCA	-	-	-	-
Interest on OMCA	-	-	-	-
Festival Advance	-	-	-	-
Computer Advance	22,540.00	22,540.00	17,815.00	17,815.00
Computer Interest	-	-	-	-
CPF Subscription	4,39,356.00	4,39,356.00	1,13,484.00	1,13,484.00
CPF Advance	2,500.00	2,500.00	38,750.00	38,750.00
EPF	1,26,505.00	1,26,505.00	34,908.00	34,908.00
TDS	11,74,339.00	11,74,339.00	10,91,409.00	10,91,409.00
Other Recovery				-
Total	64,58,824.00	64,58,824.00	57,21,969.00	57,21,969.00

Pay & Accounts Officer

MEMBER SECRETARY

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली-02 / New Delhi-02

National Commission for Women

SCHEDULES -14 FORMING PART OF THE FINANCIAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDING 31.03.2014.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on accrual basis . Financial statements have been prepared in format for Central Autonomous bodies (Non Profit Organization and Similar Institution) provided by the office of the CGA .

2. INVESTMENTS

2.1 No Investment has been done by NCW in any form as on date.

3. FIXED ASSETS

3.1 Fixed assets are stated the total cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to the acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses, form the part of the value of the assets capitalized.

3.2 Fixed Assets includes the books gifted/Donated to NCW are capitalized at book value.

4. DEPRECIATION

4.1 Depreciation is provided on written down value method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 . The financial statements are prepared on the basis of accrual basis .

5. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

5.1 Government grants are accounted on realization basis.

SCHEDULE-15 FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.3.2014.

NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Commission acknowledged as debts – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.2 In respect of :

- Bank guarantees given by/on behalf of the Commission – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Letters of credit opened by Bank on behalf of the Commission – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Bills discounted with Commission – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.3 Disputed demands in respect of:

Income – tax Rs. Nil (previous year Rs. NIL)

Sales – Tax Rs. Nil (previous year Rs. NIL)

Municipal Tax Rs. Nil (previous year Rs. NIL)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Commission Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Initial Estimated cost of construction of the office Building of NCW at Jasola was for Rs. 6.09 crore as per estimate given by the CPWD and an amount of Rs. 1.80 crore was paid as an advance to them. But due to the administrative reason the building could not be constructed. Now the fresh estimate was called from CPWD as well as from NBCC in which NBCC has quoted the less estimated cost for construction. Hence the fresh SFC was done and the work has been awarded to NBCC. Now the NBCC has started the work. CPWD has already been requested to refund the amount paid to them as an advance.

3. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

The current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal to at least the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

4. TAXATION

In view of no taxable income under Income- tax Act, 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

5. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

5.1	Value of imports calculated on C.I.F.Basis:	
	Purchase of finished goods	NIL
	Raw Materials & Components (including in transit)	NIL
	Capital Goods	NIL
	Stores, Spares and Consumables	NIL
5.2	Expenditure in foreign currency :	
(a)	Travel	NIL
(b)	Remittances and Interest payment to Financial Institution / Banks in Foreign Currency.	NIL
(C)	Other expenditure	NIL
	Commission on sales	NIL
	Legal and Professional Expenses	NIL
	Miscellaneous Expenses	NIL
5.3	Earnings:	
	Value of exports on FOB basis	NIL

6. The presentation of the financial statements is based on the prescribed format given by Office of CGA applicable to our Commission.

7. No liability towards Gratuity payable on death/retirement and Accumulated leave encashment benefits to the employees has been made in the books of accounts. National Commission for women is an autonomous body. This organization is not having its Permanent employee. All the employees are either on deputation from the Central Govt. and Semi Govt. organization or employees working as casual/contract basis to whom no gratuity/ pension is payable

8. The Ministry of Women and Child Development, Govt. of India funds the National Commission for Women. The

summarized position of the Grants received by the Commission for the year ending March, 2014 is as under:

S.No.	Particular	Plan(Rs.)	Non-Plan(Rs.)
1.	Unspent balance of Grant at the beginning of the year	14,76,918	12,61,267
2.	Unspent balance of Cash in hand at the beginning of the year	--	--
3.	Unspent balance of Postage stamps in hand	--	43213
4.	Grants received during the year	12,15,00,000	4,85,00,000
5.	Grants received during the year for North East Regions	85,00,000	--
6.	Unspent balance (including miscellaneous receipts) of the Grant at the end of the year	1,25,99,844	21,35,507
7.	Unspent balance of Cash in hand at the end of the year	--	--
8.	Unspent balance of Postage stamps in hand	--	29,479

9. Grants/Financial Assistance to NGO's etc. having similar aims and objectives are being accounted for and booked as expenditure on adjustment of grant/financial assistance.

10. NCW acquired a land measuring 3080 sq. from DDA at the cost of Rs. 36.83 lakh in the year 2001 however , later on the area of the said plot was found to be 2996 squ mt. Hence reduce the fixed Assets of Rs. 1.36 lakh . This is as per entry suggested by the Audit report for the year 2012-13.

11. Expenditure of Rs. 2.94 lakh on renovation of rented premises wrongly entered in fixed Assets in last year instead of Expenditure. Now rectify this entry by reduced the Fixed Assets of Rs. 2.94 lakh and increase Expenditure of Rs. 2.94 lakh. This is as per entry suggested by the Audit report for the year 2012-13.

12. HP Scanjet Printer amounting of Rs. 0.13 lakh was wrongly depicted under Machinery instead of Computers in last year

i.e. 2012-13. Now , Rs. 0.13 (net amount after depreciation) lakh transfer to Computer and depreciation charged last year of Rs. 6,144/- i.e.45% (60-15) as well as current year @ 60%.

13. Schedule 1 to 13 and 16 to 18 are annexed which form an integral part of the balance sheet and the Income and Expenditure account for the year 2013-14.

Pay & Accounts Officer

Member Secretary

Pay & Accounts Officer
National Commission For Women

नंदिता चटर्जी
NANDITA CHATTERJEE
सदस्य सचिव/Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग
National Commission For Women
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली–02/New Delhi-02

AUDIT CERTIFICATE

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of National Commission for Women for the year ended 31st March, 2014.

We have audited the attached Balance Sheet of National Commission for Women (NCW), New Delhi as at 31 March 2014. Income & Expenditure Accounts and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Services) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the NCW's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that :

   (i) We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit,

   (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

   (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Commission for Women in so far as it appears from our examination of such books.

   (iv) We further report that :

A. Balance Sheet

A1. Liability

A1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule-3) ₹ 3.79 crore

A.1.1.1 Pay and allowance amounting to ₹ 25.06 lakh for the month of March 2014 payable in April 2014 have not been shown under current liabilities which has resulted in understatement of current liabilities and expenditure by ₹ 25.06 lakh.

A.1.1.2 An amount of ₹ 242.07 lakh was surplus under 'Plan' and ₹ 5.37 lakh under 'Non-Plan'. These amounts were carried forwarded to Schedule 2 under 'Reserve and Surplus' instead of in Schedule 1 under 'Corpus/Capital Fund'. This has resulted in understatement of 'Corpus/Capital Fund' and overstatement of 'Reserve and Surplus' by ₹ 247.44 lakh.

A.1.1.3 Provision for audit fees was not made in the accounts.

A2. Assets

A2.1 Current Assets

A2.1.1 For the construction of NCW building at Jasola, New Delhi, NCW advanced ₹ 180 lakh to CPWD in 2004. In October 2012, CPWD intimated that out of ₹ 180 lakh, expenditure of ₹ 32.98 lakh has been incurred. NCW neither deducted this amount from Advances under Current Assets nor added it to Capital Work-in-progress under Fixed Assets. This resulted in overstatement of Current Assets and understatement of Capital Work in Progress by ₹ 32.98 lakh. This was also pointed out in previous year's report but remedial action was not taken.

A.2.1.2 Uncashed cheques (issued between March 2010 to September 2013) amounting to ₹ 96.39 lakh which were not written back in accounts in understatement of Current Assets (Bank balance) and Liabilities (creditors) by the like amount.

B. Income and Expenditure Account

B.1 Income (Sch. 11) ₹ 46.95 lakh

B.1.1.1 An outstanding advance of ₹ 46.91 lakh with DAVP was adjusted from payment of advertisement charges amounting to ₹ 48.48 lakh in March 2014. While the advance was cleared and advertisement charges booked as expenditure, NCW erroneously debited the expenditure head again by ₹ 46.91 lakh and booked the amount as 'Miscellaneous Income'. This has resulted in overstatement of 'Miscellaneous Income' (Sch. 11) and overstatement of advertisement expenses (Sch. 13) by ₹ 46.91 lakh.

B2. **Expenditure**

B.2.1 Expendiutre on Grants, subsidies or other similar assistance amounting to ₹ 4.63 crore given to the institutions/organizations/NGos was depicted under 'Other administrative expenditure' instead of in Schedule 22 'Expenditure on grants, subsidies etc.' in contravention to common format of accounts. This has resulted in overstatement of 'other administrative expenditure' and understatement of 'Expenditure on grants, subsidies etc.' by ₹ 4.63 crores.

C. **Receipts and Payment Account**

C1. **Receipts**

C.1.1 An amount of ₹ 0.43 lakh was shown on receipt side in Receipts and Payment Account as opening balance under 'cash in hand' whereas, the amount relate to closing balance of postage stamps. This needs rectification.

D. **General**

D1. NCW did not have separate bank accounts for Plan and Non-Plan grants in the absence of which the 'interest earned' as well as the 'opening and closing bank balances' under 'Plan' and 'Non Plan' shown in accounts could not be verified in audit.

D2. Separate Audit Report for the year 2011-12 and 2012-13 have not been laid in the Parliament.

D3. In Schedule of Fixed Assets (Sch. 4), an amount of ₹ 8.08 lakh was shown as deduction under the head 'Books & Publications', instead of depicting it in the column of 'Depreciation'. This needs rectification.

E. **Grants-in-aid**

NCW received ₹ 1785.00 lakh (₹ 1300.00 lakh: Plan and ₹ 485.00 lakh: Non-Plan) as grants from Ministry of Women & Child Development. It had unspent balance of ₹ 27.39 lakh (₹ 14.77 lakh under Plan and ₹ 12.62 lakh under Non-Plan) of previous year's grants. Further, it had other receipts of ₹ 72.19 lakh (₹ 68.14 lakh: Plan and ₹ 4.05 lakh: Non-Plan). Out of the total available funds of ₹ 1884.58 lakh (₹ 1382.91 under Plan and ₹ 501.67 under Non Plan), it utilized ₹ 1737.22 lakh (₹ 1256.91 lakh; Plan and ₹ 480.31 lakh: Non-Plan) leaving unspent balance of ₹ 147.36 lakh (₹ 126.00 lakh under Plan and ₹ 21.36 lakh under Non-Plan) as on 31.3.2014

F. **Management Letter :** Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the NCW through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance sheet, Income and Expenditure Account & Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the book of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policy and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India :

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the NCW as at 31st March, 2014; and

(b) In so far as it related to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

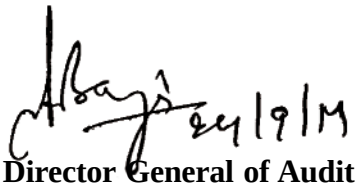

Place : New Delhi
Date : 24.09.2014

Director General of Audit
(Central Expenditure)

ANNEXURE

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal audit has been conducted upto July 2013 by Internal Audit Wing, Ministry of Human Resource Development and found to be adequate.

2. Adequacy of Internet Control System

➢ **Control Environment**

- Recruitment Rules have not been framed even after more than 20 years of constitution of the Commission.

➢ **Monitoring**

- The management is not responsive to audit objections as 25 paras for the period from 2008-09 and 2011-12 are outstanding.
- An amount of ₹ 1.50 lakh was paid as 100% advance to India World Foundation in violation of General Financial Rules.
- Sundry creditors amounting to ₹ 65.99 lakh are more than three years old (for the years 2008-09 to 2010-11). Besides these, creditors amounting to ₹ 125.31 lakh are more than one year old (for the years 2011-12 and 2012-13). Neither these are reviewed nor action was taken to write back the amount in the acounts.
- Utilization certificate amounting to ₹ 191.26 lakh relating to 2008-09 to 2012-13 are outstanding from the organizations/institutions to whom the grants were released for seminars, conferences, programmes etc.
- Advances amounting to ₹ 43.20 lakh are outstanding for more than a year. Nothing was found on record showing that concrete action has been taken to recover/adjust these advances.

In view of above deficiencies, Internal Control System in the Commission needs strenghening.

3. System of physical verification of assets

- Register of Fixed Assets has not been maintained in proper format (GFR 40).
- Physical verification of Library books has been conducted only upto 2005-06. However, report was not made available to audit.

  Physical verification of assets has been conducted only upto December 2011. However, report was not made available to audit.

4. System of physical verification of inventory

- The physical verification of inventory has been conducted upto December 2011. However, report was not made available to audit.

5. Regularity in payment of dues

- No payment over six months in respect of statutory dues is outstanding.

अनुलग्नक

अनुलग्नकों की सूची

क्र. सं.	अनुलग्नक संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
		अध्याय-1 **प्रस्तावना**	
1	अनुलग्नक I	संगठनात्मक चार्ट	191
		अध्याय-3 **शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ**	
2	अनुलग्नक II	वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ऑन लाइन प्राप्त शिकायतों की राज्य–वार संख्या	192-193
3	अनुलग्नक III	वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ऑन लाइन प्राप्त शिकायतों की प्रकृति–वार संख्या	194-195
4	अनुलग्नक IV	वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय मीहला आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की प्रकृति–वार संख्या	196-197
5	अनुलग्नक V	वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय मीहला आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की राज्य–वार संख्या	198-199
		अध्याय-4 **अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) प्रकोष्ठ**	
6	अनुलग्नक VI	वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय मीहला आयोग के अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों की राज्य–वार संख्या	200
7	अनुलग्नक VII	वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों की देश–वार संख्या	201
		अध्याय-5 **विधायी प्रकोष्ठ**	
8	अनुलग्नक VIII	राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990	202-215
9	अनुलग्नक IX	भारत मे बाल विवाह कानून के कार्यान्वयन की सिफारिश	216
10	अनुलग्नक X	33% महिला आरक्षण विधेयक संबंधी संकल्प	217

क्र. सं.	अनुलग्नक संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
		अध्याय-6 **अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ**	
11	अनुलग्नक XI	वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय/क्षेत्र/राज्य स्तरीय संगोष्ठियां (राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित) आयोजित करने वाले संगठनों की राज्य–वार सूची	218-231
12	अनुलग्नक XII	वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान/अध्ययनों की सूची	232
13	अनुलग्नक XIII	वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित जागरूकता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले गैर सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची	233-263
14	अनुलग्नक XIV	वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए) का आयोजन करने वाले गैर सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची	264
15	अनुलग्नक XV	वर्ष 2013-14 के दौरान पूरे हुए और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसंधान/अध्ययनों की सूची	265

अनुलग्नक–I

संगठनात्मक चार्ट

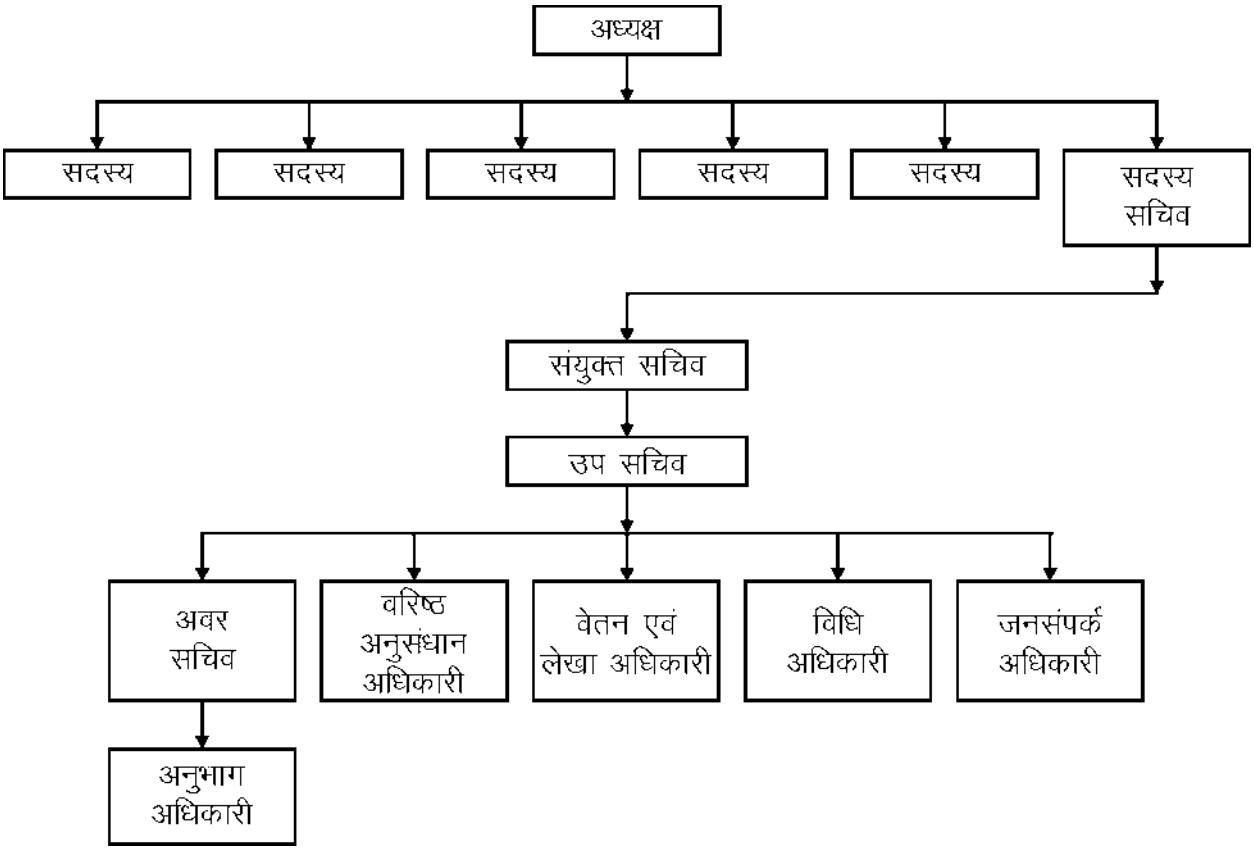

अनुलग्नक–II

वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ऑन लाइन प्राप्त शिकायतों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3
2.	आंध्र प्रदेश	204
3.	अरुणाचल प्रदेश	3
4.	असम	49
5.	बिहार	267
6.	चंडीगढ़	31
7.	छत्तीसगढ़	57
8.	दमन व दीव	2
9.	दिल्ली	753
10.	गोवा	10
11.	गुजरात	91
12.	हरियाणा	256
13.	हिमाचल प्रदेश	50
14.	जम्मू व कश्मीर	29
15.	झारखंड	88
16.	कर्नाटक	205
17.	केरल	66
18.	लक्षद्वीप समूह	1
19.	मध्य प्रदेश	158
20.	महाराष्ट्र	501
21.	मणिपुर	4
22.	मेघालय	3
23.	नागालैंड	1
24.	ओडिशा	106
25.	पुदुच्चेरी	6

क्र.सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
26.	पंजाब	138
27.	राजस्थान	234
28.	तमिलनाडु	279
29.	त्रिपुरा	1
30.	उत्तर प्रदेश	1014
31.	उत्तराखंड	77
32.	पश्चिम बंगाल	173
	कुल	**4860**

अनुलग्नक–III

वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय मीहला आयोग द्वारा ऑन लाइन प्राप्त शिकायतों की प्रकृति–वार संख्या

क्र.सं.	प्रकृति–वार शिकायतें	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	तेजाब हमला	14
2.	जारकर्म	65
3.	हत्या का प्रयास	200
4.	बलात्कार का प्रयास	69
5.	द्विविवाह	43
6.	जाति, समुदाय आधारित हिंसा	46
7.	ससुराली जनों द्वारा शिकायत	112
8.	उपद्रव/सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित शिकायतें	33
9.	साइबर अपारध	167
10.	डायन प्रथा/चुड़ैल हत्या	14
11.	संपत्ति के अधिकारों का हनन	117
12.	महिला अधिकारों का हनन	244
13.	पति द्वारा परित्याग	240
14.	तलाक	65
15.	घरेलू हिंसा	804
16.	घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवाद	2
17.	दहेज हत्या	106
18.	दहेज की मांग/दहेज के लिए उत्पीड़न	426
19.	मादा भ्रूण हत्या/शिशु हत्या/लिंग चयन	26
20.	महिलाओं के साथ भेदभाव	45
21.	कार्य स्थल पर उत्पीड़न	266
22.	दहेज उत्पीड़न/क्रूरता	1
23.	विधवाओं का उत्पीड़न	92
24.	महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार	16

क्र.सं.	प्रकृति–वार शिकायतें	प्राप्त शिकायतों की संख्या
25.	स्त्री अशिष्ट रूपण	53
26.	अपहरण/अगवा करना	80
27.	अपहरण/अगवा करना	1
28.	लिव इन रिलेशनशिप	24
29.	लिविंग रिलेशनशिप	11
30.	भरण – पोषण दावे	33
31.	बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित मामले	7
32.	विविध	394
33.	महिलाओं के साथ छेड़छाड़/शील भंग	2
34.	महिलाओं के साथ छेड़छाड़/शील भंग/महिलाओं का अपमान/पीछा करना	280
35.	हत्या	77
36.	भरण – पोषण भत्ते के मुआवजे का भुगतान न करना	28
37.	पुलिस उदासीनता	58
38.	पुलिस उत्पीड़न/पुलिस अत्याचार	127
39.	विवाह – पूर्व विश्वास भंग	23
40.	संपत्ति	122
41.	बलात्कार	100
42.	विकल्प चुनने का अधिकार	8
43.	सेवा मामले	88
44.	सैक्स स्कैंडल	12
45.	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न	88
46.	पीड़ितों के लिए आश्रय एवं उनका पुनर्वास	13
47.	आत्म हत्या	11
48.	टोना प्रथा/काला जादू/वोडो	7
	कुल	**4860**

अनुलग्नक–IV

वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय मीहला आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की प्रकृति–वार संख्या

क्र.सं.	प्रकृति–वार शिकायतें	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	तेजाब हमला	18
2.	जारकर्म	4
3.	हत्या का प्रयास	81
4.	बलात्कार का प्रयास	404
5.	द्विविवाह	136
6.	जाति, समुदाय आधारित हिंसा	211
7.	ससुराली जनों द्वारा शिकायत	750
8.	उपद्रव/सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों से संबंधित शिकायतें	1
9.	साइबर अपारध	34
10.	डायन प्रथा/चुड़ैल हत्या	8
11.	संपत्ति के अधिकारों का हनन	89
12.	महिला अधिकारों का हनन	80
13.	पति द्वारा परित्याग	26
14.	तलाक	4
15.	घरेलू हिंसा	3000
16.	दहेज हत्या	417
17.	दहेज की मांग/दहेज के लिए उत्पीड़न	1162
18.	विवाहित महिलाओं का दहेज उत्पीड़न/क्रूरता	2
19.	मादा भ्रूण हत्या/शिशु हत्या/लिंग चयन	7
20.	महिलाओं के साथ भेदभाव	4
21.	कार्य स्थल पर उत्पीड़न	422
22.	विधवाओं का उत्पीड़न	431
23.	महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार	55
24.	स्त्री अशिष्ट रूपण	12

क्र.सं.	प्रकृति–वार शिकायतें	प्राप्त शिकायतों की संख्या
25.	महिलाओं का अपमान/शीलभंग करना	3
26.	अपहरण/अगवा करना	459
27.	लिविंग रिलंशनशिप	4
28.	भरण – पोषण के दावे	45
29.	बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित मामले	16
30.	विविध	1851
31.	महिलाओं के साथ छेड़छाड़/शील भंग/महिलाओं का अपमान/पीछा करना	1296
32.	हत्या	102
33.	भरण – पोषण भत्ते के मुआवजे का भुगतान न करना	5
34.	पुलिस उदासीनता	2855
35.	पुलिस उत्पीड़न/पुलिस अत्याचार	502
36.	विवाह – पूर्व विश्वास भंग	112
37.	संपत्ति	1097
38.	बलात्कार	960
39.	विकल्प चुनने का अधिकार	167
40.	सेवा मामले	532
41.	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न	182
42.	पीड़ितों के लिए आश्रय एवं उनका पुनर्वास	9
43.	आत्म हत्या	4
44.	टोना प्रथा/काला जादू/वोडो	3
	कुल	**17562**

अनुलग्नक–V

वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय मीहला आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6
2.	आंध्र प्रदेश	118
3.	अरुणाचल प्रदेश	3
4.	असम	35
5.	बिहार	449
6.	चंडीगढ़	33
7.	छत्तीसगढ़	87
8.	दमन व दीव	2
9.	दिल्ली	2784
10.	गोवा	11
11.	गुजरात	71
12.	हरियाणा	1159
13.	हिमाचल प्रदेश	42
14.	जम्मू व कश्मीर	18
15.	झारखंड	235
16.	कर्नाटक	86
17.	केरल	30
18.	लक्षद्वीप समूह	1
19.	मध्य प्रदेश	654
20.	महाराष्ट्र	435
21.	मणिपुर	3
22.	मेघालय	5
23.	मिजोरम	1
24.	नागालैंड	1
25.	ओडिशा	93

क्र.सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
26.	पुदुच्चेरी	6
27.	पंजाब	211
28.	राजस्थान	1139
29.	सिक्किम	1
30.	तमिलनाडु	87
31.	त्रिपुरा	1
32.	उत्तर प्रदेश	9226
33.	उत्तराखंड	331
34.	पश्चिम बंगाल	198
	कुल	**17562**

अनुलग्नक–VI

वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों की राज्य–वार संख्या

राज्य का नाम	शिकायतों की कुल संख्या
दिल्ली	61
उत्तर प्रदेश	34
हरियाणा	17
पंजाब	24
महाराष्ट्र	22
गुजरात	26
आंध्र प्रदेश	33
तमिलनाडु	28
राजस्थान	12
मध्य प्रदेश	09
उत्तराखंड	03
केरल	05
बिहार	10
ओडिशा	00
कर्नाटक	16
पश्चिम बंगाल	10
झारखण्ड	02
जम्मू व कश्मीर	02
हिमाचल प्रदेश	04
छत्तीसगढ़	03
चंडीगढ़	--
कुल	**321**

अनुलग्नक–VII

वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों की देश–वार संख्या

देश का नाम	शिकायतों की कुल संख्या
भारत	321
संयुक्त राज्य अमेरिका	15
संयुक्त अरब अमीरात	08
न्यूजीलैंड	01
कनाडा	10
डेनमार्क	02
हाँगकांग	01
ऑस्ट्रेलिया	05
आयरलैंड	01
सिंगापुर	02
यूनाइटेड किंगडम	04
इटली	01
मलेशिया	01
नीदरलैंड	02
अन्य	01
कुल	**375**

अनुलग्नक–VIII

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम

अध्याय–I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय महिला आयोग संशोधन अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

परंतु यह कि अधिनियम उन्हीं मामलों में जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होगा, जो उस राज्य पर लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I और सूची III में उल्लिखित किसी भी प्रविष्टि से संबंधित हों।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र से अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

औचित्य : अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू करना क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग को इस विषय में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यह अनुभव किया गया है कि आयोग के क्षेत्राधिकार का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य पर होना चाहिए।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है।

(ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ग) "शिकायत" से आयोग या आयोग के अध्यक्ष, किसी सदस्य सचिव या किसी अधिकारी को किसी पीड़ित महिला या उसकी ओर से किसी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त कोई लिखित याचिका, शिकायत, सूचना इत्यादि अभिप्रेत है।

(घ) "शिकायतकर्ता" से व्यक्तिगत रूप से शिकायत करने वाली पीड़ित महिला या महिलाओं का समूह या पीड़ित महिला या महिलाओं के समूह की ओर से शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति या संगठन अभिप्रेत है।

(ड़) "निदेशक" से निदेशक अन्वेषण अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत नियमों में यथा विहित उप एवं सहायक निदेशक अन्वेषण भी शामिल हैं।

(च) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है।

(छ) "अधिसूचना" से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

(ज) "लोकसेवक" से वही अर्थ अभिप्रेत होगा, जो अर्थ भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में नियत किया गया है।

(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ञ) "विनियम" से अधिनियम की धारा 9(2) के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं।

अध्याय–II
राष्ट्रीय महिला आयोग

3. राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन :

(1) केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगा।

(2) यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो **और जिसे विधि की जानकारी हो***; और

***नई सिफारिश**

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट **नौ सदस्य** जिन्हें विधि या विधायन **के साथ–साथ***, व्यवसाय संघ आंदोलन, महिलाओं की नियोजन संभाव्यताओं की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबंध, स्वैच्छिक महिला संगठन (जिनके अंतर्गत महिला कार्यकर्ता भी हैं), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव है :

परंतु उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और **अल्पसंख्यक समुदाय** के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य–सचिव।

(3) आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा।

4. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें :

(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य (ऐसे सदस्य–सचिव के भिन्न जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है।) केंद्रीय सरकार को संबोधित लेख द्वारा किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) केंद्रीय सरकार, किसी व्यक्ति को, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अथवा अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति –

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

***नई सिफारिश**

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया और कारावास में दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है;

(ग) विकृत चित्त का हो जाता है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ड.) आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना आयोग के लगातार तीन अधिवेशनों से, अनुपस्थित रहता है, या

(च) केंद्रीय सरकार की राय में, उसने अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बना रहना लोकहित के लिए अहितकर है;

परंतु इस खंड के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते, और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

5. आयोग के सदस्य–सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी -

(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी

(क) कम से कम भारत सरकार के **सचिव** के रैंक के अधिकारी को आयोग का सदस्य–सचिव, जो आयोग के कार्यकलाप के समुचित प्रशासन और दैनंदिन प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो आयोग द्वारा विहित किए जाएं।

(ख) ऐसे प्रशासनिक और अन्वेषणकर्ता कर्मचारी, जो नियमों द्वारा विहित हों।

(2) ***नियमों के अधीन रहते हुए, आयोग अपने कृत्यों के कुशलतापूर्ण निष्पादन के लिए ऐसे अन्य प्रशासनिक, विधिक, तकनीकी, अनुसंधान और वैज्ञानिक अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करेगा, जो विहित किए गए हों।***

(3) *अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी और इस विषय में बनाए गए नियमों के अधीन* **रहते हुए, आयोग समाज वैज्ञानिकों, अनुसंधानविदों, वकीलों, शिक्षाविदों और अन्य पेशेवरों इत्यादि की सेवाएं संविदा आधार पर ले सकता है, यदि आयोग को ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो।**

(4) आयोग के प्रयोजनार्थ खंड (1) और (2) के अधीन नियुक्त सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी अन्य सेवा शर्तें वही होंगी, जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की गई हों।

6. अध्यक्ष और सदस्यों का दर्जा -

अध्यक्ष **कैबिनेट मंत्री** के रैंक का होगा और अन्य सदस्य **भारत सरकार के सचिव** के रैंक के होंगे।

7. वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदत्त किया जाना :

अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत धारा 5 (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदत्त किए जाएंगे।

8. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न होना :

आयोग को कोई भी कार्य या कार्यवाही आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान होने या उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होंगी।

9. कुछ परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना -

मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्य किसी कारण से अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त हो जाने की दशा में केंद्र सरकार ऐसे रिक्त पद को 90 दिनों की अवधि में धारा 4 के अनुसार अधिसूचना द्वारा नई नियुक्ति करके भरेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति यथा स्थिति उस अध्यक्ष या सदस्य के पद को उसके कार्यकाल की शेष अवधि तक धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई हो।

जब अध्यक्ष छुट्टी पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित होने पर अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब आयोग द्वारा अपनी विशेष बैठक में इस विषय में प्राधिकृत किया गया आयोग का सदस्य तब तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जब तक अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है।

10. आयोग की समितियां –

(1) आयोग की ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे विशेष प्रश्नों पर विचार करने के लिए आवश्यक हो जो आयोग द्वारा समय–समय पर उठाए जाएं।

(2) आयोग को उप धारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में, ऐसे व्यक्तियों में से जो आयोग के सदस्य नहीं हैं, उतने व्यक्ति सहयोजित करने की शक्ति होगी जितने वह उचित समझे और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति के अधिवेशनों में उपस्थित रहने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो आयोग द्वारा विहित किए जाएं।

11. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना –

(1) आयोग का उसकी समिति का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो किया जाएगा और ऐसे समय और स्थान पर किया जाएगा जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया तथा अपनी समितियों की प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य–सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य–सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

अध्याय–III
आयोग के कृत्य और शक्तियां

12. आयोग के कृत्य –

(1) आयोग के निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना;

(ख) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट देना;

(ग) ऐसी रिपोर्टों में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उन रक्षोपायों के प्रभावी कियान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(घ) संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके;

(ड.) संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(च) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना–

(i) महिलाओं के अधिकारों का वंचन;

(ii) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन;

(iii) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुपालन, और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(छ) महिलाओं के विरूद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके;

(ज) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाउपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता;

(झ) महिलाओं के सामाजिक – आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना;

(ञ) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान को, जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और उपचारी कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातीचीत करना;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना;

(ड) महिलाओं से संबंधित किसी बात के, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती हैं, सरकार को समय–समय पर रिपोर्ट देना;

(ढ) महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्य करना, जो आयोग को आवश्यक प्रतीत हों;

(ण) कोई अन्य विषय जिसे केंद्रीय सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी और उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए

प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिशें अस्वीकृत की गई हैं तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(3) जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है वहां आयोग ऐसी रिपोर्ट या उसके भाग की एक प्रति उस राज्य सरकार को भेजेगा जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिशें अस्वीकृत की गई हैं तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

13. आयोग की शक्तियां

I. आयोग को धारा 12, उप–धारा (1) के खंड (क) या खंड (च) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय और विशिष्टया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की हैं, अर्थात् :

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा लेना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उनकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना;

(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) **धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) या (च) के अधीन जारी आयोग के किसी आदेश की जानबूझकर अवज्ञा किए जाने के मामलों में खर्च के भुगतान का आदेश देना**;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

****II.** ***चूक के लिए शास्ति:***

आयोग ऐसे किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है, जिसे धारा 13 के अधीन समन जारी किया गया है और इस प्रयोजनार्थ आयोग आगे दर्शाए गए कार्य कर सकता है –

i. उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करना।

ii. हर बार चूक के लिए उस पर जुर्माना (5,000 रुपए से अनधिक)[1] लगाना।

[1] दंड प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 32 के अनुसार'' नए सुझाव

**III. आयोग को किसी भी व्यक्ति से ऐसे किसी भी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका दावा उस व्यक्ति ने तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन किया हो, ऐसे मुद्दों या मामलों के संबंध में ऐसी जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा, जो आयोग की राय में जांच के विषय में उपयोगी या संगत हो और इस प्रकार अपेक्षित किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और 177 के आशय से ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य माना जाएगा।

**IV. आयोग को सिविल न्यायालय माना जाएगा और जब आयोग की दृष्टि में या आयोग के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित कोई अपराध किया गया हो तो आयोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अनुसार उस अपराध के तथ्य और अभियुक्त के बयान दर्ज करके उस मामले को सुनवाई के लिए क्षेत्राधिकार–प्राप्त दंडाधिकारी को भेज सकता है और जिस दंडाधिकारी को ऐसा मामला भेजा जाए, वह दंडाधिकारी अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत की सुनवाई उसी प्रकार करेगा, जैसे कि वह मामला उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 346 के अधीन भेजा गया हो।

**V. आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के आशय से तथा धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय *XXVI* के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा।

**VI. *आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी जांच/अन्वेषण/सुनवाई के दौरान या उसके संपन्न होने पर, आयोग आगे दर्शाया गया कोई भी उपाय कर सकता है, जहां प्रथमदृष्टया जांच से यह पता चले कि भारत के संविधान और अन्य कानूनों में उपबंधित महिला अधिकारों का हनन किसी लोक सेवक या गैर–सरकारी व्यक्ति या व्यक्तियों ने किया है, वहां आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी से सिफारिश कर सकता है कि वे–*

(क) संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही या ऐसी अन्य कार्रवाई शुरू करें, जिसे आयोग उपयुक्त समझे;

(ख) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की याचिका दायर करना, जिन्हें न्यायालय आवश्यक समझे;

(ग) जांच के किसी भी चरण में शिकायतकर्ता या उसके परिजनों को ऐसी तात्कालिक अंतरिम राहत प्रदान करने की सिफारिश संबंधित सरकार या प्राधिकारी से करना, जिसे आयोग आवश्यक समझे।

अध्याय–IV
अन्वेषण और जांच

अन्वेषण / जांच संबंधी नया अध्याय

14. निदेशक अन्वेषण –

(1) किसी जांच के संबंध में कोई अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ आयोग निदेशक (अन्वेषण) या किसी अन्य अधिकारी को जांच से संबंधित किसी मामले का अन्वेषण करने और आयोग को रिपोर्ट उतनी अवधि में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जितनी अवधि इस विषय में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) जांच से संबंधित किसी मामले के अन्वेषण के प्रयोजनार्थ निदेशक (अन्वेषण) या अन्य कोई अधिकारी या एजेन्सी, जिसकी सेवाएं उप–धारा (1) और (2) के अधीन ली गई हों, आयोग के निर्देशों और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, -

(क) किसी व्यक्ति को समन भेजना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा

(ख) किसी दस्तावेज को खोजने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना।

(3) निदेशक (अन्वेषण) या किसी अधिकारी या एजेन्सी, जिसकी सेवाएं उप–धारा (1) और (2) के अधीन ली गई हों, के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी बयान के संबंध में धारा 18 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उपबंध आयोग के समक्ष साक्ष्य देते समय किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले बयान पर लागू होते हैं।

(4) आयोग उप–धारा (1) के अधीन उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में घोषित तथ्यों और यदि कोई निष्कर्ष निकाला गया हो तो उस निष्कर्ष की सटीकता का समाधान करेगा और आयोग इस प्रयोजनार्थ ऐसी जांच (अन्वेषण करने वाले या अन्वेषण में सहायता करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की परीक्षा सहित) कर सकता है, जो उसे उपयुक्त प्रतीत हो।

15. व्यक्तियों द्वारा आयोग को दिए गए बयान – आयोग के समक्ष साक्ष्य देते समय किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी बयान के लिए उसके विरुद्ध कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी और न ऐसी किसी कार्यवाही में उसके विरुद्ध उसके बयान का इस्तेमाल किया जाएगा, सिवाए तब के जब ऐसे बयान द्वारा असत्य साक्ष्य देने के लिए अभियोजन कार्यवाही की जा रही हो;

परंतु यह कि बयान -

(क) उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिया गया हो, जिसका उत्तर देने की अपेक्षा उससे आयोग ने की हो;

(ख) जांच की विषय–वस्तु से संबंधित हो।

16. जिन व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, उनकी सुनवाई करना – यदि जांच के किसी चरण में आयोग का -

(क) यह मानना हो कि किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक है; या

(ख) यह विचार हो कि जांच से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो आयोग उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर देगा:

17. शिकायतों की जांच –

शिकायतों की जांच करते समय आयोग आगे दर्शाए गए कार्य कर सकता है –

(i) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके अधीन किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन से अपनी विनिर्दिष्ट की हुई समयावधि में शपथपत्र पर जानकारी या रिपोर्ट मांगना :

परंतु यह कि यदि यह जानकारी या रिपोर्ट आयोग को उनकी निर्धारित की हुई समयावधि में प्राप्त न हो तो आयोग शिकायत की जांच की कार्यवाही स्वयं ही शुरू कर सकता है;

(ii) यदि जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग का यह समाधान हो जाए कि और किसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है या अपेक्षित कार्रवाई शुरू कर दी गई है या संबंधित सरकार या प्राधिकरण ने वह कार्रवाई शुरू या संपन्न कर दी है तो आयोग शिकायत की जांच की कार्यवाही न करके शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित कर सकता है;

(iii) खंड (i) में कही गई किसी भी बात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयोग आवश्यक समझे तो शिकायत के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर सकता है;

(iv) उप–खंड (i) (ii) और (iii) में किसी बात के होते हुए भी उस व्यक्ति या प्राधिकरण से और विवरण या जानकारी मांगना, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, या जांच शुरू करना ;

18. जांच के बाद किए जाने वाले उपाय –

आयोग कोई जांच पूरी होने के बाद आगे दर्शाया गया कोई भी उपाय कर सकता है -

(i) जहां जांच से यह पता चले कि किसी लोक सेवक ने किन्हीं अधिकारों का हनन किया है या किन्हीं अधिकारों के हनन के निवारण की उपेक्षा की है, वहां आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकरण से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही या ऐसी अन्य कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश कर सकता है, जिसे आयोग उपयुक्त समझे;

(ii) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की याचिका दायर करना, जिन्हें न्यायालय आवश्यक समझे;

(iii) *पीड़ित या उसके परिजनों के लिए ऐसी तात्कालिक अंतरिम राहत, जिसे आयोग आवश्यक समझे;प्रदान करने की सिफारिश संबंधित सरकार या प्राधिकरण से करना;*

(iv) उप खंड (v) के उपबंधों के अधीन जांच रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता या उसके/उसकी प्रतिनिधि को प्रदान करना;

(v) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट और सिफारिशें संबंधित सरकार या प्राधिकरण को भेजेगा तथा संबंधित सरकार या प्राधिकरण एक महीने की अवधि या ऐसी और अवधि, जिसकी अनुमति आयोग दे, में रिपोर्ट पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी सहित उस रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां आयोग को भेजेंगे;

(vi) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट और यदि उस पर संबंधित सरकार या प्राधिकरण की कोई टिप्पणियां हों तो उन टिप्पणियों तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाइयों की जानकारी को प्रकाशित करेगा।

19. अभियोजन का प्रारंभ –

यदि अधिनियम की धारा 12 (1) (क) और (च) के अधीन किसी शिकायत के अन्वेषण के बाद आयोग का यह समाधान हो जाए कि किसी व्यक्ति ने कोई दांडिक अपराध किया है तो आयोग इस आशय का आदेश पारित कर सकता है और यदि पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता न हो तो आयोग संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही शुरू कर सकता है। यदि ऐसे अभियोजन के लिए किसी प्राधिकारी की पूर्वानुमति की आवश्यकता हो तो तत्समय प्रवृत्त किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी वह प्राधिकारी आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने से 30 दिनों की अवधि में ऐसी अनुमति प्रदान करेगा।

20. जानकारी प्रदान करने या आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने से संबंधित अपराधों के लिए शास्ति –

(1) यदि कोई व्यक्ति बिना किसी यथोचित कारण से उपस्थित नहीं होता है या अधिनियम की धारा 11 और 12 के अधीन आयोग द्वारा अपेक्षित पुस्तक, दस्तावेज, इलैक्ट्रानिक अभिलेख या कागजात या कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे दांडिक प्रक्रिया संहिता के अधीन क्षेत्राधिकार प्राप्त सक्षम न्यायालय अधिकतम तीन माह के कारावास या अधिकतम दो हजार रुपए के जुर्माने या दोनों का दंड दे सकेगा।

(2) ये उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में विहित किसी अपराध या शास्ति से अतिरिक्त होंगे।

21. सद्भावपूर्वक किए जाने वाले कार्य – इस अधिनियम या इसके अधीन किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों के अनुसार सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी भी कार्य के संबंध में आयोग के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य किसी कर्मचारी या आयोग के निर्देशानुसार कार्यरत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन कार्यवाही या अन्य कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अध्याय–V
वित्त, लेखे और लेखापरीक्षा

22. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान –

(1) केंद्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। ***निधि / अनुदान कृत्यों में वृद्धि के अनुरूप बढ़ाए जा सकते हैं, ताकि आयोग अपने कृत्यों का निर्वहन कर सके।***

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी धनराशि खर्च कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और वह धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय माना जाएगा। ***आयोग के सुदृढ़ / प्रभावी स्वतंत्र कार्यकरण और कार्यकलापों के लिए आयोग को पर्याप्त बजटीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।***

23. लेखे और संपरीक्षा :

(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारुप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऐसे अंतरालों पर करेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं और उसे विशिष्टतया बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागज–पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित आयोग का लेखा और साथ ही उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।

24. वार्षिक लेखे

आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण होगा, ऐसे प्रारुप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजेगा।

25. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का संसद के समक्ष रखा जाना –

केंद्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट, रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी जिसके साथ उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर, जहां तक उनका संबंध केंद्रीय सरकार से है, की गई कार्रवाई और यदि कोई ऐसी सिफारिशें अस्वीकृत की गई हैं तो अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट होगी।

अध्याय–VI
प्रकीर्ण

26. आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों और कर्मचारीवृंद का लोक सेवक होना :

आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

27. केंद्रीय सरकार आयोग से परामर्श करेगी –

केंद्रीय सरकार, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

28. नियम बनाने की शक्ति

(1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:

(क) धारा 4 की उप धारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उप धारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते उनके सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 8 की उप धारा (3) के अधीन सहयोजित व्यक्तियों द्वारा समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए भत्ते;

(ग) धारा 10 की उप धारा (4) के खंड (च) के अधीन अन्य विषय;

(घ) वह प्रारुप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 12 की उप धारा (1) के अधीन रखा जाएगा;

(ड.) वह प्रारुप जिसमें और वह समय जब वार्षिक रिपोर्ट धारा 13 के अधीन तैयार की जाएगी;

(च) आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन के लिए आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों और ऐसे अन्य प्रशासनिक, कानूनी, अनुसंधान अधिकारियों और कर्मचारियों, जिन्हें आयोग आवश्यक समझे, के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियम।

(छ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद को सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियमें में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

29. निरसन और व्यावृत्ति –

(1) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का अधिनियम सं. 20) को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद उक्त अधिनियम के अधीन किए गए किसी भी कार्य या कार्रवाई को इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन किया गया माना जाएगा।

अनुलग्नक–IX

भारत मे बाल विवाह कानून के कार्यान्वयन की सिफारिश

i. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बाल विवाहों को अमान्य घोषित कर दिया जाए, जो पूववर्ती प्रभाव से लागू होगा। तथापि, इसके प्रवर्तन से पहले, एक कट–ऑफ तिथि निर्धारित किए जाने की जरूरत है।

ii. बाल विवाहों को अमान्य घोषित करने के लिए अधिमानतः 01 जनवरी, 2020 को अंतिम तारीख निर्धारित किया जाए।

iii. ऐसे कानूनों को अभिनिर्धारित किया जाए जो बाल विवाह को मान्यता देते हैं और विवाह की वैधता के लिए आयु में एक रूपता लाने के उद्देश्य से परिवार कानूनों में संशोधन किया जाए।

iv. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के उपबंधों को हिंदू विवाह अधिनियम, 2005, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 एवं ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 में समाविष्ट किया जाए।

v. विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाए और विवाह प्रमाण–पत्र में पक्षकारों के आयु के ब्यौरे को समाविष्ट किया जाए।

vi. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 में विनियामक ढांचे का प्रावधान है लेकिन बाल विवाहों के आयोजनों को न रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों को उत्तरदायी बनाने के लिए इन कानूनों का प्रवर्तन करने के लिए संस्थागत तंत्रों पर विचार करने की और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को नियुक्त करने की सिफारिश करने की जरूरत है।

vii. बालिका वधू का उचित तरीके से पुनर्वास/पुनर्समेकन करने के लिए तंत्र स्थापित किया जाए।

viii. उस अवधि के दौरान, जब बाल विवाहों का आयोजन किया जाता है, विशेष जोर देते हुए राज्य महिला आयोगों, गैर–सरकारी संगठनों और सरकारी तंत्र द्वारा ग्रामीण एवं शहरी दोनो क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का प्रभावी तरीके से आयोजन किया जाए।

ix. प्रजनन स्वास्थ्य तथा कम आयु में विवाह एवं कम आयु में गर्भधारण करने के जोखिमों के बारे में शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम शुरू किया जाए।

अनुलग्नक–X

33% महिला आरक्षण विधेयक संबंधी संकल्प

हम, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, महिला संगठन तथा अन्य, गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि 33% महिला आरक्षण विधेयक, सूचीबद्ध होने के बावजूद, संसद के मौजूदा सत्र में लोक सभा की कार्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह देश की महिलाओं में निराशा का संदेश देता है जो इस मुद्दे पर दीर्घकालीन एवं अनवरत संघर्ष कर रही थीं और उन्हे आशा थी कि मार्च, 2010 में राज्य सभा में इसका पारित होने का लोक सभा में भी तर्कसंगत रूप से अनुसरण किया जाएगा।

दुर्भागयवश, यद्यपि तीन वर्ष एवं छः माह बीत चुके हैं, जून, 2009 में संसद के संयुक्त सदन में अपने उद्घाटन अभिभाषण में माननीय राष्ट्रपति द्वारा इस विधान को दिए गए महत्व को इस ''स्थायी'' विलंब ने मिथ्या साबित कर दिया है। महिलाओं के प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए प्रतिबद्धित राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोगों आदि जैसी सभी संस्थाएं और संगठन मांग करते रहते रहें हैं कि इस गतिरोध को समाप्त किया जाए।

पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु आरक्षण ने गांवों, छोटे कस्बों तथा शहरों की लाखों महिलाओं को भारी विषमताओं को पार करने और राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है। वे अपने राजनैतिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक तथा सक्रियता से निर्वहन कर रही हैं। अनुभव ने भी अल्पसंख्यक महिलओं हेतु राजनीति के क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए, ये आरक्षण महिला सशक्तीकरण हेतु आरक्षणों की आवश्यकता की अभिपुष्टि करते हैं।

तथापि, सर्वोच्च निर्माण निकायों में महिलाओं के प्रवेश में समाज की रूढ़वादी एवं पितृसत्तात्मक शक्तियों से बाधाएं अभी भी व्यापक रूप से विद्यमान हैं और उन्होंने अलग–अलग रूप धारण कर लिए हैं। इस कारण से, लोक सभा में विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाते हुए अनेक विपथनीय रणनीतियां अपनाई गई हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, महिला संगठन तथा अन्य संगठन अल्पसंख्यकों सहित महिलाओं के अलग–अलग वर्गों में पिछड़ेपन के मुद्दे और शक्तिशाली संस्थाओं में उनके अल्प प्रतिनिधित्व को संसद में तथा संसद के बाहर उठाते रहे हैं। तथापि, इस मुद्दे को महिला आरक्षण विधेयक के दायरे में हल नहीं किया जा सका। यह महिला सशक्तिीकरण के एजेंडे को केवल कमजोर बना सकता है।

इसलिए, हम अनुरोध करते हैं कि राज्य सभा में पारित महिला आरक्षण विधेयक उसी रूप में लोक सभा में प्रस्तुत किया जाए और पारित किया जाए। इस विधेयक को लंबे समय से सहमति की राजनीति के कारण बंधक बना लिया गया है। हम आशा करते हैं कि इस ऐतिहासिक विधेयक को वर्ष 2014 में देश में चुनाव होने से पहले सफलतापूर्वक अंगीकृत कर लिया जाएगा।

हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से मौजूदा सत्र में लोक सभा में विधेयक लाने और बिना विलंब के उसका पारित कराना सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करते हैं।

अनुलग्नक–XI

वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय/क्षेत्र/राज्य स्तरीय संगोष्ठियां (राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित) आयोजित करने वाले संगठनों की राज्य–वार सूची

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी/कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	वीकर सैक्शन्स डवलपमेंट सोसायटी, म.नं. 4-91/1, इंदिरा नगर, गांव एवं डाकघर-डिन्डी, जिला नालगोन्डा, आन्ध्र प्रदेश-508258	"घरेलू हिंसा अधिनियम और प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य देखरेख पद्धतियां" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
2.	इंदिराम्मा महिला मंडली, डा. जाकिर हुसैन नगर, नेल्लौर, आन्ध्र प्रदेश-524002	"प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य पद्धतियां" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
3.	ए. आर. फाउण्डेशन, गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश	"गुन्टूर जिले के तेनाली मंडल में घरेलू एवं लिंग आधारित हिंसा के निवारण एवं प्रतिक्रिया के लिए महिलाओं की क्षमता में वृद्धि करना" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
4.	आन्ध्र प्रदेश महिला आयोग, सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश	"महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी रूपों का समाप्त करना" विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला	3,38,000/-
5.	मदर्स लैप चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश	"पुरुषों एवं महिलाओं के बीच अवसर एवं मजदूरी ढांचे की समानता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं से संबंधित सभी कानूनों और उनके समन्वित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक तंत्र का कार्यान्वयन और उपचारात्मक कार्रवाई हेतु सिफारिशें करना" विषय पर क्षेत्रीय संगोष्ठी	2,00,000/-
6.	साफा सोसायटी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	"हैदराबाद की चयनित पॉकेटों में अजीविका गतिविधियों के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक आर्थिक समावेशन" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
7.	केकेसी इंस्टीट्यूट फॉर पी.जी. स्टडीज (केआईपीएस), चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश	"आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का प्रभाव" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी / कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
8.	वॉलिएन्टरी इन्टीग्रेटेड डवलपमेंट सोसायटी (वाईईआईडीएस), डी. नं. 10-2-203 / 10सी, टीचर्स कालोनी, रायादुर्ग, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश-515865	"अवैध मानव व्यापार से लड़ने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
9.	मित्र जागरूकता समाज सेवा सोसायटी, 5-2-47 / 1, वेंकटेश्वरा बाजार, महबूबाबाद, वारंगल	"आन्ध्र प्रदेश में महिलाओं को भूमि एवं संपत्ति का अधिकार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
10.	समुदाय ग्रामीण कल्याण विकास सोसायटी, चेन्चू लक्ष्मीपुरम, बागोले गांव एवं मंडल बितरागुन्टा, नेल्लौर जिला, आन्ध्र प्रदेश-524142	"दलित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित कानून" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
11.	मदर टेरेसा ग्रामीण एवं जन जातीय विकास सोसायटी, डी. नं. 22-7-33 / ए, कोठापेट, मोटूपल्लीवाडी स्ट्रीट, तेनाली, गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश-522201	गुन्टूर जिले के निज़ामपट्नम मंडल में "लिंग चयन की रोकथाम हेतु सामुदायिक संघटन तथा लोगों द्वारा प्रेरित प्रतिक्रिया का समर्थन करना और घटते हुए बालक–बालिका अनुपात की समस्या का समाधान" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
12.	करुणामयी महिला मंडली, डी. नं. 7-3-26 / 2, पाकाबन्दबाजार, खम्माम, आन्ध्र प्रदेश-507001	"जनजातीय महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
13.	सोसायटी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पूअर इन रूरल टारगेट (सपोर्ट), 4-1532, ऊपरी तल, साई बाबा मंदिर की बगल में, वेलरे रोड, ग्रीम्सपेट, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश - 517002	"भूमिहीन किसानों को बेहतर आजीविका परिस्थितियों हेतु उनकी खेतिहर जमीन पर कानूनी अधिकार दिलाने के लिए उनका सशक्तीकरण" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
14.	अभ्युदय सेवा समिति, तीसरी लेन, क्लफपेट, ओंगोल, प्रकासम, आन्ध्र प्रदेश -523001	"दलित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
15.	आदर्श महिला विकास समिति, डी. नं. 3-189-0-9, विजयनगर कालोनी, मदनापल्ली, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश-517325	"एकल महिलाओं के अधिकार और विधवा / परित्यक्त एवं अविवाहित महिलाओं का सशक्तीकरण" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
16.	अस्थाना–ए–चिस्तिया मकिला मंडली, खाजा पीर मखान, एम. एस. सी. ज्वैलरी के सामने, चाइना बाजार, नेल्लौर, आन्ध्र प्रदेश-4524001	"प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य देखरेख पद्धतियां" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
17.	अकादमी ऑफ ग्रासरूट्स स्टडीज एण्ड रिसर्च ऑफ इण्डिया (एजीआरएएसआरआई), 2-3-375 / डी, वेंकटरमन लेआउट, जीवन बीमा निगम कार्यालय के पास, तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश-517507	"पंचायती राज संस्थाओं में उभरता हुआ महिला नेतृत्व : समवर्ती भारत के समावेशी विकास का प्रगति पथ" विषय पर क्षेत्र स्तरीय संगोष्ठी	2,00,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी / कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
18.	समाज कल्याण प्रबंधन एवं संवर्धन संगठन, पारबुक–रोइंग, जिला एल / दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश-792110	"घरेलू एवं लिंग आधारित हिंसा" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	असम		
19.	सोशल अवेयरनेस फॉर फ्रेन्डली इनवायरमेंट, कामरूप, असम	"असम में चुडैल हत्या और पूर्वोत्तर में चुडैल के रूप में आरोपित वृद्ध एवं अकेली रह रही महिलाओं की अंधविश्वास में की जा रही हत्याओं के मामलों में भारी वृद्धि" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
	बिहार		
20.	तरूसखा, सराय मोहल्ला, बस्ती रोड, मानेर, पटना, बिहार-801108	"चुडैल हत्या और ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
21.	आदर्श महिला एवं बाल विकास केंद्र गांव अमगोला, सत्संग गली, बरही टोला, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार-842002	"महिलाओं एवं बालिकाओं का अवैध व्यापार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
22.	चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, सीतामढ़ी, बिहार	"पंचायती राज में महिलाएं" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	चंडीगढ़		
23.	महिला अध्ययन एवं विकास विभाग-सह-केंद्र, चंडीगढ़	"महिलाएं और हिंसा : अनुभव और भावी कार्यनीतियां" विषय पर क्षेत्र स्तरीय संगोष्ठी	2,00,000/-
	छत्तीसगढ़		
24.	संस्कार ज्ञान पीठ शिक्षण समिति, बाजपयी भवन, पुराना आरटीओ कार्यालय के पीछे, नेहरू नगर रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	"चुडैल हत्या" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
25.	संगिनी महिला समिति, 27 / बी, 'ई' पॉकेट, मरोडा सैक्टर, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़-490006	"वैवाहिक संपत्ति का अधिकार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
26.	सहायता सामाजिक संस्थान, भिलाई, छत्तीसगढ़	"प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का प्रोत्साहन : मादा भ्रूण हत्या की प्रथा का अंत करना" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
	दिल्ली		
27.	चेतनालय, 9-10, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001	"शहरी मलिन बस्तियों में जेंडर सुरक्षा सरोकारों का प्रत्यक्षीकरण; प्रचलित कानून, विधान एवं उनका कार्यान्वयन" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी / कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
28.	राष्ट्रीय बधिर संघ (एनएडी), नई दिल्ली	"राज्य और घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न के गंभीर मुद्दों का समाधान एवं हमारी सहायता करने वाले कानून/साधन / एजेंसियां" विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी	3,00,000/-
29.	अखिल भारतीय सामाजिक न्याय सोसायटी, जी-83 / 204, दूसरा तल, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	"महिला सुरक्षा-एक चुनौती (घरेलू हिंसा, दहेज, बलात्कार, छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न)" विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी	3,00,000/-
30.	भारतीय समाज संस्थान, 10, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	''उपेक्षित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और जेंडर न्याय'' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
31.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेंट एसोसिएशन, 140, पाकेट–ए, द्वारिका, सैक्टर-13, नई दिल्ली-110078	"सरगोसी : मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी	3,00,000/-
32.	सार्थक, 210, रोहिणी कम्पलैक्स, डब्ल्यूए-107, शकरपुर, नई दिल्ली -110092	"भारत में विमुक्त एवं खानबदोश समुदायों की महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति" विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी	3,00,000/-
33.	रंजना रॉयल एजूकेशनल वेलफेयर एण्ड कल्चरल एसोसिएशन, डी-330, त्रिपाठी एन्कलेव, प्रेम नगर-II, नागलोई, नई दिल्ली-110041	"मादा भ्रूण हत्या" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
34.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	"भारतीय प्रवासी महिलाएं" विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी	3,00,000/-
35.	नेशनल एलियांन्स ऑफ वीमेन, नई दिल्ली	"निर्धन उपेक्षित एवं दलित महिलाओं के विशेष संदर्भ में जेंडर और हिंसा" विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी	3,00,000/-
36.	ऑल इण्डिया फाउण्डेशन फॉर पीस एण्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, नई दिल्ली	"संकट प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
37.	ह्यूमेन रिसोर्स एडवांसमेंट वेलफेयर सोसायटी, रोहिणी, नई दिल्ली	"परित्यक्त मुस्लिम महिलाओं के अधिकार : परिप्रेक्ष्य, मुद्दे और सिफारिशों की जरूरत" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
38.	उमंग पार्टनर्स इन ह्यूमन डवलपमेंट (गैर-सरकारी संगठन), नई दिल्ली	"महिला कानून एवं हिंसा की चुनौतियां और भावी परिप्रेक्ष्य" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
39.	ह्यूमेन रिसोर्स एडवांसमेंट वेलफेयर सोसायटी, रोहिणी, नई दिल्ली	"सभी बलात्कारों के अन्वेषण में अपनाए जाने वाले नवाचारा के रूप में दिशानिर्देश / नियमावली जारी करना" विषय पर संगोष्ठी	5,94,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी / कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
40.	लोकाश्रय, नई दिल्ली	"भारत में वैवाहिक मृत्यु दर, बलात्कार और महिलाओं / लड़कियों के विरुद्ध हिंसा" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
41.	ऑर्गनाइजेशन फॉर डायसपोरा इनिशिएटिव (ओडीयू), नई दिल्ली	"भारत एवं इसके प्रवासी : एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य" विषय पर संगोष्ठी	3,00,000/-
42.	द गिल्ड ऑफ सर्विस, नई दिल्ली	"विधवाएं : नीतिगत कमियां और समावेशन" विषय पर क्षेत्र स्तरीय संगोष्ठी	2,00,000/-
43.	हील इण्डिया, नई दिल्ली	"महिला सुरक्षा – एक चुनौती (घरेलू हिंसा, दहेज, बलात्कार, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न)" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
44.	श्राइन सोसायटी, आजाद नगर, दिल्ली	"दिल्ली की महिलाओं का सशक्तीकरण" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
45.	सोशल डवलपेंट फाउण्डेशन, नई दिल्ली	"दलित महिलाओं के मुद्दे और सरोकार" विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी	3,00,000/-
46.	मातृ भूमि फाउण्डेशन, नई दिल्ली	"सरकारी स्कीमों की उपलब्धियों के साथ सफल महिला आंदोलन और शोषण के खिलाफ लड़ रही महिलाएं" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
47.	इण्डिया वर्ल्ड फाउण्डेशन, नई दिल्ली	"भारतीय समाज में अल्पसंख्यक महिलाओं के सामने चुनौतियां" विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी	3,00,000/-
48.	राजधानी कालेज, नई दिल्ली	"महिला सशक्तीकरण और राजनैतिक भागीदारी" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
49.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	"महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थल" विषय पर संगोष्ठी	2,17,811/-
50.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	"मूक लोगों की आवाज : मुस्लिम महिलाएं– चुनौतियां और समाधान" विषय पर संगोष्ठी	4,60,235/-
	गुजरात		
51.	जन कल्याण समाज सेवा ट्रस्ट, सी-26, वात्सल्य कम्पलैक्स, सिविल न्यायालय के सामने, महुढ़ा रोड, महेमदाबेद, जिला खेडा, गुजरात	"दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र में बाल विवाह" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
52.	श्री राजीव गांधी स्मृति खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट, पीआईआर हाउसिंग सोसायटी, गांव व डाकघर भाट, जिला गांधीनगर, गुजरात-382428	"महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी / कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
53.	सूर्योदय खादी मिशन, अहमदाबाद, गुजरात	"बाल विविवाह और इसके दुष्परिणाम" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
54.	श्री दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट, भावनगर, गुजरात	"महिलाओं पर अत्याचार के प्रति निवारक उपाय के रूप में शिक्षा एवं कार्य" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
55.	जीवन प्रकाश ट्रस्ट, आनंद, गुजरात	"राजनैतिक प्रणाली में आरक्षण के माध्यम से राजनैतिक प्रक्रिया में भागीदारी करने का महिलाओं का अधिकार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	हरियाणा		
56.	महिला चेतना समिति, महेन्द्रगढ़, हरियाणा	"ग्राम पंचायतों में महिला उम्मीदवारों की भूमिका" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
57.	कुन्दन कल्याण सोसायटी, गुणगांव, हरियाणा	"राजस्थान में महिला विकास के मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
58.	श्री कृष्ण शिक्षा समिति, कुलदीप तेवतिया निवास, भारत गैस एजेंसी के सामने, पुराना बस अड्डा रोड, होडल, पलवल, हरियाणा	"महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार का निवारण और अवैध व्यापार से संबंधित कानून पर सेवा प्रदाताओं का संवेदीकरण" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
59.	नेहरू युवा क्लब, गांव व डाकघर नारा, तहसील नारनौन्द, जिला हिसार, हरियाणा	जिला हिसार हरियाणा में "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और मादा भ्रूण हत्या" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
60.	कुन्दन कल्याण सोसायटी (केडब्ल्यूएस), गुणगांव, हरियाणा	"महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हुई हिंसा को नियंत्रित करने के लिए जेंडर मुद्दों पर युवाओं का संवेदीकरण" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
61.	ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान, बीकानेर, राजस्थान	"बाल विवाह की रोकथाम" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	हिमाचल प्रदेश		
62.	स्वालम्बन, मार्फत हर्ष कम्पलैक्स, पंजीब नेशनल बैंक के पास रेकोंग पियो, जिला कन्नूर, हिमाचल प्रदेश-172107	"महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	झारखंड		
63.	झारखंड राज्य आयोग, रांची, झारखंड	"झारखंड की जनजतीय महिलाओं से संबंधित मुद्दे" विषय पर क्षेत्र स्तरीय संगोष्ठी	2,00,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी / कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
64.	हीरा नागपुर अल्प संख्यक महिला विकास संस्थान, गांव मुल्ती, डाकघर इतकी, जिला रांची, झारखंड -835301	"महिला सशक्तीकरण हेतु नेतृत्व विकास" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
65.	मानव विकास फाउण्डेशन, डीटी दृ 1690, टंकी साइड, डाकघर–धुरवा, जिला रांची, झारखंड-834004	"घटता हुआ लिंग अनुपात" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
66.	महिला जनशक्ति संगठन, क्वार्टर नं. 1293, सैक्टर–5 / सी, बोकारो, स्टील सिटी, बोकारो, झारखंड-827006	"महिला सशक्तीकरण हेतु नेतृत्व विकास" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
67.	सोसायटी फॉर इन्नोवेटिव रूरल डवलपमेंट, साहिबगंज, झारखंड	"चुड़ैल हत्या" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
	कर्नाटक		
68.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बैंगलुरू, कर्नाटक	"महिलाओं के विरुद्ध अपराध : कानूनी सुरक्षोपायों का सिंहावलोकन" विषय पर क्षेत्र स्तरीय संगोष्ठी	2,00,000/-
69.	भारत युवा कल्याण शिक्षा और ग्रामीण विकास सोसायटी, म.नं. 9-11-135, विद्यानगर कालोनी, बिदार, कर्नाटक–585403	"तेजाब हमलों के पीड़ितों की आवाज" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	3,00,000/-
70.	सोशल एक्शन फॉर रूरल पूअर, सिद्धेश्वरना दुर्गा गांव एवं डाकघर, पारासरमपुरा होबली, चेलकेरा तालुका चित्रदुर्गा, कर्नाटक–577538	"दलित महिलाओं के मानवाधिकार हनन" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
71.	आदर्श ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण सोसायटी, 5वां ब्लॉक, हाउसिंग बोर्ड के सामने, बागेपल्ली, चिकबल्लापुर कर्नाटक–561207	"वैवाहिक संपत्ति का अधिकार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
72.	श्री महादेवेश्वरी महिला सेवा समाज, 23वां वार्ड, बायप्पा बिल्डिंग, बागेपल्ली, चिकबल्लापुर, कर्नाटक–561207	"घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का कारगर कार्यान्वयन" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	केरल		
73.	गांधी स्मारक ग्राम सेवा केंद्रम, एस.एल. पुरम, अलपुझा, केरल -688523	"महिलाएं और मीडिया" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	3,00,000/-
74.	जीवन किरण, श्रीकृष्णा मंदिर रोड, कोलाझी, त्रिसूर जिला, केरल-680010	"केरल में महिलाओं एवं बालिकाओं का अवैध व्यापार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	मध्य प्रदेश		
75.	मानव सेवा कल्याण संस्थान, 289, गंगा नगर, देवास, मध्य प्रदेश-455001	"घरेलू हिंसा और जेंडर आधारित हिंसा" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी/कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
76.	जय मॉ भवानी फाउण्डेशन, डी. एन. जैन कालेज के सामने, मार्फत राहुल अवस्थी गोल बाजार, जबलपुर, मध्य प्रदेश-482007	"घरेलू हिंसा" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
77.	जय देवी शिक्षा प्रसार समिति, एम/622, मेयर वन, न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी, ए. बी. रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश	"लड़कियों एवं महिलाओं पर तेजाब हमला और उनके जीवन पर इसका दुष्प्रभाव" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
78.	नोबल रिफॉर्मेशन इंटीग्रेशन सोसायटी, 102, राजापैलेस, राजीव गांधी सिविक सेंटर नया रोड, रतलाम, मध्य प्रदेश	"बलात्कार और अवैध व्यापार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
79.	मुक्ति ममता महिला मंडल, वार्ड नं. 3, काब्जो गली, लहर, भिण्ड, मध्य प्रदेश	"महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
80.	महावीर शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	"सभी बलात्कारों के अन्वेषण में अपनाए जाने वाले नवाचारा के रूप में दिशानिर्देश/नियमावली जारी करना" विषय पर संगोष्ठी	4,00,000/-
81.	सतविन्दर शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	"वैश्वीकरण और महिला बिक्रेताओं पर इसका प्रभाव/बाल विवाह एवं इसका दुष्प्रभाव" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
82.	निवेदिता कल्याण समिति, रीवा, मध्य प्रदेश	"जेंडर एवं भूमि अधिकार" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
	महाराष्ट्र		
83.	सावित्रीबाई फुले भाऊ शिक्षण संस्थान, गौंदिया, महाराष्ट्र	"बाल विवाह का निषेध" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
84.	मां हव्वा अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय महिला कल्याण सोसायटी, अकोला, तालुका एवं जिला अकोला, महाराष्ट्र	"घटता हुआ लिंग अनुपात (मादा भ्रूण हत्या के कारण)" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
85.	संजीवनी विकास फाउण्डेशन, एम–11, सुंदरम नगर, वीजापुर रोड, शोलापुर, महाराष्ट्र - 413004	"घटता हुआ लिंग अनुपात" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
86.	जय किसान शिक्षण प्रसारक मंडल, उन्दरी (पीएम) तालुका मुखेड, जिला नान्देड, महाराष्ट्र–431715	"महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और अत्याचार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
87.	काल मातोश्री माईसाहेब अम्बेडकर ग्राम विकास सेवाभावी संस्था, पैठान, डाकघर सावलेश्वर, तालुका केज, जिला बीड, महाराष्ट्र	"कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाना" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
88.	श्री राजे शिव छत्रपति शिक्षक प्रसारक मंडल महावीर सोसायटी, नान्देड, महाराष्ट्र	"बाल विवाह का निषेध" विषय पर क्षेत्रीय संगोष्ठी	2,00,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी / कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
89.	जयप्रभा ग्रामीण विकास मंडल, बीड, महाराष्ट्र	"महिलाओं को कानूनी सहायता" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
90.	कमला नेहरू महाविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र	"मादा भ्रूण हत्या" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
91.	श्रीपद नवजुवन प्रतिष्ठान, अहमदनगर, महाराष्ट्र	"घटता हुआ लिंग अनुपात (मादा भ्रूण हत्या के कारण)" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	मणिपुर		
92.	सामाजिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आईएसआरडी) लमांग बाजार, आरडीओ के पास, इम्फाल पश्चिम जिला, मणिपुर–795146	"अंतराल कम करना – मणिपुर में महिलाओं के बीच संपत्ति के अधिकार का पहलू" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
93.	द नियो लाइफ फाउण्डेशन, सिखोंग बाजार, नोंगपोक, सेकमई, डाकघर याइरीपोक, थाउबल जिला, मणिपुर-795149	"मणिपुर में महिला हथकरघा कर्मियों की स्थिति" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	मेघालय		
94.	अमरतसरा, किराव, लोअरजेल रोड, शिलांग, मेघालय	"मेघालय में किशोरावस्था में गर्भधारण" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
95.	अमरतसरा, पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग,	"चलो गांव की ओर" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
96.	अमरतसरा, पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय	"चलो गांव की ओर" विषय पर संगोष्ठी	₹1,00,000/-
97.	अमरतसरा, अइभोइ, मेघालय	"चलो गांव की ओर" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
98.	अमरतसरा, ख्लेइहरिया, मेघालय	"चलो गांव की ओर" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
99.	अमरतसरा, जयन्तिया हिल्स, मेघालय	"चलो गांव की ओर" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
	मिजोरम		
100.	मिजोरम राज्य महिला आयोग	"बलात्कार और मानव अवैध व्यापार" विषय पर संगोष्ठी	5,00,000/-
	ओडिशा		
101.	ओडिशा युवा सांस्कृतिक संसद, पुरी, ओडिशा	"महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति : एक राष्ट्रीय चुनौती" विषय पर संगोष्ठी	3,00,000/-
102.	ओडिशा युवा सांस्कृतिक संसद, पुरी, ओडिशा	"जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरण : एक राष्ट्रीय योजना" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	3,00,000/-
103.	ओडिशा युवा सांस्कृतिक संसद, पुरी, ओडिशा	"दार्जिलिंग हिमालयी क्षेत्र में महिलाएं एवं विकास : मुद्दे एवं चुनौतियां" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी / कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
104.	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स (एआईआरए), डाकघर-करनूल, वाया-महिमागढ़ी, जिला दृ धेंकनाल, ओडिशा-759014	"महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा एवं जेंडर आधारित हिंसा का निवारण और कानूनी उपबंधों का उपयोग" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
105.	सोसायटी फॉर ह्यूमनिटेरियन एक्शन रिहेबिलेशन एण्ड इम्पावरमेंट (शेयर) पट्टामुंदई, कालेज रोड, डाकघर-पट्टामुंदई, जिला–केंद्रपाडा, ओडिशा'?–754215	"जेंडर और हिंसा" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
106.	ओडिशा युवा सांस्कृतिक संसद, कान्वेन्ट स्कूल लेन, वीआईपी रोड, पुरी, ओडिशा-752001	चिलका, ओडिशा में "व्यापक शराब व्यापार और जेंडर हिंसा" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	3,00,000/-
107.	फैलोशिप, तारानी भवन, महिला कालेज रोड, सन्थिया, भद्रक, ओडिशा – 756100	"महिलाओं का अवैध व्यापार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	पंजाब		
108.	पंजाब स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब	"समावेशी विकास और महिला सशक्तीकरण" विषय पर क्षेत्रीय संगोष्ठी	2,00,000/-
109.	जन कल्याण समिति, पुराना सिनेमा रोड, वार्ड नं.4, मकान नं. 41, सरदुलगढ़, जिला मनसा, पंजाब-151507	"घटता हुआ लिंग अनुपात" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
110.	पंजाब राज्य महिला आयोग, चंडीगढ़	"घरेलू हिंसा और जेंडर आधारित हिंसा" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	3,00,000/-
	राजस्थान		
111.	महिला (स्नातकोत्तर) कालेज, झुंझनू, राजस्थान	"महिलाओं का सशक्तीकरण, सुरक्षा और संरक्षण" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	3,00,000/-
112.	शिव चरण माथुर सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान, जयपुर, राजस्थान	"महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दों से निपटना" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
113.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान	"भारत में मादा भ्रूण हत्या एवं शिशु हत्या के सामाजिक – कानूनी मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर संगोष्ठी	3,00,000/-
114.	सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ प्रगति संस्थान, टोंक, राजस्थान	''पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों की भूमिका एवं भागीदारी पर उनके लिए संचेतना कार्यक्रम'' विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
115.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	"यौन हिंसा और मानवाधिकारों का हनन : समाज, सरकारी एजेंसियों एवं मीडिया की भूमिका'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	3,00,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी / कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
116.	ग्रामीण विकास संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	"राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	₹1,00,000/-
117.	महारानी कालेज विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	"महिला सुरक्षा के मुद्दों की समीक्षा : गर्भ से कब्र तक" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	3,00,000/-
118.	ग्राम विकास सेवा संस्थान, आदर्श कालोनी, सिलारी रोड पीपाड़ शहर, जोधपुर, राजस्थान-342601	'जैसलमेर पर विशेष ध्यान देते हुए राजस्थान में घटते हुए लिंग अनुपात पर अंतःदृष्टि'' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
119.	दीप विद्या मंदिर समिति (डीवीएमएस) दौसा गायत्री नगर, दौसा तहसील, जिला दौसा, राजस्थान दृ 303303	"बालिका बचाओ; कन्या भ्रूण हत्या'' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
120.	सोशल इम्पावरमेंट एण्ड वालिएन्टरी एक्शन संस्थान (सेवा संस्थान), टोंक, राजस्थान	"ग्रामीण महिलाओं के समामजिक आर्थिक सशक्तीकरण हेतु जैव कृषि एक साधन" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
121.	जन कल्याण संस्थान, जैसलमेर, राजस्थान	''छोटे बच्चों का विवाह और इसके दुष्परिणाम'' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
122.	जय श्री अरिहंत विद्या मंदिर, कोटा, राजस्थान	"सामाजिक संघटन एवं स्थानीय समुदाय की भागीदारी के माध्यम से महिलाओं के व्यावसायिक यौन शोषण के बारे में जागरूकता'' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
123.	ग्रामीण विकास संथान, उदयपुर, राजस्थान	"राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
124.	यूनीवर्सल डवलपमेंट फाउण्डेशन, जयपुर, राजस्थान	"भारत में महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार और इसका निवारण" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
125.	कनौडिया स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	"नारीवाद की तुलना में सक्रियतावाद की व्याख्या करना" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	3,00,000/-
126.	गांधी स्मृति संस्थान, राजसमंद, राजस्थान	"छोटे व्यवसायों में महिलाओं का नियोजन" विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
	तमिलनाडु		
127.	सिनाम (सदयनोदयी इलयन्गार परपानी मन्दिरम), वालारघम, अवलुरपेट रोड, तिरुवन्नामलई, तमिलनाडु-606604	"अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और महिलाओं का शिक्षा का अधिकार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी / कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
128.	महिला सशक्तीकरण एवं शिक्षा विकास समिति (स्वीड, मदुरई, तमिलनाडु	"महिलाओं एवं बच्चों की साक्षरता और लिंग अनुपात में कमी का प्रभाव" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
129.	सलेम जिला लोक सेवा सोसायटी, सलेम, तमिलनाडु	"सलेम जिला, तमिलनाडु मे कामकाजी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, शीलभग एवं यौन दुर्व्यवहार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	त्रिपुरा		
130.	नार्थ ईस्ट इण्डिया सेंटर फॉर मास कम्यूनिकेशन एण्ड कल्चरल रिसर्च, संतोष मार्किट, (दूसरा तल), 37, अखुरा रोड, अगरतला, त्रिपुरा	"त्रिपुरा में चुड़ैल हत्या की रोकथाम" विषय पर क्षमता निर्माण कार्यशाला	1,00,000/-
	उत्तराखंड		
131.	नैनी महिला एवं बाल विकास समिति, देवदर कॉटेज, पावर हाउस के पास, सुखताल, माईताल, नैनीताल, उत्तराखंड	"घरेलू हिंसा और जेंडर आधारित हिंसा" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	1,00,000/-
132.	मकसद संस्थान, गांव करकत, डाकघर भीक्यासेन, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड	"कुमाऊँ क्षेत्र, नैनीताल, उत्तराखंड मे घटता हुआ लिंग अनुपात (मादा भ्रूण हत्या के कारण)" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	उत्तर प्रदेश		
133.	सांस्कृतिक सामाजिक समिति, बलिया, उत्तर प्रदेश	"महिलाएं और मीडिया" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
134.	डी. एस. सोशल सोसायटी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	"भारत में जेंडर समानता और महिला सशक्तीकरण" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
135.	सोसायटी फॉर कॉज ऑफ पीपल्स इम्पावरमेंट (स्कोप) लखनऊ, उत्तर प्रदेश	"ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण – झांसी में सूक्ष्म वित्त एवं स्व–सहायता दलों की भूमिका" विषय पर क्षेत्रीय संगोष्ठी	2,00,000/-
136.	महिला समाजोत्थान समिति, बदायूं, उत्तर प्रदेश	"बदायूँ, उत्तर प्रदेश मे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
137.	नागरिक उत्थान समिति, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश	"तिलहर, शाहजहांपुर में बाल विवाह" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
138.	सर्वजन सेवा संस्थान, हाथरस, उत्तर प्रदेश	"महिला सशक्तीकरण" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी / कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
139.	हरमाइन कल्याण सोसायटी, मऊ, उत्तर प्रदेश	"दहेज और घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं की स्थिति" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
140.	गुरुकुल शिक्षा एवं ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	"महिला अधिकार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
141.	नागरिक विकास समिति, अमेठी, उत्तर प्रदेश	"महिलाओं के कानूनी अधिकार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
142.	महिला उत्थनम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	''मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक विकास'' विषय पर संगोष्ठी	1,00,000/-
143.	भारतीय संवलमवान संस्थान, 192, विश्व लक्ष्मी नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004	"महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार का निवारण और अवैध व्यापार रोधी अधिनियम संबंधी सेवा प्रदातओं का संवेदीकरण" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
144.	आदर्श कल्याणकारी सेवा समिति, गांव व डाकघर नागपुर, तहसील जलालपुर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	"दहेज प्रतिषेध और घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं की स्थिति" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
145.	नेहरू युवा मंडल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	"भ्रूण का लिंग निर्धारण और मादा भ्रूण हत्या: समाज एवं महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
146.	बृज बाल विकास केंद्र, मथुरा, उत्तर प्रदेश	''जेंडर और घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं की स्थिति'' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
147.	जन जागृति सेवा समिति, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	"उत्तरप्रदेश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
148.	राजापुर ग्राम्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	"जेंडर संचेतना का महत्व" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	3,00,000/-
149.	दलित समाज बाल एवं महिला उत्थान, एम-57, इंदिरा नगर एक्सटेंशन, राय बरेली, उत्तर प्रदेश–229001	"रायबरेली में शिक्षा एवं रोजगार में जेंडर असमानता" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
150.	अखिल भारत दलित विकास परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	लखनऊ में "जेंडर संचेतना के माध्यम से महिला सशक्तीकरण" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
151.	माता श्री जन कल्याण सेवा संस्थान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	"महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और अत्याचार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
152.	सर्व उत्थान संस्थान, अमेठी, उत्तर प्रदेश	"घटता हुआ लिंग अनुपात और इसका दुष्प्रभाव" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	संगोष्ठी/कार्यशाला	संस्वीकृत राशि
153.	समाज सेवा संस्थान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	"भारत में घटता हुआ लिंग अनुपात" विषय पर बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
154.	श्याम कवि लोक कल्याण संस्थान, देवरिया, उत्तर प्रदेश	"बाल विवाह की रोकथाम" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
	पश्चिम बंगाल		
155.	बांकुरा मानस समाज कल्याण सोसायटी, पालितबागान, डाकघर व जिला बांकुरा, पश्चिम बंगाल–722101	"बलात्कार/अवैध व्यापार" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
156.	इस्लामिक एजूकेशन वेलफेयर एसोसिएशन, गांव व डाकघर बामोनग्राम, ब्लॉक कालियाचक-1, परगना, पश्चिम बंगाल-732206	पश्चिम बंगाल में "मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक विकास" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
157.	त्रिलोचनपुर एसोसिएशन फॉर डवलपमेंट इन सोशल वेलफेयर, गांव चक्रपाणि, डाकघर चकपुरुषोत्तम, पी.एस. देबरा, वाया दासपुर, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल-721211	"पश्चिम बंगाल के जनजातीय बाहुल्य जिलों में जनजतीय लोगों में चुड़ैल हत्या" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
158.	होली मिशन फॉर चिल्ड्रन्स वेलफेयर एण्ड रूरल डवलपमेंट, 8/4, आरबीसी रोड, दमदम, कोलकाता-700028	"पश्चिम बंगाल में किशोरियों/महिलाओं के अवेध व्यापार का निवारण" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
159.	चैपलिन क्लब, गांव नरहरिपुर, डाकघर चकपुरुषोत्तम, ब्लॉक देबरा, जिला पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल -721211 पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल में "महिलाओं के अवैध व्यापार के परिणाम स्वरूप किशोरियों का घरेलू बाल नौकरों के रुप में निरोध' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
160.	पिरोजपुर नोबडी वेलफेयर सोसायटी, मार्फत कीबोर्ड साइवर कैफे, एनबीएसटीसी बस स्टैंड के सामने, के. जे. सान्याल रोड, मालदा, पश्चिम बंगाल-732101	"बाल विवाह की रोकथाम" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
161.	आसरा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	"महिलाएं वस्तु नहीं हैं, वे मानव हैं" विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी	1,00,000/-
162.	चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सिनि) दौलतपुर, डाकघर पायलन वाया जोका, 24 परगना (एस)-700104	"सबला एवं उज्ज्वला जैसी सरकारी स्कीमों के माध्यम से अवैध व्यापार के निवारण के लिए लड़कियों का क्षमाता निर्माण एवं सशक्तीकरण" विषय पर परामर्श	3,52,418/-

अनुलग्नक–XII

वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान/अध्ययनों की सूची

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	सेंटर फॉर आल्टरनेटिव दलित मीडिया (सीएडीएएम), नई दिल्ली	"उपलब्ध सामग्री के स्रोतों का अध्ययन करके और अपराधियों, पीड़ितों एवं गवाहों का साक्षात्कार करके भारत के अलग–अलग राज्यों में दलित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	2,84,550/-
2.	विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	"तेजाब हमला : भारत में महिलाओं पर तेजाब हमले के अंतर्निहित कारणों तथा राज्यों की प्रतिक्रिया की प्रकृति का अध्ययन" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	1,68,000/-
3.	फॉरम फॉर फैक्ट – फाइडिंग, डॉक्यूमेंटेशन एण्ड एडवाकेसी, भुवनेश्वर, ओडिशा	"ओडिशा में यौन शोषण की पीड़ितों को वित्तीय सहायता में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं का स्थिति चित्रण" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	2,34,550/-
4.	सेवा यतन जीवो कल्याण संस्थान, शाहपुरा, जयपुर	"अलवर जिला, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले गर्भनिरोधकों की उपलब्धता, सुलभता और उपयोग" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	2,43,600/-
5.	अज्ञेय सेवा समिति, फतेहगढ़, उदयपुर, राजस्थान	"राजस्थान में घरेलू हिंसा : एक आनुभविक विश्लेषण" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	2,23,650/-
6.	रूरल ऑर्गनाइजेशन फॉर सोशल इम्प्रूवमेंट, तमिलनाडु	"बरगूर ब्लॉक, जिला कृष्णागिरि, तमिलनाडु में मादा भ्रूण हत्या (घटते हुए लिंग अनुपात के कारण)" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	2,14,200/-
7.	सृजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	"लखनऊ एवं इसके आस–पास के जिलों बाराबंकी, सीतापुर एवं उन्नाव, उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित महिला हस्त शिल्पकारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन एवं मूल्यांकन" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	2,36,250/-
8.	एक्टिविस्ट्स ऑफ वॉलिएन्टरी एक्शन फॉर डवलपमेंट ऑफ ह्यूमेनिटी, सरोजिनी देबी लेन, मकबूल गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	"उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर एवं उन्नाव जिलों में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	1,93,200/-

अनुलग्नक–XIII

वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित जागरूकता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
	असम		
1	असम राज्य महिला आयोग, गुवाहाटी, असम	दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर जिला कामरूप (ग्रामीण) तथा कामरूप (शहरी), असम में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	120000/-
2	पातेबाड़ी ग्रामीण विकास सोसायटी, जिला नलबाड़ी, असम	महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार, दहेज विषय पर जिला नलबाड़ी, असम में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	120000/-
3	वॉलिएन्टर्स गिल्ड, गुवाहाटी, जिला कामरूप, असम	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और बाल विवाह विषय पर सोनापुर एल.पी. स्कूल परिसर, जिला कामरूप, असम में महिलाओं हेतु एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	60000/-
	आंध्र प्रदेश		
4	सोसायटी फॉर सोशल ट्रांसफोर्मेशन (एसएसटी), कुरुनूल, आंध्र प्रदेश	बाल विवाह, महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर गांव पशुपाला और नंदनपल्ली, जिला कुरुनूल, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
5	अराइज (एसोसिएशन फॉर रूरल इन्वॉलमेंट एंड सोशल एजूकेशन), गोदावरी, आंध्र प्रदेश	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, सूचना का अधिकार अधिनियम पर सूचना, स्वास्थ्य अधिकार तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर गचकायला पाड़ा, कटरेनीकोणा मंडल, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
6	ग्रामीण विकास समिति, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	महिलाओं के मूल अधिकार, बाल श्रम, बाल विवाह तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर एमडीओ कार्यालय के पास कल्याण मंडपम और देवरापल्ली मंडल, जिला विशाखपट्टनम, आंध्र प्रदेश में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
7	काउन्सिल फॉर एडवायजरी ऑफ पीपल अवेयरनेस टैक्नीकल सोसायटी (सीएपीएटीएस) वारंगल, आंध्र प्रदेश	मादा भ्रूण हत्या और घटता हुआ लिंग अनुपात, बाल विवाह, घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
8	श्री भुवनेश्वरी महिला मंडली, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	संपत्ति का अधिकार, बाल दुर्व्यवहार, भरण – पोषण अधिनियम तथा तलाकशुदा महिलाओं का संरक्षण, घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर चित्तूर, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
9	भारतीय समाज सेवा, वारंगल, आंध्र प्रदेश	महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और महिलाओं का स्वास्थ्य का अधिकार, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, मतदान का अधिकार और दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
10	संगीता राव शिक्षा समिति, कुरुनूल, आंध्र प्रदेश	मादा भ्रूण हत्या और महिला–पुरुष घटता हुआ लिंग अनुपात विषय पर कुरुनूल जिला, आंध्र प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
11	श्री राम भद्र ग्रामीण विकास सोसायटी, गोदावरी, आंध्र प्रदेश	बाल दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा विषय पर गांव कम्पाल्लटी, जिला गोदावरी, आंध्र प्रदेश में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
12	इण्डियन इवेन्जेलिकल एंड एजुकेशनल रूरल डवलपमेंट, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश	बलात्कार तथा अवैध व्यापार और घटता हुआ लिंग अनुपात, दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर अद्दान्की, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
13	भरतीय सेवा समिति, गुन्टूर जिला, आंध्र प्रदेश	दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर गुन्टूर जिला, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
14	जगन मठ महिला संगम, हैदराबद, आंध्र प्रदेश	घरेलू हिंसा, बाल विवाह एवं अपहरण विषय पर गांव वेल्लोपुट्टी, जिला हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
15	सोसायटी फॉर टैक्नीकल एंड इनवायरमेंटल मूवमेंट (स्टेम), अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर तीन गांवों रचनापल्ली, सिंगनमाला एवं रिशिथा, जिला अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
16	कोटी रेड्डी सुब्बी रेड्डी अमरनाथ रेड्डी मेमोरियल सोसायटी, अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश	ग्रामीण महिला अपने अधिकार जानें एवं अत्याचारों से बचाव करें, कानूनी पहलुओं, घरेलू हिंसा, अवैध व्यापार विषय पर अकुथोटा पल्ली, अनंतपुरम ग्रामीण और रुद्रमपेट, अनंतपुरम ग्रामीण मंडल, जिला अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
17	पीपल्स एजूकेशन एंड अवेयरनेस सर्विस सोसायटी, जिला रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश	दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता विषय पर रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
18	मल्लिकार्जुन कमजोर वर्ग विकास सोसायटी, गुन्टूर जिला, आंध्र प्रदेश	गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, बाल विवाह और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर गुन्टूर जिला, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
19	विवेकानंद युवजन समिति, कुरुनूल जिला, आंध्र प्रदेश	महिलाओं एवं लड़कियों को मुफ्त कानूनी सहायता, संपत्ति का अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर कुरुनूल जिला, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
20	अभ्युदय सेवा समिति, ओंगोल, आंध्र प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम एवं बच्चों से संबंधित मुद्दे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर कणिगिरि गांव, जिला प्रकासम, आंध्र प्रदेश में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	40000/-
21	ए1 मीडिया मुस्लिम एजूकेशन एंड कल्चरल एसोशिएशन, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 तथा सूचना का अधिकार अधिनियम और दहेज प्रतिषेध अधियम विषय पर बापटला, मुराजुपालेम एवं रेपाल्ले, जिला गुन्टूर, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
22	सोसायटी फॉर हैल्थ अवेयरनेस एंड रूरल इनलाइटमेंट (शेयर), खम्माम, आंध्र प्रदेश	महिलाओं एवं लड़कियों के साथ लिंग आधारित हिंसा और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर नापंगा, डाकघर–बडमुलाबसंत और बरहापुर, डाकघर–कोयलेपुर, जिला केंद्रपाडा में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
23	श्री श्रीनाथ शिक्षा सोसायटी, कडपा, आंध्र प्रदेश	मातृत्व लाभ अधिनियम, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न और गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, दहेज, बच्चों के साथ बलात्कार तथा घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर अमृतनगर एवं प्रकाशनगर गांव, प्रोद्दातूर ग्रामीण मंडल, जिला कडपा, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
24	प्रेमचंद शिक्षा एवं विकास सोसायटी, ओंगोल, आंध्र प्रदेश	बच्चों के साथ बलात्कार एवं दुर्व्यवहार, दहेज विषय पर ओंगोल, आंध्र प्रदेश में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
	बिहार		
25	महिला प्रयास जागृति मिशन, नई दिल्ली	विवाह कानून, संपत्ति का अधिकार और दहेज अधिनियम विषय पर त्रिलोकपुरी, दिल्ली में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
26	हरिजन सेवा समिति, जिला नालंदा, बिहार	कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न और बाल विवाह, दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर जिला राजगीर, बिहार में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
27	चम्पा सुदामा सेवा संस्थान, जिला मधुबनी, बिहार	महिला एवं परिवार कानून और दाण्डिक कानून एवं महिलाएं विषय पर गांव पैनटा, जिला मधुबनी, बिहार में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
28	हरिजन आदिवासी महिला कल्याण समिति, मुंगेर, बिहार	बाल श्रमिकों का पुनर्वास और दहेज विषय पर जिला मुंगेर, बिहार में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
29	अम्बपाली हथकरघा एवं हस्तशिल्प बहुराज्यीय सहकारी सोसायटी लिमिटेड, पटना, बिहार	मुफ्त कानूनी सहायता, संपत्ति का अधिकार, महिलाएं एवं परिवार कानून, कार्य स्थल पर अधिकार, विवाह कानून विषय पर गांव रानीपुर, पटना, बिहार में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
30	स्वामी विवेकानंद मानव कल्याण आश्रम, सारन, छपरा, बिहार	महिलाएं एवं परिवार कानून, दाण्डिक कानून, दहेज, घरेलू हिंसा विषय पर गांव बनियापुर, जिला सारन, बिहार में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
31	मानव विकास, कल्याण एवं देखरेख संस्थान, जिला सारन, बिहार	बाल विवाह और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर गांव – नागर, ब्लॉक – नागर, जिला सारन, बिहार में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
32	अनुगृह नारायण शिक्षा सोसायटी, जिला सारन, बिहार	दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर छपरा, जिला सारन, बिहार में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
33	नव विहार उद्योग मंडल, हिलसा, नालंदा, बिहार	गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह विषय पर हिलसा, जिला नालंदा, बिहार में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
34	सीता महिला विकास प्रशिक्षण संस्थान, जिला दृ छपरा, बिहार	महिलाओं के मूल अधिकार, कानूनी सहायता, मतदान का अधिकार विषय पर जिला छपरा, बिहार में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
35	राष्ट्रीय समाज कल्याण परिषद, शिवपुर, बिहार	महिला एवं परिवार कानून, अभिरक्षा में महिलाएं, दांडिक कानून विषय पर गांधी भवन, शिवहर तथा सोनौल, ब्लॉक पूर्णिया, जिला शिवहर, बिहार में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
36	साहिबा, जिला कटिहार, बिहार	बाल विवाह और घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर कटिहार, बिहार में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
37	फाउण्डेशन फॉर सोशल रिसर्च एण्ड डायनेमिक एक्शन (फोसोरेडा) मधुबनी, बिहार	घरेलू हिंसा अधिनियम एवं दहेज, बाल स्वास्थ्य विषय पर बिहार राज्य के मधुबनी जिले के दो पिछड़े ब्लॉकों में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
38	आदर्श सेवा संस्थान, समस्तीपुर, बिहार	बाल विवाह, तलाक, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं का संपत्ति का अधिकार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर जिला समस्तीपुर, बिहार में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
39	जीवन ज्योति संस्थान, पटना, बिहार	महिला दांडिक कानून और विधवा महिलाओं का संपत्ति का अधिकार विषय पर पटना जिला, बिहार में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
40	महिला सेवक समाज (एमएसएस) शेखपुरा, बिहार	संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह, दहेज विषय पर गांव जमालपुर, जिला शेखपुरा, बिहार में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
41	महिला कला केंद्र, कल्याणपुर, नालंदा, बिहार	बाल विवाह, तलाक, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, दहेज विषय पर गांव कल्याणपुर, जिला नालंदा, बिहार में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
42	दिशा (डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड सोसायटी फॉर ह्यूमेन एक्शन), नालंदा, बिहार	बाल विवाह, तलाक, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, दहेज विषय पर गांव शेरपुर, बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
43	राष्ट्र रत्न समाज कल्याण संस्थान, नालंदा, बिहार	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और बाल विवाह विषय पर कमरुद्दीनगंज, बिहार शरीफ एवं नालंदा, बिहार में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
44	दिशा (डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड सोसायटी फॉर ह्यूमेन एक्शन), नालंदा, बिहार	बाल विवाह और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर गांव शेरपुर, बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
45	राष्ट्र रत्न समाज कल्याण संस्थान, नालंदा, बिहार	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और बाल विवाह विषय पर कमरुद्दीनगंज, बिहार शरीफ एवं नालंदा, बिहार में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
46	रमन एण्ड मेमेरियल सेवा समिति, अररिया, बिहार	बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर अररिया, बिहार में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
	छत्तीसगढ़		
47	छायादीप समिति, सुरगुजा, छत्तीसगढ़	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर गांव अरगही एवं सुल्शाली, जनपद वड्राफनगर, जिला बल्लारपुर, छत्तीसगढ़ में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
48	स्वर्गीय रज्जूलाल कश्यप शिक्षण समिति, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, मादा भ्रूण हत्या विषय पर सामुदायिक भवन मुंगेली, ठकतपुर, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
49	बस्तर सामाजिक जन विकास समिति, दांतेवाडा, छत्तीसगढ़	दहेज प्रतिषेध अधिनियम और बाल विवाह विषय पर जगदलपुर, टोकापाल, बस्तर एवं दांतेवाडा जिला, छत्तीसगढ़ में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	90000/-
50	मधुर मुस्कान समाज विकास एवं कल्याण समिति, रायपुर, छत्तीसगढ़	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, तलाक, घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
51	नवंदगार सुरगुजा, छत्तीसगढ़	महिला एवं परिवार कानून, महिलाओं का मताधिकार, दांडिक कानून एवं महिलाएं (दहेज, बलात्कार, बच्चों के साथ बलात्कार) विषय पर मधुवन, सिलफिली एवं कल्याणपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
52	अरीना शिक्षण एवं जन कल्याण समिति, दुर्ग, छत्तीसगढ़	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, तलाक, घरेलू हिंसा अधिनियम, गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, बच्चों के साथ बलात्कार विषय पर जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में छः कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	300000/-
53	सुरगुजा कल्याणकारी सेवा समिति, बलरामपुर, छत्तीसगढ़	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर गांव–बालांगी, तुआंगवा, तोरफा और कोगवार, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
54	अमर किरन संस्था, चम्पा, छत्तीसगढ़	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, तलाक, घरेलू हिंसा अधिनियम, गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार,	200000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
		बच्चों के साथ बलात्कार विषय पर चम्पा, छत्तीसगढ़ में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	
55	सहायता सामाजिक संस्था, भिलाई, छत्तीसगढ़	बाल विवाह एवं बाल दुर्व्यवहार, संपत्ति का अधिकार और दहेज विषय पर भिलाई, छत्तीसगढ़ में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
56	सर्वहारा लोक कल्याण समिति, महासमुन्द, छत्तीसगढ़	महिलाओं के मूल अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर महासमुन्द, छत्तीसगढ़ में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
	दिल्ली		
57	जनमानस सोसायटी फॉर सोशल एण्ड इनवायरमेंट कॉज, दिल्ली	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और बाल विवाह विषय पर गौतमपुरी, दिल्ली में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
58	दलित सौलिडरिटी पीपल्स, नई दिल्ली	दांडिक कानून एवं महिलाएं, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा सती प्रथा एवं अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम विषय पर गांव रजोकरी और गोयला डेयरी, द्वारका, नई दिल्ली में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
59	स्टेयर्स इम्पॉवरमेंट यूथ, नई दिल्ली	दहेज एवं महिलाओं से संबंधित कानून विषय पर हरियाणा के जिला सिरसा और फतेहाबाद के जमाल गांव, रेसालिया खेड़ा गांव एवं रोही गांव में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,51,500/-
60	मनस्वी, नई दिल्ली	दहेज, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश के अमरोहा, जोया, सादत एवं जमना खास गांव में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
61	रंजना रॉयल एजूकेशनल वेलफेयर एण्ड कल्चरल एसोसिएशन, दिल्ली	बाल विवाह,घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर त्रिपाठी एन्कलेव, सुखी नगर, नागलोई, दिल्ली में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
	गुजरात		
62	कर्णावती खादी ग्रामोद्योग सेवा संघ, अहमदाबाद, गुजरात	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और बाल श्रम अधिनियम विषय पर कस्तूरचंद वक्ताजी हॉल, गिरधरनगर स्कूल, अहमदाबाद, गुजरात में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
63	मेधा एजूकेशन ट्रस्ट पंचमहल, गुजरात	बाल विवाह और घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
64	ध्वनि एजूकेशन एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, गुजरात	घरेलू हिंसा, तलाक एवं भरण–पोषण अधिनियम, दहेज विषय पर तालुका खानपुर एवं पटीदार और कनेसर, जिला पंचमहल, गुजरात में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
65	सिद्धार्थ ट्रस्ट, अहमदाबाद, गुजरात	घरेलू हिंसा और बाल विवाह विषय पर गोमतीपुर, अहमदाबाद, गुजरात में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	60000/-
66	श्री अमरबुद्ध मेमोरियल ट्रस्ट, राजकोट, गुजरात	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं के लिए दांडिक कानून विषय पर राजकोट, गुजरात में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
67	नवरचना महिला विकास ट्रस्ट, बानसकांठा, गुजरात	दहेज प्रतिषेध अधियम, 1961 विषय पर आर्य समाज वाडी वाव रोड, भाभर, बानसकांठा, गुजरात में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
68	उत्कर्ष फाउण्डेशन ट्रस्ट, भुज, गुजरात	हिंदू बाल विवाह कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर भुज, गुजरात में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
69	नवचेतना सार्वजनिक ट्रस्ट, साबरकांठा, गुजरात	महिलाओं का संपत्ति का अधिकार, तलाक कानून, दहेज एवं बाल विवाह विषय पर साबरकांठा, गुजरात में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
70	नवरचना महिला विकास ट्रस्ट, बारसकर्था, गुजरात	घरेलू हिंसा और बाल विवाह विषय पर बारसकर्था, गुजरात में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50,000/-
71	जीवन प्रकाश ट्रस्ट, आनंद, गुजरात	दांडिक कानून, निरक्षर महिलाओं के बुनियादी कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम,	200000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
		2005 विषय पर आनंद, गुजरात में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	
	हरियाणा		
72	श्री छोटू राम युवा क्लब, जिला झझर, हरियाणा	पंचायतों में महिलाएं, चुनाव कानून, महिलाओं को मताधिकार, दहेज, मादा भ्रूण हत्या, एमपीटी एक्ट विषय पर जिला फतेहाबाद एवं सिरसा, हरियाणा में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
73	कमल खादी ग्रामोद्योग मंडल, जिला जींद, हरियाणा	हिंदू बाल विवाह कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, दहेज विषय पर गांव बुतानी, जिला जींद, हरियाणा में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
74	जनहित सेवा केंद्र, जिला सोनीपत, हरियाणा	तलाक और घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह विषय पर हरियाणा के सोनीपत जिले में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
75	परिवर्तन, जिला जींद, हरियाणा	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बच्चों के साथ बलात्कार एवं बाल दुर्व्यवहार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और श्रमिकों की समस्याएं विषय पर गांव रतखेड़ा, रविदास और अफतेबगढ़, मौना गांव, जिला जींद, हरियाणा में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
76	राष्ट्रीय सदभाव सेवा समिति, रोहतक, हरियाणा	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और बाल विवाह विषय पर जिला रोहतक, हरियाणा के पांच गांवों (मुल्तान, नगीना, खुशपुरी, खेरी नूंह और खान पुर नूंह) में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	250000/-
77	श्री कृष्ण शिक्षा समिति, पलवल, हरियाणा	अवैध व्यापार की समस्याओं और आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के मुद्दों तथा महिलाओं हेतु कानूनों पर गांव भुलवाणा, करमन, गढ़ी पट्टी एवं बेडा पट्टी, पलवल, हरियाणा में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
78	समाज विकास समिति, हिसार, हरियाणा	महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता, यौन उत्पीड़न, अवैध व्यापार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर जिला हिसार, हरियाणा में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
79	सरस्वती शिक्षा समिति, भिवानी, हरियाणा	बाल विवाह, तलाक, घरेलू हिंसा विषय पर भिवानी जिला, हरियाणा में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
80	चौ. सुरेन्दर सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स वेलफेयर अकादमी, भिवानी, हरियाणा	बाल विवाह एवं दहेज विषय पर भिवानी, हरियाणा में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
81	आदर्श शिक्षा समिति, भिवानी, हरियाणा	संपत्ति का अधिकार एवं दहेज विषय पर भिवानी, हरियाणा में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
	झारखंड		
82	प्रेरणा, जिला गढ़वा, झारखंड	महिलाओं का संरक्षण का अधिकार, बाल श्रम, समानता का अधिकार और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर ऊंचेरी, जिला गढ़वा, झारखंड में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
83	झारखंड महिला जागृति, जिला हजारीबाग, झारखंड	घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, मुफ्त कानूनी सहायता, संपत्ति का अधिकार और दहेज विषय पर हजारीबाग, झारखंड में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	40000/-
84	भगवती विकास समिति, देवघर, झारखंड	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बच्चों के साथ बलात्कार एवं बाल दुर्व्यवहार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं श्रमिकों से संबंधित मुद्दे, बच्चों का अवैध व्यापार, भूमि का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विषय पर जिला देवघर, झारखंड के चार ब्लॉकों में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
85	समाज सेवा ट्रस्ट, देवघर, झारखंड	महिलाओं के मूल अधिकार और महिला दांडिक कानून विषय पर गांव देइपुर एवं पोलोजोरी, जिला देवघर, झारखंड में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
86	हैरिटेज एजूकेशनल सोसायटी, रांची, झारखंड	मादा भ्रूण हत्या, अवैध व्यापार, दहेज विषय पर रांची, झारखंड में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	5000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
	कर्नाटक		
87	द वीमेन्स वेलफेयर सांसायटी, बेलगाम, कर्नाटक	व्यावसायिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर नेहरू नगर, बेलगाम, कर्नाटक में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
88	सोसायटी फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट (आर), बागलकोट, कर्नाटक	दहेज, बालिकाओं के साथ बलात्कार विषय पर गांव हुनागोंडा, तालुका बागलकोट जिला, कर्नाटक में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
89	अश्वनि महिला मंडल, हुबली–धारवाड़, कर्नाटक	घरेलू हिंसा विषय पर सोनिया गांधी नगर, हुबली, कर्नाटक में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
90	सौन्दया रूरल एण्ड अर्बन डवलपमेंट एसोसिएशन, जिला चिकबल्लापुर, कर्नाटक	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह संरक्षण अधिनियम विषय पर गांव कपिलम्मा एवं नदीपिनायकनाहल्ली, ऊपरपेट एवं कोठानूर चिकबल्लापुर, कर्नाटक में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
91	अश्वनि महिला मंडल, हुबली–धारवाड़, कर्नाटक	दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम विषय पर बिंदल, कर्नाटक में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
92	विश्वमानव अर्वथोमुखा अभिरुद्धि संघ, चित्रदुर्ग, कर्नाटक	सूचना का अधिकार अधिनियम, प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत लिंग निर्धारण, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज के लिए अत्याचार, छेड़छाड़ विषय पर चल्लाकेरे टाउन, हिरियुर टाउन और होसदुर्गा टाउन, होसदुर्गा तालुका, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
93	बालानंदन ट्रस्ट, शमोगा, कर्नाटक	लिंग चयन और मुफ्त कानूनी सहायता, दहेज एवं श्रम अधिनियम विषय पर उच्च प्राथमिक स्कूल, गावातुरू, होसानगर तालुका, जिला शिमोगा, कर्नाटक में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
94	नेत्रवती डवलपमेंट फाउण्डेशन, चित्रदुर्ग, कर्नाटक	दहेज, बाल विवाह और संपतति का अधिकार विषय पर चित्रदुर्ग, कर्नाटक में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
95	श्री बनवासी हव्यासी कलाविदारा संघ (आर), देवनगेरे, कर्नाटक	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, मादा भ्रूण हत्या, महिलाएं एवं संवैधानिक मूल अधिकार, महिलाओं का कानूनी जागरूकता का अधिकार विषय पर देवनगेरे, कर्नाटक में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
	केरल		
96	आश्रयम ग्रामीण विकास सोसायटी, पलक्कड, केरल	बाल श्रम, विवाह कानून और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर पलक्कड, केरल में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
97	हरि श्री त्रिवेन्द्रम जिला, केरल	दांडिक कानून एवं महिलाएं और विवाह कानून विषय पर कुरिथिथनम, कोट्टयम जिला, और पुलिमोडू, त्रिवेन्द्रम जिला, केरल में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
	मणिपुर		
98	कोंगपाल पुंशी लामजिंग मारूप, इम्फाल, मणिपुर	लिंग भेदभाव, कार्य स्थल पर उत्पीड़न एवं बाल श्रम, दहेज प्रथा विषय पर कोंगपाल नायोरोयबाम लेइकई इम्फाल पूर्व जिला और खेंगनागमाखेंग, इम्फाल पश्चिम जिला, मणिपुर में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	120000/-
99	मणिपुर राज्य महिला आयोग, मणिपुर	अवैध व्यापार, बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर मणिपुर राज्य के दस जिलों (इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, तामनेंगलोंग, सेनापति, थाउबल, चन्देल, बिष्णुपुर, चूडचंदपुर, उखरूल तथा सानजेनथोंग) में दस कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	6,00,000/-
	महाराष्ट्र		
100	प्रियदर्शनी शैक्षणिक बहुउद्देशीय ग्राम विकास महिला सेवाभावी मंडल, पुणे, महाराष्ट्र	बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर केज के ग्रामीण क्षेत्र, जिला बीड, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
101	पेस अकादमी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	बलात्कार, दहेज, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर कोल्हापुर जिला, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
102	श्री साई गंजम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, बुलढ़ाना, महाराष्ट्र	बाल विवाह और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर बुलढ़ाना जिला, महाराष्ट्र में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
103	संजीवनी शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास संस्था, जिला अहमद नगर, महाराष्ट्र	बाल विवाह एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर गांव संगमनेर एवं तालेगांव, जिला अहमद नगर, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
104	नारायण व्यायामशाला एवं क्रीड़ा मंडल, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र	महिलाओं का संपत्ति का अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 एवं बाल विवाह, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर हरसूल, सिडको, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
105	संजीवनी बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, जिला अहमद नगर, महाराष्ट्र	बाल विवाह एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर अहमद नगर, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
106	यश बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था जिला अहमद नगर, महाराष्ट्र	विवाह कानून, अलगाव, तलाक, महिलाओं का संपत्ति का अधिकार और दहेज प्रथा विषय पर गांव न्यायमूर्ति रानाडे सभागाराह एवं श्रीनाथ मंगलकार्याल जिला अहमद नगर, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
107	एम.के. गांधी मिशन, जिला जालना, महाराष्ट्र	दांडिक कानून एवं महिलाएं, बलात्कार तथा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न और दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर विजिरखेडा और भोकरदान गांव (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र) जिला जालना, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
108	विद्या भूषण युवक मंडल, जिला लातूर, महाराष्ट्र	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 तथा बाल विवाह विषय पर जिला लातूर, महाराष्ट्र में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
109	जय बजरंग बहुउद्देशीय सर्वांगीण ग्रामीण विकास मंडल, वाशिम, महाराष्ट्र	श्रम कानून और भारत में महिलाओं का संपत्ति का अधिकार एवं महिलाओं हेतु भरण–पोषण अधिनियम विषय पर दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
110	जय बजरंग बहुउद्देशीय सर्वांगीण ग्रामीण विकास मंडल, वाशिम, महाराष्ट्र	घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर जिला वाशिम, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
111	प्रियांशु शिक्षण क्रीड़ा विकास संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र	दहेज प्रतिषेध अधिनियम और बाल विवाह विषय पर वर्धा जिला, महाराष्ट्र में महिलाओं हेतु चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
112	अनुष्का बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, परभानी, महाराष्ट्र	घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर जिला परभानी, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
113	श्री चन्दन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र	संपत्ति का अधिकार और घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर नागपुर, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
114	सस्टेनेबल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट सेंटर, अहमद नगर, महाराष्ट्र	विभिन्न कानूनों (घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961) के अंतर्गत महिला अधिकार विषय पर जूना बाजार जेउर जिला अहमद नगर महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
	मध्य प्रदेश		
115	महावीर शिक्षा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	बाल विवाह, अवैध व्यापार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर खण्डवा और खारगांव, भोपाल, मध्य प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
116	प्रथा समाज सेवा एवं महिला उत्थान सेवा समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश	दहेज, महिलाओं का शिक्षा का अधिकार और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर मुरैना, मध्य प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता शिविर	100000/-
117	श्री कृष्ण शिक्षा प्रसार समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	बाल विवाह, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, भोपाल, आगरा में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	250000/-
118	मुस्लिम माशरा तरक्की सोसायटी, भोपाल, मध्य प्रदेश	दहेज कानून एवं परिवार से संबंधित कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर शाहजहानाबाद एवं हसनाबाद, भोपाल मध्य प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
119	प्रगति युवा विकास केंद्र, लवकुश नगर, छतरपुर, मध्य प्रदेश	भूमि अधिकार, गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, बाल विवाह तथा घरेलू हिंसा विषय पर छतरपुर एवं लवकुश नगर, मध्य प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
120	दया कृष्ण समाज कल्याण समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	बच्चों के साथ बलात्कार एवं बाल विवाह, दहेज, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर ग्वालियर, मध्य प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
121	प्रसाद एकता समिति, राइसेन, मध्य प्रदेश	बच्चों के साथ बलात्कार एवं बाल विवाह, दहेज, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर मध्य प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
122	द्रोणाचार्य शिक्षण समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश	जेंडर संबंधी मुद्दों तथा विवाह कानून पर संवेदीकरण, तलाक, परिवार कानूनों, संपत्ति का अधिकार एवं उत्तराधिकार विषय पर रायपुरी, शाहपुरा, ब्लॉक शाहपुरा, जिला डिण्डौरी, मध्य प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
	ओडिशा		
123	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डवलपमेंट एण्ड एक्शन (नीडा), मयूरभंज, ओडिशा	दहेज, महिलाओं का शिक्षा का अधिकार विषय पर मयूरभंज, जिला नौपाडा, ओडिशा में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	40000/-
124	संतकवि भीमा भोइ सांस्कृतिक अनुष्ठान, नौपाडा, ओडिशा	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल विवाह और घरेलू हिंसा विषय पर सिनापाली, जिला नौपाडा, ओडिशा में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
125	एससीआरएएसी (स्टेट काउन्सिल फॉर रेन्नोवेशन ऑफ एन्सिएन्ट आर्ट एण्ड कल्चर), नौपाडा, ओडिशा	बाल विवाह और घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर नौपाडा, ओडिशा में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
126	आशा (एसोसिएशन फॉर सोशल एण्ड ह्यूमनिटेरियन एक्शन), नौपाडा, ओडिशा	गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994, घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर ओडिशा राज्य के खरियार और नौपाडा जिलों में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
127	क्लब ब्राइट स्टार, पुरी, ओडिशा	महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकार तथा उनके लिए कानून एवं अधिनियम पर चर्चा, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर ओडिशा राज्य के पुरी जिले के सिंहभारमपुर जी. पी. और सौरिया जी.पी. सामुदायिक भवन में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
128	मां सतभाउनी क्लब, केंद्रपाडा, ओडिशा	बाल विवाह, तलाक, भरण–पोषण, दत्तक–ग्रहण एवं परिवार कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर ओडिशा राज्य के केंद्रपाडा जिले के तीन गांवों (पलेई, बेनीपुर तथा रघुदेइपुर) में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
129	सहयोग इण्डिया, भद्रक, ओडिशा	बच्चों के साथ बलात्कार एवं बाल विवाह, दहेज, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर ओडिशा राज्य के भद्रक जिले में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
130	ग्राम राज्य स्थापन समिति, नौपाडा, ओडिशा	समान मजदूरी अधिनियम, 1986, हिंदू विवाह अधिनियम, 1956, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर जिला नौपाडा, ओडिशा के ब्लॉक बरगांव, सानमहेश्वर खरिया और चंडोपला ब्लॉक में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
131	समाज विकास सेवा, पुरी, ओडिशा	महिला एवं परिवार कानून और अभिरक्षा में महिलाएं एवं दांडिक कानून तथा घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर ओडिशा राज्य के पुरी जिले के पुरी सदर ब्लॉक में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
132	कमेटी फॉर लीगल एड टू पूअर (क्लैप), कटक, ओडिशा	कार्य स्थल पर अधिकार और सिविल कानून एवं दहेज अधिनियम पर जागरूकता विकसित करने के लिए कटक, ओडिशा में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
133	जनसंधान, भुवनेश्वर, ओडिशा	घरेलू हिंसा अधिनियम और बाल श्रम विषय पर भुवनेश्वर, ओडिशा में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
134	सोसायटी फॉर ट्रैनिंग अमेलियोरेशन एण्ड रिसर्च, धेंकनाल, ओडिशा	महिलाओं से संबंधित कानून, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बच्चों के साथ बलात्कार विषय पर जोरान्दा, धेंकनाल, ओडिशा में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
135	एसोसाएशन फॉर नेगलैक्टेड ग्रुप एण्ड इवेन्जेलिकल लीडरशिप, संबलपुर, ओडिशा	बच्चों का अवैध व्यापार एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर संबलपुर, ओडिशा में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
136	सोसायटी फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट एण्ड रूरल एजूकेशन (शेयर) धेंकनाल, ओडिशा	बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर नपांग गांव, जिला केंद्रपाडा, ओडिशा में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
137	वीसा (वायोलेन्टली इन्स्टीट्यूट फॉर सोशल एक्टिविटीज) केंझर, ओडिशा	मुफ्त कानूनी सहायता, स्वास्थ्य का अधिकार और तलाक से संबंधित कानून, संपत्ति का अधिकार, दहेज विषय पर केंझर, ओडिशा में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,50,000/-
138	ऑर्गनाइजेशन फॉर डवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनोमी एण्ड सोशल सर्विस, खुर्दा, ओडिशा	दांडिक कानून एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर खुर्दा, ओडिशा में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50,000/-
	पंजाब		
139	महिला अधिकार अभियान, पंजाब	पंजाब राज्य के विभिन्न जिलों / शहरों में तीन महिला अधिकार अभियान	4,50,000/-
140	ह्यूमन एण्ड इनवायरमेंट डवलपमेंट सोसायटी (आरईजीडी), तरन तारन साहिब, पंजाब	बाल विवाह, तलाक एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर तरन तारन साहिब, पंजाब में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
141	डा. अम्बेडकर नगर कल्याण सोसायटी, लुधियाना, पंजाब	घरेलू हिंसा एवं दहेज विषय पर डा. अम्बेडकर नगर, मॉडल टाउन, लुधियाना, पंजाब में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
142	महिला कल्याण समिति, मोहाली, पंजाब	बाल श्रम, महिलाओं का शिक्षा का अधिकार, गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, दहेज विषय पर खरड एवं चुन्नी ब्लॉक, पंजाब में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
	राजस्थान		
143	नवजीवन संस्था, बांसवाडा, राजस्थान	बाल विवाह, संपत्ति का अधिकार एवं दहेज, घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर गांव	100000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
		मछरासाठ एवं सज्जनगढ़, जिला बांसवाडा, राजस्थान में महिलाओं के लिए दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	
144	आदर्श ग्रामीण शिक्षण समिति, दौसा, राजस्थान	हिंदू विवाह अधिनियम एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर गाव सैंथल एवं बीनाबनी, जिला दौसा, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
145	भरत उदय संस्थान, झालावाड, राजस्थान	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर ब्लॉक बारां, जिला बारां, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
146	गुरू कृपा लोक सेवा संस्थान, जयपुर, राजस्थान	मुफ्त कानून सहायता, बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार और घरेलू हिंसा विषय पर राजस्थान राज्य के गूजर की थडी, वैशाली नगर, विराट नगर और गजसिंहपुरा, जिला जयपुर में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
147	शिवम शिक्षा समिति, करौली, राजस्थान	बाल विवाह विषय पर गांव मकरानपुर, सापुरा, पहाडी, करौली एवं कोसारा, करौली, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
148	ग्राम विकास सेवा संस्थान, जोधपुर, राजस्थान	घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज, महिलाओं का अवैध व्यापार विषय पर पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
149	टाबरी विकास एवं सेवा संस्थान, जैसलमेर, राजस्थान	घरेलू हिंसा एवं दहेज विषय पर जिला जैसलमेर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
150	शिव शंकर सेवा संस्थान, टोंक, राजस्थान	महिला सशक्तीकरण और गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर जिला टोंक, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
151	श्री गोविंद मानव सेवा संस्थान, भरतपुर, राजस्थान	गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 एवं मादा भ्रूण हत्या, महिलाओं से संबंधित दांडिक कानून, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, परिवार न्यायालय	100000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
		अधिनियम एवं प्रक्रिया विषय पर जसवंत नगर, भरतपुर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	
152	श्री नारायण सेवा एवं विकास संस्थान, बूंदी, राजस्थान	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498 (क), कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा महिलाओं के अधिकार और अनिवासी भारतीयों के विवाहों से संबंधित कानूनों पर बूंदी, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
153	अर्पण शिक्षा समिति, जयपुर, राजस्थान	गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर शास्त्री नगर, सांची बस्ती, जिला जालौर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
154	मुकट भारती शिक्षा समिति, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बच्चों की शिक्षा तथा महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा, घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर गंगापुर शहर, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
155	सेवार्थ संस्थान, भीलवाडा, राजस्थान	बाल विवाह, तलाक, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं का शिक्षा का अधिकार विषय पर पांच गांव सलेमपुरा, सुन्दरी, महरावांद वायराडा एवं इण्डवा, जिला भीलवाडा, राजस्थान में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	250000/-
156	फॉर्चून सेवा संस्थान, राजसमंद, राजस्थान	महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनी विशेष अधिकारों और उनके साथ किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई, कानूनी प्रतिकरों एवं संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पांच गांव टोगी, कालडेह, डूंगज जी का गांव तथा नेडी, जिला राजसमंद, राजस्थान में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	250000/-
157	हैल्प ऐम इण्डिया संस्थान, अजमेर, राजस्थान	मातृत्व लाभ अधिनियम, विवाह, तलाक एवं दहेज और बाल विवाह अधिनियम तथा घरेलू	100000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
		हिंसा अधिनियम विषय पर मरकर वाली गांव और वृक्ष वाली गली पुलिस लाइन, जिला अजमेर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	
158	सोशल इनवायरमेंट एण्ड वॉलिएन्टरी एक्शन सेवा संस्थान, टोंक, राजस्थान	बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार एवं घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर राजस्थान राज्य के टोंक जिला में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
159	संस्कार सेवा संस्थान, बैरत, राजस्थान.	महिला सशक्तीकरण एवं अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, बाल विवाह विषय पर बैरत, जिला भरतपुर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
160	राष्ट्रीय ग्राम्य समाज कल्याण समिति, भरतपुर, राजस्थान	महिला सशक्तीकरण एवं अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय विषय पर राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले के चार गांवों बहाज, बरोली, चत्ता एवं डींग में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
161	ग्रामीण रोजगार जन चेतना प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान, डूंगरपुर, राजस्थान	बाल विवाह, तलाक एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर जिला डूंगरपुर, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
162	किसान भारती विकास संस्थान, भीलवाडा, राजस्थान	गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 एवं मादा भ्रूण हत्या, महिलाओं से संबंधित दांडिक कानून, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर भीलवाडा, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
163	अरावली अनुसंधान विकास संस्थान, जयपुर, राजस्थान	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विषय पर जयपुर, सांगानेर एवं आमेर, बागरू प्लेस, जयपुर, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
164	राजस्थान ग्रामीण विकास एवं शिक्षण संस्थान, जालौर, राजस्थान	बालिकाओं के साथ बलात्कार, मादा भ्रूण हत्या, महिलाओं से संबंधित दांडिक कानून, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर जालौर, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
165	मां सरस्वती शिक्षण संस्थान, धौलपुर, राजस्थान	छोटी आयु में विवाह, दहेज, महिलाओं का शोषण और बालिकाओं के साथ बलात्कार विषय पर पुरुषोत्तम धर्मशाला, 7, ब्रजेश अकादमी हौद, बारी, जिला धौलपुर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
166	कृति संस्थान, चित्तौडगढ़, राजस्थान	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
167	चेतना बाल शिक्षा समिति, करौली, राजस्थान	घरेलू हिंसा, महिलाओं का शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर करौली, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
168	रामदास विकास संस्थान, दौसा, राजस्थान	महिला एवं परिवार कानून, दांडिक कानून एवं महिलाएं विषय पर चार गांव–सिकन्दरा, गीजगढ़, गिरधरपुर एवं सीकरी, जिला दौसा, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
169	संकल्प संस्थान अकोला, चित्तौडगढ़, राजस्थान	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विषय पर अकोला, जिला चित्तोडगढ़, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
170	कौशल सेवा संस्थान, डूंगरपुर, राजस्थान	दांडिक कानून एवं महिलाएं, कार्य स्थल पर महिलाओं के अधिकार, मादा भ्रूण हत्या विषय पर गांव मलपुर, बीरपुर एवं असेला, जिला डूंगरपुर, राजस्थान में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
171	रणथम्भौर सेवा संस्थान, राजसमंद, राजस्थान.	महिलाओं का शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर गांव बिदोली, डिडवाना, डूंगरपुर, बिनोरी, जिला दौसा, राजस्थान राज्य में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	20000/-
172	त्रि संस्थान सुंदरी, सवाई माधौपुर, राजस्थान	महिलाएं एवं संविधान, परिवार कानून, अपराध आदि, महिलाओं के अधिकार, विधायी विशेष अधिकार, परिवार न्यायालय एवं आईई अधिनियम, महिलाओं के अधिकार एवं कर्तव्य, विभिन्न कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार विषय पर चार गांव नरोली चाउर,	200000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
		सिरसाली, ताजपुरा एवं डाबर, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	
173	राजपूताना पूर्व सैनिक एवं जन कल्याण समिति, करौली, राजस्थान	घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता, बाल विवाह विषय पर चार गांव–रुधोड, धान्डूपुरा, महमदपुर, गोडा जी का गवे, जिला करौली, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
174	ग्रामीण जन कल्याण संस्थान, नागौर, राजस्थान	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 तथा तेजाब हमले से संबंधित मुद्दों पर गांव बड्डू, बागोट एवं कालवाड तथा निम्बी, ब्लॉक पर्वतसर, जिला नागौर, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
175	राष्ट्रीय ग्राम्य व समाज कल्याण समिति, भरतपुर, राजस्थान	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर गांव बहज, बरोली, डींग, भरतपुर, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
	तमिलनाडु		
176	लोक कल्याण एवं विकास सोसायटी, इरोड, तमिलनाडु	गैर जन जातीय लोगों द्वारा जन जातीय महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर तमिलनाडु के इरोड जिले के जंगल में दूरदराज के दो गांवों में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
177	गांव पर्यावरण शिक्षा विकास सोसायटी, चैन्नई, तमिलनाडु	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर अदम्बक्कम एवं हस्थिनापुरम, जिला चैन्नई, तमिलनाडु में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
178	थमिझियाल आयवू अरक्काट्टलई, जिला इरोड, तमिलनाडु	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 एवं हिंदू स्वीय विधि, 1956 विषय पर थिरुवल्लुवर नगर, गोबीचेट्टीपलयम तालुका, जिला इरोड, तमिलनाडु में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
179	सोशल इम्प्रूवमेंट एण्ड नेशनल इकोनोमीकल एडवाइजेबल ग्रेडिएन्ट एडोप्टिव मूट (सिनेगम), धर्मापुरी, तमिलनाडु	महिला एवं परिवार कानून तथा दांडिक कानून, बाल विवाह, तलाक, दहेज विषय पर हरूर, नारीपल्ली, सिटिलिंग एवं धर्मापुरी जिला,	200000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
		तमिलनाडु में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	
180	रूरल इनवायरमेंट अवेयरनैस लीगल एण्ड डवलपमेंट सोसायटी, थेनी, तमिलनाडु	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर थेनी जिला, तमिलनाडु में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
181	श्री विष्णु शिक्षा विकास यूनिट ट्रस्ट, वेल्लौर, तमिलनाडु	बाल विवाह, तलाक एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर वरियार नगर, रंगपुरम, जिला वैल्लोर, तमिलनाडु में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
182	टैलेन्ट ट्रस्ट, भगवती नगर, गोबी, जिला इरोड, तमिलनाडु	बच्चों के दत्तक ग्रहण के बारे में जानकारी देने और भरण पोषण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर कनक्कमपालयम जिला, तमिलनाडु में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
183	ऑल वीमेन एण्ड रूरल डवलपमेंट सोसायटी (अवार्ड्स), तिरुवल्लूर, तमिलनाडु	बच्चों का अवैध व्यापार और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
184	ग्रामीण महिला विकास समिति, विरुद्धनगर, तमिलनाडु	दांडिक कानून एवं महिलाएं, व्यावसायिक यौन शोषण और बाल विवाह एवं दहेज विषय पर वीकेएस महल, एलयीरामपन्नई सत्तूर, जिला विरुद्धनगर, तमिलनाडु में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
185	समाज विकास सोसायटी (सोसोड), कन्याकुमारी, तमिलनाडु	बाल श्रम, गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, मादा भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले के नागर कोइल एवं सुचिन्द्रम पंचायत और थुकाल्य एवं कनियाकुलम में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
186	मनो समाज कल्याण शिक्षा ट्रस्ट, पुदुक्कोट्टई, तमिलनाडु	मादा भ्रूण हत्या, अवैध व्यापार एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर पुदुक्कोट्टई, तमिलनाडु में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
187	डवलपमेंट ऑफ रूरल एजूकेशन एग्रीकल्चर एण्ड मल्टीपरपज सर्विस ट्रस्ट (ड्रीम ट्रस्ट), डिन्डीगुल, तमिलनाडु	महिलाओं से संबंधित बुनियादी मानवाधिकार और बच्चों के अधिकारों, विवाह, दहेज, यौन उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे	50000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
		में जानकारी देने के लिए जेयम सेमिनार हॉल डिन्डीगुल, तमिलनाडु में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	
	त्रिपुरा		
188	गोलाघाटी कल्याण सोसायटी, पश्चिमी त्रिपुरा, त्रिपुरा	लड़कियों का अवैध व्यापार एवं दहेज, स्वास्थ्य अधिकार विषय पर लालसिंहमुरा एवं गोलाघाटी, त्रिपुरा में छह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	300000/-
189	कला, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सोसायटी, अगरतला, त्रिपुरा	महिला सशक्तीकरण, गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, महिलाओं से संबंधित दांडिक कानून, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 विषय पर अगरतला, त्रिपुरा में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	180000/-
190	नेताजी कल्याण केंद्र, दक्षिणी त्रिपुरा, त्रिपुरा	अवैध व्यापार और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर दक्षिणी त्रिपुरा में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	120000/-
	उत्तर प्रदेश		
191	स्वर समाज सेवा संस्थान, बलिया, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, बाल श्रम, हिंदू विवाह कानून एवं मुस्लिम विवाह कानून विषय पर गांव शाहपुर, बलिया और तहसील सदर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
192	भारतीय ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, बस्ती, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और लड़कियों के साथ बलात्कार/यौन दुर्व्यवहार विषय पर डुमरियागंज एवं बांसी, जिला सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
193	दीपक जन कल्याण सेवा संस्थान, अमेठी, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 एवं मादा भ्रूण हत्या, दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर गांव पूर्वगऊन एवं कठेडी, रानीगंज, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
194	शेखर शिक्षण एवं समाजोत्थान समिति, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर गांव लुचुइया, जिला सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
195	मौर्य शाक्य छात्रावास जन कल्याण समिति, बदायूं, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, यौन उत्पीड़न, मानसिक एवं शारीरिक दोनों उत्पीड़न तथा बलात्कार और गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम विषय पर गांव कटिया, ब्लॉक मिआऊं और गांव दलेल नगर, ब्लॉक उसावन, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
196	भारतीय शिल्पकार समाज कल्याण समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर नई बस्ती एवं दकवा–मलीहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
197	श्री हंस साश्निक एवं सेवा संथान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	महिला–पुरुष भेदभाव, गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, महिलाओं से संबंधित दांडिक कानून, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर माका इंटर कालेज, असान्द्रा बाजार, बाराबंकी और गांव जरौली, ब्लॉक बनीकोदार, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
198	रिफार्मर्स एजूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसयटी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के उपबंधों के बारे में जानकारी विषय पर तकी नगर एवं कलैक्टर गंज, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
199	बंधन फाउण्डेशन, एटा, उत्तर प्रदेश	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, बाल विवाह, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, मादा भ्रूण हत्या तथा लिंग चयन हेतु गर्भपात, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 विषय पर गांव नल्ला बाझ एवं नगला नानकर, ब्लॉक अलीगंज, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
200	श्री साई सेवा समिति, हरदोई, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम एवं बाल विवाह विषय पर गांव निर्मलपुर, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
201	सोसायटी फॉर कॉज ऑफ पीपल्स इम्पावरमेंट (स्कोप), लखनऊ, उत्तर प्रदेश	महिला सशक्तीकरण, गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 विषय पर गणेशधाम अतिथि गृह और मधुताउन्दन महिला महाविद्यालय, कालपी, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
202	साथी ग्रामोद्योग संस्थान, सीतापुर, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह, दहेज विषय पर जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
203	प्रान्तीय पत्रकार एसोसिएशन, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर लखपीराबाग कालोनी और कोठी डीह, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
204	ग्राम सेवा संस्थान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, विषय पर जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	50000/-
205	महिला एवं बाल कल्याण संस्थान, सीतापुर, उत्तर प्रदेश	बाल विवाह, छेड़छाड़, दहेज विषय पर सिविल लाइन, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
206	औद्योगिक जन कल्याण संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर गांव अल्लापुर एवं सोबतियाबाग, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
207	सोसायटी फॉर एनीमल हैल्थ एग्रीकल्चर साइंस एण्ड ह्यूमेनिटी, कोरवा, उत्तर प्रदेश	दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961, महिला उत्पीड़न अधिनियम, 2013 एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, विषय पर चार ब्लॉक–भटुआ, शागढ़, गौरीगंज एवं अमेठी, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
208	संघर्षोत्थान, हाथरस, उत्तर प्रदेश	महिला साक्षरता, महिलाओं का मताधिकर, बाल विवाह और घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर गांव मैकपुर एवं नगरिया, हाथरस, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
209	सदरौना जन कल्याण समिति, सदरौना, सरोजिनी नगर, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश	महिला एवं परिवार कानून, लिंग चयन निषेध अधिनियम, 1994 विषय पर गांव गौतम खेड़ा माजरा तथा गांव देकवा, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
210	श्री भोला नाथ सेवा संस्थान, गौंडा, उत्तर प्रदेश	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और दहेज विषय पर गांव किंधौरा, जिला गौंडा, उत्तर प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
211	नवदीप सामाजिक विकास संस्था, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	कम आयु की लड़कियों का विवाह, घरेलू हिंसा एवं दहेज विषय पर गुलाबठी के चार गांव, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
212	अलंकार वीमेन एण्ड चाइल्ड केरियर एजूकेशन इंस्टीट्यूट वेलफेयर सोसायटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर बाउली काकोरी टाउन काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
213	सृजन फाउण्डेशन, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा पर महिलाओं के लिए मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता शिविर	100000/-
214	महिला शिक्षण समिति, कासगंज, उत्तर प्रदेश	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, विषय पर गांव कल्याणपुर, फरीदपुर एवं हिम्मतपुर, सिसरौली, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
215	श्री बटेश्वर दयाल समाज कल्याण समिति, औरेया, उत्तर प्रदेश	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, बाल विवाह विषय पर आठ गांव हरचंदपुर, मुहम्दाबाद एवं छंचूद, आशा एवं रामपुर वैश्य तथा गावरी एवं बैशोली, जिला औरेया, उत्तर प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
216	सर्व समाज मानव उत्थान समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	घरेलू हिंसा अधिनियम तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर तीन गांव–बेहतवा, अमौसी तथा गांव खानपुर, मऊ, गांव बाबाखेडा, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
217	श्री राधा कृष्ण सेवा समिति, मथुरा, उत्तर प्रदेश	दांडिक कानून एवं महिलाएं (घरेलू हिंसा, दहेज, बालिकाओं के साथ बलात्कार) विषय पर गांव महमदपुर एवं कुंजारा, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
218	सर्वोत्थान सेवा संस्थान, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	दांडिक कानून एवं महिलाएं, बालक, परिवार एवं समुदाय सेवा अधिनियम, बलात्कार और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर रायबरेली, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
219	स्टेयर्स, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	महिलाओं के मूल अधिकार एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर हरियाणा राज्य के गांव सिरसा, लूडेसर, रोही जिला में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,51,500/-
	उत्तराखंड		
220	महिला एवं बाल उत्थान समिति, देहरादून, उत्तराखंड	दहेज प्रथा एवं मादा भ्रूण हत्या, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 तथा मनरेगा अधिनियम विषय पर उत्तराखंड राज्य के जिला देहरादून के गांव बुल्लावाला, डोईवाला एवं बिरसानी सहसपुर में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
221	रूरल लिटिगेशन एण्ड इनटाइटलमेंट केंद्र, देहरादून, उत्तराखंड	यौन उत्पीड़न, दहेज, बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, विषय पर ब्लॉक रुड़की, भगवानपुर, जिला हरिद्वार, विकासनगर एवं कलसी ब्लॉक, जिला देहरादून, उत्तराखंड में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	120000/-
	पश्चिम बंगाल		
222	मुर्शीदाबाद आदिवासी ग्रामीण जन कल्याण समिति, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल	लिंग चयन निषेध अधिनियम, 1994, स्वास्थ्य का अधिकार, बाल विवाह, महिलाओं का मतदान का अधिकार एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर पांच गांव कालीनगर,	100000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
		देबीपुर जीपी, सांगरपुरा, कालीनगर एवं रायपुर, रानीनगर, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	
223	बांकुरा मानस समाज कल्याण सोसायटी, जिला बांकुरा, पश्चिम बंगाल	बच्चों का अवैध व्यापार, दहेज, बाल विवाह तथा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल के पालिताबागान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-
224	दिगम्बरपुर अंगीकर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल	घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला सशक्तीकरण विषय पर तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए गांव व डाकघर दिगम्बरपुर एवं फ्रेजरगंज, ब्लॉक पाथारपार्तिमा एवं नमखाना, जिला दक्षिणी 24 परगना पश्चिम बंगाल में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
225	हरिपुर डा. अम्बेडकर जन सेवा मिशन, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल	महिलाएं एवं परिवार कानून, प्रसूति लाभ अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर तीन स्थानों नबग्राम, नागर एवं सागरडीघी, जिला मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	150000/-
226	खिरपई श्री रामकृष्ण सोसायटी, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	यौन उत्पीड़न एवं अपहरण, बच्चों के साथ बलात्कार तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
227	मृत्युंजयनगर मुक्तितीर्थ, दक्षिणी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, महिला एवं परिवार कानून और दांडिक कानून एवं महिलाएं (दहेज, घरेलू हिंसा, महिलाओं एवं लड़कियों के साथ बलात्कार) विषय पर मृत्युंजयनगर, सागर, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
228	मालदा अग्नि सोसायटी फॉर इन्टीग्रेटेड डवलपमेंट, मालदा, पश्चिम बंगाल	दांडिक कानून एवं महिलाएं, बच्चों के साथ बलात्कार/यौन दुर्व्यवहार तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर महेशमति, डाकघर एवं जिला मालदा, पश्चिम बंगाल में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	200000/-

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्था का नाम	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्या/बल का क्षेत्र तथा आयोजन स्थल	संस्वीकृत राशि (रुपयों में)
229	पिरोजपुर नोबोदय वेलफेयर सोसायटी, मालदा, पश्चिम बंगाल	विवाह कानून, तलाक से संबंधित कानून, भरण–पोषण तथा मतदान का अधिकार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 विषय पर ओल्ड मालदा ब्लॉक सकाराम, साहपुर ग्राम पंचायत, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
230	अग्रदूत पॉली उन्न्यन समिति, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	घरेलू हिंसा नियमों तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए गोपालनगर एवं जितूजूरी, मानबाजार ब्लॉक, जिला पुरलिया, पश्चिम बंगाल में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-
231	चांदीपुर ग्रामीण विकास सोसायटी, बीरभूमि, पश्चिम बंगाल	घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम विषय पर गांव साहपुर एवं बरशाल, ब्लॉक रामपुर, जिला बीरभूमि, पश्चिम बंगाल में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000/-

अनुलग्नक–XIV

वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए) का आयोजन करने वाले गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन/संगठन/संस्थान का नाम एवं पता	पारिवारिक महिला लोक अदालत	संस्वीकृत राशि
	कर्नाटक		
1.	महिला कल्याण सोसायटी, बेलगाम, कर्नाटक	बेलगाम जिला न्यायालय, कर्नाटक में दो पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए)	60000/-
	उत्तर प्रदेश		
2.	संत सेवा संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर न्यायालय परिसर, उत्तर प्रदेश में दो पारिवारिक महिला लोक अदालत	120000/-

अनुलग्नक–XV

वर्ष 2013-14 के दौरान पूरे हुए तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसंधानों/अध्ययनों की सूची

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	सदर्न इंडिया एजूकेशन ट्रस्ट, चैन्नई, तमिलनाडु	भारत में स्व–सहायता दलों (एसएचजी) का तुलनात्मक अध्ययन	3,33,900/-
2.	सामाजिक अनंसंधान केंद्र, वसंत कुंज, नई दिल्ली	मध्य प्रदेश और कर्नाटक की जेलों में महिला कैदियों का स्थैतिक विश्लेषण	4,49,400/-
3.	सामाजिक अनुसंधान केंद्र, वसंत कुंज, नई दिल्ली	सरोगेट मदरहुड–नैतिक अथवा वाणिज्यिक	2,52,790/-
4.	सदर्न इंडिया एजूकेशन ट्रस्ट, चैन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु में महिलाओं का संपत्ति कर अधिकार	3,33,900/-
5.	वीमेन पावर कनैक्ट, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली	यौन उत्पीड़न के विषय में कालेज के छात्रों का परिप्रेक्ष्य : बैंगलूरू शहर के कालेजों की केस स्टडी	1,59,600/-
6.	नागरिक विकास समिति, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	पंचायती राज महिलाओं की भागीदारी एवं उत्पन्न कठिनाई	2,99,500/-
7.	अभियान, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ की जेलों में महिलाओं की स्थिति	4,15,000/-
8.	इंडियन स्कूल ऑफ वीमेन स्टडी एण्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली	वैवाहिक क्रूरता और भारतीय दंड संहिता की धारा 498क	3,64,350/-